Administrative & Editorial Board

RNI No. UPBILL/2015/63870 ISSN (Print) : 2350-0441

IMPACT-FACTOR 5.299

Shodh Chetna

A Peer-Reviewed International Referred & Multifocal Research Journal

Year : 7 Vol. - 3 (July to Sep. 2021)

ADVISORY BOARD

- Prof. V.P. Upadhayay *(Punjab University, Chandigarh)*
- Prof. Safat Ahmad *(SHUATS, Naini, Prayagraj)*
- Prof. L.C. Chaudhary *(Principal Scientist, IVRI, Barellei)*
- Prof. Sanjay Shanker Mishra *(TRS College, Rewa)*
- Prof. R.K. Singh, Prog. Coordinator *(KVK Barellei, Govt. of India)*
- Prof. S.P. Singh *(CM.P. Degree College, Prayagraj)*
- Dr. Dinesh Singh *(Education, UPRTOU, Prayagraj)*
- Prof. Ashok Kumar *(Floriculture, NDUAT, Kumarganj, Ayodhya)*
- Dr. Surya Narayan Gautam *(Shri JJT University, Jhunjhunu, Raj.)*
- Shri Ajay Srivastava *(State Central Library, Rewa)*
- Prof. D.N. Triapthi *(D.S. College, Aligarh)*
- Dr. Ram Dhani *(Principal, Dr. Rajeshwar Sewashram Degree College, Pratapgarh)*

EDITORIAL BOARD

Chief Editor

Dr. Sheetla Prasad Verma
Kulbhaskar Ashram P.G. College, Prayagraj
Mob. : 9415645164

Associated Editor

Dr. Devendra Prasad Mishra
Shri Lal Bahadur Shastri Rastriya
Sanskrit Vishwavidyalaya, Delhi
M. 9968055859

Chief Managing Editor

Sushil Kumar Kushwaha
Mob. : 9532481205
e-mail : ghpublication@gmail.com

Managing Editor

Harsh Kushwaha, Prayagraj
R.L. Vishwakarma, Rewa

Scan QR Code for All Details

Sub Editors

1. Dr. (Mrs.) Aditi Sakia (Assoc. Prof. M.D.K.G. College, Dibrugarh, Assam)
2. Dr. (Smt.) Poonam Mishra (TRS College, Rewa)
3. Dr. Dinesh Kumar Singh (Shri JJT Univ., Jhunjhunu, Raj.)
4. Dr. R.P. Chaturvedi (TRS College, Rewa)
5. Dr. Umesh Kumar Mishra (Govt. Science College, Rewa)
6. Dr. Dilip Singh (CMP Degree College, Prayagraj)
7. Dr. Gaurav Patel (Asstt. Prof. Law, CMP Degree College, Prayagraj)
8. Shri Vineet Kumar Gupta (Govt. Acharya Sanskrit College, Alwar, Rajasthan)
9. Dr. Akhilesh Kumar Gupta (Education & Training Centre, Rewa)
10. Dr. Sudha Soni (Govt. Girls Degree College, Rewa)
11. Preeti Vishwakarma (Govt. Bapu College, Navgown, Chhatarpur, M.P.)
12. Dr. Jeetendra Kumar Pandey (Govt. College Nashtigawan, Rewa, M.P.)
13. Prof. Kalpana Mishra (Jawahar Lal Nehru College of Technology, M.P.)
14. Dr. (Smt.) Bhawana Pandey (Govt. Polytechnic College, Rewa, M.P.)
15. Ram Kumar Arya (Govt. Bapu College, Navgown, Chhatarpur, M.P.)
16. Sheetal Surothiya (Govt. Bapu College, Navgown, Chhatarpur, M.P.)
17. Smt. Nisha Pandey (Govt. Polytechnic College, Rewa, M.P.)
18. Dr. Shrikant Shukla (Govt. P.G. College, Amarpatan, Satna, M.P.)

- The persons holding the posts of the Journal are not paid any salary or remunaration. The Journal's work is purely academic, non political, posts of Journal are honorary.
- The Journal will be regularly indexed and four issues will be released every year in (January to March) - 1, (Apr. to Jun.) - 2, (July to Sept.) - 3, (Oct. to Dec.) - 4

स्वामी, मुद्रक एवं प्रकाशक : सुशील कुमार कुशवाहा द्वारा 'शोध चेतना', जी.एच. पब्लिकेशन, 121 शहरारा बाग, इलाहाबाद-211 003 से प्रकाशित एवं श्री विष्णु आर्ट प्रेस, 332/257, चक जीरो रोड, इलाहाबाद-3 से मुद्रित। प्रधान संपादक : सुशील कुमार कुशवाहा, (Ph.) 0532-2563028, (M) 9532481205, E-mail : ghpublication@gmail.com website : www.shodhchetna.com

जनरल में प्रस्तुत विचार और तथ्य लेखक का है, जिसके विषय में प्रकाशक, मुद्रक एवं सम्पादक मंडल सहमत हो, आवश्यक नहीं। सभी विवादों का न्यायिक क्षेत्र इलाहाबाद रहेगा।

G.H. PUBLICATION

121, Shahrarabag, Allahabad-211 003

E-mail : ghpublication@gmail.com | website : www.shodhchetna.com

LIST OF REVIEWERS

1. Prof. K.P. Chaudhary, Ag. Ext. (Aijol)
2. Dr. Vineet Verma, Mathematics (Lucknow)
3. Dr. Vikram Singh, Agronomy (Prayagraj)
4. Dr. Amitabh Dwivedi, Zoology (Prayagraj)
5. Dr. Sunil Chandra, Agronomy (Prayagraj)
6. Dr. Ramesh Chandra, Dairy Technology (Prayagraj)
7. Dr. Surya Narayan, Horticulture (Prayagraj)
8. Dr. Aradhana Kumari, History (Prayagraj)
9. Prof. Parvati Singh, H.Sc. (Prayagraj)
10. Dr. Praveen Singh, Chemistry (Prayagraj)
11. Dr. Aizaz Ahemad, Social Convention (Prayagraj)
12. Dr. Arvind Verma, Agriculture Engg. (Mathura)
13. Dr. A.K. Verma, Animal Nutrition (Bareliy)
14. Dr. Saleem Uddin, Genetic & Plant Breeding
15. Dr. Piyush M. Maurya, Chemical Science (Rajasthan)
16. Dr. C.L. Sharma, English (Rajasthan)
17. Dr. Chandra Lekha Sharma, Physiology (Rajasthan)
18. Dr. Sikha Verma, Education (Ayodhya)
19. Dr. Sandeep Kashyap, L.P.M. (Sant Kabir Nagar)
20. Dr. A.K. Roy, Agri. Eco. (Prayagraj)
21. Dr. J.P. Verma, Economics (Lucknow)
22. Dr. Faizan, Political Science (Badaun)
23. Dr. Dinesh Kumar Patel, English (Badayun)
24. Dr. Mansa Ram Verma, Sanskrit (Gonda)
25. Prof. Gyan Prakash Verma, Commerce (Varanasi)
26. Dr. P.K. Pachauri, Physical Education (Prayagraj)
27. Dr. VIkram Singh, Physics (Prayagraj)
28. Dr. S.K. Tripathi, Agri. Chem. (Prayagraj)
29. Dr. Ratan Kumari Verma, Hindi (Prayagraj)
30. Dr. Deena Nath, Hindi (Prayagraj)
31. Dr. Vinay Kumar Patel, Sociology (Bareily)
32. Dr. Manvendra Verma, Defence Studies (Prayagraj)
33. Dr. Hanuman Prasad Gupta, Law (Prayagraj)
34. Dr. R.B. Singh, Statistics (Merrut)

© *Publishers*

Registration Fee : **Rs. 1500.00**

Single Copy **Rs. 250.00 (Individual)**

Annual (4 Issues) **Rs. 1000.00 (Institution)**

Life Member Fee (Individual) **Rs. 5000.00**

Life Member Fee (Institution) **Rs. 7000.00**

Mode of Payment :

DD/Cheque/Cash should be sent in favour of

G. H. PUBLICATION
Union Bank of India
Chowk, Allahabad-211 003
A/c. No. 394301010122432
IFSC-UBIN 0539431

Special Appearence
R.L. Vishwakarma, Rewa
(Mob. : 9827262820)

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D.L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III –खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 271] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 18, 2018/आषाढ़ 27, 1940
No. 271] NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 18, 2018/ASHADHA 27, 1940

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 जुलाई, 2018

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य शैक्षिक कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हता तथा उच्चतर शिक्षा में मानकों के रखरखाव हेतु अन्य उपाय) संबंधी विनियम, 2018

Table 2

Methodology for University and College Teachers for calculating Academic/Research Score

(Assessment must be based on evidence produced by the teacher such as : copy of publications, project sanction letter, utilization and completion certificates issued by the University and acknowledge for patent filing and approval letters, students' Ph.D. award letter, etc.)

S. N.	Academic/Research Activity/	Faculty of Science Engineering/Agriculture/ Medical/Veterinary Sciences	Faculty of Languages/ Humanities/Arts/Social Sciences/Library/Education / Physical Education/Commerce /Management & other related disciplines
1.	**Research Papers in Peer-Reviewed or UGC listed Journals**	08 per paper	10 per paper
2.	**Publication (other than Research Papers)**		
	(a) Books authored which are published by :		
	International publishers	12	12
	National Publishers	10	10
	Chapter in Edited Book	05	05
	Editor of Book by International Publisher	10	10
	Editor of Book by National Publisher	08	08

	(b) Translation works in Indian and Foreign Languages by qualified faculties		
	Chapter or Research paper	03	03
	Book	08	08
3.	**Creation of ICT mediated Teaching Learning padagogy and content and development of new and innovative courses and curricula**		
	(a) Development of Innovative pedagogy	05	05
	(b) Design of new carricula and courses	02 per curricula/course	02 per carricula/course
	(c) MOOCs		
	Development of complete MOOCs in 4 quadrants (420 credit course) (In case of MOOCs of lesser credits 05 marks/credit)	20	20
	MOOCs (developed in 4 quadrant) per module/lecture	05	05
	Content writer/subject matter expert for each module of MOOCs (at least one quadrant)	02	02
	Course Coordinator for MOOCs (4 credit course) (In case of MOOCs of lesser credits 02 marks/credit)	08	08
	(d) E-Content		
	Development of e-Content in 4 quadrants for a complete course/e-book	12	12
	e-Content (developed in 4 quadrants) per module	05	05
	Contribution to development of e-content module in complete course/ paper/e-book (at least one quadrant)	02	02
	Editor of e-content for complete course/paper/e-book	10	10
4.	**(a) Research guidance**		

For Guidelines & Membership Fee Authors/Researchers can contact to Registered Office :

G. H. PUBLICATION

121, Shahrarabag, Allahabad-211 003

e-mail : ghpublication@gmail.com

website : www.shodhchetna.com

Ph. : 0532-2563028 (M) 9532481205

अनुक्रम

1. **A Critical Analysis of Clinical Carelessness and Legal Framework with reference to India** **9-13**
Rahul Katiyar, Dr. Mohd. Imran

2. **''कबीर के काव्य में वर्तमान सामाजिक और सांस्कृतिक चुनौतियाँ''** **14-17**
सरस्वती वर्मा, डॉ. वर्षा खरे

3. **''ग्रामीण क्षेत्र में आदिम जाति दलित जाति व पिछड़ी जाति के छात्रों की शिक्षा में सुधार हेतु पंचशील सेवा संस्थान डभौरा रीवा द्वारा चलाये जा रहे कार्यक्रमों का प्रभाव''** **18-21**
डॉ. रबीन्द्र नाथ यादव

4. **Postpartum Engorgement of Breast** **22-26**
Monika Rani

5. **''वैश्विक महामारी में जीवन संकट एवं श्रमिकों की दशा''** **27-31**
सुखलाल हरिजन, डॉ. अमरजीत कुमार सिंह

6. **Environmental Ethics in Hindu Way of Life : The Teachings of Vedas** **32-36**
Dr. Nikhil Chandra Misra

7. **Critical Analysis of Farrukh Dhondy's novel Poona Company** **37-38**
Shivani Pandey, Dr. Shalini Dube

8. **''बौद्ध धर्म एवं मुक्ति''** **39-42**
डॉ. दिलीप कुमार मिश्र

9. **सिंगरौली जिले के ऐतिहासिक क्षेत्र : विन्ध्य प्रदेश** **43-48**
डॉ. रचना कोरी

10. **''गीतरामायणम् महाकाव्य में छन्द विधान''** **49-56**
संतोष कुमार तिवारी, डॉ. राजेन्द्र प्रसाद चतुर्वेदी

11. **Has India forgotten the philosophy of Gandhi?** **57-63**
Dr. Harish Kumar Sharma

12. **'अकाल में उत्सव' किसान जीवन का जीता जागता सच** **64-71**
जमुना प्रसाद द्विवेदी

13. **Land use Land Cover Mapping of Odda River Basin Rewa District-486001 (M.P.) INDIA** **72-86**
Kalpana Mishra

14. **ठीकरे की मंगनी में स्त्री अस्मिता के तत्व** **87-92**
मनोज कुमार द्विवेदी

15. **काव्यों में प्रकृति वर्णन का महत्त्व** **93-95**
डॉ. आनन्दराम पैकरा

16. **Spirituality and Literature: A Conceptual Review** **96-98**
Jyotshna Mishra, Shubha Tiwari

17. **मध्यान्ह भोजन योजना का बच्चों की शिक्षा एवं स्वास्थ्य के प्रभाव का समाजशास्त्रीय अध्ययन (छतरपुर जिले के नौगांव विकासखण्ड के विशेष संदर्भ में)** **99-107**
श्री रामसुफल कोरी, डॉ. मधुलिका श्रीवास्तव

18. **Reservation: An Agreement for Utilitarian society** **108-120**
Dr. Harish Kumar Sharma

19. **कलचुरि काल की मूर्तियों में आभूषणों की सजावट** **121-130**
वंदना सोनी, डॉ. सुधा सोनी

20. **भारतीयपरिप्रेक्ष्ये कुटुम्बस्य अवधारणा** **131-133**
मीनाक्षी सिंह

21. **''अनुसंधान प्रक्रिया में भारतीय एवं पाश्चात्य् काव्यशास्त्र की भूमिका''** **134-136**
डॉ. राजू हमीरसिंह देसाई

22. **डॉ. द्वारिकानाथ त्रिपाठी विरचित जनसंख्या नियन्त्रण शतकम् (एक अध्ययन)** **137-140**
मनोज कुमार, डॉ. सूर्यनारायण गौतम 'वेदाचार्य

23. **रीवा विकासखण्ड के संदर्भ में ''विद्यालयों में अध्ययनरत बालकों की शिक्षा हेतु शिक्षा का अधिकार अधिनियम का अध्ययन''** **141-148**
रीता निगम, डॉ. पी.एन. मिश्र

24. **डॉ. सूर्यनारायण गौतम का लोकसाहित्य एवं परम्परागत शैली ('मोहन गाथा' के विशेष सन्दर्भ में)** **149-152**
रेखा जेवरिया, डॉ. सुरेश कड़वासरा

25. **भारत में राजभाषा हिंदी का भविष्य : एक अध्ययन** **153-155**
डॉ. सुधीरकुमार गौतम

26. वैश्विक महामारी कोरोना का एक अध्ययन :
'खरगोन जिले के विशेष सन्दर्भ में' (मार्च 2020 से मार्च 2021 तक) 156-163
प्रो. राजाराम आर्य

27. 'मेघदूतम्' खण्डकाव्य में पर्यावरण एवं पर्यटन : एक अध्ययन 164-163
सुमन

28. मतदान व्यवहार में मीडिया का प्रभाव 168-171
डॉ. राजेश शर्मा

29. Relevance of Gandhian Economics in pandemic situation
for consumers 172-175
Dr. Shilpa Mishra

30. कोविड-19 का नर्मदा के घाटों का पर्यावरणीय प्रभाव का अध्ययन 176-181
डॉ. दुर्गा महोबिया

31. आत्महत्या अंतिम विकल्प क्यों? 182-184
डॉ. वंदना पाण्डेय

32. Challenges in Managing E-Waste 185-188
Dr. Archana Sinha

33. Impulse Voltage - Effects on Transformer Winding 189-192
Dr. Archana Sinha

34. ''राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 : आत्मनिर्भर भारत की रूपरेखा का एक अध्ययन'' 193-197
विमलेश

35. श्रवणबाधित विद्यार्थियों की संवेगात्मक बुद्धि का अध्ययन 198-202
अवनीश कुमार मिश्र, डॉ. रजनीश कुमार सिंह

Our New Life Member

- Shri J.J.T. University, Jhunjhunu, Rajasthan
- Kulbhashkar Ashram P.G. College, Prayagraj
- International Federation of Astrology and Spiritual Science Regd. & Recognised by Govt. of India and Sri Lanka.

SHODH CHETNA – YEAR-7, VOL. 3 (JULY TO SEP., 2021) ISSN : 2350-0441
A Peer-Reviewed
International Referred &
Multifocal Research Journal
IMPACT-FACTOR 5.299
Paper Recieved : 6th Aug 21 Paper Accepted : 10th Aug 21

A Critical Analysis of Clinical Carelessness and Legal Framework with reference to India

❒ Rahul Katiyar*
❒ Dr. Mohd. Imran**

ABSTRACT

An essential information on how legal gatherings manage the cases identifying with clinical carelessness is of total need for specialists. The requirement for such information is more now than before considering higher premium being put by the Indian gatherings on the worth of human existence and enduring, and maybe as it should be. Legal discussions, while trying to distinguish reprobates and wrongdoing in the instances of clinical carelessness, really target finding some kind of harmony between the self-rule of a specialist to make decisions and the privileges of a patient to be managed decently.

Key Words: Indian legal perspective, judgment, medical negligence

Introduction

The expression "clinical carelessness" is an omnibus one, which has come stylish to allude to unjust activities or oversights of experts in the field of medication, in quest for their calling, while at the same time managing patients. It's anything but a term characterized or alluded to anyplace in any of the authorized Indian laws.

This article looks to layout the essential highlights of "clinical carelessness" with negligible use of lawful manner. Besides, instead of investigating the prickly issues encompassing the topic, this piece is expected to be useful. The philosophy received is elucidating; it depends on legal assessments of the greater courts of India and is restricted to choose legal feelings as opposed to being a reference book of specialists.

The outcomes of clinical carelessness under expansive heads are laid out at the start in this article, which are trailed by a layout of the fundamental constituents of clinical carelessness and the obligations of specialists along with specific delineations and the base principles of care needed under law. From that point, the article manages the idea of data needed to be granted to the patient for the motivations behind discussion and treatment and closes after a reference to the overall warning gave by the Supreme Court for specialists to be taken as prudent steps and the rules gave by the Supreme Court for insurance of specialists from provocation if criminally indicted.

Outline of Consequences

The outcomes of legitimately cognizable clinical carelessness can comprehensively be placed into three categories:[1] (I) Criminal obligation, (ii) financial responsibility, and (iii) disciplinary activity.

Criminal risk can be attached according to the arrangements of the Indian Penal Code, 1860 ("IPC"), which are general in nature and don't give

* Research Scholar, Shobhit Institute of Engineering & Technology Deemed to be University, Meerut.
** Associate Dean and Associate Professor, Shobhit Institute of Engineering & Technology Deemed to be University , Meerut

explicitly to “clinical carelessness.” For example, Section 304A of IPC[2] (which manages the passing of an individual by any imprudent or careless demonstration and prompts detainment as long as 2 years) is utilized to manage the two instances of mishaps caused because of rash and careless engine vehicle driving and furthermore clinical carelessness prompting the demise of a patient. Likewise, other general arrangements of IPC, for example, Section 337[3] (causing hurt) and 338[4] (causing offensive hurt), are additionally frequently conveyed according to clinical carelessness cases.

Common risk, i.e., money related remuneration can be affixed under the overall law by seeking after a cure under the steady gaze of suitable common court or customer discussions. An activity looking for burden of the common responsibility on the blundering clinical expert is started by wards of the expired patient or by the patient himself (if alive) to look for pay. Entryways of perpetual lok adalats, comprised according to the Legal Services Authority Act, 1987, can likewise be thumped at by a complainant looking for alleviation in the connection to administrations “in a clinic or dispensary” which are viewed as “public utility administrations” inside the significance thereof, wherein initial a placation is endeavored and from there on assurance on benefits of the matter is made. Perpetual lok adalats are given forces likened to that of a common court in determined issue (like gathering and authorizing the participation of witnesses) and have ward in the issue up to Rs. 1 Crore[5]

Another outcome of clinical carelessness could be as inconvenience of punishments according to disciplinary activity. Proficient offense by clinical specialists is administered by the Indian Medical Council (IMC) (Professional Conduct, Etiquette, and Ethics) Regulations, 2002, made under IMC Act, 1956.[6] Medical Council of India (MCI) and the suitable State Medical Councils are enabled to make a disciplinary move whereby the name of the expert could be eliminated everlastingly or be suspended. Proficient wrongdoing is, be that as it may, a wide term which could possibly incorporate clinical carelessness inside its overlap. For example, with regards to legal advisors, it isn’t just an expert unfortunate behavior however other offense additionally which might prompt inconvenience of disciplinary punishments, for instance, infringement of denial on alcohol under Bombay Prohibition Act, 1949, by the advocate;[7] and maybe a conclusion might be stretched out for instances of clinical carelessness by clinical experts.

Treatment without educated assent may likewise add up to carelessness

The presence of specialist patient relationship is an essential to affix risk on the specialist. The relationship is guardian in nature, and the commitment on the clinical professional is more prominent when the patient conventionally has a loose comprehension of the affliction, analytic cycle, treatment, and all its specialist outcomes. Obligation to act in the wellbeing, be that as it may, can’t be extended to a level where moves are made against the desire of the patient or without the assent of the patient if the patient is fit for comprehension. Each tolerant has a right of self-assurance and to dismiss the therapy regardless of whether such dismissal were to be considered absurd by most reasoning guidelines, and the clinical expert can’t force his will. Clinical professionals can, notwithstanding, follow up on the subbed assent, if the essential assent isn’t accessible for an assortment of reasons, for example, patient being a minor, deranged, and oblivious.

In Samira Kohli v. Dr. Prabha Manchanda[8], a 44-year-old patient griping of feminine draining for 9 days, went through a ultrasound test and was prompted laparoscopy test under broad sedation for making a confirmed conclusion. The patient, while under broad sedation, was exposed to a laparoscopic assessment and at the same time with the assent of the mother holding up external the activity theater, stomach hysterectomy (expulsion of uterus) and reciprocal salpingo-oophorectomy (evacuation of ovaries and fallopian tubes) were led. It was held by the Supreme Court that assent taken for demonstrative method/medical procedure isn’t substantial for doing helpful medical procedure either traditionalist or extremist besides in perilous or rising circumstances. It was likewise held that where the assent by the patient is for a specific employable medical procedure; it can’t be treated as assent for an unapproved extra methodology including evacuation of an organ on the ground that such

expulsion is helpful to the patient or is probably going to forestall some risk creating in future, in case there is no inescapable risk to the life or strength of the patient.

High Court during the time spent showing up at its legal assessment analyzed the idea of "genuine assent" in the UK and "educated assent" in the US and discovering the US principles to be excessively high and inadmissible for Indian conditions explicitly dismissed something similar. It was additionally held that a specialist should get the assent of the patient, and such assent ought to be "genuine and legitimate," "satisfactory data" is to be outfitted to the patient to empower the person in question to make a reasonable judgment, distant chances need not be uncovered, and the nature and degree of data to be outfitted will be, for example, is thought of "typical and appropriate by a collection of clinical men talented and experienced in the specific field." Subsequently, Supreme Court in Malay Kumar Ganguly v. Sukumar Mukherjee[9] without reference to its past legal assessment in Samira Kohli accentuated on the need of specialists to draw in with the patients during treatment, particularly when the line of treatment is challenged, has genuine incidental effects and elective medicines exist, and saw that "[i] n the occasions to come, prosecution might be founded on the hypothesis of absence of educated assent."

Holiness of expert decisions and different restrictions

The overall set of laws needs to find some kind of harmony between the self-sufficiency of a specialist to make decisions and the privileges of a patient to be managed reasonably. Indian courts will in general give adequate breathing space to specialists and explicitly perceive the intricacy of the human body, vagary of clinical science, the intrinsic subjectivity of the cycle, certifiable extension for blunder of judgment, and the significance of the self-rule of the clinical expert. Hardly any perceptions of Supreme Court in this setting are deserving of proliferation:

"101. The Commission ought to have understood that various specialists have various methodologies, for example, some have more revolutionary while some have more moderate methodologies. All specialists can't be fitted into a straitjacketed equation and can't be punished for leaving from that recipe… .102. While this court has no compassion toward specialists who are careless; it should likewise be said that paltry grumblings against specialists have expanded huge amounts at a time in our country, especially after the clinical calling was put inside the domain of the Consumer Protection Act. To give a model, prior when a patient who had a manifestation of having a coronary episode would go to a specialist, the specialist would promptly infuse him with morphia or pethidine infusion prior to sending him to the Cardiac Care Unit in light of the fact that in instances of cardiovascular failure time is the quintessence of the matter. Nonetheless, at times, the patient kicked the bucket before he arrived at the emergency clinic. After the clinical calling was brought under the Consumer Protection Act vide Indian Medical Assn. v. V. P. Shantha ((1995) 6 SCC 651), specialists who control morphia or pethidine infusion are frequently accused and instances of clinical carelessness are documented against them. The outcome is that numerous specialists have quit giving (even as family doctors) morphia or pethidine infusion even in crises in spite of the way that from the manifestations the specialist really felt that the patient was having a respiratory failure. This was out of dread that if the patient passed on the specialist would need to confront official actions… .111. The courts and the Consumer Fora are not specialists in clinical science, and should not substitute their own perspectives over that of trained professionals. … 112. It should be recollected that occasionally in spite of their earnest attempts the treatment of a specialist comes up short. For example, now and again in spite of the best exertion of a specialist, the patient bites the dust. That doesn't imply that the specialist or the specialist should be held to be liable of clinical carelessness except if there is some solid proof to propose that he/she is."[10]

Courts try to shield the clinical experts from badgering however don't yield to lost feelings. Indeed, the courts don't substitute their own judgment with that of the clinical experts. For example, selection of a methodology implying higher danger with the real assumption for better odds of achievement in inclination to a strategy implying lesser danger yet more noteworthy odds of disappointment, regardless of whether it welcomes different perspectives among

specialists, would not prompt a finding of negligence.[11]

Warning to Doctors and Safeguards in Criminal Prosecution by Supreme Court

High Court in one case[12] noted extensively the safeguards which should be taken, and the equivalent are imitated thus beneath:

"Insurances which specialists/medical clinics/ nursing homes should take:

(a) Current practices, foundation, paramedical and other staff, cleanliness, and sterility ought to be noticed rigorously. In this manner, in Sarwat Ali Khan v. Prof. R. Gogi (OP No. 181 of 1997 settled on July 18, 2007 [NC]) the realities were that out of 52 waterfall activities performed between September 26, 1995, and September 28, 1995, in an eye emergency clinic, 14 people lost their vision in the worked eye. An enquiry uncovered that in the activity theater, two autoclaves were not working as expected. This gear is totally important to do disinfection of instruments, cotton, cushions, material, and so forth, and the harm happened as a result of its nonattendance in working condition. The specialists were expected to take responsibility

(b) No remedy ought to customarily be given without genuine assessment. The inclination to give remedy via phone, besides in an intense crisis, ought to be kept away from

(c) A specialist ought not only pass by the form of the patient with respect to his indications yet ought to likewise make his own examination including tests and examinations where fundamental

(d) A specialist ought not explore except if fundamental and surprisingly then he ought to conventionally get a composed assent from the patient

(e) A specialist ought to be counseled if there should arise an occurrence of any uncertainty. Consequently, in Indrani Bhattacharjee (OP No. 233 of 1996 settled on 9-8-2007 [NC]), the patient was analyzed as having 'gentle parallel divider ischemia.' The specialist endorsed medication for gastroenteritis however he terminated. It was held that the specialist was careless as he ought to have prompted counseling a cardiologist recorded as a hard copy

(f) Full record of the conclusion, treatment, and so forth, ought to be kept up with."

Conclusion

Few would disagree that delinquency, like in every other profession, needs to also be dealt with sternly in the field of medicine. The reasons are not difficult to discern. The question only is of defining the contours of "delinquency" which may give rise to adverse legal consequences. The outcome of treatment is of minimal significance for the imponderables are many in the practice of medicine. Two competing interests, and each being equally important as the other, need to be balanced in the process of fixing the parameters of liability: One relates to freedom of a professional in arriving at the judgment and the other of the victims in which the existence of discretion of the medical professional is not sought to be foreclosed but only its abuse and recklessness with which it may be made. Indian courts in the process of arriving at a balance lean, perhaps not unjustifiably, heavily in favor of the doctors.

The law does not seek to make any unnecessary intrusion into the territory which rightfully belongs only to medical professionals, and judges do not seek to impose their own wisdom on to them. The legal system does not adopt complete hands off approach either and does scrutinize the actions of medical professional and seeks to punish those who fall below the minimum standard, and the test for judging the minimum standard is also heavily influenced by the prevalent medical practices and opinions, and the body of knowledge available as on the relevant date. The standards are not too high and by fastening the liability in certain cases accountability is reinforced for no one can remain immune to scrutiny. In this regard, law zealously safeguards the autonomy of medical professionals and fully realizes that prescribing unreasonably high standards may have a kind of chilling effect which is not desirable, however, the law also seeks to protect and safeguard the interests of a patient to expect a minimum standard of care.

Footnotes :

1. Consequences of violating specific statutory provisions providing impermissible acts more precisely such as those under Pre-Conception and Pre-Natal Diagnostic Techniques Act, 1994, are not included in this category.

2. Section 304A, IPC reads as, "304A. Causing death by negligence.—Whoever causes the death of any person by doing any rash or negligent act not amounting to culpable homicide shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to two years, or with fine, or with both."

3. Section 337, IPC reads as, "337. Causing hurt by act endangering life or personal safety of others.—Whoever causes hurt to any person by doing any act so rashly or negligently as to endanger human life, or the personal safety of others, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to six months, or with fine which may extend to five hundred rupees, or with both."

4. Section 338, IPC reads as, "338. Causing grievous hurt by act endangering life or personal safety of others.—Whoever causes grievous hurt to any person by doing any act so rashly or negligently as to endanger human life, or the personal safety of others, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to two years, or with fine which may extend to one thousand rupees, or with both."

5 . Chapter VI A dealing constitution of the permanent *lok adalats* was inserted by way of Legal Services Authorities (Amendment) Act, 2002 w.e.f. 11.06.2002. Section 22C (1) of Legal Services Authorities Act, 1987 (as amended) read with notification number S.O. 803(E) dated 20.03.2015 issued by Ministry of Law and Justice provides the jurisdiction of permanent *lok adalats* up to Rs. 1 Crore. The challenge to the constitutionality of the permanent *lok adalats* and their powers to adjudicate on merits were declined by the Supreme Court in 2012 in Bar Council of India v. Union of India (2012) 8 SCC 243.

6. Section 20A of the Indian Medical Council Act, 1956, reads as follows: "20A. Professional Conduct. 1. The Council may prescribe standards of professional conduct and etiquette and a code of ethics for medical practitioners. 2. Regulations made by the Council under subsection (1) may specify which violations thereof shall constitute infamous conduct in any professional respect, that is to say, professional misconduct and such provisions shall have effect notwithstanding anything contained in any law for the time being in force."

7. In Mr. D, An Advocate of the Supreme Court, AIR 1956 SC 102.

8. (2008) 2 SCC 1. Even though it was held that the doctors acted in excess of the consent, doctors were let off very leniently by the Supreme Court as they had acted in good faith and for the benefit of the patient in the given facts.

9. (2009) 9 SCC 21.

10. Martin F. D'Souza v. Mohd. Ishfaq (2009) 3 SCC 1. This judgment was observed to be per incuriam to a limited extent it required independent medical opinion even for civil action. In Kusum Sharma v. Batra Hospital (2010) 3 SCC 480 Supreme Court observed that "78. It is a matter of common knowledge that after happening of some unfortunate event, there is a marked tendency to look for a human factor to blame for an untoward event, a tendency which is closely linked with the desire to punish. Things have gone wrong and, therefore, somebody must be found to answer for it. A professional deserves total protection."

11. Kusum Sharma and Ors. v. Batra Hospital and Medical Research Centre and Ors. (2010) 3 SCC 480. Here, removal of malignant abdominal tumor by surgical operation adopting an anterior approach in preference to posterior approach, though failed to save the life of the patient, was not held to be negligent.

12. Martin F. D'Souza v. Mohd. Ishfaq (2009) 3 SCC 1.

References

1. Jacob Mathew v. Territory of Punjab (2005) 6 SCC 1.

2. Samira Kohli v. Dr. Prabha Manchanda (2008) 2 SCC 1.

3. Martin F. D'Souza v. Mohd. Ishfaq (2009) 3 SCC 1.

4. V Kishan Rao v. Nikhil Super Speciality Hospital (2010) 5 SCC 513.

5. Malay Kumar Ganguly v. Sukumar Mukherjee (2009) 9 SCC 21.

SHODH CHETNA – YEAR-7, VOL. 3 (JULY TO SEP., 2021) ISSN : 2350-0441
A Peer-Reviewed International Referred & Multifocal Research Journal
IMPACT-FACTOR 5.299
Paper Recieved : 6th Aug 21 Paper Accepted : 10th Aug 21

''कबीर के काव्य में वर्तमान सामाजिक और सांस्कृतिक चुनौतियाँ''

❑ सरस्वती वर्मा*
❑ डॉ. वर्षा खरे**

शोध सारांश

कहा जाता है कि—''साहित्य समाज का दर्पण है।'' कबीर के साहित्य में यह युक्ति शत-प्रतिशत सटीक एवं सत्य है। हम यहाँ बात करने की कोशिश कर रहे हैं 'कबीर' की। अभी तक खोजी कवियों द्वारा कबीर के बारे में जितनी बातें लिखी गई उनमें कोई भी बात की एकरूपता सामने नहीं आ पाई। जैसे कबीर का जन्म, कबीर की जाति, कबीर के माता-पिता, कबीर का पारिवारिक जीवन आदि। यदि हम कहें कि कबीर एक प्राकृतिक विवादित महापुरुष, महासंत एवं महामानव थे, तो अतिशयोक्ति नहीं होगा लेकिन उनकी रहनी, कथनी निर्विवादित है। अधिकांश कवि लेखक अपनी पैनी लेखनी से उनके अवगुणों को लिखना चाहा परंतु सफल न हो सके, मानो साक्षात् प्रकृति माँ उनके चारों ओर ममतामयी आँचल का सुरक्षा रूपी कवच का अभेद्य घेरा आच्छादित की हो। शायद कह रही हों कि है ऐसा कोई माई का लाल! मेरे कबीर का बाल भी बाँका कर सके।

कबीर के साहित्य में जिन समस्याओं, उलझनों, संघर्षों एवं समाधानों का उल्लेख किया गया है वे सभी समस्याएँ, उलझनें वर्तमान भारतीय समाज में भी विद्यमान हैं। जैसे—कबीर के पूर्व एवं पश्चात् समय की भारतीय राजनैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक स्थिति आदि।

मौर्यकालीन सामाजिाक अवस्था

अशोक के पाँचवें शिलालेख के अनुसार मौर्यकालीन भारत में समाज ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में बँटा हुआ था। वर्ण व्यवस्था में जटिलता आ गई थी। वर्ण व्यवस्था की रक्षा करना राज्य का प्रमुख कर्तव्य था। बाह्य संपर्क से कुछ अंशों में जातीय नियम की कट्टरता को धक्का अवश्य लगा होगा और अन्तर्जातीय विवाह की प्रथा चली होगी। मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य स्वयं सेल्युकस की लड़की से विवाह किया था। कौटिल्य ने शूद्र को आर्य कहा है। तंतुवाय (जुलाहा), रजक, दर्जी, सुनार, लोहार, बढ़ई आदि कर्मकारों को जाति का नाम दे दिया गया एवं इन्हें शूद्र वर्ण में रखा गया। दासों की खरीदी बिक्री होती थी।

मौर्य साम्राज्य के बाद बौद्ध धर्म विरूद्ध प्रबल प्रतिक्रिया शुरू हुई। वर्ण व्यवस्था में शिथिलता तथा आश्रम व्यवस्था जो पहले छिन्न-भिन्न होनी प्रारम्भ हो गई थी, उसे मौर्येतर काल में फिर से स्थापित करने का प्रयास किया गया। शुंग व कण्व वंशों के साहित्य से पता

* शोधार्थी (हिन्दी), अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.)
** प्राध्यापक, शासकीय कन्या महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

चलता है कि भारती समाज में ब्राह्मणों का महत्व पुनः स्थापित होने लगा था। मौर्येतर काल में शोक, यवन, कुषाणों के हमलों के बाद बहुत से लोग जनपदों में बस गए। इन लोगों ने जैन या बौद्ध धर्म के जात-पात से रहित होने से इसे .... किया और वे इस धर्म के समाज के अंग भी बन गए। इस प्रकार वैदिक धर्म के संपर्क में आने पर भाक, पल्लव, यवन आदि जातियों ने वायुदेव, कृष्णा व शिव की पूजा शुरू कर दी। मगद, अंग आदि जनपदों में इन आर्य-भिन्न जातियों से वैवाहिक संबंध स्थापित करने से बौद्ध आर्य नहीं रहे।

कालान्तर में अरबों के आक्रमण हुए एवं उनके आक्रमण के बाद पर्याप्त समय तक भारत पर किसी विदेशी जाति का आक्रमण नहीं हुआ, उन्हें किसी विदेशी आक्रमण का भय नहीं रहा और उन लोगों ने अपनी समस्त शक्ति का प्रयोग आपसी संघर्षो में किया। उन्हें इस बात का ज्ञान नहीं था कि ''प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्त्तव्यों का पालन करना अनिवार्य है।''

कोई भी तात्कालिक राजवंश भारत में राजनीतिक एकता की स्थापना में असमर्थ था, शासक एक दूसरे के विरोधी तथा दुर्व्यसनी होते थे और प्रजा के हित से पूर्णतः उदासीन रहते थे। वंश-परंपरा में योग्य राजा की तरह थे, लोग भी अन्य वर्णो के हितों के प्रति उदासीन थे। नतीजतन निम्न वर्गों की राज्य में कोई दिलचस्पी नहीं रह जाती थी, ऐसी असंतुष्ट प्रजा संकट के मौके पर राजा का साथ नहीं देती थी। अरबों के आने के बाद भारत में इस्लाम का प्रचार हुआ। भारत की प्रजा, राजा एवं सामंतों के शोषणों से त्रस्त थी। सामंतवादी व्यवस्था में जनता को लड़ाई से अलग रखा जाता था। और इन लड़ाईयों से जनता की अभिरूचि नहीं रह गई। राजतंत्र विभिन्न जातियों एवं उपजातियों में बँटा था। साथ ही उनमें उच्च-निम्न का भाव होने के कारण अपने वंश को विशेष महत्व देते थे। सामाजिक एवं नैतिक स्तर बहुत गिर गया था।[3]

जातिबंधन जटिल हो गया था और उसका आधार कर्म न होकर पूर्णतः जन्म हो गया। विदेशों में होने वाली ज्ञान-विज्ञान की घटनाओं से भारतीय सर्वथा अनभिज्ञ रहा करते थे। फरिस्ता ने लिखा है कि पश्चिम में अटक हिन्दुओं की अटक बन गया। इससे आगे जाने वाला हिन्दु पतित समझा जाता था। भारतीय राष्ट्रीयता का सबसे बड़ा बाधक जातिवाद एवं संप्रदायवाद रहा है। विलद डूरॉ के अनुसार जाति-पाँति के भेदभाव से दुर्बल होने के कारण भारत विदेशी आक्रमणकारियों के समक्ष विवश बना रहा। उन्हें जब विरोध का कोई पथ नहीं सूझा तब वे अलौकिक बातों में विश्वास करने लगे। ईश्वर और माया के मोह में फँसकर वे जीवन को क्षणभंगुर समझने लगे और अपनी स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए संघर्ष करना भूल गए। राजा भोग-विलास में व्यस्त रहते थे, समाज विभिन्न श्रेणियों में विभक्त था और उसमें ऊँच-नीच की भावना बढ़ती जा रही थी। ब्राह्मण बौद्ध संघर्ष भी काफी तीव्र हो गया था। ब्राह्मण अपने को अन्य वर्णो से पृथक रखते थे। विभिन्न वर्णों के अंदर उपजातियाँ बनने लगी थी। इतनी उपजातियों के विकास से एकता का सूत्र टूट गया और संकीर्णता की भावना बढ़ गई। अतुल संपत्ति के कारण मंदिर भी भ्रष्टाचार के अड्डे हो गए थे। इन सब कारणों से भारत की स्थिति से मुसलमानों ने लाभ उठाया और एक-एक कर भारत के समस्त राज्यों को अपने अधीन किया। उस समय के ब्राह्मण धर्म ने इस जाति के समस्त जीवन विचारों को इतना शिथिल एवं रूढ़ बना दिया था कि जातीय जीवन में इसका विनाशकारी प्रभाव पड़ा। हिन्दु लोग देश की सीमा से बाहर जाने पर धर्म और जाति के नष्ट होने वाले सिद्धांत को मानने लगे। सीमा तक पहुँचने या किसी यवन से छू जाने से उनका धर्म नष्ट हो जाता था। जाति-भेद, अंधविश्वास की पराकाष्ठा थी। चूँकि राज्य बदल जाने से साधारण लोगों पर कोई असर नहीं पड़ता था, इस कारण जनता प्रायः उदासीन थी। स्थिति अत्यंत निर्बल थी। परिणामस्वरूप मुहम्मद गौरी एवं बाद के मुस्लिम आक्रमणकारी भारत में अपनी शासन व्यवस्था कायम करने में सफल हुए।

इस सबके बावजूद हिन्दु लोग स्वाधीनता के लिए प्रयास करते रहे और असफल होते रहे। इसका मूल कारण वही छोटे-मोटे स्वार्थ, संकीर्णता, वंशगत और जातिगत अभियान। इन्हीं कारणों से हिन्दुओं का पतन हुआ और मुसलमानों की जीत।

रमेशचंद्र मजुमदार

(10) "The rigid system of caste produced disastrous effects on Hindu Society. It arrested the development of intellect and education among the masses... checked the growth of trade and commerce... by condemning the crossing of the seas and visiting the mlecha countries. The division of the people into close compartment prevented the growth of a national feeling... Like medieval Europe. India was divided horidzontally and not vertically.... .

The rigidity of the caste system in India kept the class interests perpectually alive... Brought about narrowness of outlook and naughty exclusiveness... The a loofness kept the Hindus ignorant of the development of military science... the Indian soldiers were not a whit inferior to the muhammadans... but suffered defeat... because they were unware of those military Tactices in which their opponents excelled."

उपर्युक्त अनुच्छेदों में हमने भारत की राजनैतिक एवं सामाजिक झाँकी के दर्शन किए एवं यह जाना कि भारतीय समाज किस तरह पतन के गर्त में जाता गया एवं अपने आपको असहाय, निर्बल, दुःखी करता गया एवं इन सबका कारण वह खुद था, तो इसका समाधान भी उसी के अंदर था। ऐसे ही समय में संत सम्राट कबीर का अवतरण हुआ।

कबीर मध्यकालीन भारत में निर्गुण भक्ति और सूफी आंदोलन के प्रमुख संत थे। कबीर के माता-पिता पर कई किवदंतियाँ प्रचलित हैं। कबीर का नीरू-नीमा जुलाहे का संतान होना सबसे ज्यादा सवर्ण कबीरपंथियों को खटकता है। यहाँ पर किसी का मूल्य उसकी जाति वंश, संप्रदाय आदि के आधार पर आंका जाता है। कोई तो कबीर को लीलाधारी सिद्ध करता है।[5]

वास्तव में, अरबी भाषा में 'कबीर' शब्द का अर्थ होता है 'महान'। नामकरण करने वाले मुल्ला की जाति-पाँति के भेदभाव के कारण यह सोच रहे थे कि जुलाहा जैसी निम्न जाति के बालक को 'कबीर' नाम देना उचित नहीं है, इसलिए वे बालक को कोई और नाम देना चाहते थे।[6]

कबीर के सामने एक ओर हिन्दु समाज था तो दूसरी तरफ मुस्लिम समाज। कबीर दोनों समाजों के धार्मिक आडम्बर एवं पाखंड के खिलाफ खड़े थे। कबीर के अनुसार यह सारा व्यक्त जगत एक ही तत्व से उत्पन्न है। इसलिए सभी प्रकार की भेद दृष्टि मिथ्या है। मानव-मानव से भेद तो परम अज्ञान का द्योतक, इसी तत्व दृष्टि से प्रेरित कबीर ने जाति-पाँति, छुआ-छूत, ऊँच-नीच और ब्राह्मण-शूद्र के भेद का विरोध किया है।

''एक बूढे ते सृष्टि रची है, कौन ब्राह्मण कौन शूद'' पेज 106 पद 181 (7)

''जो तू बाभन बभनी जाया तो आन बाट होई काहे न आया।''

''जो तू तुरक तुरकिनी जाया तो आन भीतरि खतना क्यूं न कराया।''

इसी आधार पर उन्हें समाज सुधारक समझा जाता है। इसमें संदेह नहीं कि इन भेदों को दूर करने पर ही एक सुंदर समाज की रचना संभव है, जो वर्तमान भारतीय समाज और लोकतंत्र का सार्वभौमिक लक्ष्य है। ऐसा समाज जिसमें ब्राह्मण-शूद्र का भेद न हो और मनुष्य समान समझे जाएं जो वर्तमान भारतीय समाज पर धब्बा हैं।

आज हम नित्य प्रति दैनिक समाचार-पत्रों, न्यूज चैनलों में खबरें देखते-पढ़ते हैं, कि अमुक शहर, गाँव में दलित का घर जला दिया, दलित बेटी के साथ ज्यादती हुई। साम्प्रदायिक दंगे भड़क उठें। ऐसे समाज में कबीर की वैचारिकी एक रामबाण दवा की तरह कार्य

कर सकती है। आवश्यकता है कि कबीर वाणी को जन-जन तक पहुँचाया जाए केवल किताबों में शोभा न बढ़ाएँ।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. राधाकृष्ण चौधरी, प्राचीन भारत का राजनीतिक एवं सांस्कृतिक इतिहास, प्रकाशन भारती भवन, पटना, सप्तम संस्करण, 1989
2. विश्वभूषण कृष्ण, प्राचीन तथा पूर्व मध्यकालीन भारत, प्रकाशक आर्य बुक डिपो, नई दिल्ली, सन् 1985
3. राधाकृष्ण चौधरी, प्राचीन भारत का राजनीतिक एवं सांस्कृतिक इतिहास, प्रकाशन भारती भवन, पटना, सप्तम संस्करण, 1989
4. राधाकृष्ण चौधरी, प्राचीन भारत का राजनीतिक एवं सांस्कृतिक इतिहास, प्रकाशन भारती भवन, पटना, सप्त संस्करण, 1989
5. कबीर और रामानन्द, सनाथ दास, सद्गुरू कबीर संस्थान, फोर्ट रोड, रीवा संस्करण, 2016
6. कबीर, कविता गर्ग, प्रकाशन ज्ञान गंगा, संस्करण, 2012
7. कबीर ग्रन्थावली, संपादक पारसनाथ तिवारी, हिन्दी परिषद, प्रयाग, 1961 ई.।

SHODH CHETNA – YEAR-7, VOL. 3 (JULY TO SEP., 2021) ISSN : 2350-0441
A Peer-Reviewed
International Referred &
Multifocal Research Journal
IMPACT-FACTOR 5.299
Paper Recieved : 8th Aug 21 Paper Accepted : 15th Aug 21

''ग्रामीण क्षेत्र में आदिम जाति दलित जाति व पिछड़ी जाति के छात्रों की शिक्षा में सुधार हेतु पंचशील सेवा संस्थान डभौरा रीवा द्वारा चलाये जा रहे कार्यक्रमों का प्रभाव''

❑ डॉ. रबीन्द्र नाथ यादव*

शोध सारांश

प्रस्तुत शोध पत्र में मध्यप्रदेश के रीवा जनपद के डभौरा उप-तहसील अन्तर्गत अम्बेडकर नगर स्थित पंचशील सेवा संस्थान जो एक प्रकार का गैर सरकारी संस्थान है के द्वारा समय-समय पर शिक्षा के क्षेत्र में ग्रामीण अंचल के अन्तर्गत निवास करने वाले आदिवासी दलित व पिछड़े, वंचित वर्ग के छात्र/छात्राओं को उनकी शिक्षा के प्रति रुचि व जागरूकता उत्पन्न करने तथा उनके अन्तर्गत नई ऊर्जा प्रदान करने और उनके अध्ययन में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम चलाये जाते रहते हैं। इसी क्रम में वर्तमान में पंचशील सेवा संस्थान द्वारा इस क्षेत्र के सुदूर ग्रामों में छात्रों को शिक्षा में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए विभिन्न ग्रामों में पुस्तकालयों की स्थापना आवश्यकतानुसार की गयी है जिनमें भाषा अध्ययन, गणित अध्ययन व सामाजिक आर्थिक तथा राजनीतिक व शैक्षिक पुस्तकों की व्यवस्था की गयी है। जिनकी सहायता से छात्र/छात्राओं को उनकी आवश्यकतानुसार पुस्तकें उपलब्ध होने से छात्र/छात्राओं को अध्ययन में सुविधा प्राप्त होती है। इन पुस्तकालयों में बाल अधिकार कैसे मिले शिक्षा अधिकार, मध्यप्रदेश शासन के द्वारा समय-समय पर प्रकाशित नवचेतना के विज्ञापित पम्फ्लेट, लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, स्वतन्त्रता के महत्वपूर्ण पर्व वर्ष, गाँव की सुविधा आदिवासी महापुरुष विरषा मुण्डा से सम्बन्धित शोध पत्र व सामाजिक शिक्षा के क्षेत्र की प्रमुख पुस्तकों का उल्लेखनीय योगदान है जो छात्रों की शिक्षा में वांछनीय सुधार व गुणवत्ता लायेंगे।

* E-mail : rabindranath01071970@gmail.com, M. : 7880389621

परिचय

साधारणतया भारत की लगभग दो तिहाई आबादी अब भी ग्रामीण-क्षेत्रों में निवास करती है। यूँ तो कहा जा सकता है कि भारत में भारत सरकार एवं राज्य सरकारों द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय सुधार हेतु निरन्तर प्रयासों के अन्तर्गत समय-समय पर विभिन्न आयोगों व बोर्डों व शैक्षिक समितियों की स्थापना व गठन करके उनके द्वारा शैक्षिक कार्यक्रमों का विधिवत् संचालन व क्रियान्वयन किया गया और समयान्तर में उनका परिणाम भी अपेक्षित विकास के रूप में परिलक्षित हुआ फिर भी भारत की भौगोलिक, आर्थिक राजनीतिक व अन्य परिस्थितिजन्य कारणों से जिनमें क्षेत्रीयता, भाषावाद, धार्मिक परम्परा सामाजिक रूढ़िवादिता प्रमुख है के कारण अब भी कुछ क्षेत्रों में शिक्षा के प्रति रुचि उत्पन्न करने व उसमें आदिमजाति, दलित, पिछड़े वंचित को ग्रामीण व पिछड़े दुरूह क्षेत्रों में शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु भारत सरकार द्वारा गैर सरकारी संगठन (एन.जी.ओ.) की सहायता की गयी है जो विभिन्न राज्यों के विभिन्न क्षेत्रों में अपनी उपयोगिता के अनुसार शैक्षिक कार्यक्रमों के संचालन में अपना सहयोग प्रदान करते हैं। मध्यप्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में आदिम जाति के लोग बड़ी संख्या में निवास करते हैं जिनकी अधिकांश आबादी शहडोल संभाग में निवास करते हैं। परन्तु आदिम जाति के लोगों की संख्या लगभग अधिकांश क्षेत्रों में निवास करते हैं।

रीवा संभाग में भी ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ जगहों पर आदिम जाति के लोग निवास करते हैं, जहाँ की अधिक दूरी होने के कारण जिला, तहसील व विकास-खण्ड मुख्यालयों से सर्व-सुलभ साधनों की उपलब्धता कठिनाई-युक्त प्रतीत होती है। ऐसे में नदी-नाले तथा बीच में कंकरीले-पथरीले मार्ग भी हैं, जहाँ से पैदल चलकर 8-10 किलोमीटर की दूरी दिन में कई बार तय करना मुश्किल भरा कार्य होता है। इसलिए अधिकांश बच्चे पुस्तकालयों के अभाव में शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते हैं जिनकी व्यवस्था का उल्लेख प्रस्तुत शोध पत्र में किया गया है।

शिक्षा में सुधार के कार्यक्रम

रीवा जिला के डभौरा स्थित पंचशील सेवा संस्थान द्वारा आदिवासी, दलित, पिछड़े व वंचित समाज के बच्चों को शिक्षा (01-08 तक) के लिए विभिन्न प्रकार की आवश्यक पुस्तकें उपलब्ध कराने हेतु इस क्षेत्र के गाँवों में विभिन्न प्रकार की आवश्यक पुस्तकें उपलब्ध कराने हेतु इस क्षेत्र के विभिन्न ग्राम—

करमा, हरदौहा, अंशसरा, छतैनी, गुढ़, जोनारी, विछिहर, छपरिहा, अतरी, बसरेही, वौसड़ष, कोटवा, अकरारी, महराजपुरवा, घूमन, लंगड़ी, लफदा, गरम, छिपिया, हरदौली, झिरहिरा, पनवार, इत्यादि प्रमुख गाँव हैं।

इनमें प्रमुख आदिवासी मार्गदर्शक व प्रणेता रहे विरषा मुण्डा के नाम पर पुस्तकालय हिपिया ग्राम पंचायत कोटा, तहसील-जवा, जिला- रीवा (म.प्र.) द्वारा संचालित पंचशील सेवा संस्थान डभौरा, रीवा (म.प्र.) का उल्लेखनीय योगदान है जिसमें 20 बच्चों ने प्रतिदिन 1 घंटे निःशुल्क शिक्षा और खेलकूद सामाजिक बदलाव हेतु शिक्षा प्राप्त करते हैं। यहाँ पर विभिन्न प्रकार की परम्पराओं से सम्बन्धित विविध पम्फलेट्स, आँगनवाड़ी कार्यक्रम के संचालन की रूपरेखा से सम्बन्धित पम्फलेट्स, परम्परागत उपदेश, कहानियाँ, रीति-रिवाज, अनुष्ठान के तरीकों से सम्बन्धित जानकारी द्वारा छात्र/छात्राएँ शिक्षा प्राप्त करते हैं।

निःशुल्क शिक्षा हेतु गाँव के ही सुखरानी ने गाँव में ही महिलाओं की एक टीम बनाई जिसमें 23 महिलाएँ शामिल हुईं और वहीं से गाँव नई सोच बदल 2001 में वसा गाँव आज दो बार जमीन व घर से बेदखल किये गये आदिवासी महिलाओं ने अपने अधिकार के लिए शिक्षा के प्रति जागरूकता अभियान लाया है। शिक्षा हेतु पुस्तकालय का संचालन सुकन्या द्वारा किया जाता है। गाँव के बच्चों को इकट्ठे करना और उन्हें

शिक्षा के लिए प्रेरित करना बड़ा कठिन कार्य था। क्योंकि पहले गाँव के बच्चे स्कूल न जाकर इधर-उधर के जंगलों में तालाबों में नाली में मछली पकड़ने चले जाते थे जिससे उनके माता-पिता को काफी परेशानी होती थी। अब तो आदिवासी बच्चों में काफी सुधार आया है क्योंकि शुरुआत में कोई बच्चा अपना नाम नहीं लिखना जानता था और न ही बोल पाता था। बच्चे बहुत डरे रहते थे अब बच्चों को गीत गाने के साथ, खेल के साथ पढ़ना-लिखना सिखाया जाता है जिससे बच्चों में बदलाव व उत्साह दिखा है।

बच्चों के माता-पिता भी अब कभी-कभी बैठते हैं, जो महिलाएँ नहीं पढ़ी हैं वह भी बैठना शुरू कर दी। पुस्तकालय में हिंदी कहानी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान की पुस्तकें, कापी, पेन्सिल, रबर, बच्चों को खेल द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए बाल की व्यवस्था सहयोग से की गयी है। गाँव में आदिवासियों के रहन-सहन, खान-पान, बोली-भाषा, सांस्कृतिक नृत्य, कृषि भूमि सरकार की जानकारी प्रदान की गयी।

बाल अधिकार-अधिनियम—यह कानून 14 नवम्बर, 2012 को लैंगिक अपराधों से मुक्त कराने हेतु जम्मू-कश्मीर के अतिरिक्त भारत के सभी राज्यों में लागू हुआ था।

बाल अखबार—बच्चों का अखबार उनकी बातचीत उनकी राय को सबके सामने रखने का माध्यम है। वे अखबार बस्ती व स्कूल दोनों स्तर के बाल क्लब द्वारा प्रत्येक महीने निकाला जाता है। इसमें विषय का चुनाव, लेखन, चित्र बनाने व सम्पादन का पूरा काम बच्चे ही करते हैं।

शिक्षा में कहानी—प्राचीन भारत में शिक्षण में सारी पद्धतियों में कहानी ही शीर्ष पर रही है। कथा की वाचिक परम्परा ही ज्ञान को आगे बढ़ाने का जरिया थी। इसी कारण से तीसरी चौथी कक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थी बच्चे सामान्य वाक्यों वाली छोटी कहानी पढ़ या सुनकर समझ जाते हैं क्योंकि कहानियों के जरिये ही शुरुआती शिक्षा का सिलसिला शुरू होता है जिसमें पंचतंत्र की कहानियाँ, बेताल पच्चीसी, दादा-दादी की कहानी, विशाल जानवरों, हाथी, शेर, बाघ, चीता, घोड़ा, सोन-चिरैया, उड़न-परी, बिल्ली, घोड़ी इत्यादि से सम्बन्धित ज्ञान तथा इनके कहने और सुनने के कई प्रचलित तरीके की लोरी, कठपुतली, लयसंवाद के आधार पर जीवन की आवश्यकताओं से जुड़कर शिक्षा प्रदान करती है।

शिक्षा का अधिकार—भारत के संविधान अनुच्छेद 21 में देश के प्रत्येक नागरिक को जीवन जीने का अधिकार प्रदान किया गया है। सन् 2002 में भारत सरकार द्वारा इस अनुच्छेद (21क) में शिक्षा का अधिकार भी शामिल कर लिया गया। इसके अन्तर्गत 6 से 14 साल तक के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारी है। इसी अनुच्छेद के आधार पर हमारे देश की संसद ने बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू किया है। फिर भी कानून पारित करने के साथ ही व्यवहारिक धरातल पर उसके बेहतर क्रियान्वयन की जरूरत होती है। शिक्षा का अधिकार कानून को लागू करने के लिए सिर्फ सरकार ही नहीं बल्कि सामाजिक कार्यकर्ताओं, शिक्षाविदों और स्वयं सेवी संगठनों को भी सक्रिय भूमिका निभानी होती है। तब जाकर देश के बच्चों को शिक्षा का अधिकार मिल पायेगा। इस अधिकार के प्रावधानों को जन-समुदाय में व्यापक प्रसार की जरूरत महसूस होती है, ताकि लोग और पंचायत-राज संस्थाएँ इस कानून को लागू करने में अपनी भूमिका निभा सकें। इसी आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए यह शोध-पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है।

इसके अन्तर्गत निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 में दी गई बातों, नियम कायदों को सरल रूप में रखा गया है। ताकि गाँव/नगर के लोग, शाला प्रबंधन समिति के सदस्य पंचायत के प्रतिनिधि जैसे पंच, सरपंच, नगर पंचायत, नगरपालिका, नगर

निगम के पार्षद, सुदूर ग्रामीणांचलों के सामाजिक कार्यकर्ता, शालों के शिक्षक सदस्य आदि अधिनियम में दी गयी बातों/नियम-कायदों के बारे में जान सकें और अपने इर्द-गिर्द के व पड़ोस की शाला को बेहतर बनाने में सहयोग प्रदान कर सकें। बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 हमारे देश में 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ है यानि हमारे देश में 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को हमारे देश के संविधान ने शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार दिया है।

पड़ोसी शाला (घर के नजदीक शाला) का मतलब

कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों के लिए घर/बस्ती से शाला की दूरी 1 किलोमीटर तक होगी ताकि बच्चे आसानी से शाला पहुँच सकें।

कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों के लिए/बस्ती से शाला की दूरी 3 किलोमीटर तक होगी। ताकि बच्चे आसानी से शाला पहुँच सकें।

जहाँ कोई बच्चा (बालक/बालिका) जिसकी उम्र 6 वर्ष से अधिक है और वह कभी शाला नहीं गया या शाला त्यागी हो गया था या पढ़ाई छोड़ दी थी तो उसे उसकी उम्र के अनुसार प्रवेश दिया जायेगा। जैसे यदि बच्चा 10 साल का है तो उसे चौथी कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा। 12 साल का है तो छठवीं कक्षा में, 13 साल का है तो सातवीं कक्षा में और 14 साल का है तो आठवीं कक्षा में प्रवेश दिया जायेगा।

मध्यप्रदेश के रीवा जिले में वस्तुतः पायी जाने वाली आदिम जाति में मुख्यतः कोल आदिवासी अधिकांश संख्या में निवास करते हैं जिन्हें वर्तमान में शिक्षा के अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए मध्यप्रदेश शासन व सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से प्रमुख कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं।

निष्कर्ष—शिक्षा के क्षेत्र में किया गया अनुसंधान कभी भी अच्छा ही परिणाम प्रदान करता है। क्योंकि शिक्षा एक प्रकार से लगातार चलने वाली प्रक्रिया है और आने वाला हर अगला कदम शिक्षा के क्षेत्र में नवीन सोच को जन्म देता है जिसके द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में क्रान्तिकारी परिवर्तन देखने को प्राप्त होता है। अतः आज हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि भारत के विभिन्न प्रान्तों में मुख्यतः कई जनजातियाँ निवास करती हैं। इस प्रकार मध्यप्रदेश के सभी संभागों में कुल मिलाकर गोड़, बैगा, कोरकू, भारिया, हल्ला, सहरिया, मारिया, कोल इत्यादि प्रमुख जन-जाति के लोग निवास करते हैं जिनको शिक्षा प्रदान करने के लिए भारत सरकार मध्यप्रदेश सरकार व समाजसेवी संगठनों द्वारा विभिन्न प्रकार के चलाये जाने वाले कार्यक्रमों का व्यापक प्रभाव पड़ा है क्योंकि वर्तमान में अब आदिवासी समाज के बच्चे इधर-उधर न घूमकर विद्यालय की तरफ ज्ञान प्राप्त करने जाने हेतु स्वतः तैयार रहते हैं।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. नेट पर आधारित जानकारी
2. पंचशील सेवा संस्थान द्वारा उपलब्ध जानकारी
3. मध्यप्रदेश लोक संघर्ष साझा मंच द्वारा प्रकाशित जानकारी
4. चाइल्ड राइट्स आब्जर्वेटरी मध्यप्रदेश

SHODH CHETNA – YEAR-7, VOL. 3 (JULY TO SEP., 2021) ISSN : 2350-0441

A Peer-Reviewed
International Referred &
Multifocal Research Journal

IMPACT-FACTOR
5.299

Paper Recieved : 13th Sep 21 Paper Accepted : 20th Sep 21

Postpartum Engorgement of Breast

❒ Monika Rani*

ABSTRACT

Breast engorgement problem was common in early days and also after weeks of breast feeding. For the first few days after giving birth, a new mother's breasts remain soft. They will produce colostrum. Colostrum, the first milk, is available in just the right amount, and is rich in immune factors that protect newborns. Sometime during the next few days, the breasts will become full, firm, warm, and perhaps tender. When this occurs, people say: "the milk is coming in!" The scientific term for this event is: engorgement. Engorgement is normal, and lasts for various periods of time depending on the individual woman. Some women experience only a day or so of mild, easy-to-manage engorgement. For other women, engorgement may be more intense, and can last from several days to two weeks.

This frequent problem can happen to lactating mother who don't or can't breast feed as well as those who do. It is usually caused by an imbalance between milk supply and infant demand, if engorgement left untreated it can lead to potentially serious issues including painful blebs, plugged milk ducts or mastitis Postpartum engorgement of the breast is important because it can be extremely painful, because it may predispose to the development of nipple fissures and breast abscesses, and because it is associated with lactation failure. In spite of this the condition has received very little attention from investigators. severe engorgement often leads to lactation failure and believes that it is due to the fact that milk is not released or removed from the breast.

This article includes the details of breast engorgement including etiology, sign and symptoms , assessment , complication , treatment and prevention of breast engorgement.

Keywords: Breast engorgement, lactating mother, Breastfeeding.

* Research Scholar of Nursing (29117069), Shri JJT University, Jhunjhunu, Rajasthan, E-mail : monikakatoch15@gmail.com

INTRODUCTION

Breastfeeding is a mother's gift to herself, her baby and the earth, there is no substitute for mother's milk. For the first few days after giving birth, a new mother's breasts remain soft. They will produce colostrum. Colostrum, the first milk, is available in just the right amount, and is rich in immune factors that protect newborns or it is a yellowish liquid that contains important nutrients and antibodies that a baby needs right after birth. During initial stages of breastfeeding, mother breasts produce colostrum in small amounts. But after making a couple of days, they're going to increase in milk production. So breast becomes fuller and firmer. This swelling is not only caused by the greater amount of milk, but also by increased blood flow and extra lymph fluids in breast tissue . For most new mothers, these feelings of heaviness pass without problems when their baby feeding well and frequently. But some produce more milk than their breast can hold which makes them feel rock hard and uncomfortably full - a condition called engorgement. Breast engorgement is a problem that is commonly encountered in breast feeding mothers and it can lead to potentially serious issues including painful blebs, plugged milk ducts or mastitis . There are many lactating mothers suffering with breast engorgement . According to Academy of Breastfeeding Medicine Protocol Committee, breast engorgement is defined as the swelling and distension of the breasts . Usually in the early days of initiation of lactation caused by vascular dilation as well as the arrival of the early milk. Breast engorgement during the first week of breast feeding and can also occurs as a result of delayed, infrequent or interrupted removal of milk from the breast . The factors which may place a mother at a higher risk of engorgement are failure to prevent or resolve milk stasis resulting from infrequent or inadequate drainage of the breasts . The incidence rate of breast engorgement all over the world is 1:8000 and in India it is 1:6500. Engorgement symptoms occur most commonly between days 3 and 5, with more than two – thirds of women with tenderness on day 5 but some as late as days 9 – 10. Two-third of women experience at least moderate symptoms. More time spent breast feeding in the first 48 hours is associated with less engorgement. The 20% post- natal mothers especially primigravida mothers are affected with breast engorgement from 0 –4 days of post – natal period.

CAUSES OF BREAST ENGORGEMENT

- When breasts are congested with milk, they are prone to swelling. This happens because of the slowing down of circulation which results in fluid from the blood vessels seeping into the breast tissues. This is called engorgement and commonly occurs during the first week of breastfeeding, during weaning or when there is a separation between the mother and the child due to travelling, ill-health or other changes in schedules.
- Breast engorgement happens when there is an imbalance in milk production and demand where the child is drinking less milk than what is being produced at that time. It also happens when the breasts are transitioning from colostrum to mature milk. Sometimes, breast engorgement occurs when the breasts are not emptied and milk accumulates in the breast for some time. It may happen during weaning when the body is still not receiving the signal to cease the production of milk.
- Breast engorgement also takes place due to overconsumption of galactagogues and not letting the breasts get empty either by breastfeeding or by expressing.
- Engorgement in the first week is generally a sign that nursing is posing some challenges for the mother and the child. The challenges are in the areas of:

- Difficulty in latching
- Delayed and incomplete removal of milk from the breast
- Oedema: Congestion and swelling due to water retention in the area

This engorgement in most cases resolves itself as the bodies of both the baby and the mother learn their functions. The baby learns to latch on well and takes regular feeds. The mother's body regulates milk production as the amount of milk produced is determined by the amount that the baby drinks. Thus, there is less milk accumulation and oedema and the build-up of fluids in the area. As a result, engorgement is less likely to happen in later stages.

SIGNS AND SYMPTOMS OF BREAST ENGORGEMENT

During breast engorgement, the skin becomes taut, shiny or transparent and on being pressed with a finger, stays depressed. The nipple may be stretched and flattened by the forward pressure of milk under the areola. Even when the nipple appears normal, it may be hard due to oedema and difficult for the infant to suck from.

In extreme cases, the engorgement may extend to under the armpit and cause numbness and tingling in the hands because of pressure on the nerves. In some cases, there may also be a low-grade fever i.e body temperature to rise around 99-100 degree F, it is also known as milk fever.

If left untreated, engorgement can put pressure on the milk ducts, often causing the duct to get plugged. There may be a lump in one part of the breast, accompanied by heat and redness. If engorgement is not resolved, it can turn in to Mastitis which is an infection and will need medical intervention which is painful. Severe engorgement can make it difficult to baby to latch on to the breast properly and feed well.

ASSESSMENT OF BREAST ENGORGEMENT

Engorgement was assessed using Six point engorgement scale:

It consists of standardized "Six- point engorgement scale" which was given by Dr.Hill PD and Humenick (1994) and the scores ranging from 1 to 6. Each score indicates the following description:

1 → Soft, no changes in breast.
2 → Slight changes in the breast.
3 → Firm, no tender breast.
4 → Firm, beginning tenderness in breast.
5 → Firm, tender.
6 → Very firm, very tender.
Minimum score- 1 (no engorgement)
Maximum score- 6 (highly engorgement)

COMPLICATIONS OF BREAST ENGORGEMENT

Though engorgement is a transient phenomenon, ignoring it completely may not be the best idea because it can be painful and uncomfortable. Engorgement also can lead to complications like:

- A hungry child because of inability to nurse properly.
- Sore nipples due to many incorrect efforts at latching on properly.
- Insufficient flow of milk and higher pressure in the breast tissues can lead to infection in the milk-producing glands, ducts and mastitis.
- Oedema can lead to damage of milk-producing cells and a decrease in milk supply.

If engorgement persists for more than 2 days and is accompanied by a fever, it is advisable to consult a medical practitioner to rule out other issues like an infection or mastitis.

DURATION OF BREASTS ENGORGEMENT

Engorgement typically resolves itself in 1–2 days. There may be significant discomfort in that

period. If it does not resolve itself within two days, there are chances that the plugged duct can lead to a breast infection and a fever with flu-like symptoms

TREATMENT TO GET RELIEF FROM ENGORGED BREASTS

Engorgement can be managed with many simple home remedies like:

- Applying cold compresses, cold cabbage leaves, a pack of cold peas during pregnancy and between feeds.
- Nursing frequently and on-demand.
- Positioning the baby for proper sucking.
- Softening the nipple and areola before a feed by expressing a little milk to help the baby latch on.
- Applying mild heat with warm showers, warm towels before a feed.
- Massaging breasts with fingertips in a circular motion down toward the nipple as the baby nurses.

MANAGEMENT OF BREAST ENGORGEMENT

Before Nursing

Nipple stimulation and expressing fluid for engorgement is not advisable during pregnancy since this can stimulate labour. It is best to apply cold compresses and wait for the situation to resolve naturally.

While Nursing

To avoid breast engorgement, do the following :

- Nurse on demand, nurse frequently, stop only when the baby is satisfied
- Do not limit the feeds according to time or the number of feeds per day
- Help the baby to latch on properly and position him/her for optimal feeding
- Soften the nipple and areola by expressing a little milk to help the baby latch on
- If there is nipple soreness, do not stop nursing. Express milk that is building up while nipples become less sore
- Apply heat to the area with warm showers, warm wet towels along with massage in a circular motion from the sides to the nipple
- Massage your breast with your fingertips in a circular motion down toward the nipple as the baby nurses

Between Feedings

The following remedies and techniques in-between feeds can help avoid breast engorgement:

- If the baby does not nurse long enough to soften both breasts, hand-express or pump out a little milk after nursing.
- Apply a cold compress or towel or chilled cabbage leaves to your breasts between feedings to reduce swelling.

PREVENTION OF BREAST ENGORGEMENT

The best way to manage breast engorgement is to avoid it altogether – by getting baby latched on and feeding on demand right after birth and by continuing to feed till possible. If breast engorgement presents itself at times like recovery from surgery, weaning and travelling, implementing the methods mentioned in the Managing Breast Engorgement section would help ensure that the problem does not exacerbate.

Breastfeeding is, in fact, the best way to treat the engorgement. The fluid buildup goes down as feed. When compared to expressing milk, nursing is a more efficient method and serves to accelerate the baby's feeding learning curve and building a better bond between the mother and the child. Expressing is a better option when there is significant nipple discomfort or when the baby's appetite is much less than the milk produced.

WHAT TO AVOID WHEN BREASTS ARE ENGORGED

- Avoid cold compresses before feeding.
- Nipple stimulation at non-feeding times should be avoided as this may cause more milk to flow, which if not consumed by the baby will need to be expressed.

CONCLUSION:

Breast engorgement is a temporary condition that occurs in the early phase of nursing. In some cases, the condition occurs during pregnancy as well. In most cases, engorgement can be avoided and controlled by massages and home remedies. However, in extreme cases where engorgement leads to excess pain and fever, it is best to consult a Doctor.

REFERENCES

1. DeLee J.B.Greenhill J.P.Principles and Practice of Obstetrics. W. B. Saunders Company, Philadelphia
2. D.C. Dutta's. Textbook of obstetrics. 7th edition, New Central Book Agency (P) ltd. 2010; 37-40, Marsha Walken RN. Breast feeding abstracts.
3. Anamma Jacob. A comprehensive textbook of midwives. 2nd edition. Jaypee publisher; 2008; 748-46.
4. Potter Patricia A, Perry Anne Griffin. Fundamentals of nursing. 14th edition; 2006; Mosbys: 1055-57.
5. The world health report, risking death of to give life; World health organization, 2005, 49(29): 1-2.
6. Nickon VC, Danziger D, GebleaN, Guimezoglee AM, Hofmeyr GJ. Do cabbage leaves prevent breast engorgement. 2003 Jun; 20(2) : 61-4.
7. Marsha Walkar, RN, IBCLC. Breast feeding engorgement. 2002 November, volume 2; page: 11-12.
8. Newton M and N Newton. Postpartum engorgement of breast. AMJ Obstetrics and Gynaecology;2001; 61: 664-67.
9. Hill PD, Humenick SS , The occurrence of breast engorgement. J Hum Lact; 2000;10: 79-86.
10. Robson; Beverly Anne. Breast engorgement. 2000.

SHODH CHETNA – YEAR-7, VOL. 3 (JULY TO SEP., 2021) ISSN : 2350-0441
A Peer-Reviewed
International Referred &
Multifocal Research Journal
IMPACT-FACTOR 5.299
Paper Recieved : 10th Aug 21 Paper Accepted : 20th Aug 21

''वैश्विक महामारी में जीवन संकट एवं श्रमिकों की दशा''

❒ सुखलाल हरिजन*
❒ डॉ. अमरजीत कुमार सिंह**

शोध सारांश

दरअसल आज की प्रमुख समस्या कोरोना नामक महामारी है जिसने सभी तरफ तबाही का वातावरण कर दिया है। इसी कारण मैंने यह विषय अपनाया जिसमें संतो की वाणी के माध्यम से इसे दर्शाने का प्रयास किया है। वास्तव में कोरोना एक ऐसी वैश्विक समस्या बनकर सम्पूर्ण विश्व को तबाह कर दिया है, इन संतो ने हमे एक और चीज सिखायी कि हमारे अन्दर संकल्प शक्ति और इच्छा शक्ति कैसे जाग्रत हो। आज कोरोना से लड़ने के साधन नही है। हमारे पास परन्तु क्या साधन न होने से हमारा जन जीवन प्रभावित हो रहा है। किन्तु इसके बाद भी यदि हमारे अंदर इच्छा शक्ति होगी, संकल्प शक्ति होगी तो हम साधन भी जुटा लेंगे और कोरोना से लड़ पायेगे। उस समय संतो ने अनेको ऐसे उदाहरण दिये जब उन्होने मानवता को दिखाया यदि हमारे अन्दर संकल्प शक्ति है तो हम कुछ भी पा सकते है।उसका प्रमुख कारण यह है कि संत साहित्य अखण्ड मानवमूल्योन्मुखी चेतना का काव्य है। सृष्टि के कण-कण में ब्रह्म की अदृश्य शक्ति का आभास पाने वाले संत समाज से गहरी संवेदना रखने के कारण युगगद्रष्टा और युगसृष्टा कहलाए। इनके साहित्य में आध्यात्मिक दृष्टिकोण के साथ ही भौतिक जीवन का व्यावहारिक पक्ष भी दृष्टिगोचर होता है। संत-साहित्य का अध्ययन सतही दृष्टि से न होकर गम्भीर और संश्लिष्ट जीवन-चेतना के मूल्यों के आधार पर होना चाहिए। अनेक धर्मो से ऊपर उठकर इन संतों ने मानव-मूल्यों की प्रतिष्ठा की है, जो बिना किसी तर्कवाद या सिद्धांतवाद के व्यापक रूप से मानवीय अनुभूति से जुड़े हुए हैं। ये ठोस मूल्य एक ऐसी सशक्त पीठिका का निर्माण करते हैं, जिस पर अवस्थित हो मानव सारे संसार के साथ अपनत्व और भाई-चारे के सूत्र में बँध जाता है।

मूल शब्द—श्रमिक, युगदृष्टा, महामारी, वैश्विक, वित्तियक व्यवस्था।

* शोधार्थी, पीएच.डी. (हिन्दी)
** सहायक प्राध्यापक राजनीति विज्ञान, शासकीय कन्या स्नातकोत्तर, महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.), मो. 8269132950

समसामयिक काल पूरी तरह से कोरोना महामारी से ग्रसित है, इसने सभी परतों को उधेड़कर रख दिया है। सामाजिक ताने-बाने को उसने तबाह किया ही, साथ ही वित्तीयक व्यवस्था पर भी गहरी चोंट गरने में सफल हुआ है। उसने न राजनीति सामाजिक, सांस्कृतिक, चिकित्सक, आर्थिक, सभी को घुटने के बल खड़ा किया है। बात हम यहाँ पर हमारी सबसे अधिक यथादायक परिस्थिति का (कोविड-19) किस प्रकार सम्पूर्ण समाज और विश्व को तो हुआ है, किन्तु इसका प्रभाव सबसे अधिक हमारे 'मजबूर वर्ग' को हुआ है। क्योंकि इस 'वैश्विक महामारी' ने उनको बहुत अधिक चोंट पहुँचाई जो वर्षों से हाशिये पर ही रह रहे हैं। हम अपने देश की श्रमिक समुदाय के हालात को बता रहे हैं, साधारण निम्न से निम्न जीवन बिताने वाले मजदूरों की व्यथा इतनी अधिक खराब हुई है, कि किसी तरह वह अपनी जिन्दगी मजदूरी कर बिता रहे थे किन्तु कोरोना का कहर दनकी रोजी-रोटी पर बहुत अधिक हुआ है। बाहर के देशों में काम करने वाले प्रवासी मजदूरों की बात हौ चाहे अपने क्षेत्रीय मजदूरों की उनकी समस्या विकट ही है।चैबीस-पच्चीस मार्च 2020 में सड़कों पर जब यह मजबूर, हताश, भूँखे, प्यासे, कमजोर, यह मजदूर वर्ग भारी संख्याओं में निकला तब यह किसी को नहीं मालूम था कि ऊँची विल्डिन्गो की नीव इन्ही के हांथों से एवं शरीर का पसीना बहाकर बनायी गयी है। वैसे भी इतने सारे काम समाज में वाला यह वर्ग अपनी मजदूरी को भी उचित ढंग से नहीं कर पाता है। वर्षों से फैक्ट्रियाँ मिल में मजदूरी करने वालों मजदूर को दिहाड़ी पर ही रखा जाता है। महामारी के बाद भी उनको यह आस बांकी थी की शायद इस अवस्था में कुछ सुधार आये और 'लॉकडाउन' के खुलने के बाद हमें हमारे कम्पनी मालिक की तरफ से बुलावा आये और फिर से हमारा काम शुरू हो जाय। किन्तु जब निरन्तर कार्य दिनों के बाद भी स्थिति समाज नही हुई त बवह सड़क पर उतर आये और अपने-अपने घरों के लिए भूंखे पेट छोटे-बच्चों को लेकर तपती धूप में नंगे पैरों ही निकल लिये ।

दरअसल अधिकतर मजदूरों को काम अशासकीय स्थानों पर ही दिया जाता है, क्योंकि मजदूरों को अभी तक सरकारी मोहलत नहीं दी गई है, बस इसी के कारण यह समस्या मजदूर वर्ग के लिए बहुत परेशानियों को पैदा कर रही है। जिसका फायदा पूँजीपतियों को ही जाता है। इस महामारी ने मजदूर की आवाज को दफन कर दिया बस जहां देखो वहाँ मात्र भूंख जैसे करूण शब्द ही सुनाई देते हैं। बम्बई, दिल्ली, महाराष्ट्र, भोपाल, इन्दौर जैसे शहरों से लोग अपने-अपने गाँव के लिए निकल पड़े टप-टप पसीना गिर रहा है, किन्तु वह रूके नही लगातार चलते हैं। इतना अधिक अत्याचार हुआ श्रमिकों पर कि अगर कहीं उनको कोई वाहन मिलता तो उसमें उनको गाय बैलों की तरह उन साधनो में भरा जाता रहा है। यहां तक की आज के समय में इतनी सुविधा होते हुए भी जहाँ वह काम में थे वहां के मालिको के पैसे नहीं दिये बहाना लॉकडाउन उनका था, हालाकि सभी को खाते में पैसे दिये जा सकते थे किन्तु ऐसा नहीं हुआ। वास्तव में इस ''वैश्विक महामारी'' ने समाज की असली तस्वीर सामने लाकर रख दी है। मध्यप्रदेश के रीवा, शहडोल, सीधी, सतना, हनुमना आदि जगहों के मजदूर सारी-सारी रात चलकर रेलवे स्टेशन तक आये भूंख प्यासे वह पटरियों पर ही लेटकर सोये कुछ लोग थोड़ा बहुत लिया था उसे खाया भी, किन्तु के चोर इस हताशा को झेलते रहे, उनकी इस समस्या के बाद भी उनको निजात कहां मिली बल्कि रात-बिरात मालगाड़ियों के नीचे आकर उनको मौत के गाल में समा जाना पड़ा था।

सामान्य सी बात है जिस प्रकार का यह दौर आ गया है उसमें अगर देखा जाय तो मात्र केवल साहस और संयम ही है जो हमारी ताकत को बनाये रख सकता है जिसके द्वारा हम अपनी निरंतर की जीवनशैली केा आसान तरीके से व्यतीत कर सकते हैं। और संयम

की सीख हमें संतो महात्माओं की वाणी के माध्यम से ही प्राप्त होती है। आज भी जब समाज को हमारे सहायता की आवश्यकता है, तब हम यह समझे की हम सहायता करने वाले कोई नही है, सहायता करने वाला केवल एक परमात्मा है। दिन-रात देता रहता है यदि हम परमात्मा के इस बताये रास्ते पर चलेंगे तो ना हमारे अन्दर अहंकार आयेगा । हमारे अंदर विनम्रता का भाव, श्रध्दा का भाव, सेवा का भाव जगता चला जायेगा। ये संत साहित्य हमें सिखाता है कि लोगों के अन्दर दयालुता कैसे आयेगी।

इस समस्या का समाधान सरकार के पास था किन्तु उसकी तरफ से तो एक ही दिन अचानक नियमों को सुनाना तो सरल है किन्तु यह सोचने का वक्त नहीं की हमारे समाज में किस-किस तरह के वर्ग है, जिनको अचानक हुए बदलाव की कीमत किस प्रकार चुकानी पड़ सकती है। क्योंकि जब लॉकडाउन करना आवश्यक था तो इन मजदूर वर्गों को पहले ही टेड्रन, बस, आदि जो भी वाहन हो उससे उन्हें अपनी-अपनी जगह तक पहुंचा दिया जाता तो यह महामारी इतनी गम्भीर नहीं होती और मजदूरों के लिए काफी हद तक समाधान मिल जाता। एक योजना मनरेगा भी है जिसे सरकार ने खास तौर पर मजदूर वर्ग की सहुलियत को ध्यान में रखकर चलाई थी किन्तु इस योजना का लाभ उन्हें अगर हकीकत में मिलता तो इस महामारी में उन्हें हजारों मीलों की दूरी तय कर के भटकते हुए, तपती धूप में पाँव नहीं जलाने पड़ते।

कोविड का प्रकोप और उसके साथ ही प्रतिदिन का लॉकडाउन सोशल डिस्टेन्स ये सभी मिलकर जितना श्रमिक वर्ग के लिए परेशानी बने हैं उतना ही हमारे भारत में मुख्यतः अर्थव्यवस्था भी अपनी पटरी से उतर गयी है। सामान्यतः देखा जाय तो पहली बार श्रमिक वर्ग तथा तमाम रोजगार सम्बन्धी आर्थिक स्थिति के साथ-साथ राजनीतिक दाँव-पेंच भी स्पष्ट रूप से जनता के समक्ष आये हैं। गुमनामी में मजदूरी कर रहे हैं इस वर्ग को अगर कोरोना नहीं आता तो राज्यवाद जुड़ी पेंचीदगियाँ कभी सामने ही नहीं आती। विकास का दावा और गरीबी हटाओ के नारे में कितनी हकीकत है उसका पता जब हुआ जब वोट देने वाले मजदूरों को असहाय दबे कुचले हुए जीवन की डोर को किसी तरह बचाने की गुहार लगानी पड़ी। यहाँ तक की पंजाब, तमिलनाडू, गुजरात आदि राज्य जिनका नाम अव्वल रूप से विकासशील राज्यों में आता है वो भी इस तरह बेतहाशा अपनी जिन्दगी की गाड़ी को ढकेलने वाले मजदूरों को राहत नहीं दे पाये ।सच तो यह है कि सभी राज्यों को थोड़े वक्त में अपने सामान्य जन-जीवन से हटकर बल्कि मजदूरों की मनोदशा को समझना होगा प्रत्येक मजदूर की मेहनत के अनुसार न ही उनको पैसे दिये जाते हैं, नहीं उनको इन्सान की तरह समझा जाता है, तो इस कारण सर्वप्रथम उन्हें मजदूरों की उचित मजदूरी दी जानी चाहिए तथा उनका किसी भी क्षेत्र में अपमान न हो।

दरअसल भारत में भुखमरी की समस्या सबसे अधिक होती है, जिसकी चपेट में अधिकांशतः श्रमिक ही आते हैं। क्योंकि सरकार की ओर से मजदूरी तो फिक्स कर दी गई है किन्तु वह मजदूर जिस प्राइवेट सेक्टर में जिसके अन्तर्गत काम कर रहा है। वह उसे कितनी मजदूरी देता है इसकी निगरानी करना कोई जरूरी नहीं समझता वास्तव में लेवरों को पाँच हजार कह कर रखा जाता है, किन्तु तीन हजार ही उन्हें दिया जाता है।

लगभग आज कोरोना संकट के दौरान मात्र सत्रह प्रतिशत कामगार उस श्रेणी में आते हैं। जिनके नियोक्ता को पहचानने में सरलता होती है। किन्तु वही शेष तिरासी प्रतिशत मजदूरों के नियोक्ताओं को कोई जानता ही नहीं। वैश्विक महामारी के इस संकट काल में एक सबक सभी को ले लेना चाहिए कि यह जो असंगठित क्षेत्र हैं उन्हें बदलने का प्रयास होना चाहिए। नौकरी की महती आवश्यकता गरीब कमजोर लोगों को भटकने के

लिए मजबूर कर देती है। लेकिन जो दावे आज हो रहे हैं। उनका असर अगर कोरोना कि समाप्त होने तक दिख जाय तब कहीं जाकर इस देश में मजबूर वर्ग की दशा में कहीं थोड़ा बहुत सुधार आ पायेगा। हमारे देश में काई कार्य मात्र फाइलों तक ही सीमित है। जिसके कारण भारत की लोकतांत्रिक जटिलता भौगोलिक विस्तार एवं विविधता विकास नीति आदि अव्यवस्थित होने के साथ-साथ पूर्णतः अस्त-व्यस्त सी रही हैं। यहाँ पर एक कहावत ही सही होगी की ''जिसके पैर न होय बिवाई ते का जानय पीर पराई'' इसका अर्थ बिल्कुल सटीक है कि किसी का दर्द वो ही जान सकता है जो कहीं-न-कहीं उस दर्द से गुजरा हुआ है। क्योंकि सरकार को भी अभी यह बात मालूम है कि 90% श्रम शक्ति आज भी अनौपचारिक क्षेत्र में अपना जीवन यापन करा रहे हैं। फिर भी उससे संबन्धित सूचनाओं को, योजनाओं को, उन तक पहुँचाने के लिए बिना जाने ही डिजिटल माध्यमों का प्रयोग किया जाता है।

असंगठित संगठित क्षेत्र के श्रमिकों की भी सामन्त किसानों के भी लगभग यही बेचैनी है। सबसे अधिक ध्यान देने योग्य तथ्य यह है कि देश की अधिकतर आबादी अपनी दुर्दशा को लेकर भी बेचैन नहीं होती है। यही हाल अर्द्ध-पूर्ण रोजगारों से जुड़े वर्ग का भी है जिन्हें कटोरा लेकर सड़क पर यदि नहीं बैठना पड़ा लेकिन उनको भी प्रतिदिन की रोजी-रोटी के संकट में डाल ही दिया है। बेचारे कहे जाने वाले मजदूरों का यह कहना उनके बेतहाशा होने का प्रमाण है कि यह लॉकडाउन अगर खुल जाता तो हम वापस अपने काम पर लौट जाते सालाना की तरह 1 मई को मजदूर दिवस पर अपने लम्बे-चैड़े एक आदर्शवादी भाषण पर बोलने वाले राजनेताओं ने इस वर्ष भी वही किया। प्रत्येक दिवस को अपनी राजनीति का मुद्दा बनाकर पेश करना ही राजनेताओं का कार्य है। बल्कि उन्हीं के आस-पास काम कर रहे श्रमिकों के साथ उनका व्यवहार कुछ इस तरह से होता है कि उनकी नजर में वह एक इन्सान का स्थान भी नहीं रखते हैं। कोरोना के इस विशाल संकट के होते हुए भी मजदूरों को लेकर मानसिक रूप से यह धारणा नहीं बना पाया है कि जिनकी श्रम साधना से उनका महल खड़ा है उनकी दुःखभरी दिनचर्या को समझ सकना उनके बस की बात नही है। वैश्विक महामारी में मजदूर और मजदूरी की कथा इतनी भयानक है कि जिसकी तुलना किसी समस्या से करना पूर्णतः विफल है। इस दौर में अपनी अभिव्यक्ति भी अपनी जुबान का साथ नही दे पाती है। इस महामारी ने भारत को लगभग वर्ग विभाजन के क्षेत्र में बेनकाब कर दिया है, कहा जाय तो यह ऐसा समय है जिसमें विकासशील कहे जाने वाले राज्यों कि अन्द्रूणी बुनियादी ढाँचे को उघेड़कर रख दिया है। क्योंकि अचानक जब तालाबन्दी का एलान हुआ और देश के विभिन्न क्षेत्रों से अपने ग्रह स्थान के लिए लावारिसों की भाँति विकट पड़े ऐसी मिसाल हमारे देश में पहली बार देखने को मिली है, भूँखे नंगे शरीर को लेकर भटकते इस मजदूर वर्ग की मजबूरी का यह दुःखद दृश्य आँखों से ओझल नही हो पाता है। वैसे भी कुछ सालों से भारत में एक लहर आई है शहरीकरण, जिसके चलते गांव में भी उचित रोजगार अवसर न होने पर वह शहर की ओर ही भागे, और एक बार फिर उनकी वही हालात हुई कि उनको ग्रामीण क्षेत्रों में भी उनको हाशिये पर रखा गया है और यहाँ भी उनके लिए वही परिधि मिली जहाँ उन्हें झुग्गियों मे ही रहना पड़ाा।

मजदूरों की हालात में इस वैश्विक समस्या ने अपनी अधिक मुसीबत पैदा की है। जिस रास्ते से वह कोविड-19 के आतन्क से पलायन कर के आये हैं, उनसे उसकी चर्चाएं भी की जाय तो उनकी आँखे अपने आंसुओं को समेटने में असहाय हो जाती है। और आये दिन के लॉकडाउन की खबर उनके व्याकुलता को बढ़ाने में और भी सहायक बन रही है। मानसिक रूप से उसने उन्हें तोड़कर ही रख दिया है, उसकी प्रमुख वजह है उनकी स्थिति, क्योंकि रोज कमाना और खाना उनके

जीवन का हिस्सा था जिसे इस विशेष काल में सम्भव ही नही कर पा रहे हैं। चाहे आज जिस भी क्षेत्र में देखें श्रमिकों की स्थिति में सुधार ही नहीं हो रहा है। एक जगह से दूसरी जगह उनका जाना आम है क्योंकि काम की आवश्यकता श्रमिकों की इधर-उधर पलायन की प्रमुख समस्या है, किन्तु यह प्रक्रिया भी अब उनके जीवन से पूर्णतः पलायन कर चुकी है। इस प्रकार हम यह स्पष्टतः कह सकते हैं कि श्रमिकों की अवस्था वर्तमान समय में काफी चिन्ताजनक है क्योंकि सामान्य रूप से देखा जाय तो बांकी वर्गों की अपेक्षा सख्या की दृष्टि से भी इनकी बहुलता ही होती है। जिसके कारण इनके खर्च भी अधिक होते हैं, प्रत्येक व्यक्ति घर का मजदूरी करता है तब जाकर यह बराबर दोनों समय का भोजन कर पाते हैं।

इस प्रकार यह पूरी तरह से कहा जा सकता है कि श्रमिकों की साधारण सी लाचारगी भरी जीवनशैली पर 'कोविड-19' का प्रभाव मजदूर वर्ग पर विशेषरूप से हुआ है। इसने भारतीय कामगारों के जीवन को अतिशय कठिनाइयों से भर दिया है। जिसके कारण उनको प्रतिपल भूंख और घुटन भरा जीवन जीने को मजबूर होना पड़ रहा है। यह वो समुदाय है जिसके बिना सभी का कार्य होता है किन्तु इसका स्थान आज भी हाशिये पर ही है। आज की इस भयानक तबाही का भी दन्श उसी पर सबसे अधिक हो रहा है। दरअसल जब सभी काम ठप हो गये तो भला उनको काम कहां है।

निष्कर्ष

इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस महामारी की बड़ी मार श्रमिकों को झेलनी पड़ रही है, उनका रोज का काम धन्धा ठप हो जाने पर उनकी समस्या और भी विकट हो गई है। अपने इस लेख का विषय ही हमने ''वैश्विक संकट एवं श्रमिकों की दशा'' बनाया है, जिसके भीतर मैने श्रमिकों की समस्याओं तथा उनकी रोजमर्रा के जीवन की कथा का वर्णन किया है। मुख्यतः मैने वैश्विक महामारी के इस भयानक काल में मजदूरों के विषय में अपना यह आलेख समसामयिक सन्दर्भो के अन्तर्गत अपना विचार प्रस्तुत किया है। जिसमें बांकी कारोबार के ठप होने का क्या प्रभाव पड़ा हमारे सम्पूर्ण समाज तथा विशेषकर मजदूर वर्ग की दशा, जो की अत्यधिक दयनीय अवस्था के अर्न्तगत आती है। प्रतिपल जिन्हें अपने भोजन और अपने परिवार की अवस्था का तकलीफ कचोटती है, वह है श्रमिक, जिसने अपना समस्त जीवन दूसरों के दिये हुए टुकड़ों पर बिताया है। वास्तव में समाज और देश लाख सुधर जाये किन्तु श्रमिकों की असस्था में बदलाव सम्भव नहीं है। और इसके पीछे वह कुत्रिम मानसिकता है जो समाज के उच्च वर्ग के भीतर पैर पसार कर बैठ गई है। तथा इस सामाजिक प्राणी का समाजपन का ढोंग जब तक चलेगा तब तक प्रत्येक भूखा और गरीब श्रमिक ऐसे ही हताशा भरी जिन्दगी जीने को विवश होता रहेगा। अतः ''गरीबी हटाओ'' के नारे को आज की परिस्थितियों के अनुसार समझने की महती आवश्यकता है।

सन्दर्भ-सूची

1. समाचार पत्र-दैनिक जागरण मई-2020
2. विभिन्न समाचार चैनलों के समाचारों के माध्यम से
3. अतः समसामयिक घटनाओं को स्वयं अवलोकित कर
4. रोजगार पत्रिका जून-2020
5. अनुसंधान, त्रैमासिक पत्रिका-अक्टूबर-दिसम्बर 2020, ओहद रेजीडेंसी, दिल्ली

SHODH CHETNA – YEAR-7, VOL. 3 (JULY TO SEP., 2021) ISSN : 2350-0441
A Peer-Reviewed
International Referred &
Multifocal Research Journal
IMPACT-FACTOR 5.299
Paper Recieved : 10th Aug 21 Paper Accepted : 18th Aug 21

Environmental Ethics in Hindu Way of Life : The Teachings of Vedas

❐ Dr. Nikhil Chandra Misra*
❐ Nand Kumar Chandrakar**

ABSTRACT

The Hindu philosophy to manage and organise the life has been guided by enormous literary works in the ancient language, Sanskrit and partly in Hindi also. Much of it has been translated and commented upon by the English speaking world also. This might have made the western world more aware of what the ancient Hindu sages devoted their lives for, instilling the radical benevolence to almost all walks of human life, the benevolence of the 'Supreme Person'. Nature and Earth occupy the highest locus in Hindu religious domain, thus the life. The earth, cosmos, water, air and light are considered as the most valued assets in the system of philosophical facet that was very dear to the elders of antiquity.

This paper deals with details of the most ancient pieces of literary and philosophical excellence revered in Hindu philosophy- the Vedas, Upanishads, Purans and Up Purans. Some illustrations hauled out from such holy books are presented here which unswervingly address the nature and environment in comprehensive eloquence.

Key Words: Rigveda, Yajurveda, Samaveda, Atharvaveda, Sage Parashar, Upnishads, Puranas, 'Sattvic' Puran, Vishnu, Rajasic, Lord Brahma, Tamasic, Lord Shiva, Yajman, Yagya, Bawadis.

1.0 INTRODUCTION

The Hindu religious philosophy is closely intermingled with equally resilient ethos in walks of culture, social, philosophical, linguistics, developed over a long historical span of time. The philosophy of Hinduism is guided by scriptures of deep philosophical texts composed in Sanskrit language about 3000 to 3500 years ago or even more. This simply implies that these treasure of teachings are older than Buddha. The Vedas are considered the world's oldest literature, composed about 4000-3000 BCEby many continuous

* Vice President-Retired, J.K. Cement Limited, "HARICHCHHA NILAY", H.No.26, Krishna Society, Chuna Bhatti, Kolar Road, Bhopal, M.P. 462 016 INDIA
** Joint Director-Retired, Directorate of Geology & Mining, C.G. State H.No.19, Navjivan Society, Near Pachpedi Naka, Raipur, C.G. 492001

generations in Sanskrit, the language of intellect of both ancient and classical Indian civilization. One school of workers attribute the composition of Vedas to about 5000 ago from now while other believe it was a little later. According to the Vedic scriptures themselves, all the Vedic scriptures are eternal, timeless, everlasting and have been created by the "Supreme Person". However, according to tradition, Sage Vyasa, the son of Sage Parashar, compiled the Vedas. Four kind of Mantras are arranged into four Samhitas. All the Vedas are dedicated to various walks of life in Hindu society incorporating verses, intended to guide the followers to adopt a sacred life. They also describe specific charter for practices in different facets of Hindu families' life and the Hindu society at large. Environment, nature and ambience have also retained appropriate and honoured spaces, the focus of our presentdesire for awareness.

2.0 PURPOSE OF INDULGENCE

India is the cradle of deep religious philosophy, ancient by the potency of calendar but equally relevant even today. Nature and Earth have always found a place above almost everything else in Hindu ethos. The thought that all that we know of as universe, is constituted by five elements of nature - the 'earth', 'water, 'air', 'light' and 'cosmos', the concept which forms the core of the existence of Hindu virtues. These elements are worshiped in reality as well as symbolically. All the festivities and cultural activities in Hindu social system have some environmental connotations. The rivers are taken as goddesses and the forests as abode of Gods, demi-gods, totemic animals as brothers and sisters and the prey species as mortalities. The Hinduism and Hindu philosophy in sacred human life has been growing sustainably for last about 4000 to 5000 years and cover almost all walks of life. In fact, many of our beliefs all around us in our day to day lives are based on the Purans. Matsya Puran incorporates the basis, as to architecture and layout based on which the Hindu temples are to be constructed. Likewise, Durga Pooja is based on Markandeya Puran; astrology, astronomy, the iconography of Gods and Godesses on Agni Puran; and funeral ceremonies on Garuda Puran, to name a few important ones.

In India during ancient times, clean environment was considered to be the essence of life, coming from Vedic culture in Hindu philosophy. Various environmental components held a place of deep respect and ample significance was attached to their protection.

The message of conservation of various components of environment are assigned eminence, very elaborately in Vedic and Puranic literatures, Upnishads, Arthshastra, Charak Samhita, Ramcharit Manas and Mahabharat, forming the most important aspect of Hindu religious philosophy.

3.0 A BRIEF ON VEDAS AND UPNISHADS

There are four Vedas, namely Rigveda, Yajurveda, Samaveda and Atharvaveda. Interestingly, though a modern school of philosophers propose that there is fifth Veda also-the Mahabharat and support their thought citing versatility of the epic.Rigved is considered as the oldest amongst all. There are over 200 number of Upanishads, dealing with ritual observance and individuals place in the universe.They are independent from one another but they have some common themes running through them. Fourteen of them are considered to be of great importance. First six in the list below are dated to between c. 800-c.500 BCE whereas others are thought to have been written after this period.The Purans, eighteen in number, are considered to have been composed perhaps between 350 to 750 CE. Six Purans are 'Sattvic' Puran, who glorify and worship Lord 'Vishnu'; Six are 'Rajasic' who glorify and worship Lord Brahma; and the remaining six are 'Tamasic', glorifying and

worshiping Lord Shiva. Then there areeighteen Up Purans. They are all listed below:

UPNISHADS

* Brihadaranakya Upnishahd;
* Chandogya Upnishad;
* Taittiriya Upnishad;
* Aitareya Upnishad,
* Kausitaki Upnishad;
* Ken Upnishad;
* Katha Upnishad;
* Isha Upnishad;
* Svetasvatara Upnishad;
* Mundaka Upnishad;
* Prashna Upnishad;
* Maitri Upnishad.
* Mandukya Upnishad;
* Mahanarayana Upnishad;

PURANS

* Brahmanda Puran;
* Devi Puran;
* Kurma Puran;
* Markandeya Puran;
* Matsya Puran;
* Vamana Puran;
* Varaha Puran;
* Vayu Puran;
* Vishnu Puran;
* Garud Puran;
* Agni Puran;
* Mahabhagvat Puran;
* Skanda Puran;
* Siva Puran;
* Linga Puran;
* Nareedya Puran;
* Brahmavavarta Puran;
* Padma Puran.

UP PURANS

* Adya Up Puran;
* Narsimha Up Puran;
* Skand Puran;
* Drvasa Puran;
* Shivdharma Puran;
* Nardiya Puran;
* Kapila Puran;
* Vanana Puran;
* Aushanasa Puran;
* Brahmanda Puran;
* Varn Puran;
* KalikaUPPuran;
* Maheshvara Puran;
* Samba Puran;
* Parashara Puran;
* Marich Puran;
* Bhargav Puran.

Rigved, the most ancient, contains 10627 mantra and is said to have 432000 number of words in all. The core subject of Rigved is knowledge, together with description of deities and prayer of the God. Yajurved comprises the methodology of worship, devotion, 'yagya'. For facilitating the process there are 1975 poetic mantras in Yajurved. Samved, whose core subject matter is worship of the God and comprises 1875 musical mantras for reciting. Atharvved comprises 5977 poetic mantras and is devoted to characteristics, religion, health and fitness etc.

4.0 SOMEILLUSTRATIONS FROM VEDAS AND UPNISHADS

The Vedas and other Hindu religious scriptures have been forthright to realise the value and importance of nature and environment about 4000 to 5000 years ago, at a time when the matters were much more comfortable and there was little pressure on the resources which were present in great abundance. Some of the selected ones are as follows:

ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षँ शान्तिः,
पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः।
शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे
देवाःशान्तिर्ब्रह्म शान्तिः,
सर्वं शान्तिः, शान्तिरेव शान्तिः, सा मा शान्तिरेधि?
ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः?

—शुक्लयजुर्वेदसंहिता

It is prayed in this rhyme that there be balance in the space; balance in the sky; peace on the earth; growth for the plants and trees; let all be graced by the God; let there be bliss in the Brahmans; let there be balance in everything; Let there be peace and peace; Let such peace be with every one of us! This a message which focusses to ensure the safety of human beings from drifting into utter darkness.

मधु वाता ऋतायते मधु क्षरंति सिंधवः!
माध्वीर्नः संत्वोंषधी!!

—*ऋग्वेद*

The 'Yajman' involved in oblation in the course of 'Yagya' receives honey from reverend "Vayudev". Honey is showered by the rivers, who are sanctified with resonatingflow of water (this would happen only when the nature is calm and there is peace all around). Variety of medicines available in the universe be laden for us.

मधुमान्नों वनस्पतिर्मधुमान अस्तु सूर्यः!
माध्वीर्गावों भवन्तु नः!!

—*ऋग्वेद*

May the deities of vegetation, the trees and plants be generous to give us sweet fruits; may the rulers of the sky, roaming in the sky may provide us sweetness, the solace; may our cows be the provider of honeyed sweet milk.

दस कूप समा वापी, दस वापी समो हदः,
दस हद समः पुत्रो, दस पुत्र समो दुमः!

—*मत्स्य पुराण*

This shlok of Matsya Puran elaborately specifies that by digging ten wells, one gets the blessings equal to one 'bawadi'; building ten bawadis equates the fruits ofone pond; digging ten ponds equate one noble son and ten noble sons equate the blessings of planting and growing one tree. This not only exhibits the importance of trees but also advocates the needed action. And let us not skip the fact that it was propagated in times when the planet enjoyed luxuriant growth of vegetation of all forms.

तच्चक्षुर्देवहित पुरस्ताच्क्षुकृमुच्चरत!
पश्येम शरदः शत जीवेम शरदः शत श्रृणुयाम
शरदः शत प्रब्रवाम शरदः शतमदीनाः
स्याम शरदः शत भूयश्च शरदः शतात!!

—*शुक्लयजुर्वेदसंहिता*

This shlok is addressed to Lord Sun with the prayer, to bless us with an illness free life of hundred years and more. God Sun who is the eyes of this universe, who rises in the east, who is imbibed within the God, we pray him. God sun bless us so that we see for hundred years; our eyes be healthy and our life continues for hundred years; Our ears be healthy so that we can hear for hundred years; our vocabulary be clear and we be able to speak clearly; we are saved from being helpless and are not needed to depend upon others; All our organs- working and ones related to intellect, be healthy who not be relaxed and unworkable; Bless us so that we lead a life not for one hundred years only but lead a healthy life beyond that also. Worshiping God Sun clearly reflects the trust in nature and environment, as without the blessings of sun, there will probably be no life on the earth.

ईशावास्यविदम सर्वं यत्किंञ्च जगतया जगत!
तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा ग्रधः कस्यस्विद्धनम!!

—*इशोपनिषद*

This shlok conveys the sense of gratitude towards the God. It says that the God pervades the entire universe, and suggests that all of us enjoy all of nature as a gift from God, but with a spirit of renunciation. It further advises not to get attached to them and not to covet the wealth of others and the greed must be controlled. This is clearly the campaign for promotion of nature and ambience.

यत ते मध्यमप्रथिवि यच्च नभ्यम, यास्ते ऊर्जस्तन्वः
संबभूवूः, तासु नो धेयभि नः पवस्व, माता भूमिः
पुत्रोअहम प्रथिव्याः, पर्जन्यः पिता स उ नः पिपर्तु'।

—*अथर्ववेद*

O', Mother Earth, your middle part, the elevated partand your other parts are full of energy; mother you take me close to you to cuddle me because I am your son and you are my mother and the God should keep us both safely under his shadow. This shlok establishes a celestial relationship between humans and the Earth; it is amazing and establishes an exceptional bond between them. It also invokes divine intervention to bliss.

5. CONCLUSION:

Conductingcomplete and thorough study of the Vedas and Upanishads is a colossal task. As regards the present work, limited attempt has been made to understand them and subsequently work out an opinion with extremely constrained indulgence.

India nurses a culture that is more than 5000 years old.Some propose the period of Vedas to be 3000 BCE and beyondwhile some others propose the period from c. 1500 to c 500 BCE, coinciding with the period range of late Bronze age to early Iron age. This also signifies the end of Indus-Sarasawti valley civilisation. In any event, the Vedas are certainly the oldest religious scriptures in any of the existing religion. Upanishads are thought to have been composed between 700 and 600 BCE. The Purans are considered to have been composed with a hiatus in a longer time span of 350 to1000 CE. The Hindu culture and religion lived and thrived vigorously during the period. Vedas, Upanishads and epics dated as old as that, not only exhibit literary excellence but also vistas ofintelligentsia, wisdom andknowledge. Since the dawn of human civilisation, man had been modifying and interfering with nature but never with an intention of destroying it completely. In addition to the teachings on various issues, these scriptures reflecting the basic ethos of great Hindu philosophy have paid serious attention to the nature and environment also. This may be taken as ample piece of supporting proof for broad and sensible thought process of the Sages who actually created such masterpieces, that too when there were enough resources under much less stress, the environment washarmonious,in cordial balance with the living world and much cleaner than today. Nature has been and will be in future also the most competent teacher to the living beings. The awareness towards the nature and environment exhibited by the ancient Indians during their initial years propagated the value and significance of these invaluable factors of life. They taught through these invaluable scriptures the fine and harmonious balance between nature, environment and the rests, particularly the humans.The Vedic scholars learned fineness of the factors related to environment and naturethemselves and taught their close family members- enriching and concurrently opening the vistas of such invaluable meadows further.These scriptures explained in details the importance and usefulness of plants, trees, revealing their multifaceted utility to the very life on the earth.Ignored traditions related to the environment which were strongly advocated by the ancient Hindu scriptures and their composer reverend Sages that are now wounded and damaged. Theymust be invigorated to give the modern man the sensitivity towards the nature and environment, further to create a harmonious ambience on the earth.

SHODH CHETNA – YEAR-7, VOL. 3 (JULY TO SEP., 2021) ISSN : 2350-0441
A Peer-Reviewed
International Referred &
Multifocal Research Journal
IMPACT-FACTOR 5.299
Paper Recieved : 12th Aug 21 Paper Accepted : 20th Aug 21

Critical Analysis of Farrukh Dhondy's novel Poona Company

❒ Shivani Pandey*
❒ Dr. Shalini Dube**

ABSTRACT

Farrukh Dhondy is a well known Diasporic writer, he is reknowned for not only his writings but also for his films and TV works. His literary output is vast ,including books for children, textbooks and biographies, as well as plays for theatre and scripts film and television. And here, in this novel Dhondy recounts his years of growing up in Parsi neighbourhood in Poona during the 1950s.

Keywords: Films,TV,children,childhood, biographies, theatre, parsi,poona, diaspora.

Every single person has a story of his life ,from the very birth till the end in this novel Dhondy recounts his years of growing up in Parsi neighbourhood in Poona during 1950s, It is the collection of linked stories. India' native , Farrukh Dhondy came to Great Britain to be a school teacher and established his career as an author ,journalist and a playwright itself. If we go through the numbers of non-white teens who were growing there of his age at that time, Dhondy has become famous for his works, such as the short stories collection, "East end at your feet", this shows the confusing mentality and the anxieties of those young people. He truly deserve a appraisal for using accurate and fine descriptions, dialect, and slang expressions to add emphasis to his tales.

If we discuss about this novel Poona Company of Farrukh Dhondy , there are nine collective linked stories of his childhood memories, Sarbatwalla Chowk is the centre of the world of those he remembers: Eddie the inventor and his Big Boy; the massive Samson, who lives on the street and refuses to get a job ; the blind man and his guide, Black Dog, which is supposed to have special powers ; Terry Soakum, the Australian crybaby who has his eyes on Farrukh's swimming trunks; Confession D'Souza, the scholarship boy who loses favour with the Jesuits over a 'dirty book ' and grows up to become a courageous journalist Prabhat D'Souza; Chamak, with his big nose and permanent pimple, who wants to win the college elections and the heart of 'Jhansi-ki-Rani'. And there's Farrukh himself , distressed over a pair of spectacles, or a knife-fight at school.

This novel has been written for a broader adult audience, "Poona Company" contains

* Research Scholar, Avadhesh Pratap Singh University, Rewa (M.P.)
* Avadhesh Pratap Singh University, Rewa (M.P.), Email id:-loveshilpa223@gmail.com

stories about the gossip filled, spirited atmosphere of a Poona gathering place, where locals gather to catch up and used to tell tales.

The result, according to some reviewers, is illuminating. According to Murphy,(in the Times Literary Supplement in Poona Company), "Dhondy is illuminating not merely a silver of Indian scene but a chunk of universal human nature." Gillian Welch also appreciated the volume, written in "New Statesman" ,"the collection is the work of a natural story-teller, entertaining, funny and truth telling in a way that no other cultures could ever be."

In the first story , that the very beginning there was an incident where Dhondy was witnessed of his grandfather being told a liar in front of fifty people,

"my heart sank into my canvas shoes".

Little Dhondy was really ashamed of that incident as it was all happened because of him. Previously we have known that Dhondy's parents were dead at his early age and his upbringing was done by his grandfather and his aunts. There was a quite disciplined atmosphere in their home and Dhondy has to follow all rules and regulations. His grandfather was a reputed person, he used to tell him the stories of Nehru and Gandhi, Britishers and the other great people and events .So Dhondy was really that how to face his grandfather who is such a gentle and being insulted publically because of him.

All has to say that with this incident , the relation and respect between a grandfather and his grandson, has been described beautifully, the culture of that time, the obliged and disciplined family and their children, all was well told by him, there are so many more incidents in further stories, the journalist and Jhansi-ki-rani's lovestory, and yes the eighth one i.e. Gandhiji, when Dhondy reached Bombay, he described the life and culture and yes busiest city of India perfectly. The last episode, where Dhondy encountered his interview sessions, the girl and his old friend Ajit, he vitalised the changes that suppose to be happen in a person's life with passage of time.

Dhondy ended up the novel with Ajit's good bye to him, dhondy has well portrayed the various forms and facts of life that how relations and people are changed with because of their positions, circumstances and last but not the least their emotions towards each other.

This novel is blended various emotions, feelings and ups downs situations of human' life that is continued from the birth till the end.

Warm , funny , sometimes sad but always delightful, that's how the novel is placed. The nine stories of Poona Company seems as fresh now as when they were first published in 1980. Every single person can well correlate themselves with the particular incidents that has happened in the novel whether it may be a child, a youngster, an adult or an old person. It is a common man story, somehow, somewhere everyone faced such situations and emotions.

There has been presented a picture of small-town India that has observed with a sharp eye and a fond heart- a combination still rare in India fiction.

References

1. Dhondy, Farrukh. Poona Company.1985.
2. Collins,Harper.Dec 1,2013.
3. Harper Collins India, Blake Friedmann Litrerary, TV & Film Agency Ltd.

SHODH CHETNA – YEAR-7, VOL. 3 (JULY TO SEP., 2021) ISSN : 2350-0441
A Peer-Reviewed
International Referred &
Multifocal Research Journal
IMPACT-FACTOR 5.299
Paper Recieved : 12th Aug 21 Paper Accepted : 18th Aug 21

"बौद्ध धर्म एवं मुक्ति"

❑ डॉ. दिलीप कुमार मिश्र*

शोध सारांश

संसार के जितने भी धर्म मार्ग हैं उन सभी का एक ही लक्ष्य है मुक्ति वस्तुतः सनातन धर्म ही सभी का मूल है, परन्तु कालक्रमानुसार विभिन्न धर्मावलम्बी उत्पन्न होते गये तथा सभी का मूल उद्देश्य या मुक्ति। भारत देश विभिन्न धर्मो को अपने में समेटे है। बौद्ध भिक्षु भी सनातन धर्म की ही व्याख्या अपने तरीके से करते हैं। उनके यहां भी सत्य, अहिंसा, अस्तेय आदि को माना जाता है। सभी धर्म वस्तुतः एक ही घोषणा करते है कि सभी शान्ति भावना से रहकर अपने असाध्य की सेवा करें तथा उसी में समर्पण कर मुक्ति लाभ प्राप्त करें।

बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध का प्रादुर्भाव छठी शती ई0पू0 में हुआ था। उनको तत्कालीन समाज में प्रचलित धार्मिक पद्धतियों में मानव को सत्यमार्ग दिखलाने वाले आयोजनों का अभाव सा लगा। उनकी तर्क बुद्धि सुविकसित थी। वे लगभग सात वर्षों तक ज्ञान और सत्य की खोज में इधर-उधर भटकते रहे। कुछ आचार्यों के पास जाकर जीवन के वास्तविक तत्वों के विषय में कुछ जानना चाहा, परन्तु उनके उत्तर से सन्तुष्टि नहीं हुई। उन्होंने सोचा अब मेरी समस्याओं का समाधान नही हो सकता। अनेक हठयोगियों के चक्कर में पड़कर उन्होंने घोर तपस्या की। अपने शरीर को अनेक कष्टों से कृश बना दिया, अनेक प्रदेशों में भ्रमण करते हुए मगध के उरुवेला सेनानी निगम में जा पहुंचे। यहाँ के प्राकृतिक मनोरम दृश्य को देखकर उनका मन प्रफुल्लित हो गया। यहीं अन्य पाँच भिक्षुओं से भेट हुई, परन्तु भिक्षुओं ने पथभ्रष्ट समझकर छोड़ दिया। जिससे बुद्ध जी एक पीपल की सघन छाया में सात दिन, सात रात तक एक ही आसन पर ध्यानस्थ बैठे रहे। अन्त में उन्हें बोध हुआ। उनके अन्तःकरण में एक दिव्य ज्योति प्रस्फुटित हुई। उसी समय उरुबेल नामक ग्राम में चार आर्य सत्यों की प्रत्यक्ष अनुभूति कर 461 ई0पू0 के वैशाखी पूर्णिमा को बुद्धत्व प्राप्त किया। मृगदाव (सारनाथ) में कौण्डिन्य आदि पंचवर्गीय पाँच भिक्षुओं के सामने अपना प्रथम उपदेश देकर इन्होने 'धर्मचक्र प्रवर्तन' किया। गणराज्य के आदर्श पर बुद्ध ने भिक्षुओं के 'संघ' की स्थापना की और मानव क्लेशों से उद्धार पाने के लिए विनय तथा धर्म की शिक्षा जनसमुदाय को मागधी भाषा में दी। 426 ई0पू0 वैशाखी पूर्णिमा को 80 वर्ष की आयु पूर्ण होने के पश्चात् मल्लगणतन्त्र की राजधानी कुशीनगर (कसया जिला गोरखपुरा) में निर्वाण प्राप्त किया।[1]

* एम.ए., पी-एच.डी., संस्कृत

इस प्रकार बुद्ध धर्म के इतिहास में वैशाखी पूर्णिमा की तिथि बड़ी पवित्र मानी जाती है। बुद्ध के जीवन की तीन घटनाएँ जन्म, बोधि प्राप्त तथा निर्वाण प्राप्ति सम्पन्न हुई है। भगवान् बुद्ध के पवित्र-स्थान, जन्म-स्थान लुम्बिनी अनन्तर सम्यक् संबोधि की प्राप्ति का स्थान बोध गया, अनन्तर धर्मचक्र के प्रवर्तन का स्थान सारनाथ तथा अनुपाधिशेष निर्वाण धातु की प्राप्ति का स्थान कुश नगर-बौद्ध धर्म के चार पवित्र तीर्थस्थल माने जाते हैं।[2]

ज्ञान प्राप्ति के पश्चात् गौतम बुद्ध ने अपने मत के प्रचार का निश्चय किया। वे करुणा की साक्षात् मूर्ति थे। उनका चरमलक्ष्य था नाना प्रकार के मत मतान्तरों के कारण समाज में फैली हुई विषमताओं और दुष्कृतियों को दूर करना। आर्य धर्म की स्थापना कर प्राणीमात्र का अत्यधिक कल्याण। उन्होंने किसी नवीन धर्म का प्रतिपादन न कर सनातन काल से आ रहे आर्य धर्म का ही प्रचार किया इसलिए वे कहते है 'एस धम्मो सनन्तनो' अर्थात् यही धर्म सनातन है।[3]

अनेक बोधिसत्व भाव को प्राप्त कर बुद्धत्व तक पहुँचे। वे ईश्वर के नाम पर यज्ञ में की जाने वाली हिंसा के प्रबल प्रतिद्वन्द्वी, उदारमना, बुद्ध यज्ञ में विविध देवताओं का आह्वान निरर्थक समझते थे। जब तक चरित्र शुद्ध नहीं हो जाता प्राणी मात्र में समदृष्टि नहीं होती। तृष्णा शान्त नहीं होती प्रमाद, लोभ, क्रोध तथा वाणी पर संयम नहीं किया जाता, तब तक अनुष्ठान पूजा, पाठ सब व्यर्थ है—

यो च वन्तकसावस्स, सीलेसु सुसमाहितो।
उपेतो दमसच्चेन स वे कासावमरहति।।[4]

भगवान् बुद्ध ने भिक्षुओं को यह उपदेश दिये थे, कि शरीर को अत्यन्त कष्ट न देना और न भोग विलास में लिप्त रहना तभी मानव को निःश्रेयस् की प्राप्ति होती है।

अतीत का अनुगमन मत करो और न भविष्य की ही चिन्ता करो जो अतीत है वह नष्ट हो गया और भविष्य आया नहीं इसलिए अपना पूरा समय वर्तमान में लगा दो।[5] बुद्ध शासन के रहस्य को पापाकरण पुण्य संचय और चित्त व परिशुद्धि इन तीन विशेषताओं में व्याप्त करता है।[6]

सन्वपापस्य अकरणं, कुसलस्य उपसम्पदां।
सचित्त परियोदपनं एतं बुद्धानं सासनं।।

समस्त पापों को नष्ट करना, पुण्य कर्मों का व्रत धारण करना, अपने चित को परिशुद्ध करना यह बुद्धों की शिक्षा है। गौतम ने यह भी कहा है कि माता-पिता का पालन-पोषण करो, व्यवहार और वाणिज्य करो, गृहस्थों को अपना आलस्य और प्रमाद छोड़कर अपने धर्म का पालन करना चाहिए।[7] भगवान् बुद्ध ने भिक्षु तथा उपासक (गृहस्थ अनुयायी) सभी के लिए अष्टांगिक मार्ग समान से बताये हैं तथा सत्यों में चार वाक्य श्रेष्ठ हैं तथा धर्मों में वैराग्य और मनुष्यों में ज्ञानवान श्रेष्ठ है।[8]

मग्गाडुंगिको सेटठों सच्चानं चतुरो पदा।
विरागो सेटठों धम्मानं द्विपदान च चक्खुमा।।

गौतम बुद्ध को प्रतीत्यसमुत्पाद के सिद्धांत का ज्ञान हो चुका था। संसार के समस्त वस्तुएँ किसी न किसी कारण से उत्पन्न हुई हैं और वे इस पर निर्भर हैं। इस कार्य कारण सिद्धान्त को उन्होंने सम्पूर्ण संसार में लागू किया।[9] मुख्य विषय है कि इस लोक में दुःख की सत्ता है। यह इतनी वास्तविक है कि उसका कोई अलाप नहीं कर सकता। यदि दुःख है, तो उसकी उत्पत्ति की चिन्ता करनी चाहिए, क्योंकि बिना उत्पत्ति जाने उसको रोकना कठिन है। अतः दुख के इन चार समस्याओं को सुलझाना ही मानव के लिए प्रधान कार्य है। इसलिए सम्यक् सुबुद्धि (अच्छी प्रकार जानने वाले) के नाम से पुकारे जाते हैं। जिनका उत्तर बुद्ध ने दिया है। चार आर्य सत्य इस प्रकार हैं—

1. दुःखम्—आर्य सत्यों में प्रथम है। दुखःरूप इस संसार में सर्वत्र दुःख ही दुःख है। जीवन दुःखों एवं कष्टों से परिपूर्ण हैं। जिन्हें हम सुख समझते हैं वे भी

दुःखों से भरे हुए हैं। सभी प्राणी रोग, जन्म तथा मृत्यु के शिकार होते दिखाई पड़ते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि जीवन दुःखों से परिपूर्ण है।[10] ब्राह्मण दार्शनिकों के समान बुद्ध ने भी प्राणियों के जीवन को अशान्त बनाने वाले इस क्लेश की सत्ता का पता लगाया पर उनकी विशेषता इसके निरोध तथा तदुपाय भूत मार्ग की विवेचना में है।

2. दुःख समुदाय—दूसरा आर्य सत्य दुःख का भी कारण है और सबसे बड़ा दुःख जरा मरण (बुढ़ापा तथा मृत्यु) हो इसकी उत्पत्ति का कारण है। जाति और जाति का कारण 'भव' है। भव उन कर्मों को कहते हैं जिसके कारण प्राणी का पुनर्जन्म होता है।

स भविष्यभ्द्‌वफलं कुरुते कर्म तद्भवः।[11] तथा

पुनर्भवजनकं कर्म समुत्थापयति कायेन वाचा मनसा च।[12]

प्रतीत्य समुत्पाद का विश्लेषण करने पर ज्ञान होता है कि दुःख का मूल कारण 'अविद्या' (अज्ञान) है। यदि जगत् के सत्य बातों का ज्ञान प्राणी को होता तो वह उन कार्यों के अनुष्ठान से ही विरत रहता जनिका फल भोगने के लिए उसे इस संसार चक्र में बारंबार आना न पड़ता अतः अविद्या ही इस विशाल भव प्रासाद की नींव है।

अतः महात्मा बुद्ध ने कारण का गहराई से पता लगाकर द्वितीय आर्य सत्य के दुःख समुदाय का 12 कारणों के समुच्चय हैं। जरा मरण, भव उपादान, तृष्णा वेदना स्पर्श, षडायतन, नामरूप विज्ञान, संस्कार तथा अविद्या है। जाति तथा जरामरण का सम्बन्ध अगले जन्म से है। मध्य के 8 निदानों (विज्ञान से लेकर भव तक) का सम्बन्ध हमारे इस वर्तमान के जीवन से है।[13]

सप्रतीत्यसमुत्पादो द्वादशांस्तिङ्गत्रकाण्डकः।
पूर्वापरान्तयो द्वे मध्येऽष्टौ परिपूरणः॥

3. दुःख का निरोध—तीसरे आर्य सत्य का नाम दुःख निरोध है। अर्थात् सत्तात्मक तथा कारण कलाप से उत्पन्न दुःख का आत्यान्तिक तिरस्कार किया जा सकता है। यदि कारण का विनाश हो जाये तो वस्तु का भी विनाश हो जायेगा। कारण समाप्त हो जाने पर कार्य का भी अस्तित्व समाप्ति हो जाएगा। अतः दुःखी का मूल कारण अविद्या है। अतः विद्या के द्वारा अविद्या का निरोध कर दिया जाए तो दुःख का निरोध सम्भवतः अपने आप खत्म हो जायेगा।

4. दुःख निरोधगामिनी प्रतिपद्—आधुनिक खोजों से यह स्पष्ट हो गया है कि गौतम बुद्ध ने शील, समाधि एवं प्रज्ञा को ही दुःख निरोध का साधन बताया है।[14] सुख समृद्धि में जीवन-यापन करने वाले सुखमार्गियों तथा घोर ब्रताचरण से इस कंचन काया को सुखाकर कांटा बना देने वाले तापसों के जीवन को निर्वाण के लिए सहायक न मानकर इन उभय सुख तथा दुःख के छोरों को छोड़कर 'मध्यम प्रतिपादन' को खोज निकाला है। इस प्रतिपद के आर्य अष्टांगिक मार्ग हैं—(1) सम्यक् ज्ञान (आर्यसत्यों का तत्वज्ञान), (2) सम्यक् संकल्प (दृढ़ निश्चय), (3) सम्यक् वचन (सत्य वचन), (4) सम्यक् कर्मान्त (हिंसा, द्रोह, दुराचरण रहित कार्य), (5) सम्यक् आजीव (न्यायपूर्ण जीविका) (6) सम्यक् व्यायाम (बुराइयों को न होने देना) भलाई के लिए सतत् उद्योग करना, (7) सम्यक् स्मृत (चित, शरीर, वेदना, आदि के अशुचि, अनित्य रूपों की उपलब्धि और लाभादि चिन्ता संताप से अलग होगा) (8) सम्यक् समाधि (राग द्वेषादि द्वन्द्व के विनाश से उत्पन्न चित्त की शुद्धि की शुद्धि, नैसर्गिक एकाग्रता) इस अष्टांगिक मार्ग के यथार्थ सेवन से प्रज्ञा का उदय होता है और निर्वाण की सद्यः प्राप्ति हो जाती है। अतः बुद्ध के आचार मार्ग का सूत्र यही है।

ये ज्ञानपसुता धीरा नेक्खम्मूपसमे रता।
देवापि तेस पिध्यन्ति सम्बुद्धानं सतोमतं॥[15]

ई0पू0 426 में भगवान् गौतम बुद्ध के निर्वाण के समय उनके प्रमुख शिष्यगणों की सहायता लेकर राजगृह में पहली बार संगीत निष्पन्न हुई। जिनको लिपिबद्ध रूप से सुत्त तथा विनय पिटकों का रूप निर्धारित किया

गया, परन्तु सौ वर्ष के ही अन्दर विनय के सक्त नियमों को लेकर एक प्रबल विरोधी 'मतवाद' खड़ा हो गया।[16] इस विरोध का झंडा ऊँचा करने वाले वज्जिदेशीय भिक्षु, जिन्हें वज्जिपुत्तक वज्जिपुत्तिम तथा वत्सीपुवीय के नाम से पुकारते हैं। इन्हीं के विरोध की शांति के लिए वैशाली की द्वितीय संगीति 326 ई0पू0 में की गयी परन्तु प्राचीन विनयों के पक्षपाती भिक्षुओं के सामने कमजोर पड़ने के कारण भिक्षुओं के महासंघ के साथ ही अपनी संगीति पृथक् कर ली, उसी दिन से बौद्धधर्म स्पष्टतः दो सम्प्रदायों में विभक्त हो गया। प्राचीन विनय नियमों को मानने वालों को स्थावरवादी तथा नवीन संशोधनों को स्वीकार करने वाले भिक्षु महासंघ या महासांघिक कहलाने लगे। महासांघिक भिक्षु तर्क का आश्रय लेने वाले विकसित प्रणाली के समर्थक थे, लेकिन स्थविरवादी एक प्रकार से रूढ़िवादी थे। परम्पराओं में एकमात्र भी परिवर्तन उन्हें मान्य नहीं था। इस प्रकार अष्टांगिक योग के पालन से प्राणी जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट सकता है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. भारतीय दर्शन पृष्ठ 206
2. भारतीय धर्म और दर्शन पृष्ठ 206
3. धम्मपद पृष्ठ 103
4. धम्मपद यमक बग्गो पठमो 10 श्लोक
5. द्रष्टव्य मज्झिमनिकाय का भद्दे करतसुत्त
6. धंम्मपद बुद्धवगो 5 वा श्लोक
7. सुन्तनिपात धम्मिक सुन
8. घम्मपाद-मग्गवग्गो वीसतिमो 1
9. द्रष्टव्य- प्राचीन भारत का इतिहास तथा संस्कृति पृष्ठ 225
10. प्राचीन भारत का इतिहास तथा संस्कृति पृष्ठ 826
11. अभिधर्मकोश (3/24)
12. चन्द्रकीर्ति माध्यमिकवृचि पृष्ठ 565
13. धर्म और दर्शन- बलदेव उपाध्याय 3/20।
14. गोविन्द चन्द्र पाण्डेय का ग्रन्थ स्टीज इन द ओरिजिन्स ऑफ बुद्धिजम
15. भारतीय दर्शन पृष्ठ 124
16. धम्मपद बुद्धवग्गो-2 श्लोक

SHODH CHETNA – YEAR-7, VOL. 3 (JULY TO SEP., 2021) ISSN : 2350-0441
A Peer-Reviewed
International Referred &
Multifocal Research Journal
IMPACT-FACTOR 5.299
Paper Recieved : 20th Aug 21 Paper Accepted : 25th Aug 21

सिंगरौली जिले के ऐतिहासिक क्षेत्र : विन्ध्य प्रदेश

❑ डॉ. रचना कोरी*

शोध सारांश

शोध-सारांश—सिंगरौली जिले का अधिकांश भाग रीवा रियासत के अंतर्गत बघेल शासकों द्वारा शासित रहा। बघेलों का आगमन 12वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में गुजरात से हुआ। बघेलों ने लगभग साढ़े सात सौ वर्षों तक यहाँ शासन किया। उनके कारण ही इस संपूर्ण क्षेत्र का नाम बघेलखण्ड पड़ा। इसके अंतिम शासक बघेल ही रहे। यद्यपि बघेलखण्ड की सीमा में हमेशा परिवर्तन होता रहा किन्तु चार जिले रीवा, सीधी, सतना एवं शहडोल स्थायी रूप से उसी के अंग रहे। 1948 ई. में जब देशी रियासतें गणतंत्र में विलीन हुई उस समय बघेलखण्ड एवं बुन्देलखण्ड मिलाकर विन्ध्य क्षेत्र बना।

मुख्य शब्द—सिंगरौली, ऐतिहासिक, बघेलखण्ड, रियासतें, विन्ध्यक्षेत्र आदि।

प्रस्तावना

इतिहास मनुष्य के कार्यों की क्रमबद्धता का सूचक है जो उसे लिपिबद्ध करता है। एक युग वह भी था जब लेखनी के अभाव के कारण जाने कितने रहस्य अछूते रह गये। इतिहास अपनी प्रतिभा प्रभाकर से उसे अंधकार के आवरण अनपरत अध्यवसान से अनावृत्त करने का प्रयास किया है। इतिहासकारों के मनोवृत्ति के अनुसार मनुष्य का प्रारंभिक जीवन पाशविक व असभ्य एवं बर्बर था किन्तु मनुष्य ने अपने जीवन को सभ्य व सौम्य से परिपूर्ण बनाने का प्रयास किया गया है।

विन्ध्य क्षेत्र की यह धरती जो सिंगरौली जिले की सीमाओं में आती है, अपनी क्रियाशीलता एवं सांस्कृतिक चेतना का केन्द्र बिन्दु रही है। सिंगरौली जिला अपने आप में प्राकृति सम्पदा को समेटे हुए है। इस जिले की गौरवमयी महिमा युगों-युगों से चलती रही है। रामायण युग में यह भू-भाग कौशल प्रान्त के अन्तर्गत राम के राज्य का एक भाग था। यह क्षेत्र महाभारत युग में वज्रदन्त के अधीन था एवं कारस प्रदेश का एक अंग था। बाद में भीमसेन ने वज्रदन्त पर आक्रमण कर इसे स्वाधीन किया था। अगत्स्य से लेकर अब तक सैकड़ों संक्रान्तियाँ हुई एवं इस प्रदेश पर अपनी स्मृति छोड़कर अदृश्य के गर्भ में विलीन हो गयी। राम का वन गमन, महाभारत के वीर योद्धा भीमसेन का अभियान, पुष्यमित्र की दिग्विजय यात्रा, अशोक की धर्म विजय, कनिष्क

* सहायक प्राध्यापक (इतिहास), शासकीय जे.एस.टी.पी.जी. महाविद्यालय, बालाघाट (म.प्र.)

की धर्म यात्रा, कलचुरियों का आधिपत्य, चंदेलों का पराभव, गोड़ों, सेंगरों एवं बघेलों के प्रभुत्व की कहानी आज भी इस जिले के पत्थर-पत्थर पर अंकित है एवं गुफा-गुफा में प्रतिध्वनित है।

सिंगरौली जिले का प्रत्येक भाग अपनी किसी-न-किसी अमिट ऐतिहासिक छाप को लिए हुए है। सिंगरौली जिले के बैढ़न विकासखण्ड में स्थित मझौली ग्राम में प्रागैतिहासिक काल का मंदिर दर्शनीय है। जनश्रुति है कि प्राचीनकाल में विश्वकर्मा द्वारा केवल एक रात में बनाया गया था। इसमें निमित बड़े-बड़े विशालखण्डों को देखकर आश्चर्य होता है। जिला मुख्यालय से 70 कि.मी. दूरी पर बगदरा अभयारण्य की घाटी में स्थित गुफाओं में आखेट युग के शैलचित्र देखने को मिलते हैं। गुफा के ऊपरी सतह पर लाल एवं पीले मिश्रित रंग की सतह है। ये रंग आज भी जीवन्त प्रदत्त है, इसमें प्रमुख रूप से शिकार को मनुष्यों द्वारा घेरने की राजनीति चित्रित है। यहाँ पर लगभग 3 गुफाओं में इस प्रकार के चित्र प्राप्त हुए हैं जिनकी अवकल्पनानुसार आयु 12-14 हजार वर्ष पूर्ण बतायी जाती है—''गण्डरे प्रस्तरौ कीर्णे, मदिराणि विश्व हरिम, ध्वाचिदन्यत सा भूमि, क्वाचिदमितांसुचित्रणम्।'' शैल चित्रों के वैज्ञानिक परीक्षण से आखेट युग के उपरान्त युग की अवधि की जानकारी मिल सकती है।

जिला मुख्यालय से 33 कि.मी. की दूरी पर माड़ा गुफाएँ हैं। यहाँ पर कई गुफाएँ; जैसे—रावण माड़ा, विवाह माड़ा, गणेश माड़ा हैं। इन गुफाओं में प्राचीन शिल्पकला के अद्भुत नमूने देखने को मिलते हैं। यह कला गुप्तोत्तर काल या 8वीं-9वीं सदी के बीच की हैं। माड़ा की यह स्थापत्य कला काफी पुरानी है जो माड़ा से सरगुजा तक फैली हुई हैं जिले में सोन, गोपद एवं महान प्रमुख नदियाँ हैं। सोन एवं गोपद के संगम पर एक ऐसी गढ़ी निर्मित है जिसके अन्दर से सोन नदी तक का गुप्त मार्ग निर्मित है। इसका निर्माण विक्रम संवत् 1619 में चंदेल राजा राम सिंह ने करवाया था। इसका मनोहारी दृश्य अत्यन्त आकर्षक एवं भव्य है।

देवसर तहसील में स्थित कर्कसिंहा में नवीं शताब्दी से लेकर बारहवीं शताब्दी तक के मंदिरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इन विवरणों से स्पष्ट है कि सिंगरौली जिले के उत्तर पश्चिम भाग में अपेक्षाकृत गम्य तथा प्राचीन काल से ही मानवीय क्रियाकलापों का क्षेत्र था। डॉ. वासुदेव शरण अग्रवाल ने सिंहावल का अभिधान प्राचीन सिंहावल से किया है जो मौर्य काल का स्थान है। सिंगरौली जिले में जनपद काल से लेकर अंग्रेजी शासन के प्रादुर्भाव तक प्रचलित प्रशासनिक परम्परा की छाप समाहित है। ईसा पूर्व सातवीं शताब्दी से ईसा पूर्व 321 तक यहाँ जनपद काल का शासन रहा है। डॉ. धीरेन्द्र वर्मा तथा डॉ. हरदेव बाहरी ने वत्स या जनपद को आधुनिक बघेलखण्ड माना है। इसके पश्चात् 321 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व तक मौर्य युग का शासन रहा है। ईसा पूर्व चतुर्थ शताब्दी के अंतिम चरण में चन्द्रगुप्त ने नंदों का उन्मूलन कर अपनी राजसत्ता स्थापित की थी।

चन्द्रगुप्त मौर्य के पश्चात् उनके पुत्र बिन्दुसार का शासन काल इस क्षेत्र पर रहा तत्पश्चात बिन्दुसार के पुत्र अशोक महान ने 40 वर्ष तक मगध में शासन किया तथा अपनी राजधानी का विस्तार करने के लिए कलिंग युद्ध का प्रस्ताव किया। सिंगरौली जिला मगध राजाओं का ही एक भाग है। इसकी पुष्टि 'भरहुत' गाँव में पाये गये अशोक के एक स्तूप से होती है।[1]

ईसा पूर्व 184 से ईसा पूर्व 72 तक सुंग साम्राज्य का काल था जिसमें पुष्यमित्र एक तेजस्वी शासक था। इसके बाद ईसा पूर्व 72 से 500 ईस्वी तक यहाँ कई राजवंशों, नागवंश, कुषाण वंश, महावंश एवं वाकाटक वंश का शासन चला। इसके बाद गुप्त साम्राज्य ने

अपनी सत्ता स्थापित की जिसमें समुद्रगुप्त एवं स्कन्द गुप्त आदि शासक प्रमुख हैं। इसका प्रमाणीकरण एक ताम्र पत्र से होता है।[2] एक स्तूप प्रयाग में भी है जिसमें 'निज विजय' की विज्ञप्ति समुद्रगुप्त ने ''वन राज्यों'' पर होने की (35 ईस्वी) लिखाई है। शायद इन वन राज्यों और ऊपर के वन राज्यों में एक ही संबंध हो। गुप्त साम्राज्य के पश्चात 528 ईस्वी से 600 ईस्वी तक यहाँ चेदि राजाओं का आधिपत्य रहा, किन्तु सातवीं शताब्दी के प्रथम दसक में कन्नौज के राजा हर्षवर्द्धन ने अपने बाहुबल एवं पराक्रम से चेदि राजाओं को पराजित कर अपनी सत्ता स्थापित की जिसका शासन काल 600 ईस्वी से 648 ईस्वी तक चला। 648 ई. में हर्षवर्द्धन की मृत्यु के पश्चात सम्मिलित विभिन्न शासकों ने पुनः स्वतंत्र इकाई के रूप में अपनी सत्ता स्थापित की। इसमें आपस में संघर्ष होता रहता था। जो शक्तिशाली होता था वह अपने से कमजोर प्रशासक को पराजित कर सम्राट बन बैठता था। देश में तीन शक्तिशाली सम्राट अपना राज्य विस्तार करने में लगे थे। भार मालवा में, राष्ट्रकूट (राठौर) कन्नौज में एवं चालुक्य गुजरात एवं मध्य भारत में अपना अधिकार जमाने में सफल हुए। 850 ई. तक राजनीतिक संघर्ष एवं अस्तता-व्यस्तता का वातावरण छाया रहा। इसके बाद राजनीतिक अवस्था में कल्चुरियों का उदय हुआ। अंतिम शासक विजय सिंह ने 1160 से 1211 ई. तक अपना आधिपत्य बनाये रखा।[3]

कल्चुरियों का आधिपत्य समाप्त होने के बाद बुन्देल शासक भीजदेव वर्मन (1282 ई. से 1300 ई.) का शासन काल आता है। इनका शासन काल अत्यन्त उथल-पुथल एवं कलह के थपेड़ों की मार सहता रहा और निरन्तर मुस्लिम आक्रमणों से पीड़ित रहा। इसी समय चंदेलों ने वर्दी राज्य नवगठित सिंगरौली जिले के देवसर वर्तमान में चितरंगी व सिंगरौली तहसील की स्थापना की जो बाद में इनकी शक्तिहीनता के कारण बघेलों के अधीन हो गया।

रीवा स्टेट गजेटियर के अनुसार महोवा के चंदेल राजा परमादि देव जिनके 5 पुत्र थे। चौथे पुत्र शाशाजीत सिंह ने आपसी फूट व क्रान्तिमय परिस्थिति के कारण अंगेरी में अपनी सत्ता स्थापित की। उसी समय भगोरी के प्रशासक बालन्द राजाओं के अधःपतन की परिस्थिति[4] का लाभ उठाकर धीरे-धीरे वह अंगेरी राज्य का शासक बन गया। शाशाजीत की मृत्यु के बाद उनके दोनों पुत्रों में आपसी विवाद के कारण राज्य दो भागों में विभाजित हो गया। बड़े लड़के परमिल सिंह को वर्दी, सिंगरौली व साहपुर के क्षेत्र मिले जबकि छोटा लड़का भरीमल सिंह ठिकाने पर ही रहा जिसने अपनी नवीनतम राजधानी गढ़वा में स्थापित की। वर्दी राज्य स्थापित होने के पश्चात कई राजाओं ने यहाँ शासन किया। विक्रम संवत् 1835 में महाराजा अजीत सिंह व जारज पुत्र बाबू केशोराय ने वर्दी पर चढ़ाई कर दी। जिससे वर्दी राज्य रीवा राज्य के अधीन हो गया। माघ सुदी दिसम्बर 1861 को वर्दी के राजा अजीत सिंह ने महाराजा अजीत सिंह बघेल को यह लेख दिया कि वे मामला के साथ सेवा में हाजिर रहेंगे। वि. संवत् 1876 में वर्दी के राजा अजीत सिंह चंदेल ने अपनी रानी जगत कुमारी के साथ आकर राज्य के 18 में से 15 गढ़ रीवा राज्य को सौंप दिया। बाद में आंतरिक कलह के कारण चंदेल शासकों ने सम्पूर्ण जागीरदारी ही 1819 ई. में रीवा नरेश जय सिंह देव को समर्पित कर दिया। इस प्रकार सिंगरौली जिले कके अधिकांश क्षेत्र में 600 वर्षों तक चंदेला की प्रभुसत्ता बनी रही। इसी समय चौहानों के 19 गाँव जो कि वर्दी राज्य में मिले हुए थे, रीवा राज्य में आ गये जिससे वे चौहान भी रीवा राज्य के मामलेदार हो गये। सिंगरौली के वेणुवंशी राजा जो कि खैरवार

राजा को मारकर राजा बने थे, रीवा राज्य के आधीन होकर मामला देने लगे।

बघेलवंश के इतिहास के संबंध में कई तरह की किवदंतियाँ हैं एवं पुस्तकों में मिलती हैं। इस वंश के संस्थापक व्याघ्रदेव हैं। व्याघ्रदेव ने गुजरात से आकर भरवालन्द गोड़ को जीतकर अपनी सत्ता स्थापित की। तरौहा के राजा मुकुन्ददेव चन्द्रावल ने अपनी कन्या शिन्दूर मती का विवाह व्याघ्रदेव के साथ कर तरौहा का राज्य उन्हें सौंपकर तीर्थ यात्रा के लिये चले गये। तभी से व्याघ्रदेव का शासनकाल प्रारम्भ हुआ। व्याघ्रदेव अपनी साम्राज्यवादी नीति को सफल बनाते हुए आस-पास के राज्यों को अपने राज्य में मिला लिया एवं गहोरा को अपनी राजधानी बनाया। इस समय तक राजपूतों का सौभाग्य सूर्यास्त हो चुका था। मुसलमान ही भारत में प्रमुख शासक बन चुके थे। गुलाम वंश का बादशाह अल्तुतमिस इस समय उत्तरी भारत पर शासन करता था। यद्यपि कालिंजर का किला मुसलमानों के अधीनस्थ था तथापि गभौरा के जंगली भागों में उसका आधिपत्य ढीला था। अतः गभौरा के बाद कसौटा को अपने आधिपत्य में लेकर इन्होंने विन्ध्य पर्वतमाला के प्रदेशों पर अपना अधिकार कर लिया अर्थात् समूचा बघेलखण्ड व्याघ्रदेव के अधीनस्थ था।

व्याघ्रदेव के बाद उनके सबसे बड़े पुत्र कर्णदेव गभौरा की गद्दी पर आसीन हुए। उनके भाई कन्धरदेव को कसौआ का राज्य मिला। चौदहवीं पीढ़ी में राव विक्रमादित्य ने चुरहट खानदान की नीव डाली। अकबर के समय से ही कसौटा राज्य को इलाहाबाद क्षेत्र में मिला लिया गया था। प्रारंभ के पन्द्रह राजाओं के राजकाल के विषय में बहुत कम बातें ज्ञात हैं।

सोलहवें महाराजा मैघदेव वि. सं. 1470 में सिंहासनारूढ़ हुए। इनके दो विवाह हुए। प्रथम उन्नाव जिले के राजा वगीसर की लड़की रनदेवी के साथ हुई थी। दूसरा चित्तौड़ के महाराज लाखा सिंह की पुत्री अनूप कुमारी से हुआ था। मैघदेव का शासनकाल वहलोल लोदी के समय का था। लोदी उस समय भारत वर्ष का बादशाह था इन्हीं के शासन काल में वहलोल लोदी के पुत्र सिकन्दर लोदी ने इस क्षेत्र पर चढ़ाई की। महाराज मैघदेव ने उससे भिड़ने के बजाय उसकी आधीनता स्वीकार कर ली। 1495 में पुनः सिकन्दर लोदी का आक्रमण इस क्षेत्र पर हुआ। कुछ समय बाद सिकन्दर लोदी पुनः सिकन्दर लोदी का आक्रमण इस क्षेत्र पर हुआ। कुछ समय बाद सिकन्दर लोदी पुनः वापस चला गया एवं मैघदेव के पुत्र सालिवाहन को गद्दी पर बैठने का अवसर मिला। इनके शासनकाल में लोदी को कभी सफलता नहीं मिली।

सन् 1564 ई. में अकबर के आक्रमण का उल्लेख मिलता है। महाराज रामचन्द्र को अकबर ने पराजित किया था। इसी समय महाराज रामचन्द्र एवं मुगल शासकों के बीच मैत्री संधि हुई। परिणामस्वरूप नावालिग विक्रमादित्य के राज्य को अकबर से संरक्षण मिला। बाधवगढ़ का किया अकबर ने अपने अधिकार में लेकर ''पात्र दास'' गवर्नर नियुक्त किया। विक्रमादित्य के बड़े होने पर अकबर ने उन्हें वापस भेज दिया। विक्रमादित्य के ज्येष्ठ पुत्र अमर सिंह ने भी सन् 1624 में जहाँगीर की दरवार में अपनी अधीनता स्वीकार की। शाहजहाँ के शासन काल में ओरछा के बागी राजा जुझार सिंह के विरुद्ध खान मैदान के युद्ध में साथ भी दिया। 1649 में अमर सिंह की मृत्यु के समय युवराज अनूप सिंह की उम्र कम होने के कारण राज्य को निर्बल देख ओरछा नरेश पहार सिंह ने इस पर चढ़ाई कर दी। अतः 1655 में अनूप सिंह शाहजहाँ से मिलने गये एवं मैत्री संबंध स्थापित किया। अनूप सिंह के पुत्र भाव सिंह को किसी आपत्ति का सामना नहीं करना पड़ा। इनके कोई संतान न होने के कारण इन्होंने अपने छोटे भाई जसवंत सिंह के छोटे लड़के अनिरुद्ध सिंह को गोद लिया।

अनिरुद्ध सिंह की मृत्यु के बाद उनके पुत्र अवधूत सिंह गद्दी पर आसीन हुए। इसी समय पन्ना के राजा हिरदेशाह द्वारा राज्य पर चढ़ाई की गयी। बाद में बहादुर सिंह की मदद से राज्य वापस मिल गया। अवधूत सिंह के पश्चात 1755 ई. में उनके पुत्र अजीत सिंह ने राज्य का कार्य भार सम्भाला। इनके शासन काल में मुगलों की शक्ति प्रायः समाप्त थी। मराठों की शक्ति ही सर्वोपरि थी। अंग्रेज प्रशासक भारतीय शासकों की जड़े हिलाने में लगे थे। ऐसे दुर्दिन में भी महाराजा अजीत सिंह विदेशियों से लोहा लेते रहे।

सन् 1758 में अली गौहार (शाह आलम) एवं अंग्रेज सेनापति क्लाइव के बीच युद्ध हुआ जिसमें अली गौहार पराजित होकर अजीत सिंह के राज्य में शरण लिया। शाह आलम के साथ उनकी गर्भवती बेगम भी थी जिससे अकबर द्वितीय का जन्म हुआ। जो बाद में अकबर शाह यानी द्वितीय के उपनाम से दिल्लेश्वर कहलाया। सन् 1803-04 में अंग्रेजों एवं मराठों के बीच संघर्ष के पश्चात बेसिन की संधि हो जाने पर अंग्रेजों ने रीवा राज्य में भी संधि प्रस्ताव भेजा किन्तु महाराजा अजीत सिंह को यह प्रस्ताव मंजूर नहीं था। परिणामस्वरूप आजीवन अंग्रेजों से संघर्ष करते रहे जिसमें काफी जन एवं धन की हानि हुई। सन् 1804 में नागपुर के भोसला राजा ने दक्षिणी रीवा के सोहागपुर एवं चंदिया पर अधिकार कर लिया परन्तु जब सन् 1818 में भोसला के राज्य पर अंग्रेजों का अधिकार हुआ तब रीवा राज्य के हुजूरदारी करने पर चंदिया इलाका एवं राज्य को वापस कर दिया गया। सोहागपुर सन् 1857 के गदर के बाद वापस हुआ।[5]

अजीत सिंह के बाद उनके पुत्र जय सिंह सन् 1809 में गद्दी पर बैठे। एवं 24 वर्ष राज्य करने के बाद 1833 में उनकी मृत्यु हो गयी। जय सिंह के उपरान्त 1833 में महाराजा विश्वनाथ सिंह ने राज्य की बागडोर संभाली। इनके शासनकाल में अंग्रेजों को बहुत बढ़ावा मिला। लार्ड विलियम वैटिंग ने महाराजा रघुराज सिंह के अंग्रेजी अध्यापन के लिए कृष्ण भट्टाचार्य को भेजा था। सन् 1854 में इस राज्य का आधिपत्य महाराजा रघुराज सिंह ने संभाला। इनके शासनकाल में ही सन् 1857 में अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध प्रसिद्ध विद्रोह हुआ किन्तु इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था। सर्वप्रथम रीवा राज्य में 1862 में ब्रिटिश गवर्नमेन्ट की एजेन्सी कायम हुई। 1857 में महाराजा रघुराज सिंह ने अपने शासन की समस्त बागडोर अंग्रेजों के हाथ सुपुर्द कर दी केवल अपने गुजारे के लिए 15 हजार रुपये मासिक लेना स्वीकार किया था।

विभिन्न इतिहासकार व्यंकट रमण सिंह के शासन काल को सन् 1880 से मानते हैं। अतः इतिहास की प्रमाणिकता को मानते हुए महाराजा व्यंकट रमण सिंह का शासन काल प्रत्यक्षतः या परोक्षतः 1880 को ही माना जा सकता है। इन्होंने 38 वर्ष तक राज्य की सत्ता की बागडोर को संभाले रखा। इनके शासन काल में 1895 तक राज्य का शासन प्रबंध पूर्ववत पोलिटिकल अफसरों के हाथ में बना रहा। राज्याधिकार प्राप्त होने के थोड़े दिनों बाद सन् 1907-08 में भयानक दुर्भिक्ष पड़ा किन्तु इन्होंने जनहित में अनेक कार्य किया। आपने अपने समय में रीवा राज्य के सैनिक संगठन का पुनरुद्धार किया। महाराजा व्यंकट रमण की मृत्यु के बाद वर्षो तक (1918 से 1922) महाराजा रतलाम इस राज्य में रिजेन्ट नियुक्त किए गये एवं राज्य शासन रिजेन्सी कौन्सिल द्वारा होता रहा। 1922 में गुलाब सिंह को पूर्ण राज्याधिकार प्राप्त हुआ। इन्होंने जनहित हेतु ''बैंक ऑफ बघेलखण्ड'' की स्थापना करायी। इनके शासन काल में राज्य के लगभग सभी भागों को सड़कों द्वारा मिलाने की योजना बनायी गयी। इनके शासन काल में अंग्रेजों को अपने अवसर की तलाश जारी रही किन्तु

गुलाब सिंह ने अपने कुशाग्र बुद्धि का उपयोग करते हुए राज्य में उत्तरदायी शासन की घोषणा कर दी।

31 जनवरी सन् 1946 को ब्रिटिश सरकार ने युवराज मार्तण्ड सिंह को रीवा राज्य का शासक बनाने की घोषणा कर दी। 1 मार्च को इन्हें पूर्ण राज्याधिकार प्राप्त हुआ। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हो गया राज्य में धारा सभा के गठन की कार्यवाही समाप्त कर दी गयी। कैबिनेट मिशन योजना के तहत भारत की संविधान सभा में प्रत्येक देशी रियासत से दो ऐजेन्ट भेजे जाने लगे। रियासतों के एकीकरण की प्रक्रिया का प्रभाव रीवा राज्य पर भी पड़ा।[6] अन्ततः 7 अप्रैल 1948 को बघेलखण्ड एवं बुन्देलखण्ड की 35 रियासतों को मिलाकर विन्ध्य प्रदेश के निर्माण की घोषणा की गयी। राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के अनुसार 1.11.56 को विन्ध्य प्रदेश, भोपाल, महाकौशल, एवं मध्य भारत क्षेत्रों को मिलाकर मध्य प्रदेश का निर्माण हुआ जिसमें सिंगरौली म.प्र. की एक तहसील बनी। जिसका जिला मुख्यालय सीधी था।

संदर्भ स्त्रोत

1. डॉ. हीरालाल शुक्ल : भाषिकी के दस लेख
2. इण्डियन एक्टिक वेरी, पृ. 6 जिल्द 19
3. भारतीय ताम्रपत्र, तीसरा खण्ड बारमां व रायल सोसाइटी का जरनल, 1987
4. एपिग्राफिक इण्डिया जिल्द दो, पृ. 304, आर्कियालाजी सर्वे रिपोर्ट जिल्द 1 पृ. 122, जिल्द 21 पृ. 103
5. गुरु रामप्यारे, अग्निहोत्री (1972) रीवा राज्य का इतिहास, म.प्र. साहित्य परिषद्, भोपाल
6. डॉ. अखिलेश शुक्ल रीवा राज्य का इतिहास, गायत्री पब्लिकेशन, बिछिया, रीवा

SHODH CHETNA – YEAR-7, VOL. 3 (JULY TO SEP., 2021) ISSN : 2350-0441
A Peer-Reviewed
International Referred &
Multifocal Research Journal
IMPACT-FACTOR
5.299
Paper Recieved : 20th Aug 21 Paper Accepted : 28th Aug 21

''गीतरामायणम् महाकाव्य में छन्द विधान''

❑ संतोष कुमार तिवारी*
❑ डॉ. राजेन्द्र प्रसाद चतुर्वेदी**

शोध सारांश

शोध-सारांश—गीत परम्परा में प्रणीत इस महाकाव्य का छन्द विधान अद्भुत है। प्रस्तुत महाकाव्य में जगद्गुरुस्वामीरामभद्राचार्य ने स्रग्धरा, शार्दूलविक्रीडित, मन्दाक्रान्ता, अनुष्टुप्, वंशस्थ, इन्द्रवज्रा, उपेन्द्रवज्रा, उपजाति इत्यादि पच्चीसों साहित्यिक छन्दों को बड़ी कुशलता के साथ संदर्भ श्लोक के रूप में प्रयोग किया है शोध-पत्र में गीतरामायणम् में छन्द विधान को प्रस्तुत करने का अनुपम प्रयास है।

मुख्य शब्द—गीतरामायणम्, महाकाव्य, छन्द, वंशस्थ, इन्द्रवज्रा, उपेन्द्रवज्रा, अनुष्टुप्, उपजाति, शालिनी, मालिनी, रथोद्धता, मन्दाक्रान्ता, स्रग्धरा, शार्दूलविक्रीडित आदि।

प्रस्तावना

प्रस्तुत शोध-पत्र के अन्तर्गत महाकाव्य में प्रयुक्त छन्दों— स्रग्धरा, शार्दूलविक्रीडित, मन्दाक्रान्ता, अनुष्टुप्, वंशस्थ, इन्द्रवज्रा, उपेन्द्रवज्रा, उपजाति इत्यादि पच्चीसों साहित्यिक छन्दों को उल्लिखित करने का प्रयास है। 'छन्द' शब्द का अर्थ है बंधी हुई रचना। 'छदि बन्धने' धातु से 'छन्द' शब्द की व्युत्पत्ति होती है। अर्थात् छन्द का अर्थ है नियमों से बंधी हुयी, व्यवस्थित, लयबद्ध एवं स्वरों से समन्वित रचना। जब कोई रचना छन्द में होती है तब वह हृदय में स्फूर्ति देने वाली तथा आनन्द का सम्वर्धन करने वाली होती है। किसी के मुख से तालस्वरबद्ध रचना सुनकर स्वयं हृदय व मन में गुदगुदी उठती है, भले ही स्वरबद्ध रचना का अर्थ समझ में आए अथवा न आए किन्तु अन्तःकरण में सुखानुभूति अवश्य होती है। इस प्रकार की छन्दोबद्ध रचनाएँ जल्दी ही सुनने-कहने वालों को याद हो जाती हैं।

इसके विपरीत जब रचनाएँ गद्य में लिखी जाती हैं तो उसमें स्वर की मधुरता व व्यवस्थित ताल के अभाव के कारण उस गद्यात्मक रचना का भाव अन्तःकरण के बोध का विषय नहीं बन पाता है। शायद इसीलिए प्राचीन रचनाकारों ने अपने साहित्य की रचना छन्दोविधान में की है। वेदों में प्रतिष्ठित सामवेद तो पूर्णरूप से छन्दोबद्ध प्राप्त होता है, जिसमें गेयता, संगीतात्मकता एवं हृदयावर्जकता विद्यमान रहती है। संगीत की मधुर धुन, किस प्राणी को अपनी ओर आकर्षित करते हुए अमृतत्व में नहीं निमग्न कर देती? अर्थात् सभी प्राणी

* शोधार्थी, शास. टी.आर.एस. महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)
** प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष (संस्कृत), शास. टी.आर.एस. महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

अपना चित्त खो बैठते हैं। श्रीमद्भागवत्महापुराण के दशम स्कन्ध में वेणुगीत यानी इक्कीसवें अध्याय में वर्णन आया है कि जब भगवान् श्रीकृष्ण ने श्रीधामवृन्दावन में वेणुनिनाद किया तब सभी प्राणियों का मन अपहृत हो गया यानी वंशी की धुन ने सबका चित्त खींच लिया। तात्पर्य यह है कि संगीतमयी छन्दोबद्ध रचना न केवल बुद्धिप्रधान मानवों को अपितु हिंसक से हिंसक जीवों को भी अपना स्वभाव छोड़ने के लिए विवश कर देती है। अतएव साहित्यिक में 'छन्द' नामक बिन्दु का अध्ययन अपरिहार्य है। वाल्मीकिरामायण से लेकर अद्यावधि, जितनी साहित्यिक रचनाएँ लौकिक संस्कृत में उपनिबद्ध की गयीं सबकी सब (लगभग ९० प्रतिशत) छन्दोबद्ध होकर शेमुषीधारकों के लिए कण्ठ की शोभा बनती रही हैं।

यद्यपि परवर्ती साम्प्रतिक रचनाओं में प्राचीन छन्दों के प्रयोग का आग्रह कम देखा जाने लगा। कवियों ने उन्मुक्त होकर स्वतंत्र रूप से रचना करना प्रारम्भ किया, जिसे नई कविता का अभिधान प्राप्त हुआ। फिर भी काव्य का विधान बिना छन्द के सम्भव न होता देखकर आज भी कवियों ने विविध प्राचीन छन्दों का प्रयोग जारी रखा। कारण यह है कि 'छन्द' के वेदपुरुष यानी वेद एवं तदंगभूत अन्यपुराणादिशास्त्रों का पैर माना गया है।[1] जिस प्रकार कोई भी प्राणी बिना पैर के चलने-फिरने, आने-जाने में समर्थ नहीं होता है। उसी प्रकार वेदादिशास्त्र एवं साहित्यिक रचनाएँ भी बिना 'छन्द' (पैर) के बहुत कालावधि तक ठहर नहीं पाती हैं। कालगर्भ में विलुप्त प्राय हो जाती हैं। अतएव छन्दोविधान की बड़ी महिमा है। छन्दोबद्ध रचनाएँ आकर्षक, सरल, रुचिकर, सद्यः अर्थबोध एवं मुखाग्र करने में सहायक होती हैं।

प्रस्तुत महाकाव्य 'गीतरामायणम्', महाकवि 'गिरिधर' की स्वयं गीतात्मक रचना है। अतः महाकवि ने अपने इस महाकाव्य में बड़े ही आकर्षक ढंग से कई प्रकार के छन्दों का प्रयोग किया है। महाकाव्य में जहाँ, जिस प्रकार के भावों का समुदय हुआ है, उन्हीं भावों के अनुवर्तक छन्दों का प्रयोग किया गया है। प्रसंगानुकूल छन्दोयोजना में मानो महाकवि सिद्धहस्त जान पड़ते हैं। महाकवि 'गिरिधर' ने अपने महाकाव्य में जहाँ जैसे भाव आते गए वैसे ही छन्दों का प्रयोग सहज ढंग से कर दिया है।

उन्होंने 'गीतरामायणम्' में छन्दों का प्रयोग प्रयासपूर्वक यानी बुद्धि व्यायाम के साथ नहीं किया अपितु सहजता के साथ किया है। पच्चीसों प्रकार के छन्दों में श्लोकों की रचना करना महाकवि की छन्दोनिपुणता को सहत ही सिद्ध करती है। महाकवि ने प्राचीन छन्दः शास्त्र के अनुकूल अनेक छन्दोबद्ध श्लोकों की सर्जना तो किया ही है, साथ ही महाकवि जयदेव की शैली में अनेकानेक राग-रागिनियों की प्रवाहमयी शैली में गीतों की रचना की है। प्राचीन छन्दों में रचना को सहेजते हुए उन्होंने सम्पूर्ण रामकथा को 1008 गीतों में उपनिबद्ध करके जनमानस को अपनी कथाओं प्रवचनों में स्वयं गा-गा कर के आह्लादित किया है।

जगद्गुरुरामभद्राचार्य के प्रकृत 'गीतरामायणम्' नामक महाकाव्य में छन्दोविधान को निम्न बिन्दुओं के माध्यम से समझा जाता है।

1. सर्वाधिक छन्दों का प्रयोग—'गीतारामायण्' महाकाव्य के छन्दोविधान की प्रथम वैशिष्टता सर्वाधिक छन्दों में काव्य रचना है। इसमें महाकवि ने बालकाण्ड से लेकर उत्तरकाण्ड तक में पच्चीस से भी अधिक छन्दों का प्रयोग किया है, जो प्रायः अन्य पूर्ववर्ती महाकाव्यों में दुर्लभ है। सम्पूर्ण महाकाव्य में सर्वाधिक रूप से 'अनुष्टुप्', जिसे छन्दशास्त्र में 'श्लोक' भी कहा जाता है, का प्रयोग सत्तर (70) श्लोकों में किया है। इन्द्रवंशा, प्रमाणिका, रुचिरा एवं पृथ्वी जैसे छन्दों का पूर्ववर्ती कवियों ने प्रायः कम प्रयोग किया है, किन्तु महाकवि 'गिरिधर' की पञ्चप्रशाखी से ऐसे दुर्लभप्राय छन्द भी सरलता से समुद्भूत हुए हैं। कवि के ऐसे दुर्लभप्राय छन्दोविधान, कवित्व की उदात्तता एवं छन्दशास्त्र-निपुणता का बोध होता है। सम्पूर्ण महाकाव्य में बालकाण्ड के तृतीय सर्ग पृष्ठ 92 में 1 एवं एकादश सर्ग पृष्ठ 312 सन्दर्भ श्लोक 3 व 4 अर्थात् 2, कुल 03 श्लोकों की रचना महाकवि ने किन छन्दों में किया है,

का निश्चय, उपलब्ध पुस्तकों के आधार पर खोजने के बाद भी शोधार्थी नहीं कर पाया। शायद ये छन्द नवीन हों या पूर्ववर्ती कवियों द्वारा इनका प्रयोग बहुत ही कम मात्रा में किया गया हो अथवा आर्ष-प्रयोग हो सकते हैं।

2. सर्वाधिक प्रिय छन्द—महाकाव्य के प्रारम्भ और अन्त में तथा अन्य कुछ सर्गों में मङ्गलाचरण के रूप में महाकवि ने 'स्रग्धरा' छन्द का प्रयोग किया है तथा सम्पूर्ण महाकाव्य में 'अनुष्टुप्' के बाद 'शार्दूलविक्रीडित' छन्द का सर्वाधिक प्रयोग किया है, जिससे पता चलता है कि स्रग्धरा, अनुष्टुप् एवं शार्दूलविक्रीडित इनके सर्वाधिक प्रिय छन्द हैं। इसके अलावा द्रुतबिलम्बित, शिखरिणी, उपेन्द्रवज्रा, इन्द्रवज्रा, उपजाति एवं मन्दाक्रान्ता छन्द कवि के प्रिय छन्दों में परिगणित हैं।

3. सन्दर्भ के रूप में श्लोकों का प्रयोग—'गीतरामायणम्' महाकाव्य उत्तर-भारत की विविध भाषा सम्बद्ध बोलियों की लोकधुनों में रचित 1008 गीतों से गुंफित होने के बाद भी कथा का गति प्रदान करने, घटनाक्रम को परिवर्तित करने अथवा भाव स्पष्टीकरण के उद्देश्य से आगे आने वाली गीतों की भूमिका के रूप में उद्भासित सन्दर्भ श्लोकों में विरचित महाकाव्य है। यथा—

''अथ मरुत्पतिपूज्यपदाम्बुजो
निखिलनिर्जरलोकशिखामणिः।
जनकजाननदर्शनकाङ्क्षया न शिथिलो
मिथिलामगमद्धरिः॥''[2]

प्रस्तुत श्लोक, देव शिरोमणि श्रीराम द्वारा जानकी जी के श्रीमुख-दर्शन में शिथिलता न बरतने एवं मिथिलापुरी पधारने के सन्दर्भित भाव में लिखा गया है, जिसके ठीक बाद उक्त भावना का गीत लिखा गया है—

''एतौ दशरथ राजकिशोरौ।
नील-पीतजलजातसुन्दरौ
विश्वविलोचनमानसचोरौ॥
यज्ञार्थं याचितौ च मुनिना रुदता पित्रा समनुज्ञातौ।
काकपक्षचन्द्रकशिखण्डकौ सार्धं कौशिकमुनिना
यातौ॥''[3]

4. भावानुसार छन्द रचना—प्रकृत महाकाव्य में महाकवि ने छन्दों की रचना प्रासंगिक भावों में किया हैं भावानुसार छन्द प्रयोग से काव्य में भाव-प्रवणता एवं गतिशीलता का सर्वत्र दिग्दर्शन होता है। महाकाव्य के आदि एवं अन्त तथा अन्य स्थलों पर भी मङ्गलाचरण के रूप में 'स्रग्धरा' छन्द का प्रयोग किया गया है। 'स्रग्धरा' शब्द का अर्थ ही होता है—'मालाधारण करने वाली'। इस प्रकार भगवद्स्मरण, आराधना एवं महापुरुष के सम्मानार्थ 'स्रग्धरा' छन्द का प्रयोग प्रासंगिक है। सर्वाधिक संख्या में प्रयुक्त अनुष्टुप् छन्द घटना क्रम को गति प्रदान करते हैं। घटनाक्रम को बदलने एवं समर्पण भाव में प्रायः शार्दूलविक्रीडित' छन्द का प्रयोग है। मन्दाक्रान्ता प्रायः भक्ति, प्रीति, विरह एवं ॠतु वर्णन में प्रयुक्त है। प्रसन्नता के भाव में प्रायः द्रुतविलम्बित एवं लोकमङ्गल, हर्षोल्लाष, अभिनन्दन इत्यादि भावों में उपेन्द्रवज्रा, मङ्गलकामना, ईशवर्णन एवं समर्पणादि भावों में इन्द्रवज्रा का प्रयोग महाकवि ने रमणीयता के साथ किया है। उपजाति का प्रयोग दार्शनिक विवेचन के साथ ॠतुवर्णन में किया गया है।

ईशवर्णन, आराधना, मङ्गलोत्सव, ब्रह्म की श्रेष्ठता, श्रेष्ठ संदेश-सम्प्रेषण, जन्मोत्सव अभिवादन आदि भावों में शालिनी, मालिनी एवं पुष्पिताग्रा आदि छन्दों का प्रयोग अनुपम है। सहृदयों के हृदय में प्रेम भरने एवं प्रिया-प्रियतम के सरस शृंगारिक वर्णनादि में 'वसन्ततिलका' छन्द का मधुर प्रयोग है। 'शिखरिणी' छन्द का प्रायशः ब्रह्मानन्द प्रेमानुभूति एवं ईश्वर लीला के प्रसङ्गों में, 'वंशस्थ तथा 'रुचिरा' का प्रयोग बाल सुलभ सौन्दर्य-वर्णन, अभीष्ट की प्राप्ति हेतु देवताओं या गुरुजनों के प्रति की गयी प्रार्थना के भावों में मनोहर है। आर्या, औपछन्दसिक, वियोगिनी, पृथ्वी, प्रमाणिका, इन्द्रवंशा, दोधक, रथोद्धता एवं अन्यान्य छन्दों का भी अन्यान्य प्रासंगिक भावों में अपनी विलक्षण प्रतिभा का परिचय देते हुए प्रयोग करके महाकवि ने महाकाव्य रचना चातुरी में चार-चाँद लगा दिया है। उदाहरण स्वरूप प्रभु श्रीराम के प्रकट हो जाने पर 'शिखरिणी' छन्द में महाकवि द्वारा रचित सन्दर्भ श्लोक द्रष्टव्य है—

''अयोध्यासौभाग्ये प्रकटिततनौ श्रीरघुपतौ, नटन् गायन्नृत्यन् प्रणदितसुवाद्यः पुरजनः।

स्फुरद्ब्रह्मानन्दः शिशुरुदितसंस्रावमुदितो, दृगं भो निष्यन्दो मधुरमिदमूचे दशरथः।।''[4] महाकाव्य के समापन पर विश्रामश्लोक के रूप में प्रयुक्त मंगलमय कामना पूरित 'स्रग्धरा' छन्द उदाहरणस्वरूप प्रस्तुत है—

''श्रीसीतारामपदाम्बुजरसरसिके नाप्तबोधेन दिव्यं, नव्यं गीतैः परीतं वसुखखहरिभिः प्रेमभक्त्येकसारम्।

गीतं श्रीदेववाण्यां गिरिधरकविना गीतरामायणं तत्, नित्यं श्रीरामभक्तिं दिशतु सुकृतिनां गीतसीताभिरामम्।।''[5]

5. शतृप्रत्ययान्त धातुओं का प्रयोग—श्रीमद्भगवद्गीता में प्रयुक्त शतृप्रत्यायान्त धातुओं की भाँति, धातुओं का बहुशः प्रयोग महाकवि ने उत्तरकाण्ड के द्वितीय सर्ग, मङ्गलाचरण में किया है, जो कवि की रचना चातुरी उद्भासित करती हैं—

''वैदेहीं रमयन् सखींश्च मृडयन्नायोध्यकान् रञ्जयन्, सौन्दर्य कलयन् बलं प्रबलयन् प्रीताः प्रजाः पालयन्।

संस्कारान् स्रजयन् चरित्रमहसा लोकत्रयं शिक्षयन्, वार्तिं वत्सलयन् कविं गिरिधरं राजाधिराजोऽवतु।।''[6]

6. 'गीतरामायणम्' महाकाव्य में प्रयुक्त छन्दों का विश्लेषण—सम्पूर्ण 'गीतरामायण्' महाकाव्य में महाकविजगद्गुरुस्वामीरामभद्राचार्य ने मङ्गलाचरण, सन्दर्भ श्लोक एवं विश्राम श्लोक के रूप में कुल तीन सौ अढ़तालीस (348) श्लोकों का विविध छन्दों में एवं विविध भावों में प्रयोग किया है, जिसका समग्र विश्लेषणात्मक अध्ययन इस प्रकार तालिका बद्ध किया गया है—

बालकाण्ड

क्र.	सर्ग छन्द	प्रथम	द्वितीय	तृतीय	चतुर्थ	पंचम	षष्ठम	सप्तम	अष्टम	नवम	दशम	एकादशम	योग
1.	स्रग्धरा	02	02	00	02	00	00	01	00	00	00	00	**07**
2.	द्रुतविलम्बित	01	00	01	00	00	01	02	01	02	06	04	**18**
3.	मन्दाक्रान्ता	02	01	00	00	01	00	01	00	00	00	02	**07**
4.	शार्दूलविक्रीडित	02	03	02	04	00	01	02	02	00	05	02	**23**
5.	इन्द्रवज्रा	01	02	00	02	01	01	01	00	00	02	01	**11**
6.	अनुष्टुप्	01	03	04	05	04	04	13	05	08	02	03	**52**
7.	शालिनी	00	02	00	00	00	02	00	00	00	00	00	**04**
8.	पुष्पिताग्रा	00	01	00	00	00	00	00	01	01	00	00	**03**
9.	शिखरिणी	00	02	01	02	01	00	01	00	01	00	01	**09**
10.	उपेन्द्रवज्रा	00	00	03	02	03	01	01	00	02	04	02	**18**
11.	भुजङ्गप्रयात	00	00	01	00	00	00	00	00	00	00	00	**01**
12.	वंशस्थ	00	00	00	02	01	02	01	00	01	01	00	**08**
13.	आर्या	00	00	00	00	01	00	02	01	00	00	00	**04**
14.	उपजाति	00	00	00	00	01	00	04	00	01	00	02	**08**
15.	रुचिरा	00	00	00	00	03	00	00	00	00	00	00	**03**
16.	वसन्ततिलका	00	00	00	00	00	02	01	00	01	00	00	**04**
17.	औपछन्दसिक	00	00	00	00	00	00	03	02	01	00	01	**07**
18.	मालिनी	00	00	00	00	00	00	00	00	01	01	00	**02**
19.	वियोगिनी	00	00	00	00	00	00	00	00	03	00	00	**03**
20.	अन्य	00	00	01	00	00	00	00	00	00	00	02	**03**
	योग	**09**	**16**	**13**	**19**	**16**	**14**	**33**	**12**	**22**	**21**	**20**	**195**

अयोध्याकाण्ड

क्र.	सर्ग / छन्द	प्रथम	द्वितीय	तृतीय	चतुर्थ	पंचम	षष्ठम	सप्तम	अष्टम	नवम	योग
1.	स्रग्धरा	01	00	00	00	01	00	00	00	00	**02**
2.	शार्दूलविक्रीडित	02	01	03	04	01	03	02	00	01	**17**
3.	द्रुतविलम्बित	01	00	00	03	00	00	00	00	03	**07**
4.	वंशस्थ	01	01	00	01	00	00	01	01	00	**05**
5.	उपजाति	02	00	00	00	00	00	00	00	00	**02**
6.	रुचिरा	02	00	00	00	00	02	00	00	00	**04**
7.	मालिनी	01	00	00	02	00	02	00	01	00	**06**
8.	मन्दाक्रान्ता	00	02	00	00	00	00	01	02	00	**05**
9.	इन्द्रवज्रा	00	01	00	03	00	00	00	01	02	**07**
10.	भुजङ्गप्रयात	00	02	00	00	00	00	00	00	00	**02**
11.	अनुष्टुप्	00	02	01	01	00	00	00	01	00	**05**
12.	उपेन्द्रवज्रा	00	01	01	00	00	00	00	00	00	**02**
13.	आर्या	00	00	01	00	00	00	01	00	00	**02**
14.	पृथ्वी	00	00	00	01	00	00	00	00	00	**01**
15.	शिखरिणी	01	00	00	03	00	00	00	01	01	**06**
16.	प्रमाणिका	00	00	00	00	01	00	00	00	00	**01**
17.	शालिनी	00	00	00	00	00	02	00	00	02	**04**
18.	इन्द्रवंशा	00	00	00	00	00	01	00	00	00	**01**
19.	दोधक	00	00	00	00	00	00	00	01	00	**01**
20.	वसन्ततिलका	00	00	00	00	00	00	00	02	00	**02**
	योग	**11**	**10**	**06**	**18**	**03**	**10**	**05**	**10**	**09**	**82**

अरण्यकाण्ड

क्र.	सर्ग / छन्द	प्रथम	योग
1.	स्रग्धरा	01	01
2.	शार्दूलविक्रीडित	01	01
3.	द्रुतविलम्बित	01	01
4.	वंशस्थ	02	02
5.	उपजाति	01	01
6.	मन्दाक्रान्ता	01	01
7.	इन्द्रवज्रा	02	02
8.	अनुष्टुप्	05	05
9.	शिखरिणी	01	01
10.	शालिनी	01	01
11.	पुष्पिताग्रा	01	01
12.	वियोगिनी	01	01
	योग	**18**	**18**

किष्किन्धाकाण्ड

क्र.	सर्ग छन्द	प्रथम	योग
1.	शिखरिणी	02	**02**
2.	शार्दूलविक्रीडित	01	**01**
3.	द्रुतविलम्बित	01	**01**
4.	उपेन्द्रवज्रा	01	**01**
5.	उपजाति	01	**01**
6.	शालिनी	01	**01**
	योग	**07**	**07**

सुन्दरकाण्ड

क्र.	सर्ग छन्द	प्रथम	द्वितीय	योग
1.	स्रग्धरा	02	00	**02**
2.	आर्या	02	00	**02**
3.	द्रुतविलम्बित	01	00	**01**
4.	वंशस्थ	01	01	**02**
5.	अनुष्टुप्	02	02	**04**
6.	इन्द्रवज्रा	00	01	**01**
7.	शालिनी	00	01	**01**
8.	मन्दाक्रान्ता	00	01	**01**
9.	उपेन्द्रवज्रा	00	02	**02**
10.	दोधक	00	01	**01**
	योग	**08**	**09**	**17**

युद्धकाण्ड

क्र.	सर्ग छन्द	प्रथम	द्वितीय	योग
1.	स्रग्धरा	03	01	**04**
2.	रथोद्धता	01	00	**01**
3.	इन्द्रवज्रा	01	00	**01**
4.	शार्दूलविक्रीडित	01	02	**03**
5.	उपजाति	01	01	**02**
6.	अनुष्टुप्	01	00	**01**
7.	पृथ्वी	01	00	**01**
8.	वंशस्थ	01	00	**01**
9.	भुजङ्गप्रयात	00	01	**01**
10.	वियोगिनी	00	01	**01**
	योग	**10**	**06**	**16**

उत्तरकाण्ड

क्र.	सर्ग छन्द	प्रथम	द्वितीय	योग
1.	वसन्ततिलका	01	00	**01**
2.	स्रग्धरा	02	01	**03**
3.	पुष्पिताग्रा	01	00	**01**
4.	उपेन्द्रवज्रा	01	00	**01**
5.	मालिनी	01	00	**01**
6.	इन्द्रवज्रा	01	00	**01**
7.	शार्दूलविक्रीडित	00	02	**02**
8.	शिखरिणी	00	02	**02**
9.	द्रुतविलम्बित्	00	01	**01**
	योग	**07**	**06**	**13**

काण्ड के अनुसार गीतरामायणम् महाकाव्य में प्रयुक्त छन्दों का विश्लेषण

क्र.	काण्ड छन्द	बालकाण्ड	अयोध्याकाण्ड	अरण्यकाण्ड	किष्किन्धाकाण्ड	सुन्दरकाण्ड	युद्धकाण्ड	उत्तरकाण्ड	योग
1.	स्रग्धरा	07	02	01	00	02	04	03	19
2.	द्रुतविलम्बित	18	07	01	01	01	00	01	29
3.	मन्दाक्रान्ता	07	05	01	00	01	00	00	14
4.	शार्दूलविक्रीडित	23	17	01	01	00	03	02	47
5.	इन्द्रवज्रा	11	07	02	00	01	01	01	23
6.	अनुष्टुप्	52	05	05	00	04	01	00	67
7.	शालिनी	04	04	01	01	01	00	00	11
8.	पुष्पिताग्रा	03	00	01	00	00	00	01	05
9.	शिखरिणी	09	06	01	02	00	00	02	20
10.	उपेन्द्रवज्रा	18	02	00	01	02	00	01	24
11.	भुजङ्गप्रयात	01	02	00	00	00	01	00	04
12.	वंशस्थ	08	05	02	00	02	01	00	18
13.	आर्या	04	02	00	00	02	00	00	08
14.	उपजाति	08	02	01	01	00	02	00	14
15.	रुचिरा	03	04	00	00	00	00	00	07
16.	वसन्ततिलका	04	02	00	00	00	00	01	07
17.	औपछन्दसिक	07	00	00	00	00	00	00	07
18.	मालिनी	02	06	00	00	00	00	01	09
19.	वियोगिनी	03	00	01	00	00	01	00	05
20.	पृथ्वी	00	01	00	00	00	01	00	02
21.	प्रमाणिका	00	01	00	00	00	00	00	01
22.	इन्द्रवंशा	00	01	00	00	00	00	00	01
23.	दोधक	00	01	00	00	01	00	00	02
24.	रयोद्धता	00	00	00	00	00	01	00	01
25.	अन्य	03	00	00	00	00	00	00	03
	योग	195	82	18	07	17	16	13	348

संदर्भ स्रोत

1. 'छन्दः पादौ तु वेदस्य' पाणिनीय शिक्षा
2. गीतरामायणम्, बालकाण्ड, सप्तम् सर्ग, सन्दर्भ श्लोक 1 पृ. 201
3. गीतरामायणम्, बालकाण्ड, सप्तम् सर्ग, गीत -17/1, 2
4. गीतरामायणम्, बालकाण्ड, सप्तम् सर्ग, गीत -17/1, 2
5. गीतरामायणम्, उत्तरकाण्ड, द्वितीय सर्ग, विश्राम श्लोक पृ. 846
6. गीतरामायणम्, उत्तरकाण्ड, द्वितीय सर्ग, मङ्गलाचरणम् पृ. 816

SHODH CHETNA – YEAR-7, VOL. 3 (JULY TO SEP., 2021) ISSN : 2350-0441
A Peer-Reviewed
International Referred &
Multifocal Research Journal
IMPACT-FACTOR 5.299
Paper Recieved : 22th Aug 21
Paper Accepted : 30th Aug 21

Has India forgotten the philosophy of Gandhi?

❐ Dr. Harish Kumar Sharma*

ABSTRACT

This Article aims to convey Gandhi's philosophy in as basic manner as possible, it matches the gateway for Gandhi's philosophy. Obviously, this is a subjective view, but I believe it has some merits. What exactly is Gandhian philosophy? It is the religious and social ideals that Gandhi accepted and developed, first in South Africa from 1893 to 1914, and then in India by most notably Vinoba Bhave and Jayaprakash Narayan who preached and follow on these concepts. Philosophy, which considers the cosmos to be an organic whole, exists on various levels: spiritual or religious, moral, political, economic, social, individual, and communal. God is at the heart of the spiritual or religious aspect. Gandhian Philosophy was above all.

This article illustrates the effect of Gandhian ideas in Indian society and, as a result, depicts the two fundamental perspectives of society, which are the cultural and legal perspective.This article also provides us an excellent insight about what we have given to Gandhi – a Mahatma title, an image of his minted-on-paper, a heated debate on the notion of what he has done to us or our society. In simple words "NOTHING" …what if Gandhi was alive today? The storm of lies, propaganda and intolerance have blown out the torch of trust, pious wisdom and non-violence. For the past 75 years, we've shared hatred! Towards everything; human, animal, nature etc. It is very difficult to walk on the path of Mahatma Gandhi, but it's not impossible. We should be respectful to Gandhi to give us his philosophy, his concept of simple living and high thinking, which is becoming a myth nowadays and wealth is believed to be an indispensable criterion of our culture and higher value of society.

* Associate Professor, Dept. of Law, D.S. College, Aligarh.

India… the dreamland of "Bapu" or Mahatma Gandhi, this country has several roads in the name of him and a real instance, no one follows theactual Marg of Gandhi. He's known as the father of the nation but throughout his life, he evoked mixed feelings. He was viewed alternatively as a fanatic and eccentric, reactional, revolutionary or as the man who should be killed. He was a great soul not because he was Mahatma but because he fulfilled his duty towards his motherland, he fulfilled his duty by enriching the fabric of social harmony, by propounding the philosophy of "Satyagraha" and "Sarvodaya"and also attaining victory over British raj with two common weapons, which are easy to pronounce but hard to follow… "Truth" and "Non-violence".Back in history in 1900, Europeans pretty much dominating the world, even though there had been relative peace in Europe since 1871, Europeans, using new weapons, which had unleashed an incredible amount of violence everywhere else on the planet. They had colonised most of Africa, Asia and the pacific. Americans had also expanded across the continental United State and were making eyes at the Caribbean and Asia. This conquest and colonisation, which was consistently violent, and due to which some people or rather a philosopher began to question the very idea of violence itself. And for such instance, Leo Tolstoy and Mahatma Gandhi are the two great souls who propagate and preached about Non-violence. According to Leo Tolstoy in his book "The Kingdom of God" in which he quoted Jesus Christ "Turn the other cheek" should be the fundamental basis for the life of Non-violence2. He argued that government and individuals indeed should give up violence, he also saw that non-violence is the surest weapon to end colonisation which was later proven by Mahatma Gandhi. Many people consider him as a politician, many consider him as a Saint of Sabarmati but some believed that he was a philosopher and his ideas were influenced by the then great western philosopher namely John Ruskin, Henry David and many more but the source of inspiration was always remaining the same "Gita". Gandhi was an iconic example of leadership but most importantly he was well known for his "Patience". In true sense, it was this patience which led Indian to overcome this British rule, it was this patience which led this freedom protest and gives new birth to India. According to him

"If patience is worth anything, it must endure to the end of time. And a living faith will last in the midst of the blackest storm".

Contrary to that, in India what prevails today is horrifying, the impulse that has been instilled in the minds of all of us, due to which we have started tolerating work for someone, and this impulse is making all of us offender day by day, the offender is not firing, the offender is also the one who stands with the offender. In this India only, on 30th January 1948, the craze or fad of people killed Gandhi. In India, the concept of Bapu is still prevalent, but only on currency notes. Yet, not even books and people speak his ideals, the day when Bapu's pyre was lit, our spirits for social welfare, cultural harmony and brotherhoodwere wanned.But as it is said the hardness of the human heart makes no sense, so with this quote we'll move forward. India, the country with billions of people and their heart beeps in one sound INDIA…INDIA…INDIA, on 14th August 1947 Jawaharlal Nehru addresses the constituent assembly. It was considered the greatest speech of the 20th century and landmark oration that captures the essence of the triumphant culmination of the Indian Independence struggle. The vision for India was outlined, the future of India was desired by a great individual of this country. With his few minute speeches India gets its direction for its future path and what do we need to do as an Individual. Pandit Nehru remembered all those freedom fighters whose blood are dissolved in the mud of India and that's how we shape our country. He also said that the

courage which we have today is inspired by the past. In his speech, he mentioned that getting Independence is not the time for rest but more work. To make this country an ideal form of country. He also addresses the people of this great nation that we have to work hard and make our country on the zenith ladder. He also defined and endured Indian that we have to make our country proud. By the speech Jawaharlal Nehru, he wants to motivate the masses. Nehru wished to dissipate any type of disarray and vulnerability through his words. But what about Gandhi's aspiration, he was having some goals for India, which is currently also reflected in our DPSP (Directive principle of state policy) or majorly we can say he wants the welfare state. According to Gandhi "I would like to see India free and strong so that she may offer herself a willing and pure sacrifice for the betterment of the world. India's freedom must revolutionize the world's outlook upon peace and war. Her importance affects the whole of mankind"3. Every country has its own sets of ethics which they follow to govern their territory, but for judging the progress of society in that country you have to deal with majorly two perspectives for the state: - what are the social culture of that society? And what is the prevalence of law in that society?

A. Socio-Cultural Perspective

Gandhi social perspective was limited to the very basic thing which was simple living and high thinking. He wants a society that should be socially beneficial for all and that's how the concept of 'Sarvodaya' evolved.

Gandhi's primary concern was to build a non-violent, peaceful and progressive society with the humanistic idea. An annoyed society is impossible so long as the wide gulf between the rich and the hungry millions persist, so he wanted to establish egalitarian ideals in a society that has basic economic, social and political equity as ingredients and supported by fundamental equality among all citizens of India. The concept of Sarvodaya is one of the ancient concepts for humanity. The ancient people live their life peacefully and used to share the yields of their labour among the members of their community. It was a period far from all mess that exists today in this nasty materialistic world. What can be interpreted from the concept of Gandhi's ideal is that the philosophy of Sarvodaya is based on the concept of great Indian values particularly the supreme value of "Sarve bhavantu Sukhinah" which means that peace should persist everywhere. Before Gandhi used the concept of Sarvodaya, it already existed. The term Sarvodaya was used by one of Jain's teachers, Acharaya Samantabhadra. He appeals to God in Sanskrit : Sarvodayaantakaramnirantam Sarvodayamtirthamidamtavaiva, which is translated as: "Your path is the only one that can end all troubles, which is for all times and which can lead to the uplift of all"4. Mahatma Gandhi's immediate source for Sarvodaya is borrowed from the book of John Ruskin "Unto this last". John Ruskin was a political theorist, a social reformer who belongs to London, at first glance he'd seem a deeply improbable person to call a political theorist. John Ruskin one of the most ambitious and impassionate English social reformers of the 19th century seemed to care about one thing 'BEAUTY' which doesn't exist in the contemporary world. According to Gandhi, there're broadly two components of Sarvodaya firstly, Bread labour which promotes and aims to realize the dignity of labour and secondly, Trusteeship Theory this is a strong alternative proposed by Gandhi to the idea of class struggle and violent revolution. Gandhi advocated; change can only persist with the change in human thinking.

Sarvodaya is a Sanskrit word, if we bifurcate the terminology it would split into two terms 'Sarv' means Universal and 'Uday' means raise, which collectively means "The Welfare of All". It works

on the bottoms-up approach by two methodologies (i) Peaceful means and another (ii) Co-operative mean it also provides an opportunity for the all-round development of individual and the society. The concept of Sarvodaya was first adopted by Mahatma Gandhi and after Gandhi, it was subsequently adopted by Acharaya Vinobha Bhave. He developed it taking into consideration of Indian social system and conditions. To implement the high ideals of Sarvodaya, Vinobha Bhave established Sarvodaya Samaj. He spread the concept of Sarvodaya by a movement popularly known as the 'Bhudan Movement'. The concept of Sarvodaya and Communism shares a similar ideology regarding equality for all but there were a slight difference regards to both concepts. According to the concept of communism given by Karl Marx, he was concerned with one question: What does it mean to be free? Starting from this question, Marx developed an entire theory for communism and in doing so, he laid the foundation for the paradigm of Conflict theory in sociology which deals with the question of power, inequality and how these things lead to societal change5. And in regards to Sarvodaya, it talks about the principle known as the social welfare of all, but what makes the difference between the two concepts is that in communism they don't have patience and in Sarvodaya, the two main weapons make it a more humanistic concept, which is 'Truth' (Satya) because according to Gandhi there is no other god then truth and Non-violence (Ahimsa) which is the test for your patience.

Indian society was completely under the grip of deep-rooted social evils it had degenerated itself socially, politically, economically and educationally. Gandhi wanted to find an immediate solution to all these problems at this juncture he advocated his philosophy of Sarvodaya to mitigate the sufferings of humanity. He broadly preached regarding the three ideals of Sarvodaya to develop India: (i) Economic Aspect, (ii) Political Aspect and (iii) Social Aspect.

(1) ECONOMIC ASPECT

(a) The most important economic wealth of the nation is the "human being" Gandhi also saw the dangers of centralization. To allow centralization of industries and agriculture was to permit exploitation of others and unemployment at home." He advocated 'production by masses', as against 'mass-production through decentralization of industries. What he desired was a shift in values away from monetary and material riches and toward religious and human values6.

(b) Everyone should be allowed to contribute to national production. It aims at equitable distribution of all. In his autobiography "The story of my experiment with truth", Mahatma Gandhi focuses on how Swadeshi Movement leads to the growth of the nation, he called it the economics of non-violence7.

(c) Abolishment of private ownership and the application of the principle of non-possession to public institute. This sort of principle is contradictory to what we saw in today's India. Gandhi used to advocate village self-sufficiency in his book Hind-Swaraj he attacked western civilization and praised the ancient Indian village-system8. According to him, industries should be decentralized and land should be redistributed equally. Acharya Vinobha Bhave followed the footprints of Mahatma Gandhi and which leads to the famous Bhudan Movement.

(2) POLITICAL ASPECT

India

world's largest democracy, this particular line is very much often we saw on the internet, heard on the news channel and taught in our classroom. but did the concept of democracy in India is followed in a real sense? If we critically analyse the term 'Indian democracy', we came across many views… is the democratic values in India are for

name's sake? Or is it beyond that? Sadly, the majority of the people in India doesn't even know what are their basic rights, they don't even know how to spell 'democracy'. People in India are not citizens they're robots which are functioned or rather programmed by greedy politicians for their benefits and sometimes for the sake of their political ideology. As India prepares to celebrate the 73rd anniversary of the adoption of its majestic constitution that empowered "We the People" on January 26, every year its democratic credentials have come under less than flattering scrutiny. The 2019 Democracy Index report of the London-based Economist Intelligence Unit (EIU) released on January 22 placed India at 51st spot, making a sharp drop of 10 places from the previous year's ranking9. This is what the reality is if we imagine our country as a being and he or she is standing in front of the mirror there would be a deep scar on the body and he/she would be deeply depressed by our acts. And those scars are given by us and we are the ones who can heal them.

If we critically analyse the political aspect of India in contemporary time, there are two political theories which could exist (i) Theory of Niccolò Machiavelli and (ii) Theory of Mahatma Gandhi. A good politician, in Machiavelli's remarkable view, is not friendly, honest and kind. It is someone, who is occasionally dark and underhand they might be, who knows how to defend, enrich and bring honour to the state, according to him a good politician is not remarked based on morality but based on effectiveness10. Contrary to that Gandhian view on politics is based on Morality. In Sarvodaya philosophy, political power is not an end in itself, but it is only meaning to an end… the end of Human welfare. Further, he advocated his philosophy by giving several principles, some of them are -

- Individual freedom and decentralization.
- Sarvodaya includes a stateless society. And
- About the government "There is nothing terrible than the institution of government".

(3) SOCIAL ASPECT

Gandhi always stood for simplicity of thought and a clear vision of the Sarvodaya Society which beliefs in individual freedom, through Sarvodaya he wanted to rebuild the nation from the bottom upwards approach and establish a new social order based on freedom, justice, equality and fraternity. Even now it can be considered as a solution to the problems of unemployment, unequal distribution of wealth, growing corruption in public life, the lower status of women, mob lynching, religious intolerance etc. According to Gandhi "if people become genuinely non-violent, morally elevated, mutually affectionate and learn some patience then the society can be elevated to a higher plane of culture. Ideals for Society are as follow:

(a) Opposition of Child Marriage.

(b) Promote inter-caste marriage.

(c) Sarvodaya Philosophy for Societal development also include, Human value and goodwill.

(d) Universally free education for all.

(e) Voluntary family Planning.

B. Legal perspective

The relationship of Gandhi and law starts at the very initial phase of his life and goes till the very end unto death. He married Kasturba at the tender age of 13 and his wife came to his house with some set of jewellery because of the rituals that encompass society. When Gandhi was going to England for studying law, he sells his wife ornament to pay his fees. The roots of Gandhi's legal credential lie under the ornament of Kasturba Gandhi. And that's how the journey of law for Bapu begins, he was a very diligent student. After completing his law, he moved to India but his core ideas are not only limited to law but also, he tried to study human nature, which is a very important component of a lawyer.

Have we ever considered why Gandhiji's trial is unanimously regarded as a great historic trial,

outshining all other comparable trials of leaders and patriots? Surely, not only because of the accused's personality, nor because of his extraordinary influence over India's teeming millions, whom he viewed as his own, nor because of the implications for India's political future, there's no question that both of these variables played a role in giving the trial historical significance. The main and most important aspect that made the trial historic was the fundamental question that he raised, namely, the distinction between obedience to the law and obedience to moral obligation. It was this topic that pushed the trial to new heights, as well as the characters that are involved.Though it was made to appear so, the issue posed by Gandhiji in the trial was not an isolated, sporadic issue arising from a violation of Section 124A of the Penal Code11. It was the age-old question of Law vs. Conscience, which piqued the attention of all civilised people in history.It cited the inalienable moral right and obligation to challenge a government whose sole claim to allegiance and obedience was superior physical might.The trial was significant because Gandhiji tried to create without a shadow of a doubt the supremacy of soul force over pure brute force, based on the gospel of self-suffering and the doctrine of wilful but holy removal from all that is foul, base, and unholy in human behaviour, a conclusion that will have an eternal intent and consequence before mankind survives12.

Mahatma Gandhi also believed in free legal aid services, which is currently the part of Indian constitution Article 39A. According to this Article "The State shall secure that the operation of the legal system promotes justice, on a basis of equal opportunity, and shall, in particular, provide free legal aid, by suitable legislation or schemes or in any other way, to ensure that opportunities for securing justice are not denied to any citizen by reason of economic or other disabilities."13 Gandhiji urged his clients to seek an out-of-court settlement with their enemies. He spent a lot of his law career on public service, for which he didn't owe much but out-of-pocket costs, which he often met himself14.When it comes to poor people; he paid them very modest rates or didn't charge them at all. He never kept his payments based on his winning the case when he set them. He wanted nothing more or less than his payments, regardless of whether his client won or lost15. Around the same time, he never issued a notice of demand against a client who failed to pay fees due onthem, threatening legal action if the debt was not quickly liquidated, and steadfastly refused to use the law to secure payment of his fees, because he believed that an honest man would pay when he could, and a dishonest man would not16. Indeed, the Mahatma's every gesture proved his opposition to the philosophy of coercion and his unwavering belief in love as a law of life.

WHAT WE HAVE GIVEN TO GANDHI…

In simple words "NOTHING" …what if Gandhi was alive today?The storm of lies, propaganda and intolerance have blown out the torch of trust, pious wisdom and non-violence. For the past 73 years, we've shared hatred! Towards everything; human, animal, nature etc. It is very difficult to walk on the path of Mahatma Gandhi, but it's not impossible. We should be respectful to Gandhi to give us our philosophy, his concept of simple living and high thinking is becoming a myth nowadays and wealth is believed to be an indispensable criterion of our culture and higher value of society. According to him, actual freedom is the freedom of mind, until we are not free to for ourselves, we are not free. India needs a change in its thinking and this could only happen through education and awareness. According to Gandhi Ji "Literacy is neither the beginning nor the end of education. this is only a means through which man or woman can be educated". Gandhiji Observes "By education I mean an all-round drawing out of the best in child and man body,

mind and spirit. This is only a means through which man and woman can be educated." but nowadays not even books speak his ideals. the flower of knowledge is yet to bloom till now. This simple man has told many stories in his life, but no one in India dares to pursue him and his ideas, and if anyone does, he or she dismisses it as a utopian philosophy or anything else. Gandhi is a resolved individual; his ideas are likely to be utopian, however, they are feasible.

1. Tolstoy, Leo, and Leo Wiener. 1961. The kingdom of God is within you; or, Christianity not as mystical teaching but as a new concept of life. [New York]: Noonday Press
2. Mahatma Gandhi, India of my Dream,(Young India, 17-9-'25), Pg.12, Navajivan Mudranalaya, 1947
3. Rao, Krishna A.V,The Relevance of Gandhiji's Sarvodaya, Education and Vedanta Philosophy in Modern Era (India), 2018.
4. Marx, Karl, 1818-1883. The Essentials of Marx; The Communist Manifesto, by Karl Marx and Frederick Engels; Wage-Labour and Capital; Value, Price and Profit, and Other Selections, by Karl Marx. New York: Vanguard Press, 1926.
5. Rao, Krishna A.V,The Relevance of Gandhiji's Sarvodaya, Education and Vedanta Philosophy in Modern Era (India), 2018.
6. Gandhi, Mahatma, 1869-1948. An Autobiography : The Story of My Experiments with Truth. Boston: Beacon Press, 1993.
7. Gandhi, Mahatma, 1869-1948. Hind Swaraj and Other Writings. Cambridge; New York: Cambridge University Press, 1997.
8. Saira Aslam, India drops 10 ranks to 51st position in Economist Intelligence Unit's Democracy Index, The Hindu, January 22, 2020, 16:19 IST, https://www.thehindu.com/news/national/india-falls-to-51st-position-in-eius-democracy-index/article30624354
9. The school of life, Political Theory Niccolò Machiavelli, https://www.theschoolof-life.com/thebookoflife/the-great-philoso-phers-niccolo-machiavelli/#:~:text=A%20good%20politician%20%E2%80%93%20in%20Machiavelli's,bring%20honour%20to%20the%20state.&text=Niccol%C3%B2%20Machiavelli%20was%20born%20in%20Florence%20in%201469.
10. The Indian Penal Code, 1860, Sec. 124A.
11. Mahatma Gandhi, The Law and the Lawyers, Navjivan Trust,1 January 2011.
12. The Constitution of India, 1950, Art. 39A.
13. Mahatma Gandhi, The law and the Lawyers, Pg.266, Navjivan Trust,1 January 2011.
14. Mahatma Gandhi, The law and the Lawyers, Navjivan Trust,1 January 2011.
15. Polak, Brailsford and Lord Pethick-Lawrence, Mahatma Gandhi, p. 50

SHODH CHETNA – YEAR-7, VOL. 3 (JULY TO SEP., 2021) ISSN : 2350-0441
A Peer-Reviewed
International Referred &
Multifocal Research Journal
IMPACT-FACTOR 5.299
Paper Recieved : 20th Aug 21 Paper Accepted : 30th Aug 21

'अकाल में उत्सव' किसान जीवन का जीता जागता सच

❑ जमुना प्रसाद द्विवेदी*

शोध सारांश

आधुनिक समाज में श्रम के उत्तरोत्तर बढ़ते हुए विभाजन की प्रवृत्ति के परिणाम स्वरूप सन् 2016 में आया उपन्यास 'अकाल में उत्सव' उत्तर आधुनिक दौर में भारतीय किसानों के जीवन की वास्तविक स्थिति का मार्मिक चित्रण करता है। भारत और विश्व में जहाँ एक ओर विकास के चरम सीमा तक पहुँचने की होड़ लगी है वहीं दूसरी तरफ किसानों की स्थिति दिन प्रतिदिन दयनीय होती जा रही है। साहूकारों और जमींदारों का उत्पीड़न किसानों के जीवन में गले का फाँस बन गया। यह उपन्यास 'अकाल में उत्सव' जिसमें सूखा पानी नामक छोटे से गाँव का चित्रण है। यह गाँव जिला मुख्यालय से 40 किमी. दूर है। लेखक ने इस गाँव के विषय में खुद कहा है कि ''जितना विचित्र नाम उतना ही विचित्र गाँव, पहाड़ो से घिरा हुआ गाँव, जहाँ पर जमीन बहुत उपजाऊ नहीं है। एक तरफ पथरीली है उस पर सिंचाई की भी कोई सुविधा नहीं। शायद इसी कारण इस गाँव का नाम सूखा पानी शब्द बना हो।''[1]

कितनी विचित्र बात है 'अकाल में उत्सव' विरोधाभासी शीर्षक जिसमें उपन्यास का नायक राम प्रसाद सूखे से त्रस्त है। खाने के लिए उसके पास अन्न नहीं है। बड़ी मुश्किल से अपने परिवार और रिश्तेदार के सम्मान को जमीन बेचकर बनाया है वहीं दूसरी ओर कलेक्टर श्रीराम परिहार सरकारी पैसे से उस गाँव में उत्सव मना रहा है। उपन्यास की शुरूआत ही कुछ इस ढंग से होती है कि किसान की स्थिति और कृषि जन्य उत्पाद की कीमत औद्योगिक वस्तुओं की कीमत की अपेक्षा बिल्कुल भिन्न है। दोनों के ग्राफ में फर्क है। सरकार किसानों को तो कीमत देना चाहती है किन्तु नौकरशाह बिचौलियों के माध्यम से उनके उत्पाद की कीमत न के बराबर कर देते हैं। फिर किसान की हालत ज्यों की त्यों रह जाती है। किसान सामूहिक फर्मो में मजदूर बन जाता है। कृषि उत्पादों पर सरकार का नियंन्त्रण हो जाता है। कृषि उत्पाद के दोहन का आधार पूँजीपति बन जाते हैं और किसान की पीढ़ी दर पीढ़ी पूँजीपतियों के जाल में उलझकर रह जाती है। पंकज सुबीर अपने इस उपन्यास में एक सूक्त वाक्य कहते हैं जो कृषक जीवन के लिए अक्षरशः सत्य है वे कहते हैं कि ''पिता कहीं नहीं जाता,

वह अपने सबसे बड़े बेटे में समा जाता है, उसे अपने स्थान पर पिता कर देता है। जो बड़ा है वही पिता है। जो पिता है, वही बड़ा है। तो राम प्रसाद भी जब अपनी बहनों के दरवाजों पर सुख में, दुःख में जाकर खड़ा होता था। तो वह राम प्रसाद नहीं होता था। वह पिता होता था, उन बहनों का पिता।''

पंकज सुवीर यह कहते हैं कि बड़ा लड़का सम्पूर्ण परिवार की जिम्मेदारी निभाता है। किसान तो जन्मतः शायद कर्ज का बोझ लेकर आता है। उसी के तले मरना उसकी नियति होती है। इस बात को कौन नहीं जानता तो फिर क्या खास है इस उपन्यास में जो पाठक इसे पढ़ना चाहता है बस यही मुख्य बिन्दु है। औद्योगिक देशों में उन्मुक्त बाजार व्यवस्था के तहत छोटे किसान हाशिए पर जाते-जाते विलुप्त हो गये। इस प्रक्रिया में सरकारी तन्त्र की जो भूमिका है उसे इस उपन्यास में उठाया गया है। इसे लेखक ने एक दिन में नहीं पिरोया है। पहले जिया है, भोगा है, फिर लिखा है। इस उपन्यास को लिखने के दरम्यान न जाने राम प्रसाद जैसे कितने कृषक मर गये होंगे तब लेखक के अन्दर यह कृति पनपी होगी। इस उपन्यास को पढ़ने पर यह पता चलता है कि लेखक ने जल्दीबाजी नहीं कि है एक ठहरी हुई मन्थरगति से लेखक एक-एक क्रियाकलाप का दिग्दर्शन कराया है। हम सभी जानते हैं कि आज भी जो सुविधा सम्पन्न इलाके नहीं है यानि आदिवासी इलाके वहाँ विकास की गति न के बराबर है। ऐसे ही एक गाँव की कहानी है जिसका नाम है 'सूखापानी।' गाँव का नाम अजीबो गरीब है लेकिन उपन्यास को सार्थकता प्रदान करता है। ठीक उसी तरह जैसे 'अकाल में उत्सव।' अगर लेखक इसका नाम सूखापानी रखता तो कोई अंदाजा न लगा सकता कि इसमें क्या है। जबकि अकाल में उत्सव खुद सारी कहानी बयां करता है। ये मेरा दृष्टिकोण है लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता फर्क पड़ता है तो इस बात से कि उपन्यास के पूरे पढ़े जाने पर किन-किन पगडण्डियों से पाठक गुजरता है। हम सभी जानते है कि किसान के जीवन में कर्ज का बोझ विरासत से मिला है और साथ-साथ चलता जा रहा हैं। शादी, मृतभोज, बीमारी सूखा आदि समस्याएँ जो उसे हमेशा दीन बना देती है फिर भी वह आस का दामन नहीं छोड़ता। फसल आने पर भी क्या उसे उचित मूल्य मिलेगा उसे नहीं पता फिर भी आस जिदा रखता है। देश का हर गाँव एक सूखा पानी है। हर किसान रामप्रसाद और कमला है। जिले में कलेक्टर है, अधिकारी हैं, गाँव से शहर तक नेता, अकाल भी है, उससे लड़ने का संकल्प भी है सरकार के पास। संकल्प पूरा करने का दायित्व जिन पर है वह उत्सव मना रहे हैं। इस सच्ची घटना का हूबहू अंकन उपन्यासकार ने इस प्रकार किया है जिस अन्दाज में नेपथ्य का काला परदा उठने के बाद अधेरा व रहस्य छट जाता है उसी प्रकार अधिकारियों की मंशा को इस उपन्यास में उजागर किया गया है। जो बेचैनी पैदा करने वाला है। इस बेचैनी को सिर्फ किसान समझ सकता है। इस उपन्यास का मुख्य पात्र रामप्रसाद को मरने के बाद पागल करार दे दिया जाता है जो हमारी व्यवस्था के विसंगतियों की पोल खोलता है। लेखक खुद मान बैठता है कि यह कहानी बरसों से लिखी जा रही है पढ़ी जा रही है। पात्र बदल दिये जाते है घटनाएँ नहीं। उपन्यास में किसान और उसका परिवार हर एक की नजर में सहज और मालदार लगता है और उसे सब अर्थशास्त्र की दृष्टि से देखते है। सूदखोर, भ्रष्ट अधिकारी, समाजसेवी, कालाकर मार्च में बजट खत्म होने से पहले ही जो उत्सव शुरू करते हैं। वह खुद सरकार द्वारा फैलाये जाल की पोल खोल देता है। इसके घेरे में श्रीराम परिहार से लेकर भगीरथ, मोहनराठी, रमेश चौरसिया, हरी साड़ी वाली सोशलिस्ट एक्टिविस्ट महिला सब आ जाते हैं। जो हर

कदम पर किसानों के माध्यम से गद्देदार कालीन बिछाने का सपना देखते हैं। उसी सपने का परिणाम होता है कि किसान अपनी फसल सस्ते दाम पर बेच देता है क्योंकि वह उनकी मीठी बातां और योजनाओं में फंस जाता है।

यदि वे ऐसा न करे तो शासन प्रशासन उनको गलत तीरके से डराता धमकाता है। पंचवर्षीय योजनाओं में कृषि क्षेत्र में जो विफलताएँ हुई उसका परिणाम यह हुआ कि आर्थिक उदारीकरण के रास्ते पर देश आगे बढ़ा। इस राह में कृषि की दैयनीय स्थिति सामने आयी। इस आर्थिक परिदृश्य के खतरे को अकाल में उत्सव को दिखाया गया। बिना सब्सीडी के अन्न बेंच जाते है। जब यही अन्न किसान के पास होता है तो उसे सस्ते मूल्य पर शासन खरीद लेता है जो समर्थन मूल्य शासन द्वारा निर्धारित किया जाता है वह न के बराबर होता है। इस उपन्यास का कथानक चलता है तो कहानी में मोड़ आता है इस मोड़ में मुख्य पेंच नगर उत्सव वित्तीय वर्ष के क्लोज होने से पहले वित्तीय बजट को ठिकाने लगाने में किया जाता है। इस तीन दिनों के उत्सव में खेल कूद सम्बन्धी खर्चो पर्यटन विभाग तथा आगे के दो दिन के कार्यक्रम के संस्कृत विभाग और सम्मेलन द्वारा किया जाता है। तैयारी चल रही होती है और सी.एम. का होम डिस्टिक होने के कारण इसी फन्ड से अधिकांश पार्टियों को कमीशन दिया जाता है। यह कमीशन आउट सोर्स की वजह से होता है। असली फन्ड को बचा कर सस्ते में कार्यक्रम निपटा दिया जाता है। इस भष्टाचार को पंकज सुबीर ने अपने उपन्यास में उजागर किया है, स्थानीय प्रतिभाओं के बजाए बाहरी प्रतिभाओं को मौका दिया जाता है, उसत्व के मूल में भष्टाचार रहता है।

'अकाल में उत्सव' में दो-दो घटनाएँ साथ-साथ चलती है। प्रथम कलेक्टर श्रीराम परिहार का उत्सव जो सत्ता, संस्थान और उस पर बैठे लोगों के चरित्र को उजागर करती है। दूसरी तरह विपन्न राम प्रसाद और उसकी पत्नी कमला और तीन बच्चों के साथ उसका कष्टमय जीवन कैसे व्यतीत होता है। जो दुःखों के बीच आशा की नदी वहा रहा है तमाम प्रतिकूलताओं के बाद भी उनका जीवन चल रहा हैं। पंकज सुबीर लिखते है-''यदि इस घर की छत हटा दिया जाय, फिर इस दृश्य को अंतरिक्ष से देखा जाये, उसकी ध्वनियों को सुना जाय तो अपने समय का सबसे करूण शोक गीत और सबसे मार्मिक दृश्य होगा। थककर, हारकर, टूटकर, सोया हुआ किसान उसके पैरों के तलबों पर पड़े छालों को हू-हू कर दर्द की सिद्धांत महसूस करता तथा उसको कम करने के असफल प्रयास में लगी एक स्त्री उसकी पत्नी''।

उपन्यासकार की यह पंक्ति कथा सम्राट प्रेमचन्द के गोदान के पात्र धनिया की याद दिला देती है धनिया और कमला में ज्यादा फर्क नहीं है दोनों ही मध्यवर्गीय कृषक परिवार की पत्नियां हैं। जो आजादी के 75 साल बाद भी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति में दिन रात संघर्ष कर रही है तथा उसका पति होरी और रामप्रसाद दोनों को आने वाली फसल से बहुत उम्मीद है। वह हर साल यह आस लगाकर बैठते हैं कि इस बार फसल अच्छी होगी और सारी कमियाँ दूर हो जायेंगी, किन्तु उनका यह अरमान दिन में तारे जैसा हो जाता है। फसल होती भी है तो कर्ज के शिकन्जे को छुड़ाने में ही समाप्त हो जाती है क्योंकि किसान के ऊपर कर्ज जन्म से ही होता है पहले किसान की पत्नी के गहने गिरवी हो जाते हैं। उसके बाद जमीन इससे किसान के बेटे शिक्षा नहीं ले पाते वह अशिक्षित रह जाते हैं क्योंकि उनके माता-पिता के पास अच्छी शिक्षा देने के लिए पैसे नहीं रह जाते हैं। 'अकाल में उत्सव' में रामप्रसाद के तीनों बेटे समुचित शिक्षा नहीं ले पा रहे हैं।

उसकी वजह यह है कि रामप्रसाद कृषक है। रामप्रसाद का सगा भाई जिसे वह पढ़ाया है वह शहर में

नौकरी करने लगता है और उसकी कोई मदद नहीं करता है। जैसे ही रामप्रसाद फसल उगाता है उसमें हिस्सा लेने चला आता है। पिता के मृत्यु के बाद उसके मृत्य भोज का कार्यक्रम अपने तीनों बहनां की जिम्मेदारी खुद रामप्रसाद उठाता है जिससे वह आर्थिक रूप से कमजोर हो जाता है क्योंकि उसके छोटे भाई को जिम्मेदारी का एहसास नहीं है। बिजली का बिल भरना, बहन के सास का इलाज करवाने में जब अपनी पत्नी का आखिरी जेबर गिरबी रखता है तो वह बड़ी कारूणिक स्थिति होती है। वह सोचता है सब कुछ बेचकर जीतोड़ मेहनत कर इस बार फसल होगी तो हम उसे लौटा लेंगे। किन्तु परिस्थितियाँ बदलती नहीं है। उसी साल ओले पड़ जाते हैं और फसलें बरबाद हो जाती है। सरकार मुआवजे की घोषणा करती है लेकिन मुआवजा दिलवाने के लिए रिश्वत माँगी जाती है। समस्या यहीं तक समाप्त नहीं होती जीवन की कठिनाई झेलता रामप्रसाद क्रेडिट कार्ड के फर्जीवाड़े के चक्कर में पड़ जाता है। वहाँ उससे हजारों रुपये लूट लिये जाते हैं और कहीं सुनवाई नहीं होती। बैंक मैनेजर के साथ कलेक्टर को भी वह फरियाद सुनाता है। कलेक्टर भी आकंण्ठ भ्रष्टाचार में डूबे हैं। वे सोचते है ऐसे मामले में कार्यवाही करेंगे तो हमारे उत्सव में रोक लग जायेगी। पटवारी नोटिस काट देता है। रामप्रसाद की जमीन कुर्क कर ली जाती है। 30 हजार के कर्ज और जमीन बेदखली के कारण रामप्रसाद असीम संकट में पड़ जाता है और उम्मीद छोड़कर निराशा के गर्त में डूब जाता है। इस प्रकार वह कृषक जीवन की समस्याओं को झेलते हुए आत्महत्या कर बैठता है। जब आत्महत्या के कारण की पड़ताल की जाती है तो सरकारी तंत्र उसको छुपाने में लग जाता है और वास्तविक कमी उजागर नहीं होती। रामप्रसाद के गाँव के दोस्त और नजदीकी भी उसके दुःख में कोई मदद नहीं करते।

इक्कीसवीं सदी के रामप्रसाद की पूरी कहानी आर्थिक तंगी से आत्महत्या तक की कहानी। यह इक्कीसवीं सदी के कृषक जीवन का ज्वलंत दस्तावेज है जो अर्थतंत्र के दौर में लोकतंत्र को आइना दिखाता है। इस उपन्यास में ऐसे सवाल हैं जो भष्टाचार के परिवेश को उजागर करते हैं और किसानों की आवाज बनते है। उत्सव के अंतिम दिन किसान रामप्रसाद की आत्महत्या पूरे गाँव के सामने आयी। किसान के अभाव ग्रस्त जीवन और जीवन में सूखा पन देखने को मिलता है। जिस प्रकार किसान के खेतों में सूखापन है उनके ऊपर जिस प्रकार कर्ज का बोझ है इस पर उसकी फसलों का बर्बाद होना किसानों की स्थिति को दयनीय बना देता है।

रामप्रसाद की हत्या को पागलपन करार देने के लिए उसके भाई को सरकारी नौकरी का लालच दिया जाता है। रामप्रसाद का अंतिम संस्कार करा दिया जाता है। इस प्रकार उत्सव और अकाल मृत्यु दोनों सही तौर पर सम्पन्न करा दिये जाते हैं। खेती और किसान संबंधी विषयों पर लिखने वाले वरिष्ठ पत्रकार पी. साईनाथ अपने लेखों के जरिये भारत देश के गाँव में किसानों के दयनीय दशा और लगातार आत्महत्याओं के घटते ग्राफ की हकीकत के बारे में बताते हैं।

2001 में जिला अपराध रिकार्डस् ब्यूरो ने अनंतपुर में 1997 से 2000 के बीच होने वाली 1061 आत्महत्याओं की वजह बीमारी बताई थी। ज्यादातर मामलों में बीमारी के बारे में पेट के असहनीय दर्द का होना बताया गया था। जबकि ये वो किसान थे जिन्होंने कीटनाशक खाकर खुदकुशी कर ली थी। कीटनाशक को पीने पर मौत से पहले पेट में असहनीय दर्द होता है लेकिन पुलिस ने किसानों की आत्महत्या के इन मामलों को ही बदल दिया। उनके दर्ज किए गए आंकड़ों के मुताबिक ये किसान पेट में असहनीय दर्द की वजह से मरें।

एक अन्यलेख जिसमें किसानों की दुर्दशा का चित्रण किया गया है—''राज्य स्तर पर एक दूसरी तरह की गड़बड़ी भी हुई। एनसीआरटी के आंकड़ों वाले पृष्ठ पर दो तरह की कैटेगरी दर्ज है एक तो स्वरोजगार और दूसरी कैटगरी है रोजगार। छत्तीसगढ़ में किसानों की आत्महत्याओं का आंकड़ा शून्य जा रहा लेकिन स्वरोजगार की कैटेगरी में आत्महत्या करने वालों की संख्या तेजी से बढ़ी है।''

'अकाल में उत्सव' के रामप्रसाद की आत्महत्या को नजर अन्दाज किया जाता है जहाँ किसानों की व्यवस्था एवं विसंगतियों का चित्रण है, जहाँ किसान अपनी आत्महत्या करने में मजबूर होते हैं और वही सरकार की कार्यवाही कुछ नहीं होती और जो भी पूँजी खेत में होती है उसे भी जप्त कर लेते हैं।

'अकाल में उत्सव' उपन्यास में प्रशासन की चालाकियों से पर्दा उठाया गया है। रामप्रसाद की आत्महत्या मुख्यमंत्री की बदनामी का कारण न बने इसके लिए जिला प्रशासन रातोरात सब कुछ रफा दफा करके मामले को दबा देता है। खेतों में सर्वे के दौरान सूखा पानी का पटवारी रामप्रसाद की दो एकड़ और तीन डिसमिल जमीन पर मुआवजा तय कराने के लिए रिश्वत के बतौर दो हजार तीन सौ रूपये की माँग करते हुए न देने पर मुआवजे का प्रकरण न बनाने की चेतावनी देता है। यह प्रसंग भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में व्याप्त भष्टाचार की पोल खोल देता है।

पंकज सुबीर ने उपन्यास को एक पड़ताल के रूप में लिखा है। जो रामप्रसाद और कमला जैय किसान दंपति की कहानी है। उनके जीवन में आने वाली कठिनाइयों, मुश्किलों का चित्रण पंकज जी ने किया है। पंकज सुबीर का यह उपन्यास दो अलग-अलग कालखण्डों की सामन्तर कहानियाँ कहता है। दो कहानियाँ चलती है जिसमें एक तरफ 'अकाल' तो दूसरी तरफ 'उत्सव' है। एक तरफ काले रंग से दबी हुई लहर है वह 'अकाल' है तो दूसरे तरफ नाचती प्रेतछाया 'उत्सव' है। पंकज जी ने किसान को अकाल में परिवर्तित कर दिया है और सरकार को उत्सव में।

व्यंग पर भी पंकज जी ने मजबूत पक्ष रखा है। उपन्यास में दो पक्ष है किसान और प्रशासन। जो किसान का पक्ष है उसमें करूणा का चित्रण किया गया है और जो प्रशासन का है उसमें व्यंग का चित्रण है। व्यंग के रूप में उन्होंने कुछ इस प्रकार बात की है। गॉधीजी के तीन बंदर होते थे, राजनैतिक पार्टियों को चार गुणों वाले बंदर चाहिए। राम तो भगवान थे फिर भी उनको जरूरत पड़ी थी विभीषण की।

इस प्रकार उपन्यास में व्यंग्यत्मकता का चित्रण मुख्य रूप से प्रशासन के लिए किया गया है और किसान की कथा में जब प्रवेश उपन्यासकार करता हैं तो उसकी भाषा का स्वर बदल कर करूण हो जाता है। किसान के जीवन में बढ़ते दुःख उसकी पत्नी के शरीर पर घटते जेबरों का चित्रित भी यह उपन्यास करता है।

किसान की एक बहुत बड़ी समस्या 'प्राकृतिक आपदा' की समस्या है। 'अकाल में उत्सव' उपन्यास में जब गेहूँ की सुनहली बालियाँ दिखाई देने लगती है तो कटने के समय से थोड़े दिन पहले ओलावृष्टि हो जाती है। जिससे रामप्रसाद की फसल बर्बाद हो जाती है। वह कर्ज के बोझ तले दब जाता है और प्रशासन से मदद की गुहार करता है किन्तु उसे कोई मदद नहीं मिलती और अन्त में आत्महत्या कर लेता है। किसान इस आत्महत्या को प्रशासन बड़ी चालाकी के साथ पारिवारिक कारणों में बदल देता है। इस प्रकार के मार को झेलता हुआ अपनी जिंदगी को दिन-प्रतिदिन मृत्यु के दहलीज से निकालकर एक सामान्य जिंदगी जीने का प्रयास करता है किन्तु कर्ज के दलदल में ऐसा फंसता है कि वह अपने जीवन को बचा नहीं पाता। घर

से नर्सिंग होम तक वह बदहाली का शिकार होता है और पैसा न होने की वजह से उसका ठीक-ठाक इलाज भी नहीं हो पाता है। प्राइवेट हॉस्पिटल के भ्रष्टाचार का भी चित्रण पंकज सुबीर इस उपन्यास में करते नजर आते हैं और किसान जीवन में किसान के उत्पादों को तय समर्थन मूल्य के बहाने सरकार पर व्यंग्यात्मक प्रश्न करते है। वे कहते है—''मेरे हाथ में कुछ नहीं है भाई मेरे हाथ में होता तो मैं बिना पैसों के ही सब करवा देता तुम्हारा। मुझे दिख रहा है कि तुम लोग कितने परेशान हो। लेकिन यह तो डॉक्टर साहब के हाथ में है। फिर भी चलों, मैं कहूँगा डॉक्टर साहब से कि दो हजार के अंदर ही तुम्हारा सब काम हो जाए। लेकिन पैसे तैयार रखना, मैं डॉक्टर साहब से कह दूं न, अम्मा जी को अलग से देखने की, नहीं तो बाद में तुम मुकर जाओं कि हमने तो नहीं कही थी। मुझे जेब से देने पड़ेगें डॉक्टर साहब को पैसे फीस के और डांट खानी पड़ेगी वह अलग से। वार्ड ब्याय ने कुछ खरी-पक्की करने के अंदाज में दोनों से कहा अच्छा पत्नी भी कोई फार्मेसी की डिग्री नहीं ली हुई है, जो दवा बेच सके, लेकिन दवाई की दुकान ही कौन उसके नाम पर है, दुकान तो किसी दूसरे के नाम पर है, जिसके पास फार्मेसी की डिग्री है और जो हर महीने आकर दुकान से तय राशि ले जाता है। हैरत की बात है कि खेतों में दिन रात परिश्रम करने वाले किसान के लिए तो न्यूनतम समर्थन मूल्य तय है किन्तु, दवाओं का कहीं कोई न्यूनतम समर्थन मूल्य तय नहीं है।

उपन्यासकार ने मेडिकल के क्षेत्र में कार्पोरेट सेक्टर में कैसे अपना एकाधिकार कर लिया है। यह दर्शाया है। कृषक का जीवन जन्म से मृत्यु तक विपदाओं से भरा होता है। जो आर्थिक रूप से बदहाली का शिकार है। कृषि पर उसका जीवन निर्भर होता है किन्तु जब प्राकृतिक कारणों से उसकी फसल नष्ट हो जाती है तो अधिकारियों से सरकारी मदद मांगने जाता है तो क्या उसके सन्दर्भ में सोचा जाता है। उसे पंकज जी आकाल में उत्सव में बखूबी दिखाते है और भारतीय अधिकारी वर्ग की मंशा पर सवाल उठाते है वे, कहते हैं कि- ''हिन्दुस्तान का किसान बहुत लालची है, इसको जरा लालच दे दो यह कुछ भी करने को तैयार रहता है। कर्ज ले लेगा तो फिर कर्जा माफी के लिए चिल्लाएगा, बिजली का यूज कर लेगा फिर बिजली के बिल माफ करने के लिए रोयेगा। फसल खराब हो गई तो मुआवजे के लिए छाती पीटेगा।''

रामप्रसाद के साथ अधिकारी सौदा करते है बैंकवाले धोखाधड़ी करते हैं, फसले बर्बाद हो जाती हैं वह अपने आपको रोक नहीं पाता है और आत्महत्या कर लेता है। दूसरी तरफ कलेक्टर वेमौसम बारिश से बहुत खुश है कि बरसात के कारण उत्सव में बहुत कम खर्च हुआ। सरकारी पैसा बचेगा तो सब मिल बांट के खायेंगे। फसले बर्बाद हो गई सरकार कोई योजना बनायेगी, फसलों का सर्वे किया जायेगा। इस सर्वे के दौरान अधिकारी पैसे ले लेकर उनका झूठा मुआवजा भरेंगे। रेवेन्यु इंसपेक्टर वहाँ जायेंगे और वहाँ पैसे कमायेंगे और कलेक्टर तक इसका बंटवारा किया जायेगा। ऐसे दुर्धर षड़यन्त्र किसानों के साथ किये जाते है। पंकज जी कहते है कि—''जो रामप्रसाद की आर्थिक स्थिति बदहाल हुई उसमें सूदखोरों पटवारियों आदि का बड़ा योगदान है। साथ में सामाजिक, पारिवारिक परम्पराएँ भी उसकी आर्थिक स्थिति के लिए जिम्मेदार हैं। पंकज जी ऐसी हालत में पड़े किसान पर बड़ा ही स्पष्ट लिखा है— ''फसल जब पकती है तो कई सारे सपने उसके आँख में लहराने लगते हैं लेकिन पता यह चला कि फसल आती और पैसा उगाहने वाले पहले से दरवाजे पर खड़े मिलते हैं। फसलें आती पैसा नहीं आता। मुट्ठी में केवल पसीने की बूंद रहती है।''

रामप्रसाद की आत्महत्या का समाचार मीडिया में आते ही कलेक्टर एक साथ दो फ्रंट पर जुड़ जाता है। रामप्रसाद का मामला तूल न पकड़े और तीन दिवसीय उत्सव सफलतापूर्वक सम्पन्न हो जाय और वह जेबों में नोट भरे और घर जाये। अपने मातहत लगे हर अधिकारियों को उन दो फ्रंटों पर लगा देता है। उत्सव तो हो जाता है लेकिन गाँव का हर किसान रामप्रसाद जैसे कब आत्महत्या कर लेता है, इसका कोई पता नहीं चलता। इसकी आत्महत्या का जिम्मेदार भी यही प्रशासनिक तंत्र है जब मुआवजा की बात आई तो अधिकारी और रामप्रसाद के बीच का संवाद और जो दृश्य दिखाई देता है वह भारतीय नौकरशाही की पोल खोल देता है। पटवारी रामप्रसाद से पैसे देने की बात करता है। रामप्रसाद घिघियाकर कहता है—मेरे पास पैसे नहीं है पटवारी ऊँची आवाज में बात करता है कि तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। पंकज जी कहते है कि—''कहने से कुछ नहीं होता, देने से होता है। पेट-पूजा करनी पड़ती है। रिपोर्ट लिखाने के लिए कुछ लाया है क्या। लाया हो तो दे दो। ग्राम सेवक को दे दूँगा। म्हारे घर में तो भूजी भांग खाने का भी पैसा नी है साब जो था सब खेती में लगाई दिया था। सब सत्यानाश होई गयो अरे मैं तो क्या अपने लिये मांग रहा हूँ। आज एकादशी का व्रत करके क्या तुम लोगों का पैसा खाऊँगा क्या लिखतम पढ़तम के लिए देना ही पड़ेगा अब हमारे पास तो कई नी है साब। पैसा तो भोत दूर की बात है देख भाई पैसे का काम पैसे से होता है बात से नहीं। व्यवस्था हो जाये तो ठीक, नहीं तो व्यवस्था करके आना।''

इस प्रकार के संवाद भारतीय जनतंत्र में प्रशासनिक व्यवस्था का मखौल उड़ाता है। रग-रग में फैले भष्टाचार को पंकज जी ने बड़े ही संजीदनी के साथ उठाया है। उपन्यास पढ़ने के दौरान रामप्रसाद की कारूणिक कथा पाठक में किसान के प्रति एक संवेदनशील भाव व्यक्त कर देती है। इस नौकरशाही की नंगी हकीकत इससे पहले भूल गलती, अंधेरे में, राग-दरवारी, भोलाराम का जीव आदि में चित्रित हो चुकी है। यह कहानी दो दृश्यों को लेकर खड़ी होती है जहाँ एक तरफ भारत की एक सौ तीस करोड़ आबादी का भरण पोषण करने वाले किसानों की स्थिति के सच्चाई का खुलासा यह उपन्यास करता है। पोस्ट मार्टम रिपोर्ट आती है तो किसान की हत्या के कई कारण गिना दिये जाते है किन्तु कारण तो यह है कि रामप्रसाद अपनी मौत नहीं मरा, न वह पागल हुआ। यह भी सच है कि उसे किसी ने मारा भी नहीं। इससे भी बड़ा सच है कि उसे सब ने मारा। इस समाज के मक्कारियों, झूठ पर टिके निजाम ने यह निजाम जो सदियों से चला आ रहा है जहाँ रामप्रसाद जैसे अनेक अपने सपने को छोड़कर मृत्यु का वरण कर लेते हैं। अकाल एक भयावह शब्द है यह अकाल अतिवृष्टि और अनावृष्टि से होते हुए अकाल मृत्यु तक पहुँच जाता है और प्रजातंत्र के नेता प्रजातांत्रिक तरीकों के द्वारा उस अकाल मृत्यु को स्वाभाविक मृत्यु बनाने के लिए अपने प्रशासनिक ढाचों को गिद्ध जैसे चारों तरफ फैला देते हैं। व्यवस्था की इस मकड़जाल में आत्महत्या स्वाभाविक हत्या में बदल जाती है।

अकाल में उत्सव निरन्तर सभ्य हो रहे समाज में मानवीय संवेदनाओं की गिरावट को दर्शाता है। खेत में मौसम और भगवान के भारोसे खड़ी फसलें हवाओं में सवार होकर किसान की किस्मत से दूर चली जाती है। यह सबको चकित और शर्मिंदा करने वाला तथ्य है कि 1936 के परिवेश और 2016 के परिवेश में कोई अन्तर नहीं है। मात्र अन्तर इतना है तस्वीर बदली नहीं लेकिन शोषण के जरिये बदल गये। पराधीन भारत का भी किसान मरता है। सम्पन्न भारत का किसान भी मरता है। किसान को पागल घोषित कर दिया जाता है। सब मान लेते हैं लेकिन किसी को यह पता नहीं कि पागल

कभी आत्महत्या नहीं करता फिर भी संज्ञान शून्य समाज कुछ भी कर सकता है। किसान तक को पता नहीं चलता उसके नाम से कोई क्रेडिट कार्ड बना है। जापान के कृषि विशेषज्ञ मासानोबू फूको का कथन है कि ''खेती का लक्ष्य फसल उगाना नहीं, बल्कि सभ्यता का विकास और मानव जीवन का उत्थान है।'' यह एक आदर्शवादी कथन लगता है जो किसान ये काम करते हैं। उन्हें बदले में व्यवस्था क्या देती है। हमारी सभ्यता का सबसे दागदार चेहरा किसानों की समस्या का अनदेखी करना है जिसका परिणाम यह हुआ कि वे असमय ही वह मौत के मुँह में चले जाते हैं। एक किसान मरता है आत्महत्या करता है। हम उसकी मौत पर गंदी राजनीति करे लगते हैं। विपक्ष उसको मुद्दा बनाता है। सत्ता पक्ष उस मौत को अलग जस्टिफाई कर देता है। रामप्रसाद भी मरा, उसे मरना ही था अन्त में। अनेक रामप्रसाद मरे हैं इस देश में। वह मरता हुआ भी अकेले नहीं दिखाता। उसकी मौत सामूहिक मौत में बदल जाती है। वह धरती पुत्र है जो धरती की बेचैनी समझता है लेकिन उसकी बेचैनी कोई नहीं समझता। हमें मालूम है कि रामप्रसाद की मौत नहीं शहादत हुई।

निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि अकाल में उत्सव इक्कीसवीं सदी में कृषक जीवन की करूण महागाथा को बड़ी ही साफगोई के साथ उसकी पूरी विसंगति और विडंबनाओं को एक साथ सभ्य समाज के मानस पटल पर रखने का सफलतम प्रयास है। इस उपन्यास का अंत भी कुमार विश्वास की पंक्ति के साथ खत्म होती है- ''मगर धरती की बेचैनी को सिर्फ बादल समझता है।'' किन्तु कुमार विश्वास जैसे मशहूर कवि नहीं समझते कि धरती की बेचैनी को किसान समझता है और किसान की बेचैनी को कोई नहीं समझता।

सन्दर्भ सूची

1. अकाल में उत्सव, पृष्ठ 07
2. अकाल में उत्सव, पृष्ठ 12
3. अकाल में उत्सव, पृष्ठ 95
4. 8 अगस्त, 2015 बी.बी.सी. हिन्दी के रिपोर्ट के अनुसार
5. ऑकड़ों का गड़बड़ झाला 14 जुलाई 2018 बी. बी.सी. हिन्दी लेखक पी. साई नाथ
6. अकाल में उत्सव, पृष्ठ 60–61
7. अकाल में उत्सव, पृष्ठ 153
8. अकाल में उत्सव, पृष्ठ 10
9. अकाल में उत्सव, पृष्ठ 203–204
10. अकाल में उत्सव, पृष्ठ 224

SHODH CHETNA – YEAR-7, VOL. 3 (JULY TO SEP., 2021) ISSN : 2350-0441
A Peer-Reviewed
International Referred &
Multifocal Research Journal
IMPACT-FACTOR 5.299
Paper Recieved : 15th Aug 21 Paper Accepted : 30th Aug 21

Land use Land Cover Mapping of Odda River Basin Rewa District-486001 (M.P.) INDIA

❐ KalpanaMishra*

ABSTRACT

The present Paper deals with land use and land cover is an important parameter for various developmental purpose e.g. development of agricultural land settlement etc. in the present study an attempt has been made to generate the land use/land cover map from Landsat-8 satellite data using unsupervised classification. The study is based on primary data, using GIS imagine latest software. The land use/land cover map clearly shows the area under agriculture is higher than other features present. The main objective is to analyze how the land cover of the area has contributed to the groundwater of the region.

Keyword : Land User/Land Cover, Unsupervised classification

INTRODUCTION

In the present day, Land Use and Land Cover mapping is of great significance in scientific, research, planning and management. Regional land use pattern reflects the character of interaction between man and environment and influence to the mankind's basic economic activities. Due to Advancement in satellite sensors, their analysis techniques are making remote sensing systems fruitful, realistic and attractive for use in research and management of natural resources. Land use map is valuable tool for agricultural and natural resources studies, updation of these maps are essential due to strength of natural resources, Remotely sensed satellite images provides a synoptic overview of the terrain or earth in a very short time span.

The leads to quick and truthful representation of the real world in the best possible way. Remote sensing provides land resource data in the digital form & different bands of electromagnetic spectrum. Availability of such type data in different bands makes it very useful & easy way for delineation of land use / land cover classes. Land cover mapping both by visual interpretation and digital analysis is classification system facilitates the planners and researchers to study the spatial difference and distinction between various land are types, formulate temporal satellite data.

* Asst. Professor and Head Department of Mining Engineering, Jawahar Lal Nehru College of Technology, Rewa (M.P.) INDIA, Email: kalpanageology@rediffmail.com

The Odda River is third order stream and tributary of Belan River. The drainage pattern is of dendrite type. The climate is semi-arid to humid type in this region. The average annual rainfall of the area is about 1000mm however in the year 2015; it was recorded as 800mm. The temperature in summer months goes up to 460Cwhile as low as 40C during peak winter months. The relative humidity is about 75% during monsoon season.

Increasingly smaller supply of water resources, around water and sediment beneath the earth's surface, water is essential for life's sustenance and it's security is important component to the economic growth and health development of India it originates as rainfall or snow and they moves through the soil into groundwater system where it eventually makes its way back to surface streamed takes or oceans. Ground water is the only renewable mineral source catering the 60% of irrigation need and more then 85% of domestic need of rural population in our country (Day 2012) Ground water is affected by many factors such as physiochemical characteristics of soil, rainfall, weathering pattern of rocks chemical reaction, sub surface rode of micro-organism. Human and agricultural wastes and industrial fulfillments.

GEOLOGY AND HYDROLOGY

Geologically the study area, is occupied by sandstone and shale or Rewa group belonging to upper Vindhyan Super Group. The groundwater occurs in semi confined to confined conditions (Table.1). Comprises with the North – Eastern to South – Eastern portion of the Rewa and lies between 24033'00" N latitudes and 24052'00"E longitude with total area coverage of 14619.19 sq. km. Study area is bounded by Belan river in the North, which makes the northern boundary of the area and river Son is situated in the south which makes southern boundary of the study area (Fig.1 (a) & (b)). The landscape of the region has undulating topography, this means it is located on a highly denuded Vindhyan upland and is crested by two rivers, the river Naina and Gorma, tributaries of Belan which flows in North – South direction. Both series of Vindhyan range is present here viz. lower and upper Vindhyan. Small Northern portion has plain topography, but major portion has steeep slope, covered with open mixed forest, plain portion covered with agricultural crop and settlement. Southern small part has Rewa plateau and Kaimur range, running parallel to Son river. Scattered bamboo trees are present in whole basin area with open and dense scrub. The basin is comprised of quartzite sandstone, diltstone and shales. The large part of the area is rocky, barren and sandy i.e. unsuitable for agriculture purpose.

The Odda river watershed area is located in the north-eastern part of the Rewa district having its areal extend of about 14619.19 sq. km. The general slope of the area has been found from south-west to north-east direction. The area is a hard rock terrain composed mainly of Precabrian Grantic Complex. The soil cover is enough to hold agriculture but not much to hold groundwater. It is thus the lineaments in the region that mainly controls the groundwater of the area. Though considering the land cover it is the agricultural lands and drainage area that helps water to go down the fractured granitic rocks helping to store groundwater. The drainage pattern of the area is mainly controlled by lineamentnts of various scales.

Hydrogeolically, the area lies in Precambrian sedimentary province (Karanth, 1987). Due to high silica cementation in sandstone, the primary porosity is low, whereas secondary porosity in the from of joints, fractures, beeding planes and weathered pediments makes the area favourable for groundwater explotaion (Bharti, 2009, Tiwari and Singh, 2010) (Fig. 2).

Table-1 : Geology, Rewa District

Age	Group	Series	Lithlogy	Nature & Characteristic
Quaternary	Allivium			Unconsolidated Sand. Gravel & Clay
Neo – Proteozoic (late)		Bhander	Sirbu Shale	Purple & Olive Green in Colour Thinly laminated Sily Shale to Missive With few Stro
			Nagod sandstone	Fine grained hard 7 Compact thinly bedded to Missive With few Stro
			Gunurgarh or simrawal Shale	Soft purple and reddish brown thinly bedded to flaggy, calcareous with thin bands of Calcite and sypsum.
Neo – proteozoic (early)		Rewa	Uppar Rewa Sandstone	Reddish brown hard and missing coarse grained thinly bedded
			Jhiri or Kokah Shale	Soft reddish Splintery with
Meso – Proteozoic (late)		Kaimur	(a) Dandr aul quartzi te (b) Bijing arh Shale	Fine Grained, hard Massi and thickly bedded.

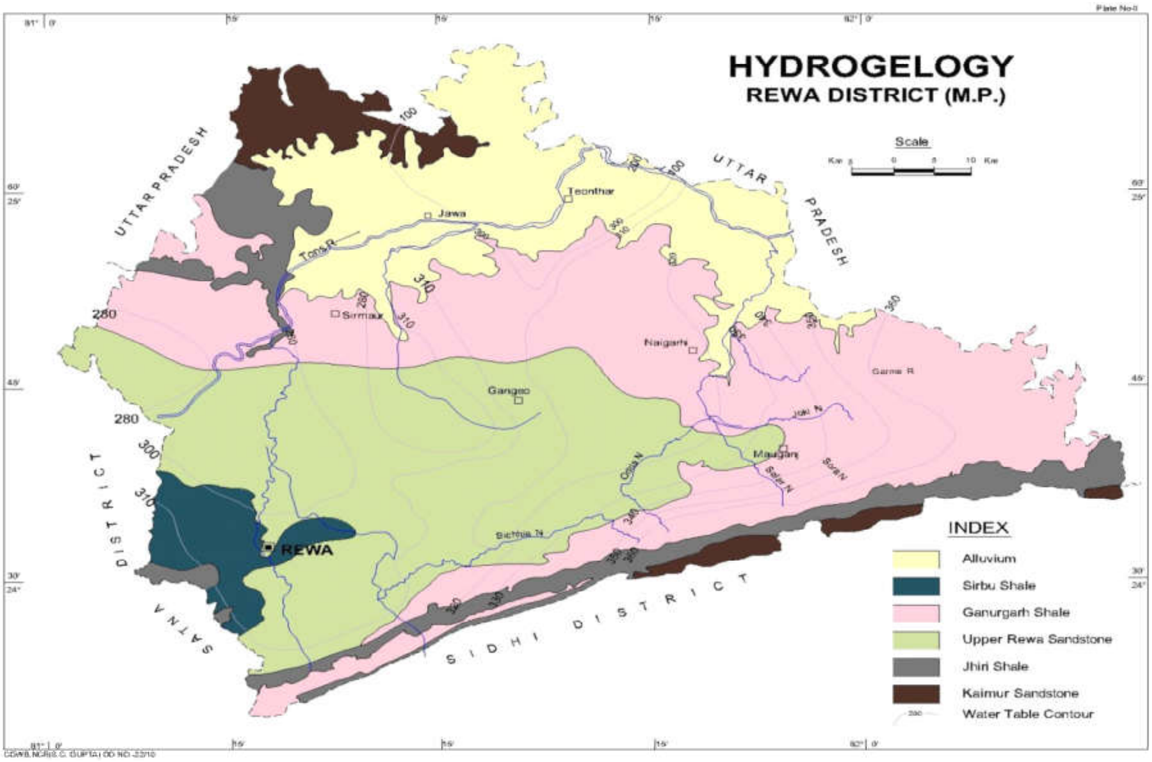

Fig. 2 Hydrogeological Map of the Study Area

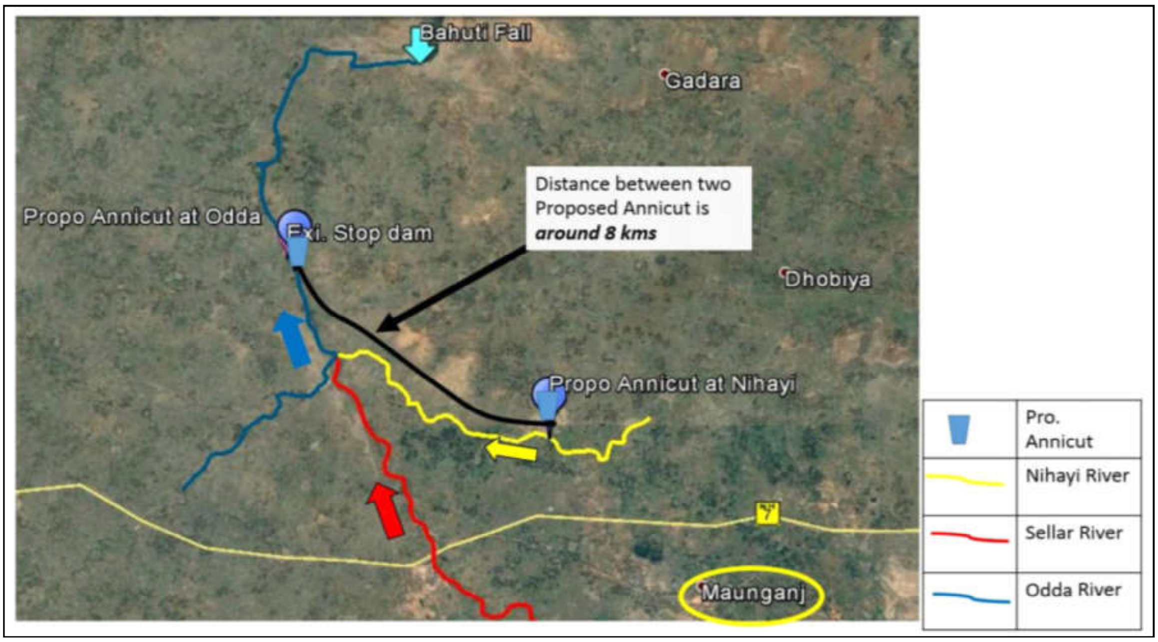

Fig. 3 Odda River Map of study area

Data Used:

1. Toposheet
2. Satellite data.

Aim and Objective:

- Preparation of thematic data such as land use and land cover using Landsat-8 (operational land imager) data.
- Creating a land use and land cover map from satellite imagery using unsupervised classification.
- To analyze the land cover by various categories generated helping the groundwater recharge of the area.

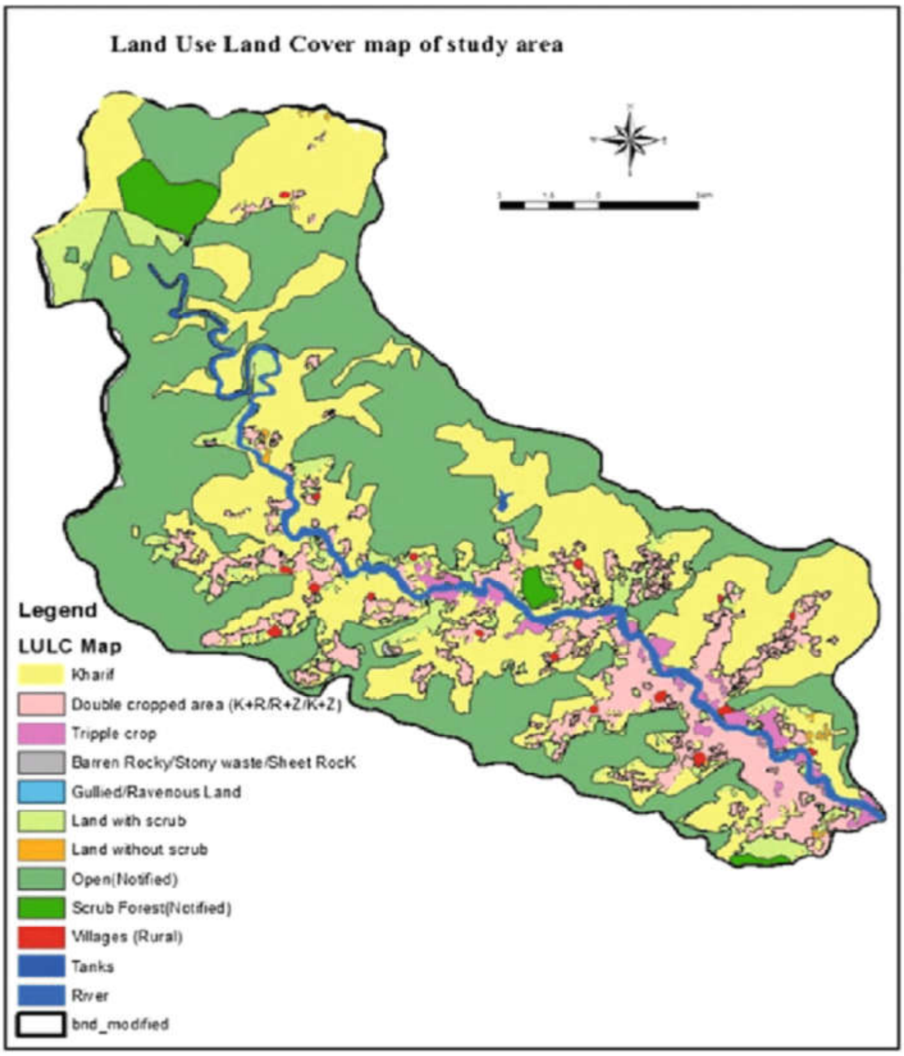

Fig. 4 Land use land cover Map of study area

LAND USE

The land use in the district, as per district statistical handbook 2006-07, A very large part of the district (13.60%) is covered with forests. Only 59% area of the.district is sown(Fig. 4). The maximum sown area i.e. 78% is in Naigarhi block and the minimum in i.e. 44% is in Jawa block. About 70% area in the district is double cropped. The double-cropped area is the same as in the year 2004-05 i.e. 4422.96 Sq. Kms.

A large part of the district is covered with forests (13.60%). Out of the total district area of 6287.45 sq. kms the forest area is 852.89 sq kms.

CLIMATE AND RAINFALL

The climate of Rewa District, M.P, characterized by a hot summer and general dryness except during the south west monsoon season. The year may divide into four seasons. The cold season, December to February is followed by the hot season from March to about the middle or June. The period from [he middle of June to September is the south west monsoon season. October and November form the post monsoon or transition period.

The normal annual rainfall of Rewa District is 1141.5 mm Rewa District received maximum rainfall during south west monsoon period i.e. June to September. About 89.2% annual rainfall received during monsoon season. Only 10.8% of the annual rainfall takes place between October to May period. Thus surplus water for ground water recharge is available only during the south west monsoon period. The normal maximum temperature received during the month of May is 41.30C and minimum during the month or January 7.90C. The normal annual means maximum and minimum temperature of Rewa District is 31.80C & 18.40C respectively,

During the south west monsoon season the relative humidity generally exceeds 83% (August month). In the rest of the year is drier. The driest part of the year is the summer season. when relative humidity generally exceeds 8.3% (August month). In the rest or the year is drier. The driest part or the year is the summer season, when relative humidity's are less 37%. Normal Climatologically parameter for Rewa District (Table 2 & 3).

Table 2

S. No.		Jan.	Far.	Mar.	April	may	Jun.	July	Aag.	Sept.	Oce	Nov.	Des.	Annul
1.	Maximum Temp.	24.4	26.6	32.3	38.3	41.3	38.6	32.5	31.2	31.8	32.4	28.6	24.2	31.8
2.	Maximum Temp	7.9	10.7	15.5	21.4	25.8	26.8	24.5	23.9	23.4	19.6	13.3	8.4	18.4
3.	Relative Humidity (%)	71	62	45	37	38	57	80	83	77	64	61	70	62
4.	Wind Velocity (km / l)	2.0	2.6	3.2	3.9	5.0	6.4	5.3	4.6	3.8	2.5	1.8	1.6	3.6
5.	Rainfall (m.m)	22.4	19.2	14.9	6.3	10.1	156.1	316.1	350.4	193.9	24.1	17.3	8.3	1139.

Table-3

Sr.No.	Land Use/Land Cover Classes	Approx. Area in Hectare	Area in sq. km	% Area
1.	Agriculture	7116.15	71.16	7%
2.	Forest (Open Mixed)	8538.93	85.39	7%
3.	Dense Scrub	9185.09	91.85	7%
4.	Open Scrub	16812.9	168.13	10%
5.	River	5380.18	53.80	5%
6.	Other water body/pond/lake	997.607	9.98	1%
7.	Stony/Rocky waste land	29180.1	291.80	24%
8.	Sandy land/Patches	14898.6	148.99	8%
9.	Settlement	45825.0	458.25	31%

FOREST AREA

The area of forest cover is usually associated with high relief, especially in Vindhyan region, presenting a prominent and distinct texture. They have brighter tone of brown & red colour Forest cover is a open mixed jungle type mainly composed of bamboos, It occupies 92.38 sq. km (6%) of total study areas. There are mainly two forest reserve are present in the study region viz. Dhakra & Salaiya reserve forest. They are will recognize in the North of the study region. Forest land represent areas that have a tree crown or areal density of 10% or >10.

Open Scrub

They are well recognized in the all part in the study region, but maximum are in these are associated with both hills and agricultural land. They have mixed tone of light brown and red & mainly present in North, central, East , and North west region. It occupies 175.22 sq. km. (12%) of total study area. Open scrub have mid dense foliage cover (30-70%). They are associated with grasses, herb and geophytes.

Dense Scrub

In the study area dense scrub is present in everywhere with the open mixed forest. It occupies 96.95 sq. km. (7%) of total study area, present in northern part of the study area (fig. 5).

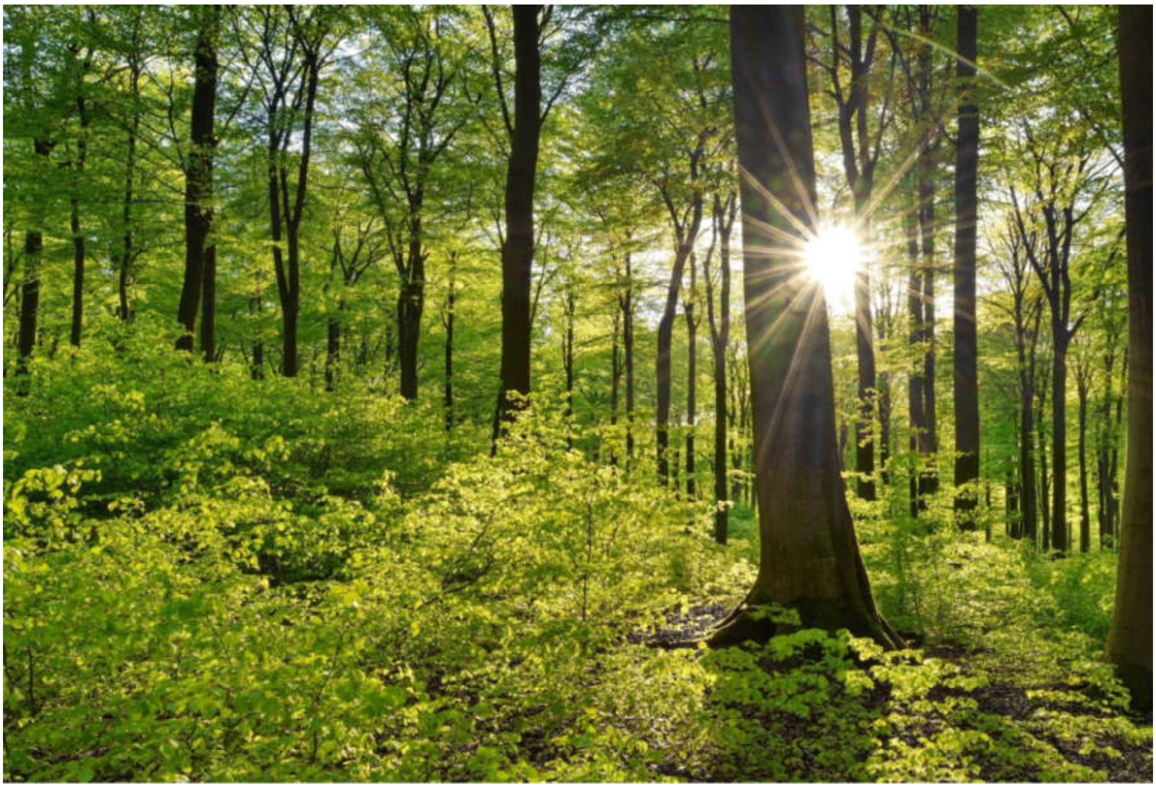

Fig. 5 Dense Scrub Forest Area

AGRICULTURAL AREA / CULTIVATED AREA

The observation with the help of the image interpretation reveals that the area under study is predominantly an agricultural region. In study area maximum areas come under poor cultivation because of whole areas comes in plateau or rocky region. Agricultural area is mainly present in North, central and NW part of the study area. It occupies 82.86 sq. km (6%) of the total study area (Fig. 6).

The cultivated area can be sub-ground as:

Good cultivation

This unit covers a small extent of the study area, These areas are mainly of low plains of the region. The village like Bahricha, Pathariya, & Kadhiyava, etc in the north, Dubgawn, Chaukara and Thuriha in central, & Misira, Bhadawal and Tikudosi in NW part characterized with this type of cultivation. This unit has a bright red tone.

Moderate cultivation

These are marked by the light red tone in the satellite imagery. The villages like Rampur, Hatwa, Sitapur, Nauriha, Amaraha, Belha, etc are partially or completely characterized with this type of cultivation.

Poor cultivation

Crop growing conditions are less favourable in these areas, such areas appeal on imagery by light to very light red tone mixed with yellow and brown patches. The village like Khormani, Balbhadragarh and Bahiyari, Bamangarh etc. is completely characterized with this type of cultivation.

Stony / Rocky waste land

Waste land is described as degraded land, which can be brought under vegetation cover with reasonably effort. This unit have patches are registered more in white color and a little of yellow or brown color on the whole imagery especially in north and middle portion of the imagery. The study area comes under plateau region, so maximum portion of the waste land is categorized under barren rocky waste. It occupies 301.95 sq km (21%) of the total study area.

Sand patches

Fig. 6 Cultivated Area

Land not available for cultivation

This category includes the area under non-agricultural uses i.e. settlements, roads, water bodies (Ponds, canals, river/stream etc.). The total area not available for cultivation is 66.4 sq km (9.46%) of the total land area.

Settlement

They are mainly located in northern, middle, South-western, North western part of the study area. In study area most suitable area for human occupancy are form the flat river valleys and basins of the Belan. The identification of settlement in satellite imagery was based on tone and colour. They have tone of grayish & light bluish colour. It occupies 463.33 sq km (33%) of the total study area.

The large settlement of study area like Gadarpurwa, Katra, Nevrhiya, Simriha, Mahauta, Pathraula, Devipur, Lalganj, Badgawn etc. have been marked on the land use/land cover map with the help of imagery. This unit includes roads & other infrastructure related to human beings.

Fig. 7

ROADS

Roads are recognized due to their linear shape and dark tone but diffculties arise in recognition of these features to separate them with other linear features like canals. However the distinction between road and canals have been made with the facts that the canals have their linkage to tributaries and some pumping station. At some places these features have been mapped with the help of ground checks and information received from Survey of India toposheet, on the denuded hilly ranges where settlements are scattered, unmettled roads are the only mean of human traffic, which is early recognized on the imagery. These tracks are covered under bushes greases during every season.

WATER BODIES

The streams/rivers, canals, ponds etc. is considered under this category. The prominent streams/ river, ponds/lakes/Nala are easily detected on satellite imagery by their black and dark blue tones.

Ponds are mainly found in south and south east portion of the study area. Belan river, alng with their tributaries Naian, Gorma & Odda etc. drain the area. Canals are easily recognized in the South – western & Eastern part of the imagery.

Water bodies related to study area are –

River/Stream and Canal

Rivers are the excellent source of fresh water, plays important role in drinking water for living beings. This unit has occupied 61.80 sq km (4.00%) of total study area.

Other water bodies

Water is the most important factor of life play vital role in crop irrigation and other daily uses of living beings, this unit explains lake, pond etc. it occupies 8.97 sq. km (1%) of the total study area (fig. 7).

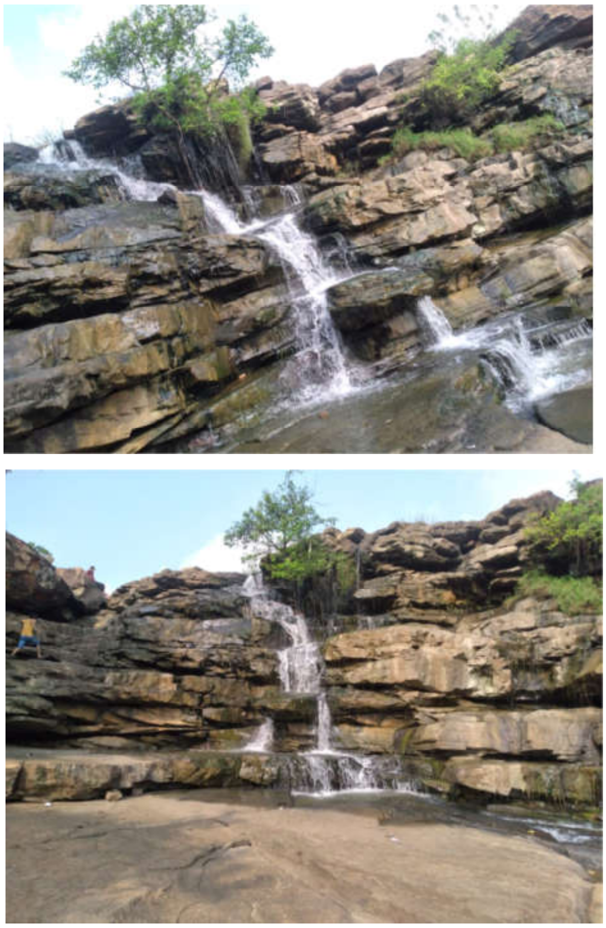

Fig. 7

DRAINAGE

Entire district falls in The Ganga basin. There are two tributaries of Ganga river namely Tons & Son. Kymore Hill range form the water divide between these two rivers. Most of the rivers & nalas of the district are seasonal & forms dendritic pattern (fig. 8)

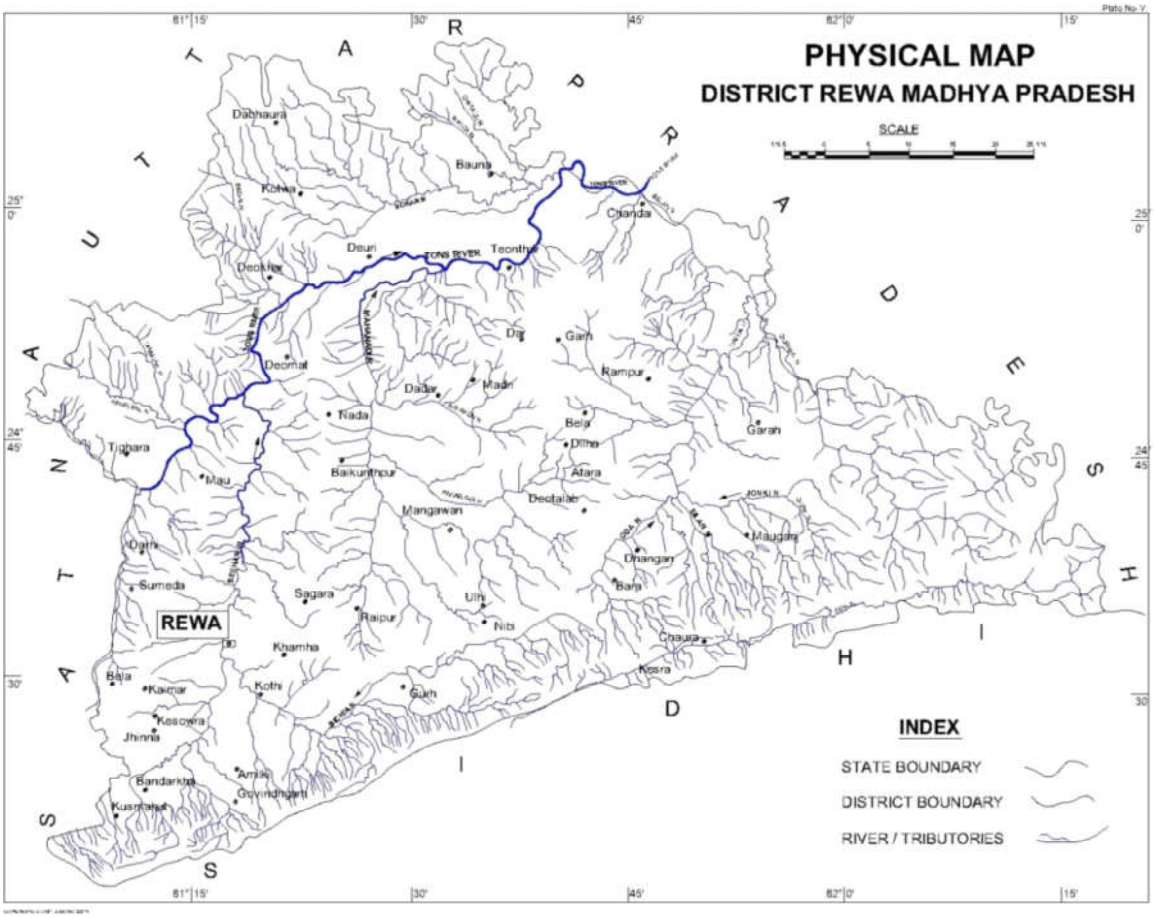

Fig. 8 Phisical Map of district Rewa (M.P.)

Occurrence of Ground Water

Ground water in Rewa district occurs under phreatic and semi confined & confined conditions. The salient features of the data collected during the recconnotary hydrogeological survey in the year 1992 are .given below in the order of their relative importance from ground water development aspect.

Alluvium:- In the alluvium area, mainly extending in Teondhar & Jawa blocks of Rewa district, ground water occurs both under phreatic and semi confined to confined conditions.

Sandstone:-The Rewa block is mainly covered with the Bhander Sandstone. Ground Water occurs under both water table & semi confined to confined conditions. The sandstone below phreatic aquifer zones are cavernous and yield good amount of water from solution channels and cavities encountered in bore wells and dug cum bore wells. Cavernous horizons have been reported at depth of 24 m.bgl at Medhepur (24°32'30": 81°10'00" 63H/2) and at 39 m bgl at Dholagarh (24° 3’ 50": 81°12'45"63H/2). The some of the bore wells drilled in the are recorded artesian condition and a few are free flowing with a free flow of about 100 liters/minutes and show free flow condition only for a short period after monsoon. A spring is also occurring in sandstone

exposed in a nala bed near bus stand of Rewa town. The bore wells sustain pumping for 24 hrs with discharge of about 450 cubic. meters per day. The sandstone area has not been fully explored fully and holds promise for future exploitation.

Gunurgarh Shales:- Gunurgarh shales cover most ,of the areas in Raipur, Sirmour & Gangao blocks. Ground Water 'occurs both under water table and semi confined to confined conditions. The phreatic aquifer comprising mainly weathered shales with joints etc. is characterized by poor yields of ground water and is mainly tapped by dug wells for domestic uses. The bore wells drilled in Gunurgarh shales down to the depth of 60m b.g.l. encountered cavernous horizons, which contain ground water under artesian condition. The solution cavities formed in this formation are along the bands of gypsum and sandstones occurring at the depth. Solution cavities have been reported at depth of 39 m b.g.l. in village Delhi (24°43'40": 81°2(00" 63H/6) and at a depth of 25 m b.g.l. in village Kanuaja (24 23 00 : 81 2345 63H/7). Auto flowing wells are also occurring in this formation in some bore wells with a discharge ranging from 5 to 500 liters per minutes. The discharges of the auto flowing wells decreases after monsoon period and after 2 to 3 months it ceases. Due to the gypsiferous horizon these bore wells are having high suphate in ground water.

Rewa sandstones & shales:- Ground water generally occurring under phreatic conditions in wreathed and jointed horizons of sandstones and shales of Rewa series. In the valley at the base of Kaimur ranges near village Gadhwa (24 3100 : 81 4500 63H/14) and Gaduawan (24°3(50": 81°48'00" 63H/14) the bore wells drilled down to the depth of about 40 m encountered confined condition and auto flowing condition is observed in these wells. A bore well near Naigarhi (24°47"00": 81°36'00" 63H/13).

Ground Water Resources

Rewa district is underlain by Vindhyan Shale, Sandstone and Sandstone and Alluvium. Dynamic ground water resources of the district have been estimated for base year -2008/09 on block-wise basis. There are nine assessment units (block) in the district which fall under non-command. All blocks, of the district are categorized as safe excepts Gangeo block as semi critical. The highest stage of ground water development is computed as 82 % in Gangeo block. The net ground water availability in the district is 46,801 ham and ground water draft for all uses is 24,289 ham, making stage of ground water development 52 % as a whole for district. After making allocation for future domestic and industrial supply for next 25 years, balance available ground water for future irrigation would be 21079 ham.

CONCLUSION

The present study was focused on demarcating boundaries of different land use/land cover units from an analysis of different types of land use/land cover units from satellite imagery.

Today, Land Use and Land Cover mapping has a great significance in scientific research, in planning and in management. Regional land use pattern represent the character of interaction between man and environment and influence the resources based on mankind's basic economic activities. Remotely sensed satellite images provide synoptic coverage & overview of the whole region. It provides coordinate relationship among transportation, residential, industrial and recreational land uses, basides providing broad-scale inventories of natural resources and monitoring environment issues, including land reclamation, and restoration, disaster mangement,

water quality and planning, economic development. Land Use Land Cover maps helps in planning in effective and best possible way, and in utilizaton of its resources besides providing a coprehensive view of the total area Land use/ Land cover has been mapped through satellite imagery and for uses of land has been shown as forest land, land under cultivation (agriculture land) land not suitable for cultivation (barren or rock land) and land not available for cultivation (settlement/urban built up etc). Three types of cultivated land has been mapped, under the agricultural land according to tone and texture and has been categorized as good moderate and poor, which cover about 6% of the total study area. Barren land with bare exposed rocks, Barren rock outcrop with scrub and grass, sand patches and salt affected areas as the land not suitable for agriculture while settlement, road, water bodies etc, comes under the area which is not available for cultivation. There have been marked changes in the land use/land cover under uncultivated areas and built up areas. New developments have been found due to improvement of saline patches and barren land through new agricultural techniques. Deforestation of the areas and rapid rate of urbanization have resulted marked changes in the settlements, roads etc. unsupervised classifications were conducted to define land cover and land use types for the area.

REFERENCES:

1. Karanth, K.R. (1987), Groundwater Assessment Development and Management Tata McGraw Hill publishing company Ltd., New Delhi, 725p.

2. Tiwari, R.N., Bharti, S.L., Mishra, Umesh (2010) Hydrogeochemical Studies of Groundwater from Odda River Basin, Rewa District, Madhya Pradesh. Godwana Geological Magzine Special volume No. 12, 2010 pp. 85-93.

3. Mishra, Kalpana, 2021, Drinking water quality around shiv mandir Deotalab Area, Rewa District, Madhya Pradesh India Shodh Chetna Year 7 volume, 1 & 2 (Jan. to June 2021) ISSN 2350 0441

4. Singh Prafull and Singh Shelendra (2011), Landuse Pattern Analysis Using Remote Sensing: A Case Study of Mau District, India, Journal of Applied Science & Research 3 (5), pp. 10-16

5. Rai Praveen Kumar, Rai Vinay Kumar, Land Use Mapping using Remote Sensing & GIS Techniques in a Part of Son Basin, Sonbhadra District, U.P. Department of Geopgraphy, Banaras Hindu University, Varanasi – 221005

6. Lillisand, T.M. and Kiefer, R.W. (2000): Remote Sensing and Image Interprettion 4th ed. John willey and sons, New York.

7. Singh Sudhir Kumar, Singh Chander K, Mukherjee Saumitra (2010), Impact of land-use and land-cover change on groundwater quality in the Lower Shiwalik hills: a remote sensing and GIS based approach, Cent. EUR. J. Geosci. 2(2), pp.124-131.

8. Indira Gandhi Conservation Monitoring Centre report on "Landuse/Landcover Mapping using remote sensing & GIS Techniques in Balpakram Baghmara Community Conservation Landscape – Meghalaya" Samrakshan Trust, September 2005.

9. E. Boakye, S.N. Odai, K.A. Adjei, F.O. Annor, Landsat Image for Assessment of the Impact of Land Use and Land Cover Changes on the Barekese Catchment in Ghana, European Journal of Scientific Research, Vol. 22 No. 2 (2008) pp 269-278.

10. http//www.nrsc.gov.in

11. Mishra Kalpna, Tripathi, A.K. (2020) Conservation of Water resource of Naigarhi area Rewa District Madhya Pradesh, India Shodh

Chetna June to January, Vol. I and II ISSN No. 23500441 pp. 123-127

12. Mishra, Kalpna et at (2020) Control of water pollution in Tons River Basin Madhya Pradesh India, Shodh Chetna year 6 (Oct to Dec, vol 4 ISSN : 2350-441, pp 137-140)

13. Mishra, Satish Kumar, Tiwari, R.N. (2020) Water Level Fluctuation and Ground Water Management of Mud Wara Area, Katni District Madhya Pradesh, India Shodh Chetna year 6 (Oct to Dec vol 4 ISSN 2350-0441 pp 108-115

14. Basavarajappa H.T., Manjunatha M.C., 2015, Groundwater Quality Analysis in Procambrian Rocks of Chitradurga District, Karnataka India using Geoinformatic Techniques Aquatic Procedia 4 (2015) 1351-1365

15. Dubey D.P. Tiwari P. Mishr U.K. Tiwari R.N. and Mishra R.N. (2016) mineralogical and geochemical characterization of Bukitet late the deposits Karigohi area around birsinghpur District Satna Madhya Pradesh India Recent Advancement in mineral and water resource Edtd Rabindra Nath Tiwari Excellent publisher New Delhi pp 97

16. Murkute Y.A. Deshpande S.S. and Lokhande P. (2018) Assessment of ground water quality and irrigation suitablity. A case study of Shallow aquifer from Pachdhara watershed Wardha District Maharashtra water resources, Irrigation practices and sustainable agriculture edtd, Rabindra NathTiwari Excellent publisher New Delho pp 63-70.

SHODH CHETNA – YEAR-7, VOL. 3 (JULY TO SEP., 2021) **ISSN : 2350-0441**
A Peer-Reviewed International Referred & Multifocal Research Journal
IMPACT-FACTOR 5.299
Paper Recieved : 18th Aug 21 **Paper Accepted : 2nd Sep 21**

ठीकरे की मंगनी में स्त्री अस्मिता के तत्व

❐ **मनोज कुमार द्विवेदी** *

शोध सारांश

नासिरा शर्मा ने अपने इस उपन्यास में स्त्री मुक्ति के विभिन्न संदर्भों को रिश्तों के बीच तलाशने की सार्थक प्रयास किया है। स्त्री विमर्श के दौर में अन्य उपन्यासों से ये उपन्यास भिन्न है। इसकी नायिका महरूख हिन्दी कथा साहित्य में औपन्यासिक नायिका से अलग ही नहीं है बल्कि यथार्थ रूप से अद्वितीय है।

नासिरा जी ने इस उपन्यास के बारे में कहा है कि—''मैंने अपने उपन्यास 'ठीकरे की मंगनी' में एक ऐसे किरदार की रचना की थी जिसमें ऐसी मासूम भोली-भाली लड़की की कहानी है। जो हालात की मार से एक संघर्षरत स्त्री में दलगाँव के स्कूल की प्रिंसिपल बन जाती है। मंगेतर ने अमेरिका जाकर एक विदेशी कन्या के साथ लिविंग रिलेशनशिप के तर्ज पर कई साल गुजारे जब लड़की को पता चलता है तो वह शादी से इंकार कर देती है। यह सोचकर जो आदमी संबंधों की सीढ़ी बना उन्नति करना चाहता है उस तेज दौड़ने वाले घोड़े के साथ क्या मैं निवाह पाऊँगी? वह शहर से गाँव आती है और बाकी जिन्दगी अविवाहित रह वह सत्य को साबित करने में जुट जाती है कि लड़की का एक घर और भी होता है जो उसके पति एवं पिता के घर से अलग उसकी मेहनत और पहचान का होता है।''[1] (औरत लिए और नासिरा शर्मा, पृष्ठ-163)

महरूख की तरह आज समाज में न जाने कितनी लड़कियाँ अपनी जिन्दगी में अकेले संघर्ष करके जी रही हैं। जिससे उनमें लड़ने की ताकत आती है। महरूख जैसी लड़कियों के लिए ही नासिरा जी कहती हैं—''उनके विवाह न करने के अनेक कारण होते जिसमें वे अपने पसंद के साथी के साथ प्रेम भी नहीं कर पाती वो प्रेम भी असफल होता है। माता-पिता का दहेज न दे पाना सबसे बड़ा कारण और उनका भय की वह किसी की गुलामी नहीं करेगी, क्योंकि उस सेवा के बदले उन्हें जलना और मरना पड़ेगा। उनका इस तरह सोचना गलत हो सकता है, मगर उस विडम्बना के बारे में सोचिए कि आखिर उनकी यह सोच किस कारण से वजूद में आई? उसके पीछे कौन-सी घटनाएँ थी। उन्हें ऐसा जीवन चुनने पर मजबूर किया? बेजोड़ शादियों

* शोधार्थी, हिन्दी विभाग, अ.प्र. सिंह वि.वि., रीवा (म.प्र.)

की पीड़ा तलाक का अपमान, छोड़ दिये जाने की व्यथा, जिंदा जला देने की सजा, आखिर अतीत की किस प्रताड़ना से उन्हें ऐसा करने का साहस दिया? ध्यान देने योग्य बात है कि नयी पीढ़ी विवाह विरोधी नहीं है। बल्कि वह विवाह के प्रति जो कर्तव्य होना चाहिए, उसको न निभा सकने की स्थिति एवं अपनी असमर्थता को अच्छी तरह जानते हुए इस जिम्मेदारी का बीड़ा उठाने से झिझकते हैं, आज वही विवाह सफल हो रहे हैं जो आधुनिक जीवन शैली के साथ अपनी सोच को भी आधुनिक बना सके है वरना तलाक, अलग रहना या फिर संबंधों में उदासीनता का आ जाना नजर आता है। उनके जीवन में कहीं हस्तक्षेप है तो कहीं हालात से परेशानियाँ का सो वह चौमुखी लड़ाई के बीच कोई एक युद्ध हार बैठते हैं।''[2] (औरत लिए और नासिरा शर्मा, पृष्ठ 164)

नासिरा जी ने समाज के मानसिक सोच पर प्रहार किया है कि जिस प्रकार एक ओर अकेली अपने पैर पर खड़ी होकर जीवन जीती उस पर भी उसके ऊपर कलंक लगता है। नासिरा जी कहती है ऐसी लड़कियाँ आज सुरक्षित है। जो अपने अकेले के जीवन में संघर्ष एवं तन्हा जी रही है? क्या समाज उनके ऊपर कलंक लगाने से बाज नहीं आता है? वह अकेले घर में नहीं रह सकती उसकी हत्या कर दी जाती है। क्या इसके पीछे साजिश नहीं है। इन जैसी स्त्रियों के लिए कोई नहीं लड़ता क्योंकि वे खुद अकेले जीती हैं बिना परिवार के इसलिए नासिरा जी कहती है—''यह सच है कि हमारा समाज इतना जागरूक नहीं हुआ है वह अकेली औरत को सहजता से ग्रहण कर सके उसके लिए अभी पचास वर्ष का समय और चाहिए। जब विवाहित कामकाजी औरत को लेकर पुरुष समाज की मानसिकता नहीं बदली है। तो फिर कुवाँरी बालाओं के लिए तो यह और भी कठिन डगर है। इस संवेदनशील मुद्दों को लेकर कामकाजी महिलाएँ आहत है परन्तु निराश नहीं। उन्हें इसका पूरा विश्वास हैं कि एक दिन ऐसा आएगा जब उन्हें देखनें और समझने का नजरिया बदलेगा।''[3] (औरत लिए और नासिरा शर्मा, पृष्ठ 164)

इस उपन्यास में प्रतिष्ठित परिवार की कहानी है। जिसमें चार पीढ़ियों से लड़कियों का जन्म हुआ जब महरूख का जन्म होता है तो परिवार में खुशियाँ मनायी जाती है और महरूख अपने परिवार की लाडली बन जाती है। दादा जी तो रोज सुबह-सुबह महरूख का चेहरा देखकर ही विस्तर छोड़ते थे। जैदी खानदान में 22 बच्चे थे जिनकी सिपहसलार महरूख थी। वही महरूख की मंगनी खाला के लड़के रफत से कर दी जाती है। रफत दिल्ली जाता है पढ़ने के लिए तो घर वाले भी महरूख को पढ़ने के लिए दिल्ली भेजते हैं। जो रफत को अच्छा नहीं लगता उसकी मानसिकता महरूख से अलग है फिर भी महरूख उसके अनुसार ढलना सीखती है। वहीं रफत रूस का समर्थक है, वह अपनी पी-एच.डी. की पढ़ाई के लिए अमेरिका जाता है। रफत की मानसिकता रहती है कि जब तक पूँजीवादी व्यवस्था देखकर नहीं आयेंगे तब तक साम्राज्यवादियों की ऐसी-तैसी कैसे करेंगे। जब सब लड़के पिकनिक पर जाते हैं तो रफत के दोस्त वियर की बोतल छिपाकर ले जाते हैं, उस समय महरूख उन सबसे अलग रहने लगती है और यहीं से उसके जीवन में बदलाव आता है।

''वही रवि ने कहा पेड़ के नीचे बैठी महरूख को डांस में शामिल होने के लिए पकड़ने लपका। वह भी झिझकते-शरमाते शामिल हो गयी। नाचते हुए उसे एक अजीव ताजगी का अहसास हुआ जैसे उसकी जोड़-जोड़ की गिरहे खुल रही हो, दिल पर जमा भारीपन का गुब्बार किसी भाप की तरह खुलकर बिखर रहा हो और वह रूई के गोले की तरह हलकी होकर फिजा में उड़

रही हो।''[4] (ठीकरे की मंगनी-नासिरा शर्मा, पृष्ठ 47) वहीं महरूख का लड़के-लड़कियों से मिलना, बातें करना रोज होने लगा।

महरूख का रवि के साथ घूमना, शापिंग करना होने लगा। रवि अक्सर कभी-कभी शाम के समय अपने अंकल के गाड़ी में आता और लम्बा प्रोग्राम बनाता फिर डिनर छोटी-मोटी शापिंग करनी होती। एक दिन रवि ने महरूख के साथ कुछ ऐसा कर दिया किया। महरूख का विश्वास हिल गया। कॉफी पीने के बहाने रवि उसके साथ गलत करने की कोशिश करता है। जिससे महरूख टूट जाती है। रवि के इस रूप को देखकर वह चौक जाती है।

इस घटना के बाद महरूख को बहुत दुःख होता है, सोचती है रवि ने उससे पूँछा भी नहीं रात को उसे नींद भी नहीं आई। कई दिनों तक वह बाहर नहीं निकली, रवि से बात भी नहीं करती थी। वहीं एक दिन रवि से सामना होता है। वह कहता है—''कुछ शब्दों के प्रयोग से हमारा पूरा सामाजिक ढाँचा वेकार ऊपरी दिखावे से भरा एकदम नानसेंस।''[5] (ठीकरे की मंगनी-नासिरा शर्मा, पृष्ठ 49)

महरूख को रवि की बात तीर की तरह चुभी। वह परम्परा, रूढ़िवादिता और प्रगतिशीलता के बीच अन्तर को जानने की कोशिश करती है। नये जमाने में विश्वविद्यालय के वातावरण में औरतों के लिए वही पुराना नजरिया, भोगवादी है। मित्रता क्या देह पर ही घटित होकर प्राप्त की जा सकती है। महरूख आहत होकर सोच रही थी कि कि मैं मिनी बस में हूँ, क्या अनजान मर्दों से चिपक खड़े रहना मुनासिब था? वही रवि के बारे में सोचते-सोचते उसका सिर दर्द करने लगा। उसे हैरत होती है कि विश्वविद्यालय में पुरानी सोच औरतों के लिए रखते हैं, फिर क्यों ये लोग अपने आपको प्रगतिशील मानते हैं। महरूख और रफत की मंगनी 'ठीकरे की मंगनी' थी यह एक टोटका होता है जिससे लड़की जी जाय। जो पैदाइश के फौरन बाद होती है। गंदगी से भरे ठीकरे पर चाँद का चमचमाता रूपया फेंककर कहा कि खालिदा आज से यह मेरी हुई। मोती के लड्डू बटेगा। महरूख की पढ़ाई के लिए उनकी अम्मी कहती हैं—''मैं तो इतना जानती हूँ कि हम तब नहीं डरे लोगों की बोलियों से तो अब क्या खाक डरेंगे? मैं औरत हूँ, खूब अच्छी तरह से जानती हूँ कि इस नए दौर में औरत के लिए मजबूरी क्या होनी चाहिए। जमाने के कहने से क्या हमने लड़कियाँ स्कूल से निकलवा ली थीं? अपने ही दोस्त के घर नजर डालो, नसरीन के मियाँ ने छोड़कर दूसरी कर ली। बीबी चुपचाप मायके आन बैठी उसी जगह सलिहा को देखो पढ़ी-लिखी है, मियाँ को नकेल डालकर घसीटकर रखती है। कहने को दोनों चाचाजाद बहने हैं, खानदान एक माहौल और एक तरह की परवरिश मगर तालीम से समझ तो बढ़ी, अपना हक तो पहचाना। गलत कार्यों की तरफदार मैं तो भी नहीं हूँ मगर लड़की अपना अच्छा-बुरा समझे यह अमल तो तालीम ही दे सकती है।''[6] (ठीकरे की मंगनी-नासिरा शर्मा, पृष्ठ 22)

वही अम्मी ने अपना फैसला सुना दिया जिससे महरूख और रफत में एक दूसरे के बीच भावनात्मक बढ़ने लगी। वही रफत अमेरिका पढ़ने के लिए चाला जाता है। वह दिल्ली अकेले रहने लगी। रफत के खत आते अमेरिका में क्या-क्या है? हर बातें बताने लगे ''खतों को पढ़कर महरूख का यह अहसास जागा था कि रफत भाई आज भी उसी मूड में है कि वह उनके जाने के बाद आनेवाली परेशानियों को मर जूझकर झेल जाएगी, क्योंकि सोना खप कर की कुन्दन बनता है और फिर उसे तो एक पुख्ता और संतुलित औरत में अपने को ढालना है छोटी-छोटी बातें उसे विचलित नहीं कर सकती है। अपना मन महरूख भी हमेशा की तरह

अपने अंदर की पनपती कुण्ठा को छिपाकर अच्छी-अच्छी खबरें उन्हें देती रही।''[7] (ठीकरे की मंगनी-नासिरा शर्मा, पृष्ठ 59)

उसी समय महरूख को पता चलता है कि रफत अमेरिका में किसी के साथ 'लिविंग टुगेदर' जैसी जिन्दगी जी रहे हैं। महरूख ने जो सपने रफत के साथ देखे थे वे सब बिखर गये उसे रफत से ऐसी उम्मीद नहीं थी। रफत ऐसा करेगा, उसे धोखा देगा वह सोचने लगी। ''यह देखो रफत और बैलरी की तरस्वीर उन्हीं के घर के सामने'' उसे भरोसा नहीं होता उसके पैरों तले जमीन निकल गयी। ''अपना यार रफत वहाँ जम गया। इसे कहते हैं लक'' वह सोचती रहती है अपने रफत से सुन्दर नहीं हैबेलरी मगर अमेरिका ब्यूटी तो है।'' आवाज में हदस की झलक साफ थी। सब बोलतें उसका पत्र पढ़ते उसके बारे में बुरा-भला बोलते हैं। जो महरूख को अच्छा न लगता ''मेरी नजरों से कैसा गिरा रहे ये सब रफत बाई के महरूख की गैरत जान गई। तेवर पर बल पड़ गए। उसका खून गर्म होने लगा। दिल चाहा जी भर कर इन सब को लताड़े मगर उसकी जवान पर तो पड़ गए थे। बहुत चाहने पर मुँह से आवाज न निकली। किस हक से वह रफत भाई की वकालत करें? महरूख का दिल भर गया।'' गुस्साना काफूर की तरह उड़ गया उसकी जगह एक वेक्सी घिर आयी।''[8] (ठीकरे की मंगनी-नासिरा शर्मा, पृष्ठ 60)

मोहल्ले की बाते सुनकर वह बिखर गयी रेत की तरह उसमें फूटती, फैलती रोशनी के दायरे से वह हमेशा के लिए आजाद हो गयी थी, वह अपने जिन्दगी में अकेला पन महसूस करने लगी। जिन्दगी में उसके एक अधेरा छा जाने जैसे दिखने लगा। उसे हर रिश्ता झूठा लगने लगा। वह रिश्तों को कागज की नाव की तरह देखती हैं जो समन्दर में डूबते दिखते हैं। अमेरिका से रफत अपनी डिगरी लेकर आ गये चर अपने मैडम को वही छोड़कर आ गये महरूख उनसे नाराज थी। रफत महरूख से कहता है—''तुम्हारी नाराजगी मेरे सर आँखों पर। तुम्हें हक भी है वहाँ अजीव मुसीवत में फस गया था करता भी क्या हालात का तकाजा यही था। वरना छः साल गुजारने मुश्किल हो जाते और फिर पता नहीं डिग्री मिलती थी या नहीं। मैं बिना डिग्री के वापस नहीं लौटना चाहता था तुम्हें क्या मुह दिखाता है।''

रफत महरूख से माफी मागता है महरूख नहीं मानती है फिर भी वह मानता रहता है बोलता है—''लो कान पकड़ते हैं, माफी माँगते हैं और वादा करते हैं यह तस्वीर आज से मैं नहीं देखूँगा अगर किसी तरह आँख उठाकर भी देखूँ तो मेरी आँख निकलवा देना।'' रफत सर से पांव तक माफी माँग रहा था।''[9] (ठीकरे की मंगनी-नासिरा शर्मा, पृष्ठ 116)

महरूख का परिवार वाले भी उसे रफत के पास जाने को बोलने लगे उसे माफ करने को बोलने लगे। इन सब बातों से लेखिका ने इस उपन्यास में बताना चाहती हैं। स्त्री-पुरुष के द्वन्द्व के बीच किस प्रकार पुरुष प्रधान समाज में उसकी श्रेष्ठता स्थापित हो जाती है सम्पूर्ण समाज पुरुष के पक्ष में हो जाता है। वही महरूख के चाचा महरूख को समझाते है कि रफत से गलती हुई तो वह माफी माँग रहा और चाचा कहते हैं—''जब लड़का शर्मिन्दा है तो फिर झगड़े को आगे बढ़ाना मुनासिब नहीं है, जवानी में ऊँच-नीच तो होती ही रहती है। हम मर्द फरिश्ता तो होता नहीं है। फिर यही पांव का फिसलना अगर शादी के बाद होता तो उस वक्त मियाँ को छोड़कर महरूख रूठ कर मायके आकर न बैठकर बल्कि अपना हक लेने के लिए लड़ती कोशिश करती, मियाँ को सीधे रास्ते पर लाती फिर यहाँ तो मामला दूसरा है। खुद मर्द होकर दर का सवाली बना अपनी झोली फैलाए खड़ा है, खुदा का दर भी तौबा के लिए खुला है हम तो फिर वन्दे हैं एक-

दूसरे की गलतियों और कमियों को नजर अंदाज नहीं करेंगे तो फिर साथ जिएँगे कैसे?''[10] (ठीकरे की मंगनी-नासिरा शर्मा, पृष्ठ 18-19)

महरूख इन सब बातों से बहुत परेशान हो गई थीं। वही ताई ने कहाँ ''यह तो भाभी मर्दों की दुनिया है। वह सफेद 'करे' या 'स्याह' उनसे कौन पूछ सकता है? मजाजी खुदा जो ठहरे?'' चाची और दादी दोनों बातें करती है दोनों महरूख को समझाती है। वह रफत से शादी कर लें वह दोनों अपने में बात करती कहती हैं कि यह ''क्या खाक कहते हैं कि जमाना बदला है। पहले लड़की पैदा होते ही जिंदा गाड़ दी जाती थी, आज पाल-पोसकर जवान लड़की दफन कर दी जाती है।'' कहते हुए फुफ्की ने दुपट्टे से मुँह ढंक लिया। वही ताई और चाची दोनों महरूख की बातें करती हैं। शादी कर ले कहती हैं एक औरत कैसे रह सकती है इस दुनिया में एक अकेली लड़की बिना मर्द के समाज में कैसी-कैसी बाते होती है कहती हैं—''रंडापा तो गुजारना मुश्किल होता है औरत के लिए।''[11] (ठीकरे की मंगनी-नासिरा शर्मा, पृष्ठ 135)

फुफ्फी ताई और चाची दोनों की बातें का महरूख पर असर होता है। वह सोचती है, शादी हर औरत और मर्द के लिए जरूरी है। सोचती है कि क्या शादी इतना जरूरी है एक लड़की बिना शादी के नहीं रह सकती है। यह भी कोई समझता है कि पढ़ी-लिखी लड़की के हर अहसास में कितनी शिद्दत आयाम शामिल होते हैं।

वही महरूख गाँव की स्कूल में पढ़ाने लगती है एक दिन रफत स्कूल महरूख से मिलने आता है बात करता है। वह नहीं मानती रफत कहता है तुम्हारे मन में मर्द के लिए नफरत पैदा हो गई। क्या हो गया है तुम्हें? तो महरूख कहती है कि—''नहीं बिल्कुल नहीं औरत की जिन्दगी के सारे करीबी व जज्बाती रिश्ते माई से ही होते हैं। बात भाई सवाल मर्द से नफरत का नहीं बल्कि सवाल यह उठता है कि मैं आपके ख्वाबों के बसे घर की मालकिन बन सकता हूँ या नहीं। मुझे लगता है यह नामुमकिन है, महरूख ने बड़ी सहजता से कहती है।''[12] (ठीकरे की मंगनी-नासिरा शर्मा, पृष्ठ 126)

दोनों के बीच बातें होती हैं। महरूख रफत को शादी के लिए मना कर देती है। वही रफत शादी कर लेता है। सुरैय्या से उसके बाल बच्चे भी हो जाते हैं। महरूख शादी नहीं करती है। गाँव के जमीदार द्वारा निकाहनामे के लिए प्रस्ताव आता है। वह शादी के लिए मना कर देती है। वह अपनी जिन्दगी गाँव की स्कूल में बिताती है। गाँव को ही अपना परिवार मानती है। शिक्षकों के साथ हँसी-मजाक करती है। वही उसकी सहेली सुलोचना अपने को बाल विधवा बताती है। वही उसके परिवार मानता है कि दूसरे विवाह के बारे में सोचना पाप है। वह बचपन में ही सन्यास ले लेती है। कम-से-कम वह विवाहित स्त्री के पीड़ा शिकार तो नहीं होती। ''पढ़ी-लिखी औरत जब अनुराग के लिए मरती है तो अपना सब कुछ दांव पर लगा देती है, मगर मर्द ऐसा नहीं करता है। उसके काम और कर्म के दो अलग क्षेत्र हैं। यहाँ तक कि वह प्यार भले ही किसी से करता हो तो भी वह पर स्त्री के प्रति अपना आकर्षण कम नहीं कर पाता बल्कि अवसर मिलने पर सहवास से उपजा सुख न तो उसे पाप मालूम पड़ता है और न मानसिक क्लेश देता है। जबकि औरत कुंठित होकर आत्महत्या या आत्म प्रताड़ना से भर जाती है, रचना की आवाज भर गई यह मेरी ही बात का जबाव है रचना। सवाल यहाँ हमारी जहनियत का है जो बरसों से हम पर लादी गई है। मर्द भी टूटता है मर्द भी जुड़ता है कुछ दिन बाद इसका उलटा भी हो सकता है और वजन बराबर भी आ जाता है। औरत को बराबरी मिले तो उसका मुकाबला भी बराबर वाले से करना ठीक है। उस वक्त उसका भी काम कर्म का क्षेत्र मर्द की तरह ही अलग-अलग होगा

तब उसके लिए मर्द जिन्दगी की नयी धुरी होगी न खिड़की जिससे वह दुनिया देखती है। तब वह एक इंसान की तरह मर्द की दोस्त होगी।''[13] (ठीकरे की मंगनी-नासिरा शर्मा, पृष्ठ 148)

महरूख ने रचना को समझाने के लिए यह कहा। उपन्यास में जहाँ महरूख रफत से शादी के लिए मना करती है, ठीकरे की मंगनी तोड़ती है। वह अपने आत्म सम्मान के लिए स्त्री-पुरुष प्रधान समाज में अपनी सत्ता के लिए बात उठाई है।

उपन्यास में महरूख आधुनिक युग की नारी का किरदार निभाया है। जिस प्रकार स्त्रियों का शोषण किया जाता है उनसे जबरन वे कार्य कराये जाते हैं जो उनकी अस्मिता के लिखाफ होते है और उसे एक नौकरानी की भांति रखा जाता है। वो अपने मन का नहीं कर पाता है। वो बाहर नहीं निकल पाती। दूसरों से बात नहीं कर पातीं। इस उपन्यास में महरूख ने स्त्रियों को अपनी सत्ता बनाने के लिए कदम उठाने की प्रेरणा दी है। किस प्रकार एक पढ़ी-लिखी स्त्री अपना जीवन जी सकती है। किसी पुरुष के साथ रहे बिना अपना परिवार पूरे गाँव को मानती है और अपनी जिन्दगी में समय बिताने लगती है।

वही महरूख अपने अब्बू से कहती है—''आखिरी बार अब मैं सबके सामने खासकर अब्बू आपसे कह रही हूँ कि रफत साहब सिर्फ मेरे बड़े भाई हैं बस। नासिरा जी महरूख के माध्यम से इस उपन्यास में कहना चाहती हैं कि—''नासिरा शर्मा जी महरूख जैसे दुर्लभ पात्र चुना उसे पठनीय बनाया। यहाँ दुलर्भ कहने का अर्थ यह नहीं कि महरूख जैसे पात्र नहीं होते, वे होते हैं लेकिन रचनाओं में अभी तक उपेक्षित ही रहे हैं।''[14] (नासिरा शर्मा का मूल्यांकन, पृष्ठ 134, सम्पादक एम. फिरोज अहमद नगमा जावेद)

SHODH CHETNA – YEAR-7, VOL. 3 (JULY TO SEP., 2021) ISSN : 2350-0441
A Peer-Reviewed
International Referred &
Multifocal Research Journal
IMPACT-FACTOR 5.299
Paper Recieved : 18th Aug 21 Paper Accepted : 3rd Sep 21

काव्यों में प्रकृति वर्णन का महत्त्व

❑ डॉ. आनन्दराम पैकरा*

शोध सारांश

संस्कृत के कवि सौन्दर्य तथा माधुर्य के उपासक होते हैं। उनका हृदय सौम्य भाव में विशेष रमता है। माधुर्य के उत्पादक दृश्यों के ऊपर दृष्टि विशेष रीझती है। वे मानव-हृदय के भावों के समझने तथा विश्लेषण में जितने कृतकार्य हैं उतने ही वे बाह्य प्रकृति के भी रहस्यों के परखने तथा उद्घाटन में समर्थ हैं। बाह्य प्रकृति का सूक्ष्म निरीक्षण संस्कृत काव्यों में, विशेषतः प्राचीन काव्यों में, प्राप्त होता है। प्रकृति के दृश्यों को कवियों ने अपने तीव्र अवलोकन का विषय बनाया है तथा यथार्थता से मण्डित वर्णनों का चमत्कार सरसहृदयों के हृदय को बलात् अपनी ओर खींचता है। प्रकृति संस्कृत काव्यों में उभयरूपेण चित्रित की गई है—आलम्बन रूप से तथा उद्दीपन रूप से। आलम्बन रूप वाले वर्णनों में प्रकृति ही स्वयं वर्ण्य रहती है तथा उद्दीपन रूप में उसका मानव-प्रकृति के ऊपर उत्पन्न प्रभाव ही वर्णन का विषय रहता है।

कालिदास और भवभूति ने वर्षा के आगमन का वर्णन किस सीधी-सादी यथार्थता से नीचे लिखी पंक्तियों में रख दिया है—

आषाढस्य प्रथमदिवसे मेघमाश्लिष्टसानुम्।[1]

श्रयति शिखरमद्रेर्नूतनस्तोयवाहः॥[2]

भवभूति की पंक्ति कालिदास की पंक्ति की स्मृति से उत्पन्न हुई है, किन्तु इस पंक्ति के अनुकरण में कितनी नूतनता है यह 'तोयवाह' (जल से भरा हुआ मेघ)[3] और उसमें जुड़े हुए 'नूतन' विशेषण से द्योतित होती है। ऊपर से दृष्टान्त में चित्र की रेखा बादलों के अनुरूप सरल और स्वच्छ है, किन्तु चित्रण की यथार्थता से सुचारु और अधिक गहरी रेखा से सुसज्जित चित्र यदि देखना हो और उसे भी एक पंक्ति में, तो कालिदास की इस पंक्ति को याद कीजिये—

'प्रायो तालीवनश्याममुपकण्ठं महोदधेः'।[4]

और यदि इससे अधिक सविस्तर चित्र चाहिए तो रघुवंश के इस पम्पा सरोवर के चित्र को देखो[5]—

उपान्तवानीरवनोपगूढान्यालक्ष्य पारिप्लवसारसानि।
दूरावतीर्णा पिबतीव खेदादमूनि पम्पासलिलानि दृष्टिः॥

देखो तो पम्पा सरोवर के तट पर नरकुल का कितना घना वन है। उसने मानो पम्पासर के प्रभूत जल को आलिङ्गित सा कर लिया है। उसके भीतर लता के झुण्ड में बैठे हुए चंचल सारस पक्षी इस पूर्व चित्र में कितना वैचित्र्य उत्पन्न कर रहे हैं। अपने नेत्रपुटों से आप

* सहायक प्राध्यापक, शास.आर.बी.आर.एन.एफ.एस. पी.जी. कालेज, जसपुर नगर (छत्तीसगढ़)

भी इस चित्रगत सरोवर का जल अच्छी तरह से पीजिये। किन्तु यदि इन पूर्वोक्त सारसों को आकाश में उड़ते देखना हो तो इस चित्र को देखें—

अमूर्विमानान्तरलम्बिनीनां श्रुत्वा स्वनं का॰चनकिङ्किणीनाम्।
प्रत्युद्व्रजन्तीव खमुत्पतन्त्यो गोदावरीसारसपङ्क्तयस्त्वाम्।।[6]

दूर आकाश में एक विमान की कल्पना करो और उसमें सुवर्ण के घुंघुरू लगाओ, किन्तु यह बतलाओ कि उस चित्र में घुंघुरुओं का शब्द आप कैसे सुन सकते हैं? यह तो काव्य की ही विशेषता है कि इसमें चित्र और सङ्गीत दोनों का ही संमिश्रण हो सकता है। पास बहनेवाली गोदावरी के तट अथवा उसके जल-पट पर आकाश में उड़ती हुई श्वेत सारसों की पंक्ति देखिये। इन सारसों को उड़ते देखने में ही खूबी है, अत एव उस खूबी को प्रत्यक्ष करने के लिये स्थिर चित्र नहीं, बल्कि सिनेमा के चित्र की कल्पना कीजिये। इससे भी यदि अधिक वैचित्र्य चाहिये तो वह भवभूति के निम्नलिखित वर्णन में है[7]—

इह समदशकुन्ताक्रान्तवानीरवीरुत्-
प्रसवसुरभिशीतस्वच्छतोया वहन्ति।
फलभरपरिणामश्यामजम्बूनिकुञ्ज-
स्खलनमुखरभूरिस्त्रोतसो निर्झरिण्यः।।

प्रकृति और मानव एक दूसरे के लिए जीवन भर समर्पित हैं। इसी कारण मनुष्य की प्रकृति, प्रकृति के प्रभूत हरीतिमा और शान-शौकत को चार चांद लगा देना चाहता है वहीं प्रकृति भी मानव को अपने उदार हृदय से फल-फूल और छाया से संरक्षित कर देना चाहती हैं। आज मनुष्य ने प्रकृति की गोद में पलकर ही प्रकृति से छेड़छाड़ शुरू कर दी है। फलतः प्रकृति कुपित होकर कभी अति वृष्टि कभी अनावृष्टि तो कभी भू-स्खलन, भूकंप और अन्य-अन्य तरीकों से असमय काल कवलित कर रही है। प्रकृति वात्सल्यमयी माँ है वह अपने पूत को यूँ ही असहाय और निरीह दशा में नहीं देख सकती, वह मानव को बार-बार आगाह करती है।

'प्रकृति' शब्द अंग्रेजी भाषा के 'नेचर' के अर्थ में प्रयुक्त होता है। भारतीय वाङ्मय में प्रकृति शब्द विविध अर्थों—सृष्टि, माया, शाश्वत सत्य, विचार शून्य, स्वभाव, प्रज्ञा आदि के रूप में व्यवहृत होता है। 'प्रकृति' पद का धातु एवं प्रत्यय के आधार पर अर्थ होगा जिस साधन से यह समस्त जगत् उत्पन्न किया जाता है—'प्रकर्षेण क्रियते सर्व जगदनया इति प्रकृति। किन्तु लोकव्यवहार में प्रकृति से तात्पर्य पेड़-पौधे, पशु-पक्षी, नदी-समुद्र आदि दृश्यमान पदार्थों से लिया जाता है—'वह जगत्, जो अपनी अभिव्यक्तियों की समस्त अनन्त विविधता के साथ हमारे चारों ओर व्याप्त है। कभी-कभी प्रकृति केवल उसके एक भाग को, जीवमण्डल को कहते हैं।

साहित्य में मनुष्य के मन से लेकर पशु, पक्षी, नदी, पर्वत तक जितनी वस्तुओं, व्यापारों का वर्णन किया जाता है, वे सब प्रकृति के अन्तर्गत है। सीमित अर्थ में मानव-इतर सृष्टि को प्रकृति कहा गया है— 'साधारण बोलचाल में प्रकृति मानव का प्रतिपक्ष है, अर्थात् मानवेतर ही प्रकृति है। सामान्यतः मनुष्य को छोड़कर अन्य समस्त सचेतन और अचेतन सृष्टि प्रसार को प्रकृति स्वीकार किया गया है। प्रकृति मनुष्य की आदि सहचरी है-

'सत्वरजस्तमसां साम्यावस्था प्रकृतिः।'[8]

प्रकृति और काव्य का संबंध अभिन्न है। वैदिक ऋषियों ने प्रकृति को देवता का काव्य कहा है—'पश्य देवस्य काव्यं न विभेति न रिष्यति।' काव्य मानवीय अभिव्यक्ति है। इसलिए प्रकृति और काव्य के संबंधों की विवेचना में मानव बीच की कड़ी है। प्रकृति और मानव का संबंध आदिम है। मानव अपने विकास में प्रकृति से प्रेरणा प्राप्त करता रहा है, और काव्य मानव के विकसित मानस की अभिव्यक्ति है, यही प्रकृति और काव्य के संबंधों का आधार है। आधुनिक युग में प्रकृति-चित्रण की विविध प्रणालियाँ प्रचलित हैं। आज का कवि प्रकृति को अपने काव्य का मूलाधार मानता है और प्रकृति के ही माध्यम से अपनी सतरंगी कल्पनाओं को अभिव्यक्त करता है। प्रकृति दस रूपों में चित्रित हुई है—

1. आलम्बन रूप में, 2. उद्दीपन रूप में, 3. संवेदनात्मक रूप में, 4. वातावरण-निर्माण रूप में, 5. रहस्यात्मक रूप में, 6. प्रतीकात्मक रूप में, 7. अलंकार-योजना के रूप में, 8. मानवीकरण के रूप में, 9. लोक-शिक्षा के रूप में और 10. दूती के रूप में।

जहाँ कविजन प्रकृति का प्रयोग जन-साधारण को शिक्षा या उपदेश देने के लिए किया करते हैं अथवा जहाँ कवि प्रकृति के विविध परिवर्तनों एवं प्रकृति की विध गतिविधियों के द्वारा जन साधारण को शिक्षा दिया करते हैं, वहां पर लोक शिक्षा के रूप में प्रकृति चित्रण माना जाता है। प्रायः प्राचीन काल से ही कविजन मानवों को प्रकृति के द्वारा शिक्षा देते आये हैं।

भारतीय दर्शन के अनुसार पुरुषार्थ को ही जीवन मूल्य की संज्ञा दी गई है। पुरुषार्थ का मूल्य अर्थ उन प्रयत्नों से है जिनसे मनुष्य अपने चरम लक्ष्य तक पहुंचता है। मानव-जीवन के चार उद्देश्य या मूल्य स्वीकार्य किये गये हैं—धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म, अर्थ और काम जीवन के साधनात्मक मूल्य के रूप में तथा मोक्ष को जीवन के साध्यात्मक मूल्य के रूप में मान्यता दी गई है।

साहित्य में जीवन मूल्य के रूप को स्वीकार करने हेतु उसमें दो विशेषताओं का होना आवश्यक है एक तो यह कि वह सत्यम्, शिवम्, सुन्दरम् से युक्त हो दूसरा वह मनुष्य के चिन्तन का उसके विचारधारा का परिणाम हो। जीवन मूल्य की व्याख्या करते हुए अज्ञेय कहते हैं कि—जीवन मूल्य से तात्पर्य उन प्रबल संवेग युक्त प्रेरकों से है जो व्यक्ति तथा सुबुद्ध समाज को एक निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति के लिये स्पृहणीय होकर सक्रियता प्रदान करते हैं।

साहित्य मानव-जीवन के सापेक्ष होता है और जीवन साहित्य से प्रेरित तथा प्रभावित होता रहता है। फलतः चिर गतिशील और विकासशील मानव मूल्य में परिवर्तन स्वाभाविक है। एक ओर इस परिवर्तन में साहित्य का प्रभाव सहयोगी होता रहता है तो दूसरी ओर मानव-जीवन के बदलते मूल्य के अनुरूप ही साहित्य की विविध विधाओं में विषय और अभिव्यंजना का रूपान्तरण दिखाई पड़ने लगता है।

संस्कृति और साहित्य दोनों का अद्भुत सम्बन्ध होता है क्योंकि साहित्य संस्कृति तत्वों का प्रतिबिम्ब हुआ करता है और संस्कृति साहित्य का आधार। उपभोक्तावादी संस्कृति के उदय होने से मनुष्य को अर्थ प्रधान और आत्म केन्द्रित बना दिया इसने मनुष्य के आचार-विचार, रहन-सहन जीवन-दर्शन को पूरी तरह बदल दिया। परम्परा और आधुनिकता के द्वंद्व में परम्परा का लोप और आधुनिकता का विकास होता गया। भारतीय संस्कृति आधुनिकता के रंग में रंगती गई। उसमें बौद्धिकता का समावेश होता गया। इस तरह प्रकृति में विन्यस्त हमारी संस्कृति परम्पराओं का ह्रास होता गया और नई आस्था युक्त संस्कृति का विकास हो रहा है।

कहा जा सकता है कि संस्कृत साहित्य के काव्य क्षेत्र में विश्व मोहिनी प्रकृति सुन्दरी के सचेतन, सुकुमार एवं सहज सौन्दर्यशाली रूप का जितना मर्मस्पर्शी चित्रण मिलता है उतना अन्यत्र नहीं दिखाई पड़ता है।

संदर्भ स्रोत

1. मेघदूत
2. उत्तररामचरित 02 अंक
3. रघु. 4/34
4. रघु. 13/30
5. रघु. 13/33
6. जल से संभृत मेघ मानों भाराक्रान्त था। इसलिए वह आश्रय-विश्राम लेता है। यह 'तोयवाह' और 'श्रयति' शब्दों के मेल से ध्वनि निकलती है।
7. उत्तररामचरित 02 अंक
8. विमान के झरोखों से बाहर लटकती हुई तेरी सोने की करधनी के घुंघुरुओं का शब्द सुनकर गोदावरी के सारस पक्षी, आकाश में उड़ते हुए, तुमसे भेंट सी करने आ रहे हैं।

SHODH CHETNA – YEAR-7, VOL. 3 (JULY TO SEP., 2021) ISSN : 2350-0441
A Peer-Reviewed
International Referred &
Multifocal Research Journal
IMPACT-FACTOR 5.299
Paper Recieved : 25th Aug 21 Paper Accepted : 4th Sep 21

Spirituality and Literature: A Conceptual Review

❐ Jyotshna Mishra*
❐ Shubha Tiwari**

ABSTRACT

Spirituality and Literature occupy a significant role in human life as inspiring and harmonizing forces. Spirituality is a divine feeling. But Literature is the written emotions of particular writer of any language. This research paper explains a literary review of relation or connection between spirituality and literature. Spirituality is an inner aspect of literature, a practice that can be expressed with divine feelings of writer. The emotions and expressions of one's spirit is a dynamic condition and it expresses an interaction of the dimensions of spirit, mind and body.

Key words: Spirituality, literature, emotions, and religion etc.

"The word spiritual refers to an inner life, which is deeply related with religious forms or in some way with humanistic psychology for reaching one's greatest potential." (W.C. Roof, Religion and Spirituality, 2003, P.No. 138). Spirituality includes prayers, valuing and belief of miracles and divine truth but literature includes emotions, experiences, value, integrity, imagination of any writer. Although all these contents of spirituality and literature are related with each other, some aspects of literature depend on spiritual or religious stories and narratives like Adam and Eve. We can say that spirituality is often found within the content of religion.

The entire society is in constant need for the supply of sobriety and they ought to create decorum and discipline in life. Both spirituality and literature maintains the above with consistence. The trend of the society is moving in phase where there is progress for skills in humanity either to survive in globalized world of competition, it sets position to get a way to developed extra skills like life skills and soft skills in order to find those skills so everyone must go beyond of normal learning of daily life. The significant role of spirituality and literature is to develop education since they both are in the job of proclaimation for their own importance. In the process of spiritual promotion, the person those who acquire knowledge in either spiritual or literary by default the provoke the concern of soft skill, which takes them to higher levels.

* Lecturer, DRS B.Ed. College, Gangapur, Rewa (M.P.)
** Professor of English and Dean, Faculty of Arts, APS University, Rewa (M.P.)

When the literature is analyzed, the attributes to the theme of spirituality are generally "a connection with the creator/power, transcendence of the self, a deep emotional state, an inner life surfaced in the one's life, serving a superior goal, seeking the calling/meaning in the life. They all each be told to sum up to one fact: people try to connect their inner life, beliefs with without world, either secretly or openly in their acts, thinking and decisions". (P. Mcghee and P. Grant, the Transcendent influence of spirituality on ethical action in organizations. 2017, P.No. 160)

The Theme of Hinduism is totally different in comparing with Islamism and Christianity in the matter of spirituality. In Hinduism, there is no compulsion of necessity with the people those who related with it, lot of writing are there to go through starting with Bhagavada Gita, Mahabharata, Shivpuran, Ramayana and many more which connects the entire way of living. In all related literature is more than one thousand characters with significant style and type which explore to human to how to live and how not to live, when to do and when not to do and what to talk and what not to talk, through these concern of guidance one must learn the specific idea of life style without disturbing and disgracing others, in all above three religions the writing which belong the part of literature ensure the significant way in commanding the system of promoting spirituality.

The modern literature in India began in nineteenth century, by that time authors continued their support to spirituality by giving subject matter related with religion and spirituality to the readers. Rabindranath Tagor's Gitanjali is the inspiration for authors and readers to development to words religious writings, from there on writers from different parts of India preferred to write on spirituality.

In various genres of literature like Poetry, Novels, Drama, Short Stories, Fiction, Criticism like more and variety to offer . Literature is significant in its own style in India known as Indian Literatue, whereas the writing concerns in all above variations. The embodiment of Indian literature is shaped through the spirituality, later it was developed by accessing the religious outside the country. Writing the stories of Indian God and Goddess, Puranas, Panchtantra and fairy tales made the Indian literature popular among readers. Even Non-literary works like writings on health, administration, Law, Grammar, Home making and astronomy and the composition that explores the life style of country and heritage has become popular in entire world. It is obvious when reader get related with a style of author, the prefer themselves into a idea of significant and unique style in their personal life, since all the composition in the above mentioned types, somewhat proclaim and explain the spirituality of Indian literature. The writers and reader to relate themselves to prefer and apply to expected formate both in writing as well as in reading.

The same concept applies in Islamism where in writers are slightly different in their explanations, the subject matter of Islamism will be delivered first and then make them to understand and then accept it. After the acceptance they have to go through the procedures in which the themes of Islamism will be explored. Both Islamism and Christianity got their holy compositions which gives them the art of living, through that can handle themselves as of the way of their religion and spiritualism.

The unique and ultimate task of Christianity is to explore the goal and it should spread the entire world, since this is the major religion of the world and proclaim their takes consistently in spirituality. The path they prefer completing the

task is to educate the people they connect with literature. There is much wisest and sanity in the world, they must by connect with spirituality and literature, they may be in both but everyone must be in either of it. The society has witnessed that no one can blame they pursue all the unique and significant skills.

Both spirituality and literature is a wonderful forms it doesn't matter it is from above or below, but it enhances and emulates the society and humanity to have enough moral idea to run their soul and daily life which is generally in full of struggle and dilemma. It gives extra ordinary skills and way to live for every person in order to show themselves to be different from other living creators. Every person is demanding to figure out a way to overcome their burdens, so far with no reprimand both spirituality and literature provides a constant remedial measure to entire humanity. Spirituality and literature influence in emulating knowledge and restoring of humanity.

References

* Roof, W.C. 2003. Religion and Spirituality, Handbook of the Sociology of Religion, Springer Dordrecht Heidelberg, London, New York.
* McGhee, P.L. Grant, P., 2017, The Transcendent Influence of Spirituality on ethical action in organizations. Journal of Management, Spirituality & Religion, Routledge Publication, Oxford.

SHODH CHETNA – YEAR-7, VOL. 3 (JULY TO SEP., 2021) ISSN : 2350-0441
A Peer-Reviewed
International Referred &
Multifocal Research Journal
IMPACT-FACTOR 5.299
Paper Recieved : 25th Aug 21 Paper Accepted : 3rd Sep 21

मध्यान्ह भोजन योजना का बच्चों की शिक्षा एवं स्वास्थ्य के प्रभाव का समाजशास्त्रीय अध्ययन

(छतरपुर जिले के नौगांव विकासखण्ड के विशेष संदर्भ में)

❑ श्री रामसुफल कोरी*
❑ डॉ. मधुलिका श्रीवास्तव**

शोध सारांश

इस शोधपत्र में मध्यान्ह भोजन योजना का प्राथमिक एवं द्वितीयक आंकड़ों के आधार पर अध्ययन किया गया है। मध्यान्ह भोजन एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है। यह महत्वाकांक्षी और अति महत्व का कार्यक्रम है। प्रस्तुत शोध में मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम की निरंतरता और स्वसहायता समूह द्वारा मध्यान्ह भोजन के कार्य का क्रियान्वयन, विद्यालय के छात्रों से अनुसूची एवं सर्वेक्षण पर आधारित है। शोध में छात्रों का मध्यान्ह भोजन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण प्राप्त हुआ है, साथ ही स्कूली शिक्षा में सकारात्मक सुधार हुए हैं। समाज में सामाजिक और जातिगत समरसता देखने को मिल रही है। छात्रों का पोषण स्तर अच्छा हो रहा है, इसलिए मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम को भविष्य में निरंतर चलते रहना चाहिए।

मूलशब्द—मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम, नामांकन, शैक्षिक स्तर, सामाजिक समरसता और स्वसहायता समूह।

प्रस्तावना

भारत में प्राथमिक शिक्षा की दुर्दशा और कुपोषित बच्चों की बढ़ती संख्या को देखते हुए 15 अगस्त 1995 को मध्यान्ह भोजन योजना शुरू की गई थी। जिसके तहत शासकीय/अनुदान प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों की 80 प्रतिशत उपस्थिति होने पर प्रतिमाह 3 किलोग्राम गेहूं या चावल दिए जाने की व्यवस्था शुरू की गई। पोषाहार वितरण से विद्यालयों में बच्चों का नामांकन तो बढ़ा किन्तु पोषण स्तर में सुधार एवं स्कूल में बच्चों का ठहराव कम ही रहा, क्योकि गेहूं या चावल घर के सभी सदस्यों के द्वारा समान रूप से उपभोग किया जाता था।

* शोधार्थी, सहायक प्राध्यापक (समाजशास्त्र), शासकीय महाविद्यालय बल्देवगढ़, जिला- टीकमगढ़ (म.प्र.)
** शोध निर्देशक, प्राध्यापक, शासकीय टी.आर.एस. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

भारत के तीन वर्ष से कम आयु के 74 प्रतिशत बच्चे आधिकारिक तौर पर एनीमिया से पीड़ित हैं और उनमें से 50 प्रतिशत मध्यम से गंभीर कुपोषण से पीड़ित हैं। भारत में 87 प्रतिशत गर्भवती महिलाएं एनीमिया से ग्रसित हैं। भुखमरी का सूचकांक देश भर में होने वाली मौतों के बारे में स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करता है। देश पोषण के संबंध में आपातकाल की स्थिति से गुजर रहा है। भारत में 25 लाख से अधिक बच्चे प्रतिवर्ष मर रहे हैं, जो दुनिया में प्रत्येक पांच में एक है। भारत में शिशु मृत्यु दर बांग्लादेश से अधिक है। (यू.एन.डी.पी. 2005)

पायलट प्रोजेक्ट में 1 फरबरी 2004 से देश के 120 विकासखण्डों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 28.11.2001 को दिए गए निर्देश के अनुसार शुरू किया गया। प्रदेश में 01 जुलाई 2004 से पका पकाया भोजन प्राथमिक विद्यालयों में उपलब्ध कराया गया जिसमें रोटी/चावल के साथ दाय या सब्जी देने की ब्यवस्था की गई। विद्यालय स्तर पर शिक्षक शिक्षण काय्र के साथ-साथ विद्यार्थियों को पका हुआ भोजन उपलब्ध कराते थे। शिक्षण कार्य मे व्यवधान होने के कारण 2007 से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वसहायता समूह के द्वारा भोजन बनवाया जाने लगा एवं शहरी क्षेत्रों में केन्द्रीकृत किचिन व्यवस्था से भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। प्राथमिक विद्यालय के क्षात्रों को प्रतिदिन गेहूं या चावल 100 ग्राम प्रति बच्चा प्रतिदिन उपलब्ध कराया जा रहा है तथा माध्यमिक विद्यालयों में छात्रों को गेहूं या चावल 150 ग्राम प्रति बच्चा प्रतिदिन उपलब्ध कराया जा रहा है। यह खाद्यान्न पूर्णतः निःशुल्क प्रदाय किया जाता है।

म.प्र. में सर्वप्रथम दलिया-खिचड़ी का वितरण शुरू किया गया था। वर्ष 2004 में मध्यान्ह भोजन वितरण का विश्लेषण करने से यह स्पष्ट हुआ कि भोजन अरूचिकर लगता है इसलिए अक्टूबर 2007 से पिछड़े क्षेत्रों के विद्यालयों में पायलट प्रोजेक्ट के तहत मध्यान्ह भोजन दिया गया। वर्ष 2008 से प्रदेश के समस्त शासकीय एवं अनुदान प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों (कक्षा 6 से 8) में मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम लागू कर दिया गया। म.प्र. में कुल 114970 विद्यालयों में से 84542 प्राथमिक एवं 30518 माध्यमिक विद्यालय हैं जिसमें 236000 रसोइया खाना पकाने एवं वितरण के कार्य में लगे हुए हैं जिन्हें प्रतिमाह रू. 2000 मानदेय दिया जाता है। खाना पकाने की परिवर्तन लागत प्राथमिक स्तर पर 4.48 रू. एवं माध्यमिक स्तर पर 6.71 रू. शासन द्वारा दिया जाता है। इस राशि को केन्द्र एवं राज्य सरकार 60:40 के अनुपात में व्यय करतीं हैं तथा पूर्वोत्तर राज्य एवं हिमालयीन राज्यों में यह अनुपात 90:10 है।

मध्यान्ह भोजन की उपयोगिता

भारत में प्राथमिक शिक्षा की पुरातन समस्याओं के रूप में बाल आयु वर्ग के सभी बच्चों का विद्यालय में प्रवेश न लेना अथवा प्रवेश न हो पाना, सभी बच्चों की शत प्रतिशत उपस्थिति नहीं होना एवं छात्रों का विद्यालय में ठहराव न होना। विद्यालय जाने वाले बच्चों में जरूरी अधिगम स्तरों का विकास न होना आदि चरों का प्रमुख स्थान है। सभी के लिए शिक्षा का लक्ष्य तभी पूरा हो सकता है जब समस्त बच्चे विद्यालय में प्रवेश लें, विद्यालय जाएं और शैक्षिक अधिगम में प्रवीण हों। सभी के लिए शिक्षा में अभिभावकों की गरीबी से बच्चों का कुपोषित होना, कुपोषण बच्चों के सर्वांगीण विकास में बहुत बड़ी बाधा है। मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम विद्यालय जाने वाले सभी बच्चों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सामाजिक समरसता से सामाजिक-आर्थिक लक्ष्यों की प्राप्ति का सार्थक साधन है।

मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम एक वृहद स्तर पर चलाया जाने वाला कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना है जिससे बच्चों में शिक्षा ग्रहण करने की क्षमता विकसित हो सके। विद्यालयों में उपस्थिति बढ़ाना, बच्चों के विद्यालय में ठहराव की

प्रवृत्ति विकसित करना, ड्रापआउट दर कम करना तथा बच्चों में भाई-चारे की भावना का विकास करना है। प्राथमिक विद्यालयों में उपलब्ध कराए जा रहे भोजन में कम-से-कम 450 कैलोरी ऊर्जा व 12 ग्राम प्रोटीन एवं उच्च प्राथमिक (माध्यमिक) विद्यालयों में कम से कम 700 कैलोरी ऊर्जा व 20 ग्राम प्रोटीन उपलब्ध कराना है।

विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन योजना शुरू होने से बच्चों का नामांकन बढ़ा है, ठहराव की प्रवृत्ति बनी है साथ ही ड्रापआउट दर में कमी आई है। विभिन्न जाति-धर्म के बच्चे एक साथ बैठकर खाना खाने से भाई-चारे एवं समानता में बृद्धि हुई है। न्यूनतम पोषण प्राप्त होने से बच्चों को भूखे पेट नहीं रहना पड़ता है और न ही बच्चे विद्यालय जाने से डरते हैं।

लेकिन क्या मध्यान्ह भोजन योजना सभी उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल रही है? इसमें संदेह है। यह ठीक है कि बच्चों में पोषण स्तर बढ़ा है लेकिन बच्चों की पढ़ाई का उद्देश्य पूरा नहीं हुआ है साथ ही मध्यान्ह भोजन में मेन्यू के अनुसार खाना ना बनना इसकी कमी को दर्शाता है।

यह योजना अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में पूर्णतः सफल हो सके इसके लिए इसकी कमियों का पता लगाकर उसमें सुधार करने की आवश्यकता है। इस शोधपत्र में मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम के बारे में बच्चों के नजरिये को जानने की कोशिश की गई है।

शोध उद्देश्य

प्रस्तुत शोध पत्र में निम्नलिखित उद्देश्य लिए गए हैं—

1. मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम के क्रियान्वयन का विश्लेषण।
2. नामांकन पर मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम के प्रभाव का अध्ययन करना।
3. मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम के प्रति छात्र-छात्राओं के दृष्टिकोण का अध्ययन करना।
4. मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम से सामाजिक समरसता व जातिगत समानता का पता लगाना।
5. रोजगार के माध्यम से महिलाओं की आर्थिक सशक्तिकरण का पता लगाना।

शोध अभिकल्प

शोध विधि—प्रस्तुत अध्ययन में सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया है।

जनसंख्या—प्रस्तुत अध्यन में म.प्र. के छतरपुर जिले के माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों तथा उन विद्यालयों में पढ़ रहे विद्यार्थियों को जनसंख्या के रूप में परिभाषित किया गया है।

शोध परिकल्पनाएं

1. छतरपुर जिले के माध्यमिक विद्यालय के विभिन्न वर्गों के शिक्षकों की मध्यान्ह भोजना योजना के प्रति अभिवृत्ति में कोई सार्थक अंतर नहीं है।
2. छतरपुर जिले के माध्यमिक विद्यालय के विभिन्न वर्गों के विद्यार्थियों की मध्यान्ह भोजना योजना के प्रति अभिवृत्ति में कोई सार्थक अंतर नहीं है।
3. स्वसहायता समूह द्वारा संचालित मध्यान्ह भोजन योजना के कार्य से शिक्षकगण एवं छात्र संतुष्ट हैं।
4. विद्यालय में मध्यान्ह भोजन योजना निरंतर चलती रहनी चाहिए।
5. मध्यान्ह भोजन योजना से समाज में सामाजिक समरसता का प्रसार हो रहा है।

पूर्व शोध साहित्य समीक्षा

भारत सरकार 2013 की रिपोर्ट के अनुसार 10 दिनों के सर्वे के दौरान यह पाया गया कि बच्चों का पोषण स्तर गिर रहा है। बच्चों को भोजन प्रतिदिन नहीं मिलता। खाने के लिए बर्तन बच्चों को घर से लाने पड़ते हैं। बच्चों को हेण्डपंप का पानी मिल रहा है जो कि स्वच्छ नहीं है। बच्चों के लिए शौचालय नहीं है, अगर है तो पानी की ब्यवस्था नहीं है। साथ ही रिपोर्ट में यह पाया गया कि मध्यान्ह भोजन योजना में प्रयोग होने वाली वस्तुओं की सुरक्षा नहीं है।

डॉ. भूपेन्द्र कौर की रिपोर्ट में यह पाया गया कि विद्यालय में भोजन व्यवस्था से बच्चों की पढ़ाई पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। बच्चों में स्वच्छता के प्रति अपेक्षित प्रगति देखने को नहीं मिली। बच्चों की पढ़ाई का स्तर निम्न हैं। बच्चों को स्वच्छ पानी उपलब्ध नहीं है। विद्यालय में भोजन मेन्यू के अनुसार नहीं बनाया जाता। जो सब्जी सस्ती होती है उसे ज्यादा बनाया जाता है। भोजन सामग्री गुणवत्तापूर्ण नहीं है।

रिसर्च स्कॉलर राजकुमारी की सर्वेक्षण रिपोर्ट से ज्ञात हुआ कि केवल 3-4 चीजों को ही मेन्यू में शामिल किया जाता है। प्रत्येक सप्ताह में वही मेन्यू दो बार मिलता है। मेन्यू में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। स्कूल में मिलने वाले भोजन की गुणवत्ता अच्छी न होना तथा पका हुआ भोजन स्वादिष्ट न होना।

भाटिया रचना, अय्यर उमा (2016) ने पाया कि मध्यान्ह भोजन योजना में रसोइया के रूप में मुख्यतः दीन-हीन और विधवा महिलाओं को रखा गया है जिससे उन्हें रोजगार देने के बराबर है। बच्चों के नामांकन एवं उपस्थिति में वृद्धि हुई है। समस्या केवल बच्चों को पोषणयुक्त भोजन के वितरण की सही देखभाल की है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (2009) ने निम्न टिप्पणियां की हैं—

1. मध्यान्ह भोजन योजना में कई कमियां है जैसे कि कार्ययोजना बनाने के लिए सबसे निचले स्तर पर कोई सर्वेक्षण नहीं होता, जिससे कि गलत नामांकन सूची प्राप्त होती है और वार्षिक कार्ययोजना में या तो अधिक या कम बजट तैयार होता है।
2. मध्यान्ह भोजन का मुख्य उद्देश्य पूरा नहीं हो रहा क्योकि राज्यों द्वारा कोई नामांकन, उपस्थिति इत्यादि का विश्वसनीय आंकड़ा उपलब्ध नहीं कराया जाता है।
3. सम्यक लेखांकन हेतु विश्वसनीय प्रणाली का अभाव है जिससे कि एक तरफ अनाज बच्चों तक पहुंच नहीं पाता है वहीं दूसरी तरफ अनाज अधिक भंडारण की वजह से सड़ता है। भोजन में विविधता उपलब्ध कराने के लिए कोई भी निश्चित व्यवस्था राज्य सरकारों द्वारा तैयार नहीं की है।
4. स्कूल प्रबंधन को मध्यान्ह भोजन क्रियान्वयन में किसी का साथ नहीं मिलता। जैसे - ग्राम पंचायत, ग्रामीण शिक्षा समिति एवं अभिभावक साथ ही स्कूल प्रबंधन समिति की बैठकों का आंकड़ा भी उपलब्ध नहीं कराया गया। क्षेत्रवार बच्चों की स्वास्थ्य की समस्याओं को जांचा नहीं जाता है।

विश्लेषण

न्यादर्श विवरण—मध्यान्ह भोजन योजना का विश्लेषण बच्चों के नजरिये से करने के लिए शोधकर्ता ने 62 बच्चों का न्यादर्श लिया है और उनसे घर-घर जाकर बात की है। 62 बच्चों के न्यादर्श में 36 लड़के और 26 लड़कियां हैं जिसमें से 22 बच्चे अनुसूचित जाति, 35 बच्चे अन्य पिछड़ा वर्ग और 5 बच्चे सामान्य जाति के हैं।

तालिका संख्या 01 न्यादर्श विवरण

कक्षा	जाति				कुल
	सामान्य	अन्य पिछड़ा वर्ग	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जन जाति	
6—8	05	35	22	00	62

स्त्रोत सर्वेक्षण- शासकीय माध्यमिक विद्यालय गुरसारी विकासखण्ड नौगांव, जिला- छतरपुर (म.प्र.)

मध्यान्ह भोजन योजना के अंतर्गत साप्ताहिक मेन्यू

मध्यान्ह भोजन योजना के अंतर्गत प्रत्येक छात्र को सप्ताह के पांच दिनां में गेहूं के आटे से बनी रोटी एवं एक दिन (मंगलवार) पूड़ी का प्रावधान है। इसके लिए भारत सरकार द्वारा प्राथमिक स्तर पर 100 ग्राम प्रति छात्र प्रतिदिन एवं माध्यमिक स्तर पर 150 ग्राम प्रति छात्र प्रतिदिन की दर से निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है। मध्यान्ह भोजन तैयार करने एवं अन्य सामग्रियों की व्यवस्था करने के लिए 1 अप्रैल 2019 से प्राथमिक स्तर पर 4.48 रू. प्रति छात्र प्रतिदिन तथा माध्यमिक स्तर पर 6.71 रु. प्रति छात्र प्रतिदिन परिवर्तन लागत के रूप में उपलब्ध कराया जा रहा है।

तालिका संख्या 02 मध्यान्ह भोजन योजना के अंतर्गत मेन्यू

क्र	सप्ताह के दिन	मेन्यू
1	सोमवार	रोटी के साथ तुअर की दाल व काबुली चने, टमाटर की सब्जी
2	मंगलवार	पूड़ी के साथ खीर/हलवा, मूग वटी व आलू टमाटर की सब्जी
3	बुधवार	रोटी के साथ चने की दाल एवं मिक्स सब्जी (आलू, टमाटर, लौकी)
4	गुरूवार	वेजीटेरियन पुलाव व पकौड़े वाली कढ़ी
5	शुक्रवार	रोटी के साथ मूंग की दाल व हरे या सूखी मटर/सूखे चने की सब्जी
6	शनिवार	पराठा के साथ मिक्स दाल और हरी सब्जी

प्रत्येक दिन सलाद चटनी आदि भी प्रदान किए जाएं।

स्त्रोत सर्वेक्षण—शासकीय माध्यमिक विद्यालय गुरसारी विकासखण्ड नौगांव, जिला- छतरपुर (म.प्र.)

भोजन संबंधी न्यादर्श विवरण - विद्यालय में उपस्थित छात्र - 50

छात्रों से साक्षात्कार

क्र	प्रश्न	उत्तर	
		हॉ	नहीं
1	क्या आपको स्कूल में खाना दिया जाता है?	50	0
2	क्या खाना आपको खाने में अच्छा लगता है?	42	08
3	क्या अपको स्कूल में भरपेट खाना मिलता है?	42	08
4	क्या खाना आप घर पर ले जाते हैं?	0	50
5	क्या आप स्कूल सिर्फ खाना बंटने के समय ही आते हैं?	0	50
6	क्या आपके साथ ऐसे बच्चे भी खाना खाने आते हैं जिनका स्कूल में नाम नहीं लिखा है?	0	50
7	क्या स्कूल में खाना दिया जाना चाहिए?	50	0
8	क्या खाना खाने से आपके स्कूल में कोई बीमार भी पड़ा है?	0	50
9	क्या खाना खाने के लिए बर्तन घर से लाते हैं?	0	50
10	क्या दलित छात्र–छात्राएं खाना परोसने का कार्य करते हैं?	0	0
11	क्या रसोइया खाना परोसती है?	50	0
12	क्या खाना सभी जाति के विद्यार्थी एक साथ लाईन में बैठकर खाना खाते हैं?	50	0
13	क्या भविष्य में एम.डी.एम. चलता रहना चाहिए?	50	0
14	खेल के दौरान उच्च और निम्न जाति के छात्र अलग–अलग समूह में खेलते हैं?	0	50
15	क्या खाना में चटनी और सलाद मिलती है?	0	50
16	क्या शिक्षक छात्रों के साथ बैठकर खाना खाते हैं?	15	35
17	क्या खाना खाने में स्वादिस्ट लगता है?	40	10
18	खाना मिलने में कितना समय लगता हैं?	20 मिनिट	
19	खाना खाने के लिए कितना समय दिया जाता है?	40 मिनिट	

स्वच्छता का स्तर

शैक्षिक स्तर : टाईम टेबिल

क्र	प्रश्न	उत्तर	
		हॉ	नहीं
1	स्कूल में पढ़ाई के लिए कितने पीरियड लगते हैं?	6 पीरियड	
2	एक पीरियड कितने समय का होता है?	40 मिनिट	
3	खाना खाने के पहले कितने पीरियड पढ़ाई होती है?	4 पीरियड	
4	खाना खाने के बाद कितने पीरियड पढ़ाई होती है?	2 पीरियड	
5	स्कूल में मध्यान्ह भोजन की ब्यवस्था से आपकी पढ़ाई पर विपरीत प्रभाव पड़ता है?	0	50
6	क्या कम्प्यूटर की शिक्षा दी जाती है?	0	50

(क) खेत का काम - 16

(ख) घर का काम - 24

(ग) कोई काम नहीं - 10

अधिगम का स्तर

निम्नलिखित तालिका संख्या 06 में गुरसारी ग्राम में माध्यमिक विद्यालय में अधिगम के स्तर को दर्शाया गया है जो कक्षा 6 के विद्यार्थियों का अधिगम स्तर है—

विषय	विभिन्न ग्रेड प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या					योग
	ए	बी	सी	डी	ई	
हिन्दी	9	12	04	0	0	25
अंग्रेजी	11	09	05	0	0	25
गणित	09	11	05	0	0	25
योग	29	32	14	0	0	75
प्रतिशत	38.6	42.6	18.6	0	0	100

स्त्रोत सर्वेक्षण

मध्यान्ह भोजन व्यावस्था से सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। कुल छात्रों में ए ग्रेड में 38.6 प्रतिशत, बी ग्रेड में 42.6 प्रतिशत एवं सी ग्रेड में 18.6 प्रतिशत है जबकि डी और ई ग्रेड में एक भी छात्र नहीं है। बच्चे हिन्दी, अंग्रेजी गणित तीनों में कुछ हद तक सही हैं।

प्रभारी मध्यान्ह भोजन अध्यापक की भूमिका

1. दैनिक उपस्थिति—समूह को दैनिक छात्र उपस्थिति प्रदान करना।
2. भोजन की गुणवत्ता की जांच करना।
3. भण्डारण ब्यवस्था—शाला स्तर समूह के लिए सामग्री का भंडारण कराना।
4. बी.आर.सी. द्वारा प्रदत्त खाद्यान्न उठाव पत्रक समूह को देना, रसोइया की राशि एवं समूह की राशि खाते में डलवाना।

5. शिकायती कार्यवाही—शिकायत पाए जाने पर समूह को समझाना व नोटिस जारी करना।
6. लेखा संधारण—मध्यान्ह भोजन योजना से संबंधित रजिस्टर, निरीक्षण पंजी, माता रोस्टर पंजी, मध्यान्ह भोजन का मासिक प्रतिवेदन पत्रक, मध्यान्ह भोजन आय-व्यय पंजी, शिक्षक निरीक्षण टीप पंजी।

प्रभारी मध्यान्ह भोजन अध्यापक से साक्षात्कार

1. मध्यान्ह भोजन की सभी गतिविधियों का महिलाएं उचित प्रबंध कर पा रही है—पूरी तरह से नहीं कारण—महिलाओं का शैक्षिक स्तर कम होना
2. क्या समूह की महिलाओं द्वारा निम्न जाति के विद्यार्थियों के प्रति भेदभाव किया जाता है—कभी-कभी
3. स्व-सहायता समूह की महिलाओं के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आया है—हॉं
4. क्या मध्यान्ह भोजन से सामाजिक समरसता व जातिगत समानता में बृद्धि हुई है—हाँ

मध्यान्ह भोजन के प्रति छात्र-छात्राओं का दृष्टिकोण

84 प्रतिशत बच्चे ऐसे हैं जिन्हें विद्यालय में बना हुआ खाना अच्छा लगता है। केवल 16 प्रतिशत बच्चे ऐसे हैं जिन्हें विद्यालय का खाना स्वाद-दार नहीं लगता है। 98 प्रतिशत बच्चे चाहते हैं कि उन्हें विद्यालय में हमेशा खाना मिलता रहे। मध्यान्ह भोजन योजना भारत के गरीब बच्चों को स्कूल की ओर खींचने में चुम्बक की तरह कार्य करती है। बच्चों के दृष्टिकोण से सब्जी अच्छी नहीं बनती लेकिन फिर भी उसे खाना चाहते हैं, वो स्कूल जाना चाहते हैं। बच्चे नहीं चाहते कि मध्यान्ह भोजन योजना बंद की जाए। बच्चों को पढ़ाई के साथ खाना भी मिलता है, इसलिए शिक्षा और पोषण दोनों लक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं।

मध्यान्ह भोजन योजना की कमियां

1. विद्यालय में बनने वाले भोजन में अच्छी गुणवत्ता नहीं है।
2. भोजन मेन्यु अनुसार नहीं बनता।
3. जो सब्जी सस्ती होती है उसको सप्ताह में ज्यादा दिन बनाया जाता है।
4. रसोईघर में साफ-सफाई न होना।

निष्कर्ष

भारत एक गरीब देश है जिसमें वर्तमान में गरीबी 29 प्रतिशत है, यह योजना बच्चों में गुणात्मक मानव संसाधन तैयार कर भारत को विकसित देश बनाने में योगदान दे रही है। योजना के प्रारूप एवं क्रियान्वयन को प्रभावी बनाना जरूरी है। गरीब बच्चों के लिए मध्यान्ह भोजना वरदान साबित हो रही है।

माध्यमिक शिक्षा की दशा में कुछ हद तक सुधार हुआ है। विद्यालय में छात्रों की प्रतिदिन उपस्थिति 80 प्रतिशत से अधिक रहती है। बच्चों को पूरी कैलोरी मिल जाती है, कुपोषण से बचाया जा सकता है अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाएं रसोइया का काम करती हैं जिससे महिला सशक्तीकरण हो रहा है। सभी जाति के बच्चे एक साथ बैठकर खाना खाते हैं जिससे बच्चों में सामाजिक समरसता की भावना का विकास हो रहा है। बच्चों में अच्छी आदतां का विकास हो रहा है, गरीब बच्चों की भुखमरी दूर हो रही है। स्कूल में मध्यान्ह भोजन मिलने की वजह से पंजीकरण संख्या में बृद्धि हुई है। विद्यालय में पढ़ने वाले लगभग सभी बच्चे निम्न आय वर्ग से संबंधित हैं, जिनके मुखिया मजदूरी करते हैं तथा अपने बच्चों को निजी स्कूलों में शिक्षा दिलवाने में असमर्थ हैं।

सुझाव

शिक्षकों ने कहा कि मध्यान्ह भोजन ब्यवस्था करने में अधिक समय ब्यतीत हो जाता है इसलिए पढ़ाने के लिए पूरा समय नहीं दे पाते। मध्यान्ह भोजन ब्यवस्था के क्रियान्वयन के लिए एक अलग से कर्मचारी लगाना चाहिए। बच्चों को मिलने वाले भोजन को पकाने से पहले अच्छे से साफ कर लेना चाहिए तथा सफाई के मानकों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। भोजन गुणवत्तापूर्ण होना चाहिए। भोजन नियमानुसार मेन्यु आधारित बनना

चाहिए। बच्चों को साफ-सफाई और अच्छी आदतों के बारे में प्रतिदिन शिक्षकों को प्रार्थना के समय देना चाहिए जिससे बच्चे संस्कारवान बने। कम्प्यूटर शिक्षा सभी छात्रों को माध्यमिक स्तर पर दी जानी जाहिए। रसोइया के रूप में दलित एवं विधवा महिलाओं को रोजगार देना चाहिए जिससे वास्तविक महिला सशक्तिकरण हो सके।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. पाण्डेय, बैजनाथ : 2007, पूर्ण साक्षरता के लिए वरदान : मिड-डे मील कार्यक्रम, कुरूक्षेत्र मासिक पत्रिका, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली वर्ष 53, अंक 11 पृष्ठ 13-14।
2. द्रेज, ज्यां व खेरा, रीतिकाः 2008, प्राथमिक स्कूलों में मध्यान्ह भोजन-समता के लिए अपरिहार्य, योजना मासिक पत्रिका, नवंबर
3. CAG: 2009, audit evaluation of mid-day meal scheme p 24-26, www.cag.gov.in/sites/default/fites/cagpdf/compedium_performance_audit_reviews_evalution_middaymeal_scheme_pdf.
4. खान, डॉ. मोहम्मद इसरार, मौर्या, सोनम, 2016 मध्यान्ह भोजन योजना का बच्चों की शिक्षा व स्वास्थ्य पर प्रभाव, International Journal Of Applied Research, IJAR 2016: 2(8), P 834-837, IF-5.2
5. खान, डॉ. मोहम्मद इसरार, डॉ. राजकुमारी, 2016 मध्यान्ह भोजन योजना का सूक्ष्म आयामी मूल्यांकन, International Journal Of Multidisciplinary Research And Development, P 384-389, IF-5.72
6. कुशवाहा, डॉ. मंजू, सिंह, डॉ. जयः 2016, सतना जिले में शिक्षकों के दृष्टिकोंण का स्वसहायता समूह द्वारा मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम के कार्य निष्पादन का एक समीक्षात्मक अध्ययन, International Journal Of Multidisciplinary Education And Research, ISSN 2455-4588, P 38-41, RJIF-5.12
7. कुमार डॉ नागेन्द्र : 2016, जनपद अंबेडकरनगर के प्राथमिक विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन योजना के प्रति विभिन्न वर्ग के शिक्षकों एवं अभिभावकों की अभिवृत्ति का तुलनात्मक अध्ययन, Journal Of Socio-Educational And Cultural Research; Vol 2 July ISSN 2394-2878
8. जैन, ज्योत्सना, साह, मिहिर : 2005, मध्यप्रदेश में अंत्योदय अन्न योजना एवं मध्यान्ह भोजन योजना Ecnomic And Political weekly, 26 November.
9. Mid-day Meal : www.middaymeal.com
10. सर्वशिक्षा अभियान प्रोग्राम : 2011, जून http://www.ssa.nic.in
11. पाठक, पी डी : 2007, भारतीय शिक्षा और समस्याएं, अग्रवाल प्रकाशन आगरा।
12. सिंह, अभय : 2016, उत्तरप्रदेश में कुपोषण एवं खाद्य सुरक्षा कानून-लोक राजनीति का परिणाम, International Journal Of Scientific And Innovative Research Studies
13. कौर, श्रीमती भूपेन्द्र व सिंह, डॉ राजकुमारी : 2017, मध्यान्ह भोजन योजना कार्यक्रम के स्वीकार्यता तथा मुरादाबाद जिले के प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत छात्रों के नामांकन पर इसके प्रभाव का अध्ययन, International Journal Of Education And Science Research 4(4) P 43-51
14. यादव, योगेन्द्र : 2015, बुन्देलखण्ड की भयावह स्थिति पर सर्वे रिपोर्ट।
15. साहनी, चंद्रशेखर : 2014, mid-day meal scheme : achievements and challaenges, International Journal Of Humanities And Social Science Invention. Vol 3 (10) P 6-9, October.

16. वर्मा, ललिता, Impact of mid-day meal programme in India : A Review, International Journal Of Multidisciplinary Approach And Studies, 2348-537X, P 151-158.
17. Government Of India : 2016 National Programme Of Nutritional Support To Primary Education; Mid-day Schemes, Ministry Of Human Resource Development, September.
18. मांडा, सतपाल : 2017, शिक्षा के सार्वभौमीकरण के लिए मध्यान्ह भोजन योजना, Journal Of Advances And Scholarly Research in Allied Education, Vol 12(2) January 2230-7540.
19. अफ्रीदी, फर्जाना : 2005, Mid-day Meal In Two States, Economic And Polital Weekly, April, 9.
20. Government Of India : 2002, Report Of The High Level Committee For Formulating A Long Term Grain Policy, Ministry Of Consumer Affairs, Food And Public Distribution, New Delhi.
21. Government Of MP : 2003 Human Development Report Of MP Bhopal
22. UNDP : 2005, Human Development Report Newyork
23. Zaidi, Annie : 2005, Food For Education, Front line February 26 – March 2011
24. Uma : 2016 mid-day meal scheme and primary education in India, Quality Issues, International Journal Of Scientific And Research Publication, 3(11).

SHODH CHETNA – YEAR-7, VOL. 3 (JULY TO SEP., 2021) ISSN : 2350-0441
A Peer-Reviewed
International Referred &
Multifocal Research Journal
IMPACT-FACTOR 5.299
Paper Recieved : 25th Aug 21 Paper Accepted : 4th Sep 21

Reservation: An Agreement for Utilitarian society

❐ Dr. Harish Kumar Sharma*

ABSTRACT

The reservation system, which is an affirmative action policy, seeks to ensure that socially disadvantaged individuals in India have the right to "equality of opportunity." Many objections have been raised about the policy since it was enshrined in the Indian Constitution, including the policies real consequences and the reasonableness of criteria for eligible groups. Reservation is one of the most divisive issues in this country that has raged for years.This article seeks to remove the smudged picture of reservation and show the true element of this policy. Positive elements include the target demographic's social and economic development, a growth in the number of "elites" among them, a better knowledge of their own rights, and the activation of social movements.On the other hand, the negative aspects include a widening gap between those who benefited from the policy and those who do not, increased anti-reservation policy feelings and activities among non-entitled people, pervasive jealousy of and antagonism toward the entitled people, and acts of violence against them as a result of such awareness of the imbalance.

This article concentrates on the difficulties surrounding the reservation system in contemporary India, namely the element of cream layer, which provides a clear insight as to how this policy originated and was made available to the public. The court decision provides us with a clear indication of how the filtration process works in India. Finally, this article provides a reasonable framework for thinking about social justice since, reservation is also a form of justice, but it requires considerable adjustments to ensure that only those who deserve the benefits receive them. Another scale reflects the meritocracy; India should not compromise on this; for a progressive society, it is vital to be internationally competitive, and education reform will make a difference here. Reservation without consideration is an agreement not a contract for Indian utilitarian society, and the major consideration for this society is social reform.

* [1]Associate Professor, Dept. of Law, D.S. College, Aligarh.

Saints, I see
The world is mad
If I tell the truth
They rush to beat me
If I lie, they trust me

—Kabir

To be seen in the true sense, the society of India is rocked by this thought.And while writing this, just one question is being asked to me, what have we given to ourselves in these seventy-three years except for hate, social discrimination, riots, religious intolerance, loss of humanity, corruption and oppressive nationalism in India. Our India is a bouquet with more thorns than roses. And one of those thorns is a reservation. The definition of the word reservation sounds easy to say and to hear.But in reality, because of this term, the society of India is divided into two forms. (i) Reservation Seekers - Who says this every time that there has been a lot of exploitation with us in the past. Therefore, reservations are required for our upliftment. (ii) Reservation not Seeker – Reservation is something that is promoting incompatible candidate that can hamper the growth of the nation in future. Therefore, reservationis not necessary for disturbing the status quo and justice in society. And due to these two mindsets, the debate of reservation never comes to healthy discourse. In the world of phycology these areas of conflict in the society divided into two category-

Confirmation Bias – Confirmation Bias refers to the propensity to seek proof that confirms rather than contradicts one's preconceptions, usually through interpreting facts to validate current views by denying or dismissing all contradictory results (American Psychological Association).2 In a simpler sense whatever community I belong to, whatever the people of that community believe, I will embrace the same.

Selective Avoidance– This is a very normal mentality among Indians, and as a result, the logical dilemma or conclusion for many problems in Indian society is never reached to end. According to this terminology, due to our confirmation biases, our belief system became so much robust, that we don't listen to the counterargument.

These two mindsets are not good for our society. A good society is not that, in which your interest is at the privileged position rather you being an individual should have an original position or neutral perspective in each and every issue. According to John Rawl in his book 'theory of Justice', he mentioned that the concept of'justice' should be free from biases. Rawls defines justice as fairness based on particular conceptions of the ideas that humans are free and equal, and that society should be just3. John also stressed the phrase ***"Veil of Ignorance,"*** which refers to a position in society in which one does not know what role he or she would be allocated to (rich, poor, privileged, unprivileged, joyful, or unhappy) — A birthday celebration had eight guests, and each of them was to be served cake. And because you were blindfolded when cutting the cake, you didn't know which piece you'd get, and if you knew before cutting the cake, it would be prejudiced. When people are completely unaware, they will accept decisions regarding the laws and organization of a potential community that will be equal to all citizens. This concept also ensures a reasonable opportunity for the weaker sections. This concept of John Rawls was more cleared with the theory of "Rene Descartes" he was the fiercest rationalist, he believes in nothing more than the human power of logic. In his book "Rules of direction of the mind" he talked about "Introspection guided by definition, sound arguments and clarity of thoughts could

achievable". He believes much of what was wrong with the world was caused by misusing our mind by confusion, biasness and bad definition. To resolve such conflict in society, an individual must be neutral, objective and impartial4.Reservation is a subject whose discourse component circles around a question that necessitates a great deal of pragmatism, objectivity and neutrality.

Smudgy image of Reservation

God's most unique structure is the human body. However, if any portion of the body fails to function effectively, the problem begins, and its worth begins to become hazy. Doctor medications assist us in avoiding this problem. Similarly, the reservation functions as the same drug. Our society is analogous to a physical structure. If there is a limitation in that bodily structure, legislation such as reservation can help to resolve that physical disability.Reservations inside India are like a complicated jigsaw. The origins of this conundrum may be traced back to India's Varna system. There are several theories behind the origin of the caste system. According to religious theory, in Rig Veda, the primal man destroys himself to create our society. People of different categories that is, "Varna" came out of their different body parts. From the head came out the Brahmin - the intellectuals and Knowledgeable ones and it is believed that they were responsible for our education. From their arms came out the Kshatriyas that were strong and hence considered as warriors. From their thighs came out the "Vaishyas" - the traders and from their feet came out the "Shudras" that do menial jobs in our society5. In Rigveda this is also known as "Purushashukta" One category is missing from this entire system – That’s of Dalits. The word Dalit does not appear in the Rig Veda It is believed that the term Dalit was introduced in the Bhakti era. According to Dr B.R. Ambedkar, Dalit practice began around 400 A.D when Brahminism and Buddhism were competing for supremacy6. Another theory talks about the concept of "Purity", In every part of the world, the human being has different kinds of social structure. In India that social structure was a vocation, that defines a group of people and that's how Jati or clan of people came into the picture. These clan of people or Jati became a genetic pool they share things within that group of peoples who belongs to them and what belongs to them is judged by blood ties and vocation. These Jatis started to organizing themselves along with the 'hierarchy of purity. Now traditionally everywhere in the world have a hierarchy based on economics and political powers, this is universal. But ‘hierarchy of purity is no universal concept. According to this concept, some Jatis considered themselves to be pure and some being considered, from birth, to be impure7.Dalit were the people who were considered to be Impure. They clean sewers, garbage and sometimes human faeces. During the 19th century, Britishers hold autonomy in India and make our caste system rigid and institutional.The rationale for instituting the caste system is to make administration easier for Britishers. Henry Waterfield, who was an employee at the statistics and commerce department during the British regime talked about the herculean and painful task to classify the caste system in India8. Castes were institutionalized, and Dalits were acknowledged, to simplify India's complicated caste structure. However, as time passes, the caste structure takes a horrifying turn towards the lower caste, they face social discrimination as a result of their social marginalization.Social prejudice has resulted in a complicated grip on Indian society, due to which there are many wicked landmark examples found in the society.

Story of Nangeli - The story of Nangeli is a mirror of those evils of the society, by which the society looks hollow.This society reminds us of that era, where only dead people can call themselves free. Murali T, an artist, was reading through an in-house magazine of a local bank four years ago when he came across a tiny story about Nangeli, written by a native from her town, Cherthala. The state of Travancore did not meet Kerala before independence. Travancore was a princely state in the British era. During 1800, Travancore has two taxes imposed by the upper caste society on the people of lower caste. Lower caste males were required to pay "Head tax," while lower caste females were required to pay "Breast tax." During 1802-03, Nangeli was a female who belongs to that lower caste, namely the Ezhava caste. For this caste, it was necessary that female would not cover the upper portion of the body. If a lower caste woman covered their breasts, they would have to pay tax. And at that time the king's collector used to collect this tax on a door-to-door basis. Nangeli, who is also from this community, refused to pay the tax. As a result, the king sends his soldiers to collect tax from Nangeli at her residence on one such day. Nangeli was so disgusted by this attitude that she cut her breast and delivered it to the king as a complaint.Her efforts were brave, a sacrifice for the wellbeing of all Travancore women, and this act eventually compelled the King to repeal the breast tax.9

Effervescent leader Dr B.R. Ambedkar– B.R. Ambedkar is well-known to us because our civics chapter briefly mentions this magnificent legend for his work on Indian democratic value. He is considered the father of the Indian constitution. Dr B.R. Ambedkar was the first person from his caste who completed his college education and went to England to become a lawyer. He is best known as a leader of Harijans or Dalits, the Faught for the rights of the Dalit community. The biggest contributions in the 20th century against the caste system was arguably been that of B R Ambedkar. He has written popular books like "Annihilation of caste" and "The emancipation of the untouchables”. He was demanding separate representation for the lower caste that he also referred to as “oppressed” or “depressed” class. Separate representation not just against the British, but also against the Brahmins. He organized a Depressed classes Congress in 1930 in Nagpur and declared that for the safety of the depressed classes, they need Independence from both the British as well as the Congress10. In August 1932, British Prime Minister Ramsay MacDonald accepted the demands of Dr B.R. Ambedkar and decided to allot separate electorates for the depressed classes under which all the minorities namely Mohammedans, Parsis, Anglo-Indians and depressed classes were being granted a separate electorate11. When Gandhi heard that the British had provided separate electorates to the Dalits, he declared a fast till death, believing that this policy was causing a schism between the Harijans and the rest of the Hindus.Dr B.R. Ambedkar remained unmoved; he believed a separate representation was the way to the upliftment of the depressed classes. But when Gandhi’s health begins to deteriorate, Dr Ambedkar had no other option he had to negotiate in what came to know as the "Poona pact”. Gandhiji reassured him that instead of separate electorates, more reservation could be provided for the depressed classes in the joint electorates. Later in life, he converted himself to Buddhism in his search for a religion that treats all the members of society equally. Dr Ambedkar's success was the outcome of his prior exploitation of him. Since they were children, they have witnessed a community of blind people. A society

that never questions those in positions of power. He belongs to the Mahar community (lower caste in the Maharashtra region), his father belongs to an Army service due to which he got the privilege to study in school. In his autobiography, he stated that "He was the only child who belongs to Dalit community in that school", he used to sit outside the classroom and water kept separately for him. When he passed 4th-grade class the whole community celebrate this as an occasion because he was the first from his entire community to do so. This was not only individual discrimination but also this was social discrimination.

The role of the reservation is to uplift a set of people (as mentioned in the above example) from society and bring them to equal status. Indian constitution talks about a society that is welfare, equal to all and utilitarian at the same time. Reservation is a product of affirmative action to bring social justice to society. Affirmative action is a government (or private) program designed to redress historic injustices against the specific group by making special efforts to provide a member of these group with access to educational and employment opportunity12. In a nutshell, reservation in India refers to the practice of reserving seats in government employment, educational institutions, and even in politics for particular segments of society. The reservation, also known as affirmative action, is a result for doing positive discrimination in society. The positive discrimination concept is necessary for a country like India. We are the world's largest democracy and to ensure diversity in advanced education, equality in the workplace and maintaining humanity, we are bound to make such benevolent laws.

Adjudication on Meritocracy

One of the major sections of society thinks opposite or against reservation. The fundamental point of contention revolves upon meritocracy. One of the few ambitions shared by scholars across the mainstream spectrum is the creation of a meritocratic society, that is, a society in which all individuals who get to the top do so only based on their qualities and capabilities (rather than thanks to unfair privilege: upper-class parents, a friendship with the boss etc.). All governments in the Western world have (in principle!) the same goal: to build a hierarchy based on genuine ability, replacing snooty, chinless halfwits with the meritorious, wherever they may be found and whatever age, colour, or gender they may be13. Meritocracy is important for future need; it would be progressive for our society and the demand for the future especially in India can be tackled through a progressive mind. According to psychology, the two main sources of meritocracy is gene and society. Society moulds the result of merit since it's a social product. But this progressive society has its flaws. Meritocracy is a self-undermining project; it talks about rewards should distribute according to talent. But the production of talent itself is a function of resources. Another major cause of worry is the inheritable capital. Meritocracy ensures that individuals who thrive in the meritocratic game pass on their meritocratic edge to their progeny by amassing massive wealth; it's a vicious cycle. High human capital individuals marry other high human capital individuals, resulting in a new caste structure based on merit.

For example, America – The concept of Meritocracy started way back centuries. However, it took off in America in the 1950s due to dissatisfaction with an inept yet excessively wealthy aristocracy. In a quest to diversify the elite and increase social mobility for the working class, a group of reformers came together (James Bryant Conant, President of Harvard University,

1955-1957, Kingman Brewster, President of Yale, 1963-1977 and Clark Kerr, President of UC Berkeley, 1958-1967) and decided that " Society must offer enough opportunity for Talent to combine with an effort so that anyone could rise and excel. However, in the 1950s America was consumed by racism and segregation. Black and Native American children were not taught with white children, often had less access to resources. Nevertheless, the term meritocracy took hold, and society embraces merit as the key way to unlock the American Dream. But due to these competitions, meritocrats create a gap between rich and poor. Therefore, according to me, Meritocracy is a myth. And it's a dangerous one because it legitimises inequality and creates a social stratification. Education was supposed to be a driving force behind social mobility and racial integration. America can never be a full meritocracy, as long as they define merit. Equation for meritocracy

Ability + effort = merit

Ability + effort + opportunity + social good = meritocracy.

Legal History of Reservation

As Marcus Garvey said, "A people without the knowledge of their past history, origin and culture is like a tree without roots" and reservation is that tree of Indian society, which is huge, but its trunk and root is very long and tangled. Chhatrapati Shahu Maharaj sowed the seed of this huge tree.Raja Shahuji Maharaj of Kolapur systematically arranged the policy for reservation in the history of modern India. Shahu Maharaj, a descendant of Shivaji, became the king of Kolapur on 17 March 1884. When Shahuji took power, the untouchables were not admitted to the hospital at that time. As soon as he took power, he issued a governing order "Untouchables will be given honorary treatment and in violation of this order, the employees will have to resign from their work." During his reign Out of 71 posts in Shahuji's court, 60 went to Brahmin and 11 to Non-Brahmins. Similarly, out of 52 posts in private services, 45 were Brahmin officers and only 7 posts were non-Brahmin officers. In light of these circumstances, Shahuji implemented a reservation policy to allow all parts of society the opportunity to represent and work in the court14.The notion of "backward classes" reservation was initially introduced in 1881 by **Mahatma Jyotiba Phule** in his testimony before the Hunter Commission, which was created by the British government to assess the quality of elementary and secondary education in India. While adopting his reservation programme in 1902, Chhatrapati Shahu is said to have been inspired by Jyotiba Phule15.

The modern reservation system was established in 1933 when British Prime Minister **Ramsay Macdonald** gave the 'Communal Award.' Separate electorates were established in the award for Muslims, Sikhs, Indian Christians, Anglo-Indians, Europeans, and Dalits. After lengthy talks, Gandhi and Ambedkar formed the **'Poona Pact,'** which established a unified Hindu electorate with limited reservations. Initially, reservations were exclusively available to SCs and STs after independence. On the recommendations of **the Mandal Commission,** OBCs were included in the scope of quota in 1991.The Mandal Commission, also known as the Socially and Educationally Backward Classes Commission (SEBC), was founded in India on January 1, 1979, with the purpose of "identifying the socially or educationally backward classes" in the country. It was set up by the late Indian legislator B.P. Mandal to look into the issue of reservations for individuals to address caste discrimination, and it employed eleven social,

economic, and educational indicators to define backwardness. The Commission submitted its report to the President on 31st December 1980.

The Commission reported that 52% of the country's population was comprised of OBCs. initially, the commission argued that the percentage of reservation in government service should match this percentage. However, this would have gone against an earlier Supreme Court ruling which had laid down the extent of the reservation to under 50%. There was already a 22.5% reservation for SCs and STs. Therefore, the figure of reservation for OBCs was capped at 27% which when added to the already existing reservation would be below the 50% mark16. The Commission also identified backward classes among non-Hindus(e.g., Muslims, Sikhs, Christians, and Buddhists). Employment opportunities for the "backward classes" improved the economic situation of the so-called "backward classes" but the implementation of the report providing reservation to the backward classes further deepen the class divide between the upper and lower class. This led to an Orwellian situation where some castes will be more equal than others. It will strengthen the caste system because genetic heritage will become the basis for discrimination. Caste-based quotas will lay down those privileges that should be extended to the groups and not to the individuals. Words have a power to shape thoughts, and similar thought was propounded by our judiciary and introduced to us with a concept called "Creamy layer".

The process of Filtration -

The expression 'means-test and creamy layer' first found its mention in the Supreme Court's landmark judgment in the **Indra Sawhney vs Union of India case of 1992**[17] (also known as Mandal Commission case), that was delivered by a nine-judge Bench on November 16, 1992.

The creamy layer was once characterised as "certain members of a backward class who are socially, economically, and educationally advanced in comparison to the rest of the community's members." They are the advance portion of that specific backward class, and they consume all of the advantages of reservations meant for that class, without enabling advantages to reach the backward members." The Court also asked the Central government to fix the norms for income, property and status for identifying the creamy layer. In 1993, Union Government had appointed **Justice Ram Nandan Committee** to identify the creamy layer among the social and educationally backward classes. The Committee submitted its report on March 16, 1993, which was accepted by the Government of India. **The Supreme Court in September 1993 said that the benefit of the reservation should not be given to OBC children of** constitutional functionaries such as the President, Judges of the Supreme Court and High Courts, employees of central and state bureaucracies above a certain level, public sector employees, and members of the armed forces and paramilitary personnel above the rank of colonel.

Hence,the creamy layer income criteria were defined on gross annual income of parents from all sources more than Rupees 1 lakh in 1971. It was subsequently revised to Rupees 2.5 Lakh per annum in 2004 and revised to Rupees 4.5 Lakh in 200818, Rupees 8 Lakh in 201719. In October 2015, the National Commission for Backward Classes (NCBC) proposed that the person belonging to Other Backward Classes (OBC) with a gross annual income of parents up to Rupees 15 lakhs shall be considered as a minimum ceiling for OBC to avail of reservation in government jobs and educational institutions[20].

In ***Indra Sawhney V. Union of India***, The Supreme Court has once again ruled that the Kerala State Reservation Act is unconstitutional due to the non-exclusion of the concept "creamy layer" among the backward classes. The court remarked that the 'creamy layer' in backward classes is to be regarded "on par" with already privileged classes and is not entitled to the advantage of reservation and that if the creamy layer is not removed, there would be discrimination.Non-exclusion of the creamy layer will also be violative of Art. 14, 16(1) and 16(4) of the constitution since unequal (creamy layer) cannot be treated as equals that are to say that equal to the rest of the backward classes. Any executive or legislative actions refusing to exclude the 'creamy layer' from the benefits of reservation will be violative of Art. 14, 16(1) AND 14(4) of the Constitution. The court directed that as long as the State of Kerala does not bring about any alternative provision to exclude the creamy layer in backward classes the recommendation of the justice K.J. Joseph will operate for identification of the creamy layer in Kerala.

How was the creamy layer made applicable to SC/ST members?

The case of ***M. Nagaraj & Others vs Union of India & Others***[21] is a watershed moment in Indian legal history. The court had dealt with a challenge to constitutional changes aimed at nullifying the effects of judgments, including that in the well-known Mandal case, on the reservation in promotion for scheduled caste and Scheduled Tribes employees in the case.

In the ***Nagaraj case (2006)*** the issue had arisen regarding the validity of the following four Constitutional amendments, claiming that these amendments made by the government were meant to reverse the decisions made by the Court in the Indra Sawhney Case, 1992:

77th Constitutional Amendment Act, 1995[22]: The Indra Sawhney decision said that there will be no reservation in initial appointments or promotions. But the government through this amendment introduced Article 16(4A) to the Constitution, authorising the state to create provisions for reservation in areas of promotion to SC/ST employees if the state believes they are not sufficiently represented.

81st Constitutional Amendment Act, 200023: It introduced Article 16(4B), which says unfilled SC/ST quota of a particular year, when carried forward to the next year, will be treated separately and not clubbed with the regular vacancies of that year. While the Supreme Court in the Indra Sawhney Case capped the reservation quota at 50%, the government by this amendment ensured that 50% ceiling for these carried forward unfilled posts does not apply.

82nd Constitutional Amendment Act, 200024: It inserted a condition at the end of Article 335 that enables the state to make any provision in favour of the members of the SC/STs for relaxation in qualifying marks in any examination or lowering the standards of evaluation, for reservation in matters of promotion to any class or classes of services or posts in connection with the affairs of the Union or of a State. Constitutional Provision: Article 335 recognises that special measures need to be adopted for considering the claims of SCs and STs to services and posts, to bring them at par. It is read as: "The claims of the members of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes shall be taken into consideration, consistently with the maintenance of efficiency of administration, in the making of appointments to services and posts in connection with the affairs of the Union or of a State."

85th Constitutional Amendment Act, 200125: It provided for the reservation in the

promotion can be applied with 'consequential seniority for the government servants belonging to the SCs and STs with retrospective effect from June 1995.

Key Pronouncements of M. Nagaraj Case (2006)

In this judgement, the Court established three requirements for the promotion of SCs and STs in public employment: the government cannot implement quotas unless it can demonstrate that the specific group is backward, poorly represented (based on quantitative facts), and providing reservation in the promotion will not harm the general efficiency of public administration. Although the five-judge Bench in the Nagaraj case supported the constitutional legality of all four amendments, the Supreme Court's subsequent two validations, in this case, became a source of controversy.

First - the Court ruled that the state is not required to create reservations for SC/ST employees in terms of promotions. However, if they desire to use their discretion and establish such a provision, the State must collect quantitative data demonstrating the class's backwardness and inadequacy of representation in public employment, in addition to complying with Article 335.

Second: Also, it reversed its earlier stance in the Mandal case, in which it had excluded the creamy layer concept on SCs/STs (that was applicable on OBCs). The verdict in Nagaraj case made clear that even if the State has compelling reasons (as stated above), the State needs to ensure that its reservation provision does not lead to excessiveness- breaching the ceiling-limit of 50%, or destroying the creamy layer principle, or extending the reservation indefinitely. Therefore, the Court extended the creamy layer principle to SCs and STs too in this verdict[26].

Furthermore, the Centre requested that the Court reconsider its position on the two problems raised above. Collecting quantitative data on backwardness contradicts the Mandal case decision, which stated that Scheduled Castes and Scheduled Tribes are the most backward of the backward classes. As a result, it is assumed that if they are added to the Presidential List under Articles 341 and 342 of the Indian Constitution, there would be no need to prove the backwardness of the SCs and STs all over again. The said List cannot be altered by anybody except Parliament under Articles 341 and 342- defining who will be considered as SCs or STs in any state or Union Territory[27]. And, the creamy layer concept has not been applied in the Indra Sawhney case. In ***Jarnail Singh versus Lachhmi Narain Gupta (2018)***[28], the Court clarified its position by declining to refer the aforementioned matter to a larger bench. This case is popularly known as 'Reservation in a Promotion Case' A five-judge panel comprised of Former Chief Justice of India Dipak Misra, Justice Kurian Joseph, Justice RF Nariman, Justice SK Kaul, and Justice Indu Malhotra reviewed a prior case dealing with reservation for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in promotions to Government employment or public services. Justice Nariman held that the entire aim of the reservation is to provide the backward classes with an opportunity to grow so that they might be on an equal footing with the rest of the privileged citizens of India. If the members of the creamy layer are included in this reservation, the backward classes will stay such. Justice Nariman further stated that individuals who are not classified as belonging to the backward classes because they are classified as belonging to the creamy layer are not eligible for quota.

However, it overturned the need that states gather quantifiable data on the backwardness of SCs and STs while providing quotas in promotions, as put forth by the Court in the Nagaraj judgement, but states must back it up with relevant evidence proving the inadequate representation of SCs and STs in the cadre. The Court followed the Nagaraj ruling in prohibiting the well-off among the SC/ST community from benefiting from the creamy layer principle. The Court ruled that the socially, educationally, and economically advanced cream of Scheduled Castes/Scheduled Tribes groups must be excluded from the advantages of reservation in government services to pass quota advantages to the weakest of the weak and prevent them from being stolen away by members of the same class who were in the "top creamy layer." The government has now asked the Supreme Court to revisit its decision in the Jarnail Singh case regarding the application of the creamy layer concept.

Data is the key for the application of a creamy layer, but in recent year the root of this whole concept was challenged. In the case of **Mukesh Kumar and the state of Uttarakhand 2020**[29], the matter was that the High court had asked the state to find quantifiable relating to the adequacy of representation of persons belonging to scheduled caste and Scheduled tribe. The court also held that it's a prerequisite to providing quantifiable data. If the policy of reservation is being implemented by the state government. The court here stresses upon the fact that, Art. 16 (4) and Art. 16 (4-A) are not fundamental rights, they refer to ***Ajit Singh case***[30]. Further, the court held if the states are willing to implement the provision for reservation in promotion, then the state had to collect quantifiable data and not when the state did not want to implement the policy. This judgement reflects that the state is not bound to make the decisions for reservation. It also reflects that how the court is against the concept of positive rights which says, "A right implies an obligation".

The Middle Path

Reservation has resulted in an increased representation of disadvantaged groups in public administration and higher education institutes, but the question is what influence it has had on their lives.According to studies, it has had a good influence on their lives overall, but there is still much space for growth even now.For example, according to studies, the proportion of SC in government employment has grown by 0.6 per cent, but ST has no such influence on paid positions as of now[31]. Another study found that OBC students' morale improved as a result of reservation in government positions, and they began studying more. On average, a student begins studying for an additional eight years as a result of reservations[32]. If we talk about reservation in political scenes, then we see a mixed impact. According to one study reservation Gram Panchayat has resulted in a decrease in poverty among the STs but a similar impact was not seen in SCs[33] but another paper shows that reservation and politics has not only resulted in more jobs for scheduled caste and Scheduled Tribes but government schemes have also started targeting them more[34]. Another study tried investigating the impact of quotas in Panchayat elections we found out that because of these coaters the people from the disadvantaged group get more it from MANREGA scheme and there is improvement in their roads, water and education as well[35]. Another study that was conducted in Rajasthan found that when SC Sarpanch elected then the entire community benefits in many ways[36].After looking at all these researches, it seems that society is going to a better turn. The policy of

reservation has brought some changes in seventy-three years, but this change could not bring down the poor wall of society to date. Reservation cannot change everything, same research also said that despite SC Sarpanch, the relationship between different caste did not change much within the village and we have seen many such examples that reservation wouldn't necessarily result in changing the undercurrent of the society37.For example, in the year 1947, the country gained independence, ushering in a new era of optimism for India. Balwant Singh, a young man, decided to become an IAS to contribute to the Neo-liberal country and bring change in social perspective, he wanted to portray an example in front of society. Balwant Singh Ji dreamed of an ideal country by becoming an I.A.S officer, but could this dream come true? According to Balwant Singh, the roots of casteism are so deep that it is very difficult to get out of them. He was told that the IAS was only a means to eat his bread, it could not become a reason for self-respect38.Balwant Singh Ji resigned from the I.A.S in 1962, hence it has been approximately 50 years. 50 years is a long period, but has there been any shift in thoughts towards the caste system in Indian since then? Unfortunately, no; in fact, we have deteriorated from bad to worse.

Society needs a drastic change in their thinking and this could only happen if we balance the scale between social justice and the merit system. India has indeed lost its tryst with destiny, because of a closed mindset and inadequacy of democratic actions. But it could be revived by this middle path. Justice is one of those concepts that everyone talks about all the time without actually defining what they mean. Activists discuss economic justice, police and attorneys discuss criminal justice, and parents, teachers, and students discuss justice frequently, but they never use the phrase. When there is a fight on the playground or you receive a grade, you believe you do not deserve it, we find ourselves debating what is fair. This brings us to the idea of justice. We think we know what justice is, but we probably don't, or at least we don't agree on it. Is justice concerned with the standard of living? What about health access? Are we getting what we deserve? Are we getting what we need? All of these questions may be summed up and addressed with the phrase"Justice is Fairness" which says, any inequalities that exist in the social system should favour the least well because of this level the playing field of society. Reservation is also a form of justice, but it requires considerable adjustments to ensure that only those who deserve the benefits receive them. Another scale reflects the meritocracy; India should not compromise on this; for a progressive society, it is vital to be internationally competitive, and education reform will make a difference here. Reservation without consideration is an agreement not a contract for Indian utilitarian society, and the major consideration for this society is social reform.

“Social reforms are never caried out by the weakness of the strong;
but always by strength of the weak”

— Karl Marx

Reference

2. Iqra Noor, Confirmation Bias,Simply Psychology, June 10, 2020, https://www.simplypsychology.org/confirmation-bias.html.
3. A Theory of Justice [TJ], Cambridge, MA: Harvard University Press. Revised edition, 1999. The page citations in this entry are to the 1971 edition.
4. Voss, Stephen (ed.), 1993. Essays on the Philosophy and Science of René Descartes. New York: Oxford University Press.

5. Manali S. Deshpande, History of the Indian Caste System and its impact on India today, SOCS 461, 462, California Polytechnic State University, San Luis Obispo Fall, 2010.
6. Kanmony, Jebagnanam Cyril (2010). Dalits and Tribes of India. Mittal Publications. p. 198. ISBN 978-81-8324-348-3.
7. Devdutt Pattanaik, classifying Jati, Indian Mythology
8. Nicholas B. Dirks, Caste of Mind Colonialism and the Making of Modern of India, P.43 (Princeton University Publication, 2001)
9. P.S. Menon, The Breast Tax, Become Shakespeare.com (Pub. 8 August 2019).
10. Keer, Dhananjay. Dr Ambedkar: Life and Mission. Bombay: Popular Prakashan, 1971 [1954]. http://www.columbia.edu/itc/mealac/pritchett/00ambedkar/timeline/1930s.html (Dr. Ambedkar contributed to this biography. Sometimes quotations from it have been slightly edited to improve the English prose style.
11. Britannica, The Editors of Encyclopaedia. "Learn about India, its society, the Muslim invasions, and Independence from the British Empire". Encyclopaedia Britannica, 29 Apr. 2021,https://www.britannica.com/place/India/Constitutional-reforms
12. Britannica, The Editors of Encyclopaedia. "Affirmative action". Encyclopedia Britannica, 18 May. 2020, https://www.britannica.com/topic/affirmative-action. Accessed 16 May 2021.
13. On Meritocracy, The School of Life, (Aug 24, 2015), https://www.theschooloflife.com/thebookoflife/the-evils-of-meritocracy/.
14. Satyendra P S,Mandal Commission: Rashtra Nirmaan Ki Sabe Badi Pahal, Pg. 12 (Leftword pg. ed., 2018).
15. Akshay Chavan, The First Reservations in India, live history India (January 17th, 2019), https://www.livehistoryindia.com/story/history-daily/the-first-reservations-in-india/.
16. National Commission for Backward Classes > NCBC Act, (1993)
17. Indra Sawhney vs Union of India case of 1992,Supp. (3) SCC 217 [2]
18. "Income ceiling for creamy layer raised to Rs 6 lakh". Business Standard. 2013.
19. "OBC creamy layer income limit raised to? 8 lakh per annum". The Hindu. ISSN 0971-751X. Retrieved 22 September 2017.
20. Ghildiyal, Subodh (2015). "OBC panel backs off, won't make 'creamy layer' reservation criteria stringent" (online). The Times of India (27 October). Retrieved 26 February 2016.
21. M.Nagaraj & Others vs Union Of India & Others, AIR 2007 SC 71
22. The Constitution (Seventy-Seven Amendment) Act, 1976.
23. The Constitution (Eighty First Amendment) Act, 1976.
24. The Constitution (Eighty-Second Amendment) Act, 1976.
25. The Constitution (Eighty-Fifth Amendment) Act, 1976.
26. Tushar Arora, Case Comment: M. Nagaraj and Others v. Union of India 2007, June 28, 2020, https://www.legalbites.in/case-comment-m-nagaraj-v-union-of-india-2007.
27. The Constitution of India, 1950, Art. 341 & Art. 342.
28. Jarnail Singh versus Lachhmi Narain Gupta, Special leave petition (civil) no. 30621 of 2011, 2018 SCC Online SC 1641, (26-09-2018), India.
29. Mukesh Kumar and state of Uttarakhand, SCC OnLine SC 148, 2020, India.
30. Ajit Singh And Ors vs the State Of Punjab, 2 SCC 715, 1996.

31. Nitish Prakash, The Impact of Employment Quotas on the Economic Lives of Disadvantaged Minorities in India, IZA DP No. 13847, November 2020.
32. Gaurav Khanna, Does Affirmative action incentivize schooling? Evidence from India, The Review from economics and Statistics, Vol. CII, May 2020.
33. Aimee Chin and Nitish Prakash, The Redistributive effects of political reservation for minorities: Evidence from India, NBER working paper 16509, https://www.nber.org/papers/w16509, October 2010.
34. Pande, R. (2003). Can Mandated Political Representation Increase Policy Influence for Disadvantaged Minorities? Theory and Evidence from India. The American Economic Review, 93(4), 1132-1151. Retrieved May 21, 2021, from http://www.jstor.org/stable/3132282
35. GULZAR, S., HAAS, N., & PASQUALE, B. (2020). Does Political Affirmative Action Work, and for Whom? Theory and Evidence on India's Scheduled Areas. American Political Science Review, 114(4), 1230-1246. doi:10.1017/S0003055420000532
36. CHAUCHARD, S. (2014). Can Descriptive Representation Change Beliefs about a Stigmatized Group? Evidence from Rural India. American Political Science Review, 108(2), 403-422. doi:10.1017/S0003055414000033.
37. CHAUCHARD, S. (2014). Can Descriptive Representation Change Beliefs about a Stigmatized Group? Evidence from Rural India. American Political Science Review, 108(2), 403-422. doi:10.1017/S0003055414000033.
38. Singh, Balwant, An untouchable in the I.A.S, B. Singh, 1997, India.

SHODH CHETNA – YEAR-7, VOL. 3 (JULY TO SEP., 2021) ISSN : 2350-0441
A Peer-Reviewed
International Referred &
Multifocal Research Journal
IMPACT-FACTOR 5.299
Paper Recieved : 30th Aug 21 Paper Accepted : 10th Sep 21

कलचुरि काल की मूर्तियों में आभूषणों की सजावट

❑ वंदना सोनी*
❑ डॉ. सुधा सोनी**

शोध सारांश

रूप श्रृंगार की प्रवृत्ति मानव की अपनी प्रवृत्ति है वह सुन्दर दिखने के लिए सौन्दर्य प्रसाधन का इस्तेमाल करता है। अनादिकाल से वह सहज भाव से अपने प्रकृति प्रदत्त रूप को प्रसाधन द्वारा तथा अपने आस-पास के स्थान को भी वस्तु अलंकरण के द्वारा अधिक सुन्दर बनाने का प्रयास करता आया है। इस नैसर्गिक प्रवृत्ति की प्रेरणा सम्भवतः उसे प्रकृत्ति के पल-पल बदलते ऋतु क्रम से ही मिलती है। प्रकृति से मानव अपने रूप सौन्दर्य के साथ वास्तु अलंकार की मनोरम कला को अपनाया धीरे-धीरे यह प्रवृत्ति जीवन का अंग बन गई। जैसे-जैसे मानव का विकास होता गया, उसमें विभिन्न साधनों के द्वारा अलंकरण की रुचि विकसित और परिष्कृति होती गई। फलतः काल भेद, अवस्था-भेद, स्थान-भेद, पात्र-भेद, वास्तु भेद से आवश्यकतानुसार अलंकार के उपादान तथा प्रकार बदलते रहे। गुफावासी आदिम मानव ने गेरू से अपना चेहरा रंगा होगा और अपनी प्रिया के लिए पत्तों की घघरिया और हड्डियों के आभूषण बनाये होंगे। चित्रकूट में श्री राम ने माता सीता का श्रृंगार मनः शिला तथा वन में प्राप्त पत्र पुष्पों से किया था।

मुख्य शब्द—कलचुरि, काल, मूर्तियों, आभूषणों, सजावट, सौन्दर्य, अलंकरण आदि।

प्रस्तावना

राजमहल की स्त्रियाँ और उनकी सेविकायें तथा दरबारी गण और साधारण स्त्रियाँ अपने-अपने स्तर के अनुरूप श्रृंगार करती थीं। शास्त्रों में इस बात का वर्णन किया गया है कि जो स्त्री अपने पति को दीर्घायु चाहती थी उसे कभी भी हल्दी, कुमकुम, सिन्दूर, काजल, कार्पासक (वस्त्र), माङ्गल्यामरण (आभूषण), चूड़ियों आदि का प्रयोग करना तथा केश सवांरना नहीं भूलना चाहिए। विशेष अवसरों पर बाहर जाते समय स्त्रियाँ सुगन्धि का प्रयोग करती थीं तथा पुष्पों से अपने को सजाती थीं। श्रृंगार करने के लिए स्त्रियाँ पुष्पों की माला पहनती थीं तथा पुष्पों को केशों में भी लगातीं और कानों में पुष्प ही धारण करती थीं।

* शोधार्थी, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा (म.प्र.)
** प्राध्यापक इतिहास, शास. कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

कालिदास ने साहित्य में कई स्थलों पर संकेत दिया है कि मंडन-शृंगार की सारी सामग्री प्रकृति से ही प्राप्त हुई है। पूर्व मध्यकाल की कला सौन्दर्य अलंकरण के प्रति प्रेम, प्रकृति मानव तथा देवता में समान रूप से पायी जाती है, आत्मा के सौन्दर्य को निखारने के लिए शरीर की बनावट आवश्यक है। इसलिए ब्रह्माण्डके सभी प्राणियों विशेषकर मनुष्यों में साज-सज्जा के प्रति आकर्षकण सहज ही दिखाई देता है। सुन्दरता प्रकृति की देन भी है। पर नारी सुन्दर न हो तो प्रयत्न से उसे सुन्दर बनाये रखना ही कलात्मक अलंकरण होता है। पूर्व मध्यकाल की मूर्ति कला एवं वास्तु कला अत्यन्त समृद्धशाली रही है। मंदिरों में मूतिर्यों की शोभा के लिए भित्ति स्तम्भों और कल्पलताओं से तथा मूतिर्यों को भी सौन्दर्य प्रसाधन, वस्त्र, आभूषण, आयुध मुद्राओं, मूर्ति विधानों के द्वारा, मूर्ति-कला के गूढ़ तथ्यों को प्रकट करने को शिल्पकार ने सौन्दर्य के रूप में अभिव्यक्त किया है। अतः मंदिरों की मूर्तियाँ धार्मिक दृष्टि से महत्वशाली ही नहीं हैं वरन् वास्तु कला के अलंकरण की दृष्टि से विशेष महत्व रखती हैं। मूर्तिकला में भी वस्त्र आभूषण, केश-सज्जा एवं प्रसाधन के संयोजन से मूर्तियों का सौन्दर्य आकर्षण दिखाई पड़ता है और साथ-साथ पहचान उभरती है। जिससे व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति का प्रदर्शन होता है।

अतः शिल्पकार ने अपने कला के माध्यम से प्राकृतिक सौन्दर्य को दिखाने का प्रयास इन अनगढ़ पत्थरों में कलात्मक शैली से किया है। कला का प्रदर्शन करना मनुष्य की मूल प्रवृत्ति है। मूर्तिकला में अलंकरण वैभवपूर्ण जीवन की झांकी प्रदर्शित करने की उसकी रुचियों व रुझानों के संकेत चिन्ह को अलंकरण का प्रदर्शन अतीत कालीन व तत्कालीन मानवीय क्रियाओं को सर्वोच्च रूप में श्रेष्ठ दिखाने का प्रयास ही है।

प्रसाधन

मानव की सहज शृंगार की अभिव्यक्ति में प्रसाधन का सर्वदा विशेष महत्व रहा है। व्यक्तिगत शृंगार में प्रसाधन सामग्री उपयोग प्राचीनकाल से ही विभिन्न रूपों में किया जाता रहा है। शृंगार प्रवृत्ति की अभिव्यक्ति के अन्य माध्यमों (वस्त्र, आभूषण, केश-सज्जा) की अपेक्षा प्रसाधन सामग्री का सदैव अधिक महत्व रहा है। सौन्दर्य-प्रसाधन के निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। एक शृंगार-सामग्री के विकास क्रम में प्रसाधन सामग्री निश्चित रूप से पहले प्रचलन में आयी है। शृंगार सामग्री के निर्माण और विकास पर दृष्टि डालने से हमें यह पता चलता है कि वस्त्र और आभूषण को धारण करने से पहले ही मनुष्य प्रसाधन सामग्री से भलि-भाँति इससे परिचित हो चुका था। अपने प्रतिदिन के शृंगार में मानव को सबसे पहले अंगराग (उबटन), चन्दन अञ्जन (काजल), सुगंधित जैसे प्रसाधन सामग्री की आवश्यकता पड़ती थी। इसके बाद ही अन्य शृंगार सामग्री का प्रयोग करता था।

शरीर के विभिन्न अंगों के साथ उपरोक्त प्रसाधन सामग्री के अविभाज्य संबंध के कारण भी इनका विशेष महत्व था। नयन में काजल तथा ललाट पर तिलक एवं अंगराग आदि शरीर के विभिन्न अंगों के साथ अविभाज्य तादात्म्य स्थापित कर उसे अलंकृत करते थे, जबकि शृंगार के अन्य माध्यम बाह्य रूप से ही शरीर को सज्जित करते थे। भारतीय जीवन के क्रमिक अध्ययन द्वारा प्रसाधन सामग्री के स्वरूप, प्रकार तथा उनकी उपयोग विधि आदि की विस्तृत व्यावहारिक जानकारी मिलती है, जिनसे इनका महत्व स्पष्ट हो जाता है।

सैन्धव-सभ्यता के विभिन्न स्थलों पर हुए उत्खननों से तत्कालीन सभ्यता में प्रचलित शृंगार से संबंधित अनेक सामग्री, जैसे-सोना, चाँदी, ताँबा और मिट्टी के आभूषण केशों में लगाने वाली चिमटियाँ (पिन) कंघी , अंजन, शलकाएँ दर्पण आदि प्रकाश में आयी हैं। विभिन्न प्रकार के सौन्दर्य-प्रसाधन का प्रयोग कर शरीर को सजाने सवाँरने के लिए सैन्धव निवासी उपरोक्त सामग्री का प्रयोग करते थे। पुरातात्विक उदाहरणों से यह भी ज्ञात होता है कि उपरोक्त सामग्री के अतिरिक्त शरीर को सौन्दर्य प्रदान करने के लिए विभिन्न प्रकार के आलेप, अंजन एवं अन्य प्रसाधनों का भी प्रयोग किया

जाता था। उनके दैनिक जीवन में शृंगार के प्रसाधन के उपर्युक्त सामग्री की उपलब्धता के प्रमाण हैं।

सैन्धव निवासियों का शृंगार प्रसाधन के प्रति रुझान इतना था कि मृत्यु के बाद शव के साथ दैनिक उपयोग में आने वाली वस्तुओं को रखते समय भी वे शृंगार प्रसाधन रखना नहीं भूलते थे। मोहने जोदड़ों से प्राप्त एक उदाहरण में शव के साथ ताँबे का मूँठदार दर्पण मिला है जो कि शृंगार के प्रति प्रेम का प्रमाण देता है। सैन्धव निवासी शृंगार के साथ-साथ शरीर की स्वच्छता का भी पूरा ध्यान रखते थे। मोहनजोदड़ों का विशाल स्नानागार उनके जीवन में स्नान की महत्ता को ज्ञात कराता है। शरीर की स्वच्छता के लिए वे विभिन्न उपादानों का प्रयोग करते थे।

सैन्धव निवासी अपने शरीर को रगड़कर साफ करने के लिए एक लम्बे आकार के उपादान (साधन-सामग्री) का प्रयोग करते थे। मिट्टी से बने इस साधन-सामग्री (उपादान) में बालू मिली होती थी, जिससे खुरदुरा होकर यह शरीर को साफ करने में सहायता करते थे। इसका वजन इतना हल्का एवं पोला होता था कि इसे आसानी से पकड़ा जा सकता था। (वर्तमान के प्यूमिक स्टोन की तरह) मोहनजोदड़ों से मिले ऐसे एक उपादान की लम्बाई 8×8 इन्च है। इसके मध्य भाग की चौड़ाई 3 इन्च है। इसका सिरा गोलाकार है जिसकी मोटाई 1×15 इन्च है। शरीर को स्वच्छ करने के लिए रेती जैसे खुरदुरे उपादान का भी प्रयोग किया जाता था। शरीर को साफ करने के लिए दो प्रकार के उपादान प्राप्त हुए हैं। एक में सिरा नुकीला और दूसरे में चिपटा है। एक उदाहरण में इसकी लम्बाई 7×4 इन्च है और मध्य की मोटाई 3×4 इन्च है। यह उपादान भी पोला होता था जिसे हल्के लाल रंग की मिट्टी में मिलाकर बनाया जाता था। अत्यधिक संख्या में ये प्राप्त उपादान से यह ज्ञात होता है कि जन साधारण में इनका प्रयोग प्रचलन में था। और जो दूसरे प्रकार का उपादान प्राप्त हुए वे आकार में गोलाकार किन्तु एक ओर से चौड़ा होता था। चारों तरफ से छिद्र होने के कारण यह एक मोटी रेती के समान दिखाई देता था।

भारत में आज भी शरीर को रगड़कर साफ करने के लिए इन उपादानों का प्रयोग प्रचलित है। वर्तमान में इन्हें साधारण रूप से बलुए पत्थर का बनाया जाता है जो प्यूमिक स्टोन के नाम से जाना जाता है। साथ ही पकी मिट्टी के रेती जैसे उपादान का प्रयोग भी प्रचलित है, जो मोहनजोदड़ों से प्राप्त रेती के समान उपादान जैसा मिलता-जुलता है। मेसोपोटामिया में भी यह उपादान प्रचलित था। स्नान के पश्चात् स्त्री-पुरुष दोनों ही आज की तहर अनुलेप, चूर्ण तथा अन्य सुगंधित वस्तुओं का प्रयोग करते थे। खुदाई से प्राप्त लाल, गेरुए एवं हरे रंग की मिट्टी के ढ़ेर इस बात के प्रमाण हैं कि सौन्दर्य वृद्धि के लिए विभिन्न रंगों का प्रयोग किया जाता था। कुछ ऐसे भी पात्र प्राप्त हुए हैं जिनमें इन रंगों के चिन्ह विद्यमान हैं। नीले रंग के एक टूटे हुए टोंटीदार पात्र में मुख पर लगाने वाले श्वेत ंग का आलेप मिला है।

सित्थतेल

केश को सुन्दर बनाने के उद्देश्य से जिस तेल का प्रयोग होता था उसे 'सित्थतेल' कहा जाता था जो कि उदकतेल (मोम) से निर्मित किया जाता था। भिक्षु वर्ग के लोग इन सामग्रियों को नहीं लगा सकते थे उन पर प्रतिबंध था। पुरुष अपनी दाढ़ी विभिन्न शैलियों में रखा करते थे। लोग साधारणतया लम्बी ही दाढ़ी (मस्सुमवढ़पन्ती) या ठुड्डी पर बकरे की दाढ़ी के समान छोटी दाढ़ी रखते थे। (गोल्गेत्रिकम्)। इसके अलावा चार कोनों वाली दाढ़ी का भी प्रचलन था (चतुरस्सकम्)।

आभूषण शृंगार के आवश्यक उपकरण हैं। शृंगार की प्रबल भावना के कारण ही आभूषणों का निर्माण तथा उसमें निरंतर परिष्कार और विकास हुआ। मानव की सहज शृंगार प्रवृत्ति की अभिव्यक्ति के माध्यमों में आभूषण सर्वाधिक महत्वपूर्ण रहा है। यही कारण है कि विश्व के सभी देशों, जातियों एवं सभ्यताओं में आभूषणों को धारण करने की परम्परा प्रारंभ से ही मिलती है। आभूषणों के प्रयोग में स्त्री-पुरूष तथा ऊँच-नीच जैसी कोई भेदक रेखा नहीं रही है।

सभी वर्गों और जाति के लोग किसी न किसी प्रकार के आभूषणों से अपने को अलंकृत करते रहे हैं। आभूषणों को नख से शिख तक के सभी अंगों में धारण किये जाते थे। अंगों के अनुसार ही इनका आकार-प्रकार भी होता था। इनके निर्माण के माध्यम के रूप में किसी धातु विशेष के प्रति कोई आग्रह नहीं रहा है। समय परिस्थिति, रूचि एवं आर्थिक तथा सामाजिक स्थितियों के आधार पर ही इनके उपादान का चुनाव होता रहा है। यही कारण है कि घास, पत्ती, पुष्प, हड्डी एवं शीशे से लेकर कॉंसे, पीतल, चॉंदी, सोने एवं रत्नों आदि तक आभूषणों का निर्माण होता रहा है। भारत में प्राचीनकाल से ही सभ्यता के विभिन्न स्तरों में आभूषणों के प्रति लोगों में विशेष सम्मान रहा है।

क्षेपण, गुण एवं क्षुद्र थीं। सोने पर जड़ाऊ के काम को क्षेपण, लड़ियॉं बनाकर या गूंथकर बनाए गए आभूषण को गुण और ठोस आभूषण बनाने की शैली को धन तथा पोले आभूषण बनाने की शैली को सुशिर कहते थे। पूर्व मध्यकालीन मूर्तियों का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि समाज के लोग किसी न किसी प्रकार का आभूषण अवश्य धारण करते थे। जो कला एवं साहित्य में वर्णित है।

मूर्ति शिल्प को देखने से यह स्पष्ट होता है कि कर्णाभूषण के प्रति समकालीन साज का आकर्षण अत्यधिक बढ़ गया था। पूर्व परम्परागत कर्णाभूषण कानों में जहॉं निम्न भाग (लोलक) में ही धारण किया जाता था, वहीं विवेच्यकाल में कर्णाभूषण कान के ऊपरी भाग, मध्य भाग एवं निम्न भाग में धारण किये जाते थे, जो मूर्तियों के शिल्पांकन में दर्शाया गया है।

कर्णाभूषण

अलंकरण में मुख और उसके आसपास के आभूषणों का महत्व निर्विवाद है प्राचीनकाल से ही कान को छेदकर उसमें आभूषण पहनने की परम्परा रही है। प्राचीन भारतीय संस्कारों में कर्णवेध संस्कार का उल्लेख मिलना और कर्णाभूषण को धारण करना इसके महत्व को और बढ़ा देता है। प्राचीन भारतीय साहित्य में इसके लिए कर्ण शोभना, प्रकाश, कुण्डल, अवतंस, बकुल कलिका, नागपाश, खुटी, खुन्ती, उतरा या उतन्ना, मोचक वाली, पत्रांकुर, पत्रकलिका तथा प्रवर्तन नाम मिलता है। विदेशी इतिहासकारों ने अपने वर्णन में सम्पन्न लोगों के प्रमुख लक्षणों में कर्ण आभूषणों का वर्णन किया है, जिन्हें मूर्तियों में भी देखा जा सकता है। इस क्षेत्र के कलचुरि शिल्प की मूर्तियों का अवलोकन करने से यह स्पष्ट होता है कि समाज के लोग किसी न किसी प्रकार का आभूषण अवश्य धारण करते थे। ऋषि मुनि, योगी, सन्यासी सभी आभूषण धारण किये हुये दिखाये गये हैं। जिनके अनेक प्रकार और उप प्रकार हैं। इस काल में इनके निर्माण में बहुलता दिखाई दती है। जिसे देखने से कलाकार के अभ्यस्त हॉंथ एवं उनकी कलात्मक परिपक्वता का बोध होता है। मूर्तियों को देखने से यह स्पष्ट होता है कि कर्णाभूषण के प्रति लोगों का लगाव अधिक बढ़ गया था। पूर्व परम्परानुसार कानों के लोलक में जहां आभूषण धारण किये जाते है वहीं इस काल में भी कान के शीर्ष भाग (ऊपर), मध्य भाग (बीच में) और लोलक में (सबसे नीचे) उन्हें दिखाया गया है। 'लोलक' को ग्रामीण भाषा में 'लहर' भी कहते हैं।

कान के ऊपरी भाग में धारण किये जाने वाले आभूषण को चक्रीशलाका बकुल कलिका तथा नागपाशा और मैथिली भाषा में खुटिला खुटी या खुन्ती नाम दिया गया है। उत्तर भारत में इसे आज भी उतरना या उतन्ना कहते हैं। संग्राहलयों की मूर्तियों में शीर्ष भाग में धारण किये जाने वाले आभूषणों में केवल पूर्व मध्यकाल की मूर्तियों में ही दिखायी देते हैं, जिसके निम्न प्रकार है- सादी बाली जिसे छल्ले के रूप में धारा किया जाता था। कुछ आकृतियॉं ऐसे भी जिनमें छल्ले के नीचे पॉंच लटकती पत्तियों का अलंकरण दिखाया गया है। और तिकोन कोनों पर मनके लगे हैं। और कभी इस गोल छल्ले में छोटे-छोटे गोल मनकों को लटके हुए बनाया जाता था।

कर्णाभूषणों में फूल और पत्तियॉं लोगों में विशेष लोकप्रिय थे इसीलिये शिल्पकारों ने उनको भी अंकित

किया है। इस प्रकार का एक चित्रण पान पत्ती तथा दूसरा सामान्य पत्ती की तरह अधिक मिलता है। उतन्रे का आयताकार अंकन भी कुछ मूर्तियों में उत्कीर्ण है जिसके चार प्रकार देखे जा सकते हैं। कुछ आकृतियों में उतन्रे को झुमके की तरह से लटकते हुए बनाया गया है। दो अन्य आकृतियों में भिन्नता दर्शाया गया है। रेखा चित्र क्रमांक 30, 31 39, 40, 41, 42, 43, 44 45, 46, 47, 48, 67, 68, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 83, 84, 85, 86, 87 में दर्शाया गया है।

कान के मध्य भाग में पहने जाने वाले आभूषण को नाट्य शास्त्र में 'मोचक' कहा गया है। इस प्रकार के आभूषण का अंकन हमें गोर्गी, रीवा तथा शहडोल से प्राप्त मूर्ति जो इस समय राज्य संग्राहलय धुवेला में रखी है, उनसे प्राप्त होता है। मनसा देवी और लक्ष्मी के कान में देखने को मिलता है। मनसा देवी के कान में मोचक को बेलनाकार दिखाया गया है। जिसके दोनों सिरे पतले हैं और एक पतला सिरा ही कान में किसी पेंच से फंसा ऐसा प्रतीत होता है। और दूसरी मूर्ति लक्ष्मी जी की है। इनके मध्य भाग का आभूषण रत्न जड़ित जैसे नाक में पहने जाने वाला नाथ होता है उसी प्रकार का यह प्रतीत होता है। रेखाचित्र क्रमांक 32, 33, 69, 70, में दर्शाया गया है।

कर्ण लोलक में 'आभूषणों का प्रयोग प्राचीनकाल से ही लोकप्रिय रहा है। कर्ण वेध संस्कार के समय इसमें ही छेद किया जाता था जिसमें आभूषण धारण किये जाते थे किन्तु यह प्रक्रिया मानव के सभ्य होने के बाद आरंभ हुई जबकि फूल पत्तियों को किसी न किसी प्रकार लोग प्रारंभ से ही धारण करते थे। कालान्तर में भी इनका प्रयोग होता रहा है। और समय तथा परिस्थितियों के अनुसार इन्हीं को बहुमूल्य धातुओं में अंकित किया जाने लगा। वैदिक कालीन मान्यतानुसार स्वर्ण धारण करने वाले को रासी प्रवृत्तियाँ किसी भी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचा सकती थी।

'कलचुरि काल में कुण्डल, कर्णफूल और झुमका विशेष लोकप्रिय किन्तु यहां साहित्य में अवतंस के धारण करने का उल्लेख प्राप्त होता है। लोलक में पहने वाले आभूषण रेखा चित्र क्रमांक 1 से 29 तक 34 से 38 एवं 49 से 66, 71 से 76, 88 से 94 तक में दर्शाया गया है।

अंजन, तिलक, ओष्ठराग तथा अलक्तक के अतिरिक्त श्रृंगार के लिए अनेकों प्रकार के अवलेप, उसीर, चन्दन, अंगराग, पुष्प, सुगंधित द्रव्य, इत्र, तेल तथा सुगंधित चूर्णों आदि का भी प्रयोग किया जाता था। जिसका संक्षिप्त वर्णन किया गया है। मुख को अलक्त राग से भिन्न-भिन्न प्रकार के नमूने बनाती थीं। नमूने बनाने के अतिरिक्त स्त्रियाँ अपने गालों (कपोलों) और माथें पर पान, एक सदाबहार पेड़ (तमाल) आदि की पत्तियों के नमूने काटकर लगातीं।

गालों पर नमूने बनाने का इतना अधिक प्रचलन था कि वात्स्यायन ने अपनी चौसठ-कलाओं में इसे भी एक कला मान लिया है। उस समय कंधों को भी रगने एवं उन पर नमूने (डिजाइन) बनाने की प्रथा प्रचलित थी। स्त्रियाँ विभिन्न शैली में केश को सवारती थी और फूलों, रंगों एवं आभूषणों से मन पसंद, श्रृंगार करती थीं। वे होठों, नाखूनों और पैरों को अलक्त तथा पैरों के ऊपरी भाग को केसर से रंगती थीं। अलक्त वृक्ष से तोड़ी गई ताजी शाखा के रस से बनता था। स्त्रियों के अलक्त लगे हुए होठों (अधरों) की तुलना जंगल में लगे हुए आग से की गयी है। बाण ने राज्य श्री के अलक्तक लगे हुए पैरों का उल्लेख किया है। तथा स्त्रियाँ अपनी कमर पर भी चन्दन लगाती थीं, चेहरे पर तमाल (एक सदाबहार पेड़) वृक्ष की काली छाल से बिन्दू के समान नमूने बनाती (तमालश्यामलेन मृगम-दामो दनिष्यमन्दिना तिलक बिन्दुना) तथा माथे पर सिन्दूर या गोरोचन से तिलक लगाती थीं। माथे पर तिलक का न होना वैधव्य विधवा का सूचक था।

कलचुरी शासक कर्ण के रीवां के अभिलेख में भी इस बात का उल्लेख है। इस लेख में ऐसा वर्णन किया गया है कि कर्ण के गुर्जर शिलालेख में भी इस बात का उल्लेख है कि कर्ण के गुर्जर देश पहुचने पर वहाँ की

जो स्त्रियाँ थी उनके नेत्र से काजल मिश्रित आसू वह रहे थे और उनके पर तिलक था जो सुहागन होने का संकेत कर रहा था। इस प्रकार से स्पष्ट होता है कि 11वीं सती ई. (कलचुरी काल) में तिलक को सौभाग्यवती होने का चिन्ह था, जो कि यह प्रथा आज भी हमें नगर तथा गाँव दोनों में देखने को मिल जाती है। प्राचीन काल में हिन्दू स्त्रियों के लिए इसका विशेष महत्व था। विवाहित स्त्रियों का यह आवश्यक चिन्ह था। पति-वियोग स्त्रियाँ सिन्दूर नहीं लगती थीं। यद्यपि पुरुषां में भी तिलक लगाने की प्रथा थी, किन्तु विशेष रूप से इसका प्रचलन स्त्रियों में ही था। ब्राह्मणों के माथे पर तिलक न होने का कारण उनका स्नान-ध्यान से निवृत्त न होने का सूचक था। सभी वर्ग की स्त्रियाँ शृंगार करती थी। यहाँ तक कि चाण्डाल स्त्री की शृंगार करना नहीं भूलती थी। शूद्रक के पास चाण्डाल स्त्री जाती है तो उसके माथे पर गोरोचन का पीला तिलक तथा चरणों में अलक्तक लगा हुआ है।

उस समय भी नवविवाहिता स्त्री का (वधु का) विशेष रूप से शृंगार किया जाता था। कुमारसम्भव में वधु-रूप में पार्वती के शृंगार का जो विस्तृत वर्णन किया गया है उससे उच्च कुल की स्त्री के शृंगार का अच्छी तरह से उल्लेख मिलता है। स्नान के बाद वधू को त्वचा का चिकनापन लोध्र के आलेप (उबटन) से दूर किया जाता था। (लोध्र कल्केन हृतांगतैलम्)। इसके बाद कालेयक नामक विलेपन शरीर पर लगा दिया जाता था जो शीघ्र ही सूख जाता था।

केशों को सुगंधित धुएँ से सुखाया और सुगंधित किया जाता था। वधू को मधूक पुष्प से बनायी गयी पीली माला पहनायी जाती थी। अलंकृत नमूने (पत्रविमक्तम्) शुक्ला-गुरु तथा गोरोचन से बनाये जाते थे। गोरोचन के प्रयोग से रंग साफ दिखाई देता था। (गोरोचन क्षेप नितान्त गौरे।) इसके पश्चात् नेत्रों में काजल लगाया जाता था। फिर इसके बाद वधू की माता अपनी दो अंगुलियों से पुत्री के मस्तक पर विवाह का तिलक और पीले हरिताल तथा मनःसिला से माङ्गल्या विलेपन लगाती थी। इस युग में विलासिता इतनी अधिक बढ़ गयी थी कि स्त्रियाँ शृंगार को किसी एक विधि को नही अपनाती थी वरन् शृंगार में विविधता ही उन्हें भाती थी।

जहाँ ग्रीष्म ऋतु में स्त्रियाँ फौवारे (जलयंत्रमंदिरम्) से स्नान करती, चन्दन का आलेप पुष्पों का हार पहनती वही हल्के वस्त्र पसन्द करती थीं। वर्षा ऋतु में स्त्रियाँ पीछे झूलते केशां में सुगंधित पुष्प लगातीं, गले में मालाएँ पहनती, मालती और जूही की अधखिली कलियाँ माथे पर लगाती थी। कानों में ताजे खिले कदम्ब फूल को पहनती थी। हेमन्त के अन्त में शरीर पर कारचूर या आबांहल्दी का उबटन लगाती थी, मुख पर रंग से भिन्न-भिन्न नमूने (डिजाइन) बनती और माथे पर काले अगरु से सुगंधित मालाएँ पहनती थी।

शिशिर में वो पान (ताम्बूल) का सेवन करती थीं। केशों में पुष्प लगाती थी और सुगंधित तथा काले अगरु और अन्य सुगंधि से सजाती थी। वसन्त ऋतु में स्त्रियाँ कुसुम पुष्प से रंगी साड़ियाँ पहनती थी। कादम्बरी में स्त्रियाँ स्वयं अपने ऊपर केसरिया रंग से युक्त जल डालती जिससे उनका शरीर रंग जाता था।

स्नान

स्नान भी भारतीय शृंगार काएक महत्वपूर्ण पक्ष रहा है। स्नान करने की प्रतिदिन की प्रथा थी। स्नान करने के लिए एक विशेष स्थान होता था। गर्मियों में फौवारे से स्नान करने की प्रथा थी। समय-समय पर जल को विभिनन प्रकार के सुगंधित द्रव्य, फल, कोमल पत्ते और फूल से सुगंधित किया जाता था। वाराहमिहिर ने जल को सुगंधित करने की कुछ विधियाँ बतायी हैं। एक विधि में देवदार की राल, कमल, दालचीनी तथा श्री सर्जरस के प्रयोग की चर्चा है।

मुख सौन्दर्य

स्त्री और पुरुष दोनों ही शरीर के अन्य भागों की तरह मुख पर भी पत्र रचना करते थे। हमें पत्र-रचना का संकेत कुमारसम्भव तथा रघुवंशम्, मालविकाग्निमित्रम् एवं ऋतुसंहार में स्थान-स्थान पर आया है। यह पत्र रचना गोरोचन और कुमकुम से की जाती थी। पार्वती के अंग

पर गोरोचन से पत्र-रचना का उल्लेख मिलता है। रघुवंश में उल्लेख कियागया है कि राजा अतिथि के राज्याभिषेक के अवसर पर मुख पर गोरोचन, चन्दन तथा अंगराग से पत्र-रचना की गयी थी। प्रायः पत्र रचना के लिए लाल, काले और श्वेत रंगों का प्रयोग होता था। हर्ष चरित में यम की पत्नियों के मुख पर मकर नमूले की पत्र-रचना का उल्लेख मिलता है। (पुरमण्डन-पत्रमंग-मकरिका)।

तिलक

उस समय माथे पर चार प्रकार के नमूने बनाये जाते थे जिन्हें तिलक, तमालपत्र, चित्रक और विशेषक कहते थे। मोतीचन्द्र ने तमालपत्र को तमाल-फल के रस से निर्मित या तमाल की पत्ती को काटकर बनाया गया अंश बताया है। यह तमाल की पत्ती काटकर बनाया हुआ नमूना ही अधिक ठीक जान पड़ता है, जिसका उल्लेख हर्षचरित तथा सौन्दरनन्द काव्य में भी हुआ है। तिलक सम्भवतः चन्दन, कस्तूरी या लाल रंग का गोल चिन्ह होता था। चित्रक कई रंग से बनाया गया नमूना था।

विशेषक माथे पर बनाये गये सभी प्रकार के नमूनों के लिए प्रयुक्त हुआ है। मुख की सुन्दरता के लिए माथे पर तिलक का विशेष महत्व था। तिलक का प्रयोग स्त्री और पुरुष दोनों ही करते थे। यह तिलक मनःशिला और हरताल का बनाया गया था। महादेव और पार्वती ने विवाह के अवसर पर ऐसा ही तिलक लगाया था।

तिलक का मालविकाग्निमित्र और रघुवंश में भी संकेत है। स्त्रियाँ प्रायः लाल रंग का तिलक लगाती थीं। तिलक अगल-बगल काजल (अंजन) से छोटे-छोटे बिन्दु अथवा उसके चारों ओर पतली रेखा बना दी जाती थी। मालविकाग्निमित्र में काले मौरों से घिरे तिलक के पुष्प की तुलना स्त्रियों के तिलक से की गयी है। कुमारसम्भव में भी तिलक पुष्प को स्त्रियों के तिलक के समान बताया गया है। तिलक के लिए गोरोचन लाल रंग के गेरु तथा काले अगरु का भी प्रयोग किया जाता था। स्त्रियाँ माथे पर चन्दन से लजातिका तथा विशेषक, नामक नमूने बनाती थी।

अंजन

सुन्दर दिखने के लिए काजल (अंजन) का भी प्रयोग किया जाता था। यह काजल (अंजन) काले रंग का होता था। बादलों की तुलना कालिदास ने घुटे हुए अन्जन से की है। यहाँ तक कि एक स्थान पर नीले आकाश को भी काजल (अंजन) के समान कहा है। अतः यह कहा जा सकता है कि काजल (अंजन) कुछ हल्के और गहरे काले रंगा का होता होगा। विरह और तपस्या में अंजन लगाना प्रायः वर्जित था। काजल लगाने के लिए सलाइयाँ होती थी।

ओष्ठ राग

ओष्ठों को रगने का भी चलन था। अभिज्ञान-शाकुन्तलम् में दुष्यंत द्वारा शकुन्तला के उन होठों का वर्णन किया गया है जो रंगे न जाने के कारण पीले हो गये थे। कुमार सम्भव में भी ओष्ठराग की चर्चा हुयी है। इसमें इस बात का उल्लेख है कि तपस्या के समय भी पार्वती के होंठ पहले से लगाए गये रंग के कारण लाल थे। स्नान करने के कारण यह ओष्ठ राग धुल जाता था। रघुवंश की भाँति विक्रमोवर्शीयमें ाी ओष्ठराग का स्पष्ट वर्णन है। तपस्या के दौरान और विरहावस्था में शृंगार के अन्य उपकरणों की भाँति ही ओष्ठराग भी वर्जित था। ओष्ठराग केवल लाल रंग का होता था। जिसके लिए अलक्तक का प्रयोग होता था। (बिंवाधरालक्तकाः)।

महावर या आलता

यह पैरों में लगाया जाता था। महावर के लिए रागलेखा, पादराग, लाक्षारस, अलक्तक, द्रव्यराग निर्मलराग, आदि का शब्दों का प्रयोग मिलता है। रागरेखाविन्यास शब्द से ही आभासित होता है कि महावर लगाना एक विशेष प्रकार की कला थी। स्त्रियाँ प्रायः इस कला में प्रवीण होती थी। साथ ही पुरुषों के भी इस कला में दक्ष होने का प्रमाण मिलता है। मालविकाग्निमित्र में सखी सरल शब्दों में हँस कर कहती है कि मैंने इस कला को राजा से सीखा है। रघुवंश में अंतिम सर्ग में उल्लेख है कि कामुक अग्निवर्ण अपने विलासीपन में स्वयं रानियों को महावर लगाने

राजा बैठ जाया करता था। विशेष अवसरों पर स्त्रियों की तरह पुरुष भी अपने पैरों में महावर लगाते थे।

ताम्बूल

ताम्बूल (पान) का प्रयोग पाचन क्रिया में सहायता और अधरों के लाल करता था। कुमारगुपत प्रथम के शासन में इसका बहुत प्रचलन था। आदित्य सेन (7वीं सती ई.) के अफसड शिलालेख में लोहित्य नदी के किनारे पान के पौधे की छाया में सिद्ध पुरुषों के सोने के उल्लेख मिलता है। यशोवर्मन के मंदसौर शिलालेख में भी इसका उल्लेख किया है, जिसमें लोहित्य नदी को ब्रह्मपुत्र माना गया है। वराहमिहिर ने ताम्बूल के गुणों की चर्चा करते हुए कहा है कि इससे वाणी में मधुरता का संचार होता है। पान रूप को निखारता है, सौभाग्य का आव्हान् करता है। श्वास को सुगंधित करने के लिए गुटिकाओं का भी प्रयोग किया जाता था। कफजन्य रोगों को दूर करता है।

वस्त्र

व्यक्तिगत शृंगार में वस्त्र का भी महत्वपूर्ण स्थान है, वस्त्र मानव सभ्यता के विकास में एक प्रमुख भूमिका निभाई है। यद्यपि वस्त्र ठंड, गर्म और बरसात से मनुष्य की रक्षा करता है वही लज्जा से बचाता है। वस्त्र का शृंगार की दृष्टि से भी महत्व बढ़ता गया है। जब वस्त्र बनाने की कला का ज्ञान नहीं था उस समय मनुष्य वस्त्र के स्थान पर पशुचर्म, वृक्षों की छाल और पत्तों का प्रयोग करता था।

इनको आकर्षक रूप से धारण कर शरीर को ढ़का जाता था। वस्त्र के विकास के इतिहास से स्पष्ट हो जाता है कि आगे चलकर इनकी आवश्यकता एवं उपयोगिता की अपेक्षा शृंगार की दृष्टि से इनका अधिक महत्व हो गया। इसी कारण अलग-अलग रंगों, नमूनों और अलंकारों से सुसज्जित वस्त्रों का विकास हुआ और उन्हें विविध आकार प्रकार प्रदान कर विभिन्न रूप में धारण किया गया। वस्त्रों की शृंगार-रूपता किसी काल विशेष या वर्ग विशेष के लिए ही नहीं रही है। वरन् सभी युगों में बिना किसी भेदभाव के स्त्री-पुरुष, बालक, युवक अपनी सामर्थ्य के अनुसार इनका उपयोग कर अपने को सुसज्जित करते और आकर्षक बनाते रहे हैं।

पुरुषों के वस्त्र

बघेलखण्ड से प्राप्त मूर्तियाँ तत्कालीन विविधतापूर्ण वस्त्रों के व्यवहार की स्पष्ट जानकारी देती है। पुरुष धोती पहनते थे जिसका एक छोर कमर में लपेट लिया जाता था और लाँग (लम्बा) पीछे की ओर खोंस ली जाती थी। यह धोती घुटनों के नीचे पैरों के मध्य भाग तक लम्बी होती थी। धोती के साथ में पुरुष दुपट्टा, कमरबन्ध, पटका और उष्णीय भी धारण करते थे। इसके अलावा सिले वस्त्र, कोट, घाघरा तथा उपानह पहनने के उदाहरण भी प्राप्त होते हैं। बाद में धोती की लम्बाई कम हो गई और अब यह केवल घुटनों के ठीक नीचे तक ही आती थी। ठीक इसके सामने का भाग कोणयुक्त या लम्बा रूप लेने लगा। और धोती के दोनों सिरे पीछे से आगे की ओर लाकर कुछ इस प्रकार खोंजे जाते थे कि पायजामे का स्वरूप बन जाता था।

उत्तरीय धारण करने की भी अलग-अलग स्टाइल (शैलियाँ) देखी जा सकती है। पहली शैली में उत्तरीय को वक्ष पर बांधते थे जिसके छोर बायीं जाँघ को छूते थे। दूसरी शैली में उत्तरीय बायें कन्धे पर फन्देदार रूप में पड़ा रहता था। पवाया (म.प्र.) से मिली मणिभद्र यक्ष की आकृति में इसी शैली का उत्तरीय देखा जा सकता है। तीसरी शैली में उत्तरीय तिरछे, आकार में वक्ष से होता हुआ जाता था जिसका एक छोर बायें कन्धे पर डाल दिया जाता था। कभी-कभी यह एक साधारण वस्त्र के समान कन्धे पर पड़ा रहता था और कभी-कभी इसे समेट कर कन्धे पर रखा जाता था। चौथे प्रकार में उत्तरीय का एक सिरा पीछे की ओर दूसरा सामने की ओर रखने का प्रचलन था। पाँचवें प्रकार में उत्तरीय के दोनों सिरे बाहों के नीचे से सामने लाकर पुनः वक्ष के ऊपर से ले जाते हुए कन्धे के ऊपर से पीछे की ओर डाल दिये जाते थे। इसी शैली के दूसरे प्रकार में उत्तरीय को सामने लाकर उससे क्रास बनाते हुए कन्धों पर से उसे पीछे की ओर फेंक दिया जाता था। इस काल में स्त्री और पुरुष

दोनों ही सुरुचि तथा बैविध्य पूर्ण वस्त्र-विन्यास से पूर्णतः परिचित थे। ग्रीष्म ऋतु में गर्मी से बचने के लिए महीन या हल्के वस्त्र और ठण्ड में ठण्ड से बचने के लिए भारीवस्त्र पहनने की प्रथा थी। रात को और दिन में दोनों समय पहने जाने वस्त्र में भिन्नता थी। सूती, ऊनी तथा रेशमी तीनों ही प्रकार के वस्त्र पहनने का प्रचलन था। रेशमी वस्त्र प्रायः नहाने के बाद ही पहना जाता था रंग-बिरंगे वस्त्रों का भी प्रचलन था।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. हर्ष नंदिनी भाटिया, नारी–श्रृंगार पृ. 9–11
2. हर्ष नंदिनी भाटिया, नारी–श्रृंगार पृ. 9
3. हरिद्रां कुमकुमश्चैव सिन्दूरं कज्जलं तथा। कार्पासकंच ताम्बूलं माङ्गल्या भरणं शुभं।
   केश संस्कार–कवरी करणंम विमूषणम्।
   भर्तुरापुष्यमिच्छन्ति दूरयेन्न पतिव्रता।।
   मारकण्डेय पुराण (दे. मजूमदार जी.पी., 'टॉयलेट', इण्डियन कल्चर, खण्ड 1, पृ. 662)
4. प्रकीर्यमाण केश कुसुमा, कामसूत्र 2/8/6
5. ''श्रृंग प्रसाधन इर्यार्त इति श्रृंगार'' अमरकोश।
6. भारतीय श्रृंगार, डॉ. कमलगिरि पृ. 6
7. भारतीय श्रृंगार, डॉ. कमलगिरि पृ. सं. 6
8. वत्स, एम.एस., एक्सकवेशन्स ऐट हडप्प, खण्ड–1, दिल्ली, 1940 पृ. 432
9. वत्स, एम.एस., एक्सकवेशन्स ऐट हडप्प, खण्ड–1, दिल्ली, 1940 पृ. 460
10. वत्स, एम.एस., एक्सकवेशन्स ऐट हडप्प, खण्ड–1, दिल्ली, 1940 पृ. 459
11. वत्स, एम.एस., एक्सकवेशन्स ऐट हडप्प, खण्ड–1, दिल्ली, 1940 पृ. 460
12. व्हीलर, एम. दि इंडस विविलाईजेशन, कैंब्रिज, 1960 पृ. सं. 53
13. डॉ. कमलगिरि, भारतीय श्रृंगार, पृ. सं. 7
14. डॉ. कमलगिरि, भारतीय श्रृंगार, पृ. सं. 7
15. मार्शल, जॉन, मोहनजोदड़ों एण्ड इंडस सिविलाईजेशन, लंदन, 1931, खण्ड–2, पृ. सं. –467, खण्ड–3, पृ. सं. 133 आ. 14
16. मार्शल, जॉन, यू.नि. खण्ड–2 पृ. 468, फु.नो.2.
17. वत्स, एम.एस., यू.नि. खण्ड 1, पृ. 468–469, मार्शल जॉन, यू.नि. खण्ड 1 पृ 319–21.
18. मैके,ई. चन्हूदडों एक्सकवेशन्स, न्यू हैवेन, 1943, पृ. 113–14.
19. डॉ, मीना सिंह, प्राचीन भारत में केश–सज्जा, प्रथम संस्करण 2010, पृ. सं. 26
20. धम्मिक सूत्र, पृ. सं. 146.
21. डॉ. मीना सिंह प्राचीन भारत में केश सज्जा, प्रथम संस्करण, 2010 पृ सं. 26
22. प्रकीर्यमाण केश कुसुमा, कामसूत्र 2/5/16
23. प्रकीर्यमाण केश कुसुमा, कामसूत्र 1/3/15
24. हर्ष. पृ. 56, 285, 370, शिशु. 9/46, 7/63, 7/6, 16/84
25. पिण्डालक्तकेन पल्लवितस्य कुमकुम पिंजरितपृष्ठस्य चरणयुगलस्य, हर्ष, पृ. 56
26. तां शोभामाद्धाना जयति नवमिवा लक्तकं पीडयित्वा– चण्डीशतक 3
27. हर्ष. पृ. 56
28. हर्ष. पृ. 224, 243
29. एवि. इण्डि., कलकत्ता, 1892, खण्ड 1, पृ. 129
30. अतिबहल पिण्डालक्तक रसराग पल्लवित पादपंकजम् कादम्बरी, पृ. 22
31. आस्यान कालेय कृतांगरागाम्, कुमार. 7/9
32. कुमार. 7/14
33. कुमार. 7/15
34. कुमार. 7/17
35. कुमार. 7/20
36. कुमार. 7/23
37. ऋतु., 1/2
38. ऋतु., 2/21
39. ऋतु., 6/5
40. कादम्बरी, पृ. 19
41. पउमचरिय, हर्मन जैकोवी (सं.) वाराणसी, 1962, 69/6
42. भगवती सूत्र, घेवरचन्द्र भाटिया सं. शैलान, 1966 मज्जणधर 9/33/3
43. कादम्बरी, पृ. 31
44. ऋतु. 1/2
45. माल. 3/5, कुमार. 3/33/38, 7/15, रघु. 6/72, 16/67, 17/24, 9/29
46. कुमार. 3/33, 38, 7/15

47. रघु. 6/72, 16/67, 17/24, 9/29
48. माल. 3/5
49. ऋतु. 4/5
50. कुमार. 7/15
51. रघु. 17/24
52. माल. 3/5
53. एस. पी. गुप्ता (सं.), पू. नि., पृ. 221
54. कुमार. 7/23, 33, रघु 18/44 (सुदर्शन द्वारा तिलक लगाने का उल्ले,ा मिलता है), कुमार. 3/30, माल. 3/5, 4/9
55. माल. 3/5, 4/9
56. रघु. 18/44
57. माल. 3/4
58. कुमार. 3/30
59. कादम्बरी, पृ. 21
60. कादम्बरी, पृ. 284
61. हर्ष., पृ. 127
62. रघु. 7/27, 16/59, 19/10 कुमार, 1/47, 5/51, 7/20, 59, 82 ऋतु. 1/11, 2/2
63. कुमार. 7/20, 82
64. ऋतु. 2/2, 3/4
65. ऋतु. 1/11
66. मेघ. उनार, 37
67. कुमार. 5/51
68. हर्ष. पृ. 145, कुमार. 1/47
69. अमि. 7/23
70. कुमार. 3/30, 5/11, 34, 7/18
71. कुमार. 5/34
72. रघु. 19/10
73. विक्रम. 4/17
74. अमि. 7/23
75. अभि. 2/23, कुमार. 5/34
76. फ्लीट, जे एफ., यू.नि., सं. 18 पृ. 82
77. फ्लीट, जे एफ., यू.नि., सं. 42 पृ. 206, टेक्स्ट पृ. 203
78. फ्लीट, जे एफ., यू.नि., सं. 33 पृ. 145, कनिघंम, ए. एब्शिएण्ट जियोग्राफी ऑफ इण्डिया कलकत्ता, 1924, पृ. 729
79. डॉ. कमल गिरि, भारतीय शृंगार, पृ. सं. 120
80. मार्शल, जॉन, पूसे, ए.पू.नि. फ. 36
81. बरुआ, बी. एम. पू.नि.फ. 36, आ. 30, फ. 87, आ. 128
82. मार्शल जॉन, पूसे, ए.पू.नि., खण्ड 2 फ. 34
83. डॉ. कमल गिरि, भारतीय शृंगार, पृ. सं. 120–121
84. अग्रवाल, वासुदेवशरण, प्रीकुषाण आर्टएट मथुरा, जर्नल आव यू.पी. हिस्टोरिकल सोसायटी, खण्ड 4, 1933, पृ. 81–120, फ. 2, आ. 4 (पटना यक्ष)
85. बरुआ, वी.एम.पू.नि.फ. 13, आ. 118
86. बरुआ, वी.एम.पू.नि.फ. 13, आ. 16
87. बरुआ, वी.एम.पू.नि.फ. 33, आ. 18, मार्शल, जॉन पूसे, ए.पू. नि खण्ड 2, फ. 35 ए
88. तन्वंशुक–ऋतु. 1/7, प्रतनुसित दुकूला–ऋतु. 2/26 गुरुविण वासंति बियासतूर्णा तनुनि–ऋतु 1/2, 6/15
89. ऋतु. 5/14
90. भगवती सूत्र, 11/11/430
91. ऋतु. 2/26, विक्रमो. 3/12

SHODH CHETNA – YEAR-7, VOL. 3 (JULY TO SEP., 2021) ISSN : 2350-0441
A Peer-Reviewed
International Referred &
Multifocal Research Journal
IMPACT-FACTOR 5.299
Paper Recieved : 30th Aug 21 Paper Accepted : 10th Sep 21

भारतीयपरिप्रेक्ष्ये कुटुम्बस्य अवधारणा

❒ मीनाक्षी सिंह*

शोध सारांश

भाषायांलोके च सदैव घनिष्ठसम्बन्धो दृश्यते, लोकजीवनस्य विविधंगैः सम्बन्धिताः शब्दाः भाषायांउत्पन्नाः प्रयुक्ताः च भवन्ति। शब्दाः भूतकालीनः संस्थानाम्प्रतीकरूपेणतेषांस्मारकसमंभाषायांवसन्ति। शब्दानांआयुष्यमपिनानाप्रकारकाः भवति, अनेके शब्दाः जायन्तेकालस्य चगर्भेविलीयन्ते। पाणिनिः स्वः समकालीनः लोकजीवनस्य शब्दानाम् सूक्ष्मतः अध्ययनंचकार, स्वशास्त्रे स्थानमपिप्रदत्तवन्तः। तत्कालीनः सामाजिकजीवनस्य व्यस्थामवलम्ब्य पाणिनिः पारिवारिकसम्बन्धान् विषयेऽपिउक्तवन्तः।

परिवारशब्दस्य प्रचलनंपुराकालादेवदरीदृश्यते, भारतीय चिन्तनेपरिवारव्यवस्था एका विशुद्धाः प्रकल्पः वर्तते। यत्र प्रायेणप्रत्येकस्मिन् परिवारेमांगलिकमाचरणं, जितेन्द्रिय जपादयः नित्यनैमित्तिक याज्ञिकगुणैश्चसमन्विताः सदस्याः निवसन्ति। परिवारः राष्ट्रस्य लघुरूपंवर्तते, याः क्रियाः राष्ट्रेभवन्तिताः सर्वाः लघुरूपेणपरिवारेष्वपिभवन्ति।

परिवार शब्दः परिउपसर्गपूर्वकंवृञ्वरणे[1] धातोः,भावे घञ् प्रत्यये सतिनिष्पद्यते, यतोहिपरिवारं वृणोतीतिपरिवारः, यं सर्वतः स्वीक्रियते सः परिवारः। अपरंवृञ् आवरणे[2]धातोः यस्मिन् त्रुटयः वारयन्ति सः परिवारः। वृङ् सम्भक्तौ[3]धातोः यस्मिन् सुष्ठुभक्तिः भवति, वृणीते वा सः परिवारः। वृञ् वरणेभरण इत्येके[4]यस्मिन् भरणपोषणंभवति सः परिवारः। वर् ईप्सायाम्[5] धातोः यस्मिन् किञ्चिदपिप्राप्तुम् वरयतिसोऽपिपरिवारः इति।

पाणिनीय व्याकरणं यस्य कार्यं शब्दानांव्युत्पत्तिः वर्तते, धातुंप्रातिपदिकं च पृथक्करणकल्पनया शब्दान् निर्माति, तेषां शब्दानांप्रयोगशालापतञ्जलिः लोकंमन्यन्ते। लोकतोऽर्थप्रयुक्ते शब्दप्रयोगे शास्त्रेण धर्मनियमाः।[6] नियमाः लोकेमनुष्याणांहितायभवन्ति, पुनः पाणिनिव्याकरणं यः सर्वकलासम्पन्नशास्त्रं वर्तते, तम् लोकहिताय कथं न सृजेत्? अतः आदर्शपरिवारस्य यः दृश्यंवैदिक वाङ्मये अस्मान् दरीदृश्यते, पाणिनीय व्याकरणेऽपितद् तस्याम् उन्नतावस्थायां एव प्राप्यते।

पाणिनीय व्याकरणेपाणिनिना द्विप्रकारकाः सम्बन्धाः प्रोक्ताः—(1) विद्यासम्बन्धः, (2) योनिसम्बन्धः। विद्यायोनिसम्बन्धेभ्यः वुञ्च[7], ऋतोविद्यायोनिसम्बन्धेभ्यः[8]। विद्यासम्बन्धः यः गुरूशिष्य परम्परयाचलतितथा योनिसम्बन्धाः मातृवंशपितृवंशाभ्याम् चलति, यथोक्तं-महाभाष्यकारेण-द्वावेववंशौमातृवंशः पितृवंशश्च।[9]

* सहायक प्राध्यापक (संस्कृत), शासकीय बापू महाविद्यालय (नौगांव), छतरपुर (म.प्र.)

यथावर्तमानसमयेअस्थिविसर्जनकर्तारः पण्डिताः कुलपरम्परासुविभक्ताः, तेगोत्रानुसारेणतेषां अनेकानां-वंशपरम्पराणां अभिधानंजानन्ति, तथैवपाणिनीय व्याकरणेवंशप्रमुखसंस्थापकपुरूषस्य नाम्ना सह वंशश्रेण्याः संख्या योजयित्वातस्य वंशस्य दीर्घकालीनस्तित्वस्य संङ्केतो उपलभ्यते। यथा-एकविंशतिभारद्वाजं, त्रिपञ्चाशद् गौतमम्, तृतीयासप्तम्योर्बहुलम्[10] सूत्रेऽस्मिन् महाभाष्यकारः पतञ्जलिः निर्दिशति। स्पष्टं यद् उदाहरणनिर्माणसमयपर्यन्तंभारद्वाजस्य एकविंशति वंशश्रेणी तथागौतमस्य त्रिपञ्चाशद् वंशश्रेण्यः व्यतीताः। समाजे यथागृहेषुसम्बन्धाः पिता-माता, भ्राता-भगिनीइत्यादयः भवन्ति, तथैवपाणिनीय अष्टाध्याय्याम् अनेकेसम्बन्धाः दर्शयन्ति, सहैवपितामात्रा[11] इत्यादिसूत्रैः पितरौ, भ्रातरौ, श्वसुरौ, पुत्रौइत्यादौ एकशेषंदर्शयन् तत्कालीनंपितृकेन्द्रितंसमाजे, पितुः प्राधान्यंदर्शयन्ति। संयुक्तपरिवाराय पाणिनिः पुत्रपौत्रमनुभवति[12] सूत्रेणपुत्रपौत्रीणः प्रयोगंप्रदर्श्य तत्कालीनंपरिवारस्यापि-दर्शनंकारयन्ति। संयुक्त शब्दः तस्मिन्समये श्वशुरालयेभ्यः प्रयुज्यते स्म संयुक्ताः'' स्त्रीसम्बन्धिनः श्यालादयः[13]। परिवारंकुलंप्रोच्यन्तेस्म। प्रतिष्ठितं यशस्वीकुलं च महाकुलंइतिकथयन्ति स्म-आढ्यकुलीनः, श्रोत्रियकुलीनः, महाकुलीनः।[14] इत्यादीनिउदाहरणानिइदमेवप्रदर्शयन्ति। के च तेमहाकुलीनः, दुष्कुलीनः?[15] विदुरःवदन्तितप-दम-ब्रह्मज्ञानं, यज्ञं, पुण्योद्वाहं, सदैवमन्नदानं, सम्यक् आचारं च इमेसप्तगुणाः येषुसन्तितेमहाकुलीनः तथा च वेदाध्ययने प्रमादः, सदाचारस्य परित्यागकर्तारः दुष्कुलीनः उच्यन्ते।

श्रेष्ठकुलेषुभवन् गृहपति, गृहिणी च कथंभवेत्? विषयेऽस्मिन् पाणिनिः वदन्ति-सवर्णासंस्कारः सवर्णासूपदिश्यते।[16] उद्वाहसमयेप्रज्ज्वलिताग्निः गार्हपत्य अग्निः उच्यते। अतः गृहपतिनासंयुक्ते ञ्यः[17] उक्त्वापाणिनिः गृहस्थजीवने यमग्निंगृहयज्ञैः निरन्तरंप्रज्ज्वलिताः स्थापयन्ति तम् गृहपतिसंयुक्तंअग्निंकथयन्ति, गृहपतिनासंयुक्तः गार्हपत्योऽग्निः। यज्ञस्य संयोगेनेवपत्नी उच्यते-पत्युर्नोयज्ञसंयोगे।[18]

कः गोत्रसंज्ञकः? उच्यतेपाणिनिनाअपत्यंपौत्र-प्रभृतिगोत्रम्[19] पौत्रप्रभृतेरपत्यंगोत्र-संज्ञकः। गृहेषु वृद्धः व्यक्तिः सर्वोपरिभवति स्मतस्मात् कनिष्ठाः सर्वेऽपि युवाउच्यन्तेजीवतितुवंश्ये युवा।[20] अद्यत्वेऽपि वृद्ध व्यक्तेः मृत्योः अनन्तरं पट्टाभिषेकः (पगड़ी बन्धन) क्रियते स्म, पाणिनीय व्याकरणस्य गार्ग्यः, गार्ग्यायणं यथासंख्यं सैवसंज्ञासन्ति, ज्येष्ठभ्रातुः जीवितेसतिसर्वेऽपिअनुजाः युवाउच्यन्तेतथाज्येष्ठभ्रातरं-पितासदृशंमन्यन्ते स्म, भ्रातरि चज्यायसि।[21]

गृहपत्नीकथंस्यात्? पाणिनिः अष्टाध्याय्यां जाया, पत्नी, जानि शब्दंगृहपत्न्यैप्रयुज्यते। नवपाणिग्रहण-वधूंलोकवेदयोः सुमंगलीकथयन्तिसुमंगलीरियं वधूरिमांसमेत पश्यत।[22] युवतिस्त्रियाःभर्तायुवजानिः, तथावृद्धस्त्रियाः भर्ता वृद्धजानिःउच्यते। (जयाया निङ्)[23] यस्याः उद्वाहः अनुजायाः अनन्तरंस्यात्, तर्हितस्याः भर्तादिधिषूकथ्यते, न भूवाक्चिद्दिधिषु।[24]

सुष्ठुआचरणयुक्तः मातुपुत्रःभद्रमातुरः रूपवतीमातुपुत्रः कल्याणिनेयः। स्त्रीणामध्ययनस्याप्यधिकारमासीदिति। काशिकायाः कठी, बह्वृचीइत्यादीनिउदाहरणानि-इदमेवसंकेतयन्ति। बह्वृचनाम्नः ऋग्वेदस्य चरणे अध्ययनकर्त्रीणिब्रह्मचारिणिन्याःबह्वृचीकथ्यन्ते। छात्र्यादयः शालायाम्[25] उक्त्वापाणिनिः छात्राणाम् निमित्तंपृथक् पाठशाला, छात्रावासं च निर्दिशन्ति। केचनस्त्रियाः उद्वाहानन्तरमपिआजीवनंपठिष्यन्तीतिसंकल्पयन्तिताः कुमार-श्रमणा, कुमारप्रव्रजिताउच्यन्तेकुमारश्रमणादिभिः।[26]

सत्संगत्यै, गृहपतिपत्नीं च सन्मित्राणिकथंभवेयुः? तर्हिअष्टाध्याय्यां पाणिनिः सुहृत् व तेषाम् सौहार्दभावाय सख्यम् शब्दंप्रयुज्यन्ते (सख्युर्यः) पूर्णायुपर्यन्तंगहन-मित्रतांअजर्यं संगतम्[27] कथ्यन्ते।

परिवारेषु, गृहेषु वा प्रयोगवस्तूनामपिविस्तृतवर्णनं-

अष्टाध्याय्यां पाणिनिः इत्थंकुर्वन्ति, यथा-अन्नंभोजनं वा पञ्च भागेषुविभक्ताः- धान्यकृतान्नमधुरपदार्थगव्यफल-शाकवर्गाः, तस्मात् धान्येषु- शालि, महाव्रीहि, हायन, यवन, नीवारं, षष्टिका (साठी) षष्टिरात्रेणपच्यन्ते धान्यं षष्टिकाइतिषष्टिकाः षष्टिरात्रेण पच्यन्ते[28]। वर्तमानसमये 'बासमतीतण्डुलानि' तस्मिन् समयेमहाशाली, महान् व्रीह्यपरा[29]। कृतान्नेषु- यावक, पिष्टकं, संयावः, अपूपाः, कुल्माषाः, पललचूर्णादिः वर्णनंप्राप्यते।

आदर्शगृहेतेसर्वेऽपिशिष्टाचाराः, अन्नपान, वस्त्रालंकाराणि, शयनासनाश्चभवन्ति, ये वैदिकाः स्युःप्रकृतिअथ च शरीराय हितकारीभवेत्। गृहेप्रयुक्तअनेकानांवस्तूनामुल्लेखःअष्टाध्याय्यां प्राप्यते, यथा-शय्या, आसन्दः, आसनः, पार्पिकः[30] (पर्पेण चरतीति-लोकभाषायां-व्हीलचेयर) इत्यादयः इत्थंआदर्शपरिवारेभवन् सर्वेऽपिकर्तव्याकर्मणाम् वर्णनंअस्माभिः अष्टाध्याय्यां पाणिनिनादर्शयते, परिवारः यः सामाजिकनिर्माणस्य आधारस्तम्भः भवतिसदैवस्वादर्शरूपेसमाजस्य निर्माणंकरिष्यति।

ममाशयः इदमेव यत् शास्त्राणिनैवलोकनियमात् पृथक्सन्ति, यल्लोकेतच्छास्त्रे। सम्प्रतिजनाः विचारयन्ति यद् शास्त्राणामध्ययनंपठनंपाठनं च केवलंविशिष्टवर्गायैववर्तते। नैव! अपितुसर्वेषांकृतेवर्तते, शास्त्राणि अस्माकंइतिकृत्यग्रन्थानिसन्ति, पुराकाले के नियमाः आसन्, जनाः कथंव्यवह्रियन्ते स्म, अस्य परिज्ञानार्थं शास्त्राणां अध्ययनमावश्यकं। उक्तमपिमम्मटेनकाव्यप्रयोजने-व्यवहारविदे[31](राजादिगतोचिताचारपरिज्ञानम्) अर्थात् यथाकाव्यंपठनेन, श्रवणेनतथैवव्याकरणशास्त्रस्यापिपठ-नेनज्ञायते यत् सामाजिकसम्बन्धेषुकथंव्यवहारः आसीत्? पुनश्चकथंआदर्शव्यवहारः करणीयः? उभयोः ज्ञानंप्राप्यते, अतः शास्त्राणामध्ययनंपरमावश्यकं इति। उच्यते च - पाणिनिशब्दोलोकेप्रकाशते।

सन्दर्भाः

1. धातुपाठ 5/18
2. धातुपाठ 10/236
3. धातुपाठ 9/41
4. धातुपाठ 9/19
5. धातुपाठ 10/278
6. महाभाष्य पस्पशाह्निके : चौखम्बासंस्कृतप्रतिष्ठान : पृ. सं. 65।
7. अष्टाध्यायी 4/3/77
8. अष्टाध्यायी 6/3/22
9. महाभाष्य 4/1/147 वा. 7
10. महाभाष्य 2/4/84
11. अष्टाध्यायी 1/2/70
12. अष्टाध्यायी 5/2/10
13. काशिका 6/2/133
14. काशिका 4/1/139
15. काशिका 4/1/142
16. मनुस्मृति 3/43
17. काशिका 4/4/90
18. अष्टाध्यायी 4/1/33
19. अष्टाध्यायी 4/1/162
20. अष्टाध्यायी 4/1/163
21. अष्टाध्यायी 4/1/164
22. ऋग्वेद 10/85/33
23. अष्टाध्यायी 5/4/134
24. अष्टाध्यायी 6/2/19
25. अष्टाध्यायी 6/2/86
26. अष्टाध्यायी 2/1/69
27. अष्टाध्यायी 3/1/105
28. अष्टाध्यायी 5/1/89
29. अष्टाध्यायी 6/2/38
30. अष्टाध्यायी 4/4/10
31. काव्यप्रकाश 1/2

SHODH CHETNA – YEAR-7, VOL. 3 (JULY TO SEP., 2021) ISSN : 2350-0441
A Peer-Reviewed
International Referred &
Multifocal Research Journal
IMPACT-FACTOR 5.299
Paper Recieved : 5th Aug 21 Paper Accepted : 10th Sep 21

''अनुसंधान प्रक्रिया में भारतीय एवं पाश्चात्य् काव्यशास्त्र की भूमिका''

❒ डॉ. राजू हमीरसिंह देसाई*

शोध सारांश

भारत का अतीत ज्ञान से परिपूर्ण था और भारतीय संसार का नेतृत्व करते थे। मनुष्य अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए सदैव प्रयासरत रहता है लेकिन सार्थक जीवन क्या है और इसे कैसे प्राप्त किया जाय? इन सब बातों के अवबोधन को ज्ञान के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। सरल भाषा में ज्ञान के विस्तार को हम अनुसंधान या शोध कहते हैं। यह जीवन के किसी भी क्षेत्र से संबंधित हो सकता है। अनुसंधान के बिना ज्ञान की किसी भी क्षेत्र में प्रगति नहीं हो सकती। अनुसंधान समस्या निवारक होते हैं। मूलतः जब भी हमें किसी समस्या का सामना करना पड़ता है या कुछ जिज्ञासा उत्पन्न हो, हम अनुसंधान करने के लिए प्रेरित होते हैं। फलतःहम अनुसंधान के कार्यों में आगे बढ़ते हैं। किसी विशेष ज्ञान क्षेत्र में शोध समस्या का समाधान या जिज्ञासा की पूर्ति में किया गया कार्य उस विशेष ज्ञान क्षेत्र का विस्तार है। वास्तविक तथ्यों सिद्धांतों और अवधारणाओं से परिचित भी सामान्यतः ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। ज्ञान प्राप्त करना एक सतत प्रयास है। अनुसंधान किसी भी उच्च शिक्षा संस्थान के लिए महत्वपूर्ण है।

शब्दंकुंजी—अनुसंधान द्वारा हम नए तथ्यों को ढूंढ निकालते हैं। अनुसंधान शोध, गंवेषणा, ओज, अन्वेषण, मिसासा, अनुशीलन, परिशीलन, आलोचना, रिसर्च आदि नामों का भी प्रयोग किया जाता है।

संधान का अर्थ है खोज, अनुसंधान का अर्थ है पश्चातवर्ती खोज, अर्थात नई खोज, नवीन तथ्यों का अन्वेषण है। संपूर्ण जगत और समाज परिवर्तनशील है। पुराना अतीत बन जाता है और नया वर्तमान। तभी तो नए के स्वागत में पुराने को समाप्त होने के लिए सुमित्रानंदन पंत ने लिखा है। द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र इस युगान्तकारी परिवर्तन के साथ शाश्वत तत्व खंडित हो जाते हैं। और प्रश्न के साथ प्रारंभ होता है कि, गॉड पार्टिकल क्या है? आतंकवाद की समाप्ति कैसे हो? नीरजा माधव के उपन्यास क्या उत्तर आधुनिक

* सहायक प्राध्यापक (हिन्दी), शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, खरगोन (म.प्र.), मो. 9425942563

है? इत्यादि प्रश्न वैज्ञानिक मूल्यगत अथवा साहित्यिक विचारणा से संबंधित है, और इनका समाधान अनुसंधान प्रक्रिया का अंग है।

'एडवांसड लनन डिड कशनरी आप करंट इंग्लिश' के अनुसार किसी भी ज्ञान की शाखा में नवीन तथ्यों की खोज के लिए सावधानी पूर्वक किए गए अन्वेषण या जांच पड़ताल को अनुसंधान की संज्ञा दी जाती है।

रेड मैन एवं मोरी के शब्दों में नवीन ज्ञान प्राप्ति के लिए व्यक्तित्व प्रयत्न को हम अनुसंधान कहते हैं। लुंडवर्ग के अनुसार—अनुसंधान वह है, जो अवलोकित तथ्यों के संभावित वर्गीकरण, सामान्यीकरण और सत्यापन करते हुए पर्याप्त रूप में वस्तु विषयक और व्यतवस्थित हो।

उपयुक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि अनुसंधान में—

1. नवीन तत्वों की खोज की जाती है।

2. नवीन तत्व की खोज के लिए सावधानीपूर्वक जांच पर्याप्त अवलोकन विश्लेषण एवं वस्तु का अध्यापन किया जाता है।

3. अनुसंधान से ज्ञान वृद्धि में सहायता मिलती है।

4. अनुसंधान से प्राप्त किए गए निष्कर्ष भावी खोज के लिए मार्गदर्शक भी होते हैं।

अनुसंधान मूलतः दो प्रकार के होते हैं—

1. सामाजिक अनुसंधान

2. वैज्ञानिक अनुसंधान

साहित्य समाज सापेक्ष है, तभी तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य को समाज का दर्पण कहा है। अतः साहित्यिक अनुसंधान को सामाजिक अनुसंधान की कोठी में रखा जाता है। जबकि भाषा विज्ञान की पद्धति वैज्ञानिक होने के कारण उसे वैज्ञानिक अनुसंधान के अंतर्गत रखा जाता है।

साहित्य सर्जना है। अतः उसमें आत्म निष्ठा होती है, भाषा विज्ञान की तरह ही काव्यशास्त्र की वस्तुनिष्ठता होती है। मात्रा आत्मा में शुद्धता और वस्तुनिष्ठता ही सामाजिक एवं वैज्ञानिक अनुसंधान के विभाजक तत्व नहीं है, बल्कि अन्य तत्व भी है, जो दोनों पद्धतियों को अपनाते हैं। सामाजिक अनुसंधान पद्धति भले ही आत्मनिष्ठ हो किंतु आज यह मान लिया जाता है कि, भौतिक विज्ञान की भांति सामाजिक अनुसंधान में भी प्रयोगात्मक अनुसंधान संभव है। इस प्रकार सामाजिक अनुसंधान एक वैज्ञानिक योजना है। श्रीमती यंग के अनुसार सामाजिक अनुसंधान एक ऐसी वैज्ञानिक योजना है, जिसका उद्देश्य तार्किक तथा क्रमशः विधियों के द्वारा नवीन या प्राचीन तथ्यों को ज्ञात करना और उसकी क्रम मतदाताओं को अंतर संबंधों के कारण की व्याख्या तथा उन को संचालित करने वाले नियमों का विश्लेषण करना है। इस परिभाषा के अनुसार सामाजिक अनुसंधान की विशेषताएं इस प्रकार है—

1. सामाजिक अनुसंधान एक वैज्ञानिक योजना है।

2. इसका उद्देश्य प्राचीन एवं नवीन तथ्यों को ज्ञात करना है।

3. उद्देश्य प्राप्ति हेतु तार्किक एवं क्रमबद्ध विधियों का प्रयोग किया जाना है।

4. तथ्यों की क्रमबद्धता एवं अंतर संबंधों के कारणों की तलाश करना है।

सामाजिक अनुसंधान का विषय मानव समाज है, मानव समाज विविधताओं से भरा होता है। मानवीय संबंध भी विभिन्नम विचित्रिताओं से भरे होते हैं। दार्शनिक, वैज्ञानिक, सदाचारी, पाखंडी, निरक्षर, ज्ञानवान, भिखारी, अरबपति, वीरांगना, सन्यासी, देशद्रोही, राष्ट्रभक्त आदि अनोखे मनुष्य समाज में रहते हैं। इन सबके आधार पर सामाजिक घटनाएं निर्धारित होती है। इसलिए सामाजिक अनुसंधानकर्ताओं को, सामाजिक घटनाओं की प्रकृति को भली-भाँति परखना होता है। साहित्य भी ऐसी जटिलताओं, विविधताओं परिवर्तनशीलताओं अकस्मिकताओं संयोजगो, अजनबीपन से भरा होता है। अतः साहित्यिक अनुसंधान वैज्ञानिक पद्धति से नहीं किया जा सकता है। सामाजिक घटनाओं की प्रकृति के

आधार पर ही सामाजिक अनुसंधान की नींव रखी जा सकती है। सामाजिक घटनाओं की प्रकृति की कतिपय विशेषताओं का उल्लेख किया जा सकता है—

1. सामाजिक घटनाएं जटिल होती है—समाज का एक घटक पिता, अलग-अलग पिता अपने बच्चों से अलग अलग व्यवहार करता है। कोई बच्चे से बोझा ढुलवाता है, तो कोई पेट काटकर अपने बच्चों को पढ़ाता है। इस जटिलताओं के लिए परिस्थितियां भी उत्तरदायी होती है। कोई भी दुराचारी परिस्थितिवश सदाचारी बन सकता है, और सदाचारी दुराचारी बन सकता है। कंप्यूटर प्रणाली तब तक जटिल है, जब तक हम उसका ज्ञान नहीं प्राप्त कर लेते हैं।

2. सामाजिक घटनाओं की व्यक्ति निष्ठता अमूर्तता—भौतिक घटनाएं इंद्रिय गम्य होती है, जबकि सामाजिक घटनाएं अमूर्त होने के कारण इंद्रियगम्य नहीं है। ठीक इसी प्रकार कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की तरह। मॉनीटर, की बोर्ड को हम देख सकते हैं, किंतु कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग को नहीं।

3. सामाजिक घटनाओं की गुणवत्ता—यह माना जाता है कि भौतिक घटनाएं परिमाणात्मक (माप तोल से संबंधित होती है) और सामाजिक घटनाएं गुणात्मक (मूल्य, आदर्श ,नैतिकता, विचार आदि) वैसे यह अंतर और सामाजिक घटना? अवैज्ञानिक है।

4. समरूपता का अभाव—समाज में विभिन्नताओं और विविधताओं के कारण समाज की कोई भी दो इकाई समान नहीं होती है। इसलिए वैज्ञानिक पद्धति में यथार्थता का अभाव होता है, लेकिन समरूपता के अभाव में ही सामाजिक घटनाओं को नई तकनीक द्वारा अधिकाधिक यथार्थ बनाया जा सकता है।

5. सार्वभौमिकता का अभाव—भौतिक पदार्थों के नियम सार्वभौम होते हैं; जैसे—आग जलायेगी ही की तरह सब जगह। पानी शीतलता ही देगा हर समय। सामाजिक घटनाओं के संदर्भ में ऐसी सार्वजनिकता नहीं होती है। विद्यार्थी शिक्षक को साक्षात परब्रह्मा माने या पत्नी हमेशा सावित्री बनकर पति को, सत्यवान बनाकर अमरत्व दिलवाए यह जरूरी नहीं हैं।

6. सामाजिक घटनाओं की गतिशीलता—मानव की शिक्षा-दीक्षा उसके अनुभव विचारों की परिपक्वता, उसके जीवन में बदलाव लाते रहते हैं और उनका व्यवहार बदलता रहता है। अतः वैज्ञानिक अनुसंधान पद्धति निष्फल हो जाती है, लेकिन ऐसी परिवर्तनशीलता के बावजूद सामाजिक घटनाओं में निश्चितता और नियमितता की खोज की जा सकती है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. ज्ञानोदय : फरवरी 1966
2. बदलते परिप्रेक्ष्य : डॉ. नेमीचंद्र जैन
3. संचेतना : डॉ. महिप सिंह
4. काव्य बिंब : डॉ नागेंद्र
5. मौत का नगर : अमरकांत
6. एक और जिंदगी : मोहन राकेश
7. मांस का दरिया : कमलेश्वर
8. पीयर्सन प्रकाशन : के.वी.एस. मदान

SHODH CHETNA – YEAR-7, VOL. 3 (JULY TO SEP., 2021) ISSN : 2350-0441
A Peer-Reviewed
International Referred &
Multifocal Research Journal
IMPACT-FACTOR 5.299
Paper Recieved : 6th Sep 21 Paper Accepted : 10th Sep 21

डॉ. द्वारिकानाथ त्रिपाठी विरचित जनसंख्या नियन्त्रण शतकम्
(एक अध्ययन)

❐ मनोज कुमार*
❐ डॉ. सूर्यनारायण गौतम 'वेदाचार्य'**

शोध सारांश

संस्कृत जगत् के मूर्द्धन्य कवि, मनीषी डा. द्वारिकानाथ त्रिपाठी एक बहुश्रुत तथा ऋषिकल्प हैं। वे न केवल संस्कृत भाषा मर्मज्ञ हैं अपितु भाषा की बारीकियों के विशेषज्ञ हैं। सूक्ष्म से भी सूक्ष्म भावों को संस्कृत के शब्दों और वाक्यों में पिरोकर सुन्दर माला बना देना आपकी कठिन साधना का परिणाम है। आपने जनसंख्या नियन्त्रण शतकम्, पर्यावरणसुरक्षा शतकम् तथा एड्सरोगनियन्त्रण शतकम् का लेखन किया है। वैयाकरणभूषणसंसार पर भी आपके द्वारा उत्कृष्ट शोधकार्य किया गया है। निरन्तर प्रवर्द्धमान जनसंख्या बृद्धि के होने वाले दुष्परिणामों से आपके कवि हृदय को बड़ा आघात पहुँचा है। आपकी चिन्ता समीचीन है। अतः यह लेख इस दिशा में मार्गदर्शन करेगा इसी प्रत्याशा में लेखन किया गया है।

शब्द कुंजी—द्वारिकानाथ परिचय, जनसंख्या।

"अदम्य साहस एवं उत्साह के प्रतीक कविवर डा. द्वारिका नाथ त्रिपाठी द्वारा विरचित जनसंख्या नियन्त्रण नामक शतक का चिन्तन किसी जाति, धर्म अथवा राष्ट्र की सीमा में आबद्ध, संकीर्ण कुण्ठा तथा पूर्वाग्रहों के समस्त घटकों को पोषण प्रदान करेगा ऐसी मेरी मान्यता है।"[1] यह वाक्य इस महनीय ग्रन्थ के प्रकाशक के हैं जिन्होंने इस अत्यन्त उपयोगी ग्रन्थ का प्रकाशन किया है।

डा. द्वारिकानाथ त्रिपाठी संस्कृत जगत् के मूर्द्धन्य विद्वान् मनीषी हैं तथा जिस प्रकार उनकी विद्वत्ता है, उसी प्रकार उनकी विनम्रता भी है। यथा—"मेरी रचनाओं में त्रुटियों का रह जाना तो स्वाभाविक है क्योंकि ब्रेल लिपि में अन्यान्य विषयों के विविध पुस्तकों की दुर्भिक्षता के साथ ही वाचक का अभाव एवं लेखन कार्य श्रुति लेखक के आश्रित होने से हृदय से उद्भूत भावों को यथावत् वाक्य एवं अनुच्छेद आदि की रचना में विसंगति

* शोधार्थी, श्री जगदीशप्रसाद झाबरमल टीबड़ेवाला विश्वविद्यालय, झुन्झुनू (राज.)
** एसो. प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष (संस्कृत विभाग), श्री जगदीशप्रसाद झाबरमल टीबड़ेवाला विश्वविद्यालय, झुन्झुनू (राज.)

से नकारा नहीं जा सकता। क्योंकि वक्ता एवं श्रुति लेखक के भेद के साथ-साथ कालान्तरात भी आगे बढ़ता है। अतः पाठक बन्धुओं से मेरा अनुरोध है कि इस पुस्तक के ज्ञान को अपने जीवन में उतारते हुए मेरी त्रुटियों से अवगत कराने का कष्ट करें। ताकि अग्रिम संस्करण में उसे सुधार सकूं।''[2]

आपने नेत्रहीनता के बावजूद भी समाज को सूक्ष्मता से देखा है, समझा और परखा है। आपकी चिन्ता न केवल पठनीय है वल्कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए सर्वथा अनुकरणीय है। आज विश्व चिन्तातुर है तो केवल निरन्तर बढ़ती हुई जनसंख्या से क्योंकि प्राकृतिक संसाधन जितने हैं उसकी तुलना में निरन्तर बढ़ती आबादी के कारण उपभोग्य वस्तु का अनुपात निरन्तर न्यून होता जा रहा है।

जनसंख्या की विस्फोटक समस्या से केवल आज का ही जनमानस नहीं बल्कि वेदकाल में भी चिन्तातुर हुआ था। निरुक्त में यास्क मुनि ने ऋग्वेद के एक मन्त्र का उद्धरण प्रस्तुत करते हुए कहा है—

निष्टत्त्वाशः चिदन्नरो भूरितोका बृषादिव।
विभ्यस्यन्तो ववाशिरो शिशिरं जीवनायकम्।।[3]

यह समस्या आज के लिए ही नहीं है अपितु उस काल के लिए है जब किसी मानव को रहने-बसने के लिए भूमि नहीं उपलब्ध हो पायेगी। यदि आवासीय भूमि उपलब्ध भी हो गई तो कृषि भूमि नहीं रहेगी फिर मानव का जीवन किस पर आधारित हो सकेगा।

आचार्य द्वारिकानाथ जी कहते हैं—

सम्पूर्णानाम् समस्यानामेकमेवाऽस्ति कारणम्।
जनसंख्यै धनं विश्वे द्वारिका नाथ वाङ्मयात्।।[4]

मुझे द्वारिकानाथ त्रिपाठी के मन्तव्यानुसार संसार भर में अनुभूयमान सम्पूर्ण समस्याओं का एक मात्र कारण अबाध गति से प्रतिपल कुवर्धित मानव वृद्धि है। यहाँ पर भी उपर्युक्त प्रथम एवं द्वितीय श्लोकों में जिस प्रकार पौना पुण्य समस्या शब्द का प्रयोग कर कथनी मात्र माना जाना चाहियें। क्योंकि तृतीय एवं चतुर्थ श्लोकों में भी जनसंख्या वृद्धि को समस्त समस्याओं का नींव बारंबार आवृत है। इसका तात्पर्य यह कदापि नहीं। कि ये श्लोक पुनरूक्ति दोषाऽपन्न हैं। अपितु जान-बूझकर इन दोनों श्लोकों में एक ही शब्द अनेकधाउच्चरित है।

नाडीगत्यनुसारं हि, जनसंख्या प्रतिक्षणम्।
वर्धतेऽबाधगत्याऽस्मिन् भूतलेऽभूत पूर्वतः।।[5]

प्रत्येक स्वस्थ व्यक्ति की नाड़ी की गति प्रति मिनट साठ से बहत्तर तक प्रतिपादित है। इसी गति से इस बसुधा पर बच्चों का जन्म दृष्टिगोचर हो रहा है। अर्थात् प्रति मिनट इस भूमण्डल पर साठ से बहत्तर शिशु जन्त लेते हैं। जो कि किसी भी युग में उत्पन्न होने वाले शिशुओं की अपेक्षा बहुत अधिक कहा जा सकता है। अतः अभूतपूर्व एवं अबाध ये दोनों ही शब्द दुर्वर्धित नर को इंगित करने के लिए प्रयुक्त किये गये है।

वनादि वन्यजीवानां विनाशे हेतवों नराः।
अन्या सृष्टीर्विनश्यन्ति सततं विश्वद्रोहिणः।।

बहुत संतानोत्पत्ति को ईश्वर की कृपा मानने वाले भाग्यवादीजनों के पुत्राऽदि की लम्बी पंक्ति खड़ी करने के कारण, वन-वृक्षादि एवं तदगत वन्य प्राणियों के विनाश में कारण भूत संसार के शत्रु, मानव स्वतेत्तर सृष्टि की अनवरत् विनष्ट करते जा रहे है।

जनाऽधिक्यात् क्षितावस्यां पर्यावरणदूषणम्।
दुण्टे पर्यावृतेस्माकं जीवनं नैव जीवनम्।।[6]

उपर्युक्त चतुर्धा सृष्टि के संतुलन के दायित्व का निर्वाह करने वाला मानव की अधिकता के कारण हमारे इस भूमण्डल का संपूर्ण पर्यावरण पूर्णतया प्रदूषित होने से हमारा जीवन, जीवन न रहकर रोगों का खान बन जाएगा। पर्यावरण मानव ही नहीं अपितु चतुर्धा सृष्टि का परि अर्थात चारों ओर से आवृत किया हुआ है। अर्थात् गोस्वामी तुलसीदास द्वारा प्रतिपादित— छितिजलपावक गगन समीरा। पंच रचित यह अधम शरीरा।। के द्वारा हमे यह जानना चाहिए कि देह धारण में आत्म तत्व के अतिरिक्त सम्पूर्ण अनिवार्य घटकपर्यावरण के रूप में स्वीकृत हैं।

चतुर्धाः सृष्टि ही परस्परं में चतुर्धा सृष्टि का परिपोषक है। इनमें विषमता होने पर प्रलयकारी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। तात्पर्य यह है कि पिण्डज-मानव, पशु। अण्डज-पक्षी, कीट-पतंग। स्वदेश-जूं, लिक्स, चीलर। उद्भिज्ज-वन-वृक्ष एवं वनस्पति जगत् ये चारों ही एक दूसरे पर आश्रित है। उदाहरण के लिए जहां मानव, पशु-पक्षी आदि द्वारा उत्सर्जित मलमूत्राऽदि से उद्भूत वाष्प-अपान (कार्बनडाइ आक्साइड) पर वनस्पति जगत निर्भर है तो वनस्पति जगत द्वारा उत्सर्जित प्राण-वायु (आक्सीजन) उपर्युक्त तीन सृष्टियों का जीवनदायक अंग है। जहां वन-वृक्षादि पिण्डज-अण्डज एवं स्वदेशज के खान-पान, रहन-सहन एवं औषधि आदि का अनिवार्य स्त्रोत है। वहीं वनस्पति की स्थिति उन तीनों पर आधारित है। इस प्रकार एक ह्रास अथवा अल्पता के कारण दूसरे का विनाश अवश्यम्भावी है। अतः इन चारों में संतुलन बनायें रखना चारों के लिए हितकारी है। परन्तु विवेक शक्ति सम्पन्न मानव समाज का दायित्व और भी बढ़ जाता है। क्योंकि यह एक चिंतनशील प्राणी है।

पंचाऽखाता महाभूता भूमिरापोऽनलोनिलः।
आकाशस्चैभिरेवेह संयुतैः सृण्यिरूच्यते।।[7]

पृथिवी, जल, तेज वायु एवं आकाश ये पांचों महाभूत के नाम से प्रख्यात हैं। इन्हीं पांचों के पंचीकृत सम्मिश्रण से चतुर्धा सृष्टि एवं सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड (ब्रह्माण्ड) का निर्माण होता है। तात्पर्य यह है। कि आत्म तत्व से आकाश, आकाश से वायु, वायु से तेज से जल एवं जल से पृथिवी का विकास सृष्टि का द्योतक है। एवमेव प्रलयकारी स्थिति में पृथवी का जल में, जल का तेज में, तेज का वायु में वायु का आकाश में विलय हो जाता है। प्रमाण यह है कि शब्द गुणक, आकाश में शब्द की प्रतीती तदुत्पन्न, वायु में शब्द स्पर्श, तेज में शब्द स्पर्श रूप, जल में शब्द स्पर्श, तेज में शब्द स्पर्शरूप, जल में शब्द स्पर्शं रूप रस तथा पृथ्वी में शब्द-स्पर्श-रूप-रस-गंध इन पांचों गुणों का समावेश होता है। अतः विकास एवं विलय में संदेह का कोई स्थान नहीं।

वर्धनाज्जनसंख्यायाबसुधा नैव जायते।
तत्राऽप्यनेकधा भूमिः सर्वत्रोत्पादनं न हि।।[8]

छः अरब वाले मानव समूह का अनुक्षण दुर्वर्धंन इस ब्रह्मण्ड के लिए घातक होता जा रहा है। क्योंकि मानव की वृद्धि सम्भव नहीं। साथ ही दृष्टि-गोचर होने वाला सम्पूर्ण भूखण्ड अन्नोत्पादन का साधन नहीं अपितु भूमि के अनेक उपयोग है, साथ ही अन्यान्य प्रकार भी।

बहुखाद प्रयोगेऽपि कृते भूमिर्निरूर्वरम्।
शनैः शनैखाप्ता नोमन्तव्यं निश्चितं यतः।।[9]

विश्व मानव समुदाय दूरगामी परिणाम का परवाह किए बिना स्वयं की क्षुधा तृप्ति के लिए अनेक प्रकार के बहुतायत खाद के प्रयोग से हठात् जो पृथिवी का दोहन कर रहा है, वह मानव समाज के लिए ही नहीं प्रत्युत सम्पूर्ण जीवधारी स्थावर जंगम् जगत् के लिए घातक सिद्ध होगा। क्योंकि प्रचुर खाद क प्रयोग शनैः शनैः पृथिवी की उर्वराशक्ति को विनष्ट कर देगा और भूमण्डल पर जीवन का अभाव सम्भव है। अतः अच्छा तो यह होता कि बढ़ती हुई आबादी को ही नियंत्रित करने का प्रयास हम सभी संयुक्त रूप से प्रारंभ कर देते।

भागत्रयं समस्तस्य संसारस्य सागराः।
चतुर्थंस्य चतुर्थाऽशे सम्भवं नरजीवनम्।।[10]

इस संसार का 3/4 भाग समुद्र एवं 1/4 भाग ही पृथ्वी है। 1/4 भाग पृथ्वी में भी पर्वत, रेगिस्तान, नदी-नाले, तालाब, बंजर, वन, ग्रामीण एवं शहरी आवासस्थल को पृथक् कर देने से पृथवी का चतुर्थांश ही अन्नोत्पादन् का साधन है। अर्थात् पृथिवी के चतुर्थं भाग पर ही छः सौ करोड़ से भी अधिक संख्या वाला मानव समाज का जीवन निर्भर है।

धरण्यां मानवाऽधिक्याज्जलाऽभावाऽन्नदुर्लंभम्।
वन्यसंसाधनऽल्प्यं नो ह्महोरावं वनक्षतेः।।[11]

इस धरणी पर निरंतर बढ़ते हुए जनाऽधिकार से जल का अभाव एव अन्न की दुर्भिक्षता के साथ ही अनवरत् वनों के विनाश से हमारे वन्य संसाधनों का ह्रास होता जा रहा है आशय यह है कि मानवाधिक्य के

कारण सीमित जल एवं अन्न की कमी के साथ-साथ वन-वृक्षों का अभाव स्वाभाविक है। क्योंकि मानव अपनी उपभोक्ता संस्कृति में ओत-प्रोत दूसरों का ध्यान क्यों रखने लगा? वनों की निरंतर कटाई से पृथिवी का सुरक्षित पेय जल समुद्रों में चला जाएगा। प्राण वायु का अभाव होगा, विभिन्न रोगों के शमन में उपयुक्त औषधियों का अभाव होगा एवं उर्वराशक्ति हमारे अन्नोत्पादन का साधनभूत भूमि रेगिस्तान के रूप में परिणत हो जाएगी। फिर क्या होगा हम सबका इस पर विचार करना चाहिये।

नाशेऽरण्ये गते सर्वेषां प्राणिनांसम्भवम्।
जीवनं भविताभूमौ रक्षणीयमतोवनम्।।[12]

वन वृक्षों के विनष्ट होने पर सम्पूर्ण जीवधारी जगत् का इस बसुधा पर अभाव हो जाएगा। अतः हम सबको वन वृक्षों के रक्षार्थं समर्पित होना चाहिये। तात्पर्य यह है कि वनों के अभाव के कारण प्राण-वायु, पृथिवी, के गर्भ में सुरक्षित पेय जल, विभिन्न औषधियाँ, फलादि सहित अन्यान्य दैनिक उपभोग के साधन एवं ईंधन आदि पर आश्रित यह जगत् परस्पर में संन्तुलन की अपेक्षा रखता है। अतः नर बहुलता को नियंत्रित करते हुए बहुतायत वृक्षों का रोपण, संरक्षण एवं पोषण की आवश्यकता है।

सुझाव

1. विश्व के प्रत्येक व्यक्ति को बढ़ती जनसंख्या के घातक दुष्परिणामों से परिचय कराने हेतु यह आवश्यक है कि पूरे विश्व में एतत् सम्बन्धी एक पाठ्यक्रम प्रारम्भ किया जाना चाहिए। जो प्रारम्भिक स्तर से उच्च शिक्षा तक प्रतिनिधित्व कर सके।
2. दूरदर्शन, आकाशवाणी, समाचार-पत्रों, पत्रिकाओं तथा विज्ञापनों में भी इसके प्रचार-प्रसार को भरपूर सहयोग किया जाना चाहिए।

सन्दर्भ

1. जनसंख्या नियन्त्रणम् पृष्ठ 7
2. वही, पृष्ठ 5
3. ऋग्वेद संहिता।
4. जनसंख्या नियन्त्रणम् श्लोक संख्या 05।
5. वही, श्लोक 6
6. वही, श्लोक 9
7. वही, 15
8. वही, श्लोक 18
9. वही, श्लोक 20
10. वही, श्लोक 21
11. वही, श्लोक 22
12. वही, श्लोक 23

SHODH CHETNA – YEAR-7, VOL. 3 (JULY TO SEP., 2021) ISSN : 2350-0441
A Peer-Reviewed
International Referred &
Multifocal Research Journal
IMPACT-FACTOR 5.299
Paper Recieved : 8th Sep 21 Paper Accepted : 15th Sep 21

रीवा विकासखण्ड के संदर्भ में ''विद्यालयों में अध्ययनरत बालकों की शिक्षा हेतु शिक्षा का अधिकार अधिनियम का अध्ययन''

❐ रीता निगम*
❐ डॉ. पी.एन. मिश्र**

शोध सारांश

भारत में अभी भी अत्यधिक संख्या में लोग निरक्षर हैं। निरक्षरता से मुक्ति दिलाने हेतु हमारे देश में 'शिक्षा का अधिकार अधिनियम' लागू किया गया। देश के सम्पूर्ण नागरिकों को इस अधिकार से परिचित कराना, उसका प्रचार-प्रसार एवं उसके क्रियान्वयन की जानकारी प्रदान कराना, जिससे देश का प्रत्येक बच्चा जो 6 से 14 वर्ष का है निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर सके और देश का विकास कर सके। दैव निदर्शन विधि द्वारा न्यादर्श का चयन किया गया है ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में बच्चों की शिक्षा का स्तर क्या है? इसका आंकलन हो पाया। इस हेतु शोधार्थी द्वारा शोध विधि एवं शोध उपकरण के द्वारा शोध क्षेत्र में जाकर प्रदत्तों को संकलित किया गया कि ''शिक्षा का अधिकार अधिनियम'' के अन्तर्गत प्रारंभिक स्तर पर छात्र-छात्राओं के नामांकन दर में वृद्धि हुई है, या नहीं, तथ्यों के संकलन हेतु अवलोकन एवं साक्षात्कार प्रश्नावली विधि का प्रयोग किया गया, जिसके माध्यम से निष्कर्ष तक पहुंचा जा सका एवं परिकल्पना का सत्यापन निरसन कर सुझाव प्रस्तुत कर सके।

1. प्रस्तावना

शिक्षा मनुष्य के विकास की पूर्णता की अभिव्यक्ति है। शिक्षा के द्वारा ही इच्छा शक्ति की धरा पर सार्थक नियंत्रण स्थापित हो सकता है। शिक्षा व्यक्तियों का निर्माण करती है, चरित्र को उत्कृष्ट बनाती है, व्यक्ति को संस्कारित करती है, जो आदमी को आदमी बनाती है, वही सही अर्थ में शिक्षा है, शिक्षा जीवन पर्यन्त चलने वाली प्रक्रिया है। इस दृष्टि से सम्पूर्ण जीवन शिक्षा काल है। लॉक का कथन भी इसी विचार की पुष्टि करता है ''जीवन ही शिक्षा है और शिक्षा ही जीवन है।'' कौटिल्य के अनुसार—''शिक्षा का अर्थ है ''देश के लिए प्रशिक्षण तथा राष्ट्र के लिए प्रेम।''

* शोधार्थी (शिक्षाशास्त्र), अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.)
** प्राध्यापक, शासकीय शिक्षा महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

महात्मा गांधी ने कहा—''बालक और मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क तथा आत्मा में पाये जाने वाले सर्वोत्तम गुणों का सर्वांगीण विकास।''

वेदों में विद्या को अमरत्व प्रदान करने वाला अमृत (विद्यामृतमश्नुते) कहकर पुकारा है। कुछ महर्षियों ने विद्या को मुक्ति प्रदाता कहते हुए कहा ''सा विद्या या विमुक्तये'' की बात की है। भारत एक विशाल देश है। यहां पर शिक्षा का स्तर घटता-बढ़ता रहा है। मुगलकाल में भारत की साक्षरता स्थिति अत्यधिक कम थी लेकिन बदलते समयानुसार साक्षरता दर में कुछ वृद्धि हुई है। परन्तु साक्षरता दर में भारत विश्व में पिछड़ा हुआ है। ''विश्व में सर्वाधिक निरक्षर भारत में रहते हैं।'' इस अभिशाप से मुक्ति दिलाने हेतु भारत में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा पाने का अधिकार अन्ततः 1 अप्रैल, 2010 को एक वास्तविकता बन गया है। सन् 2002 में संविधान के 86 वें संशोधन से ''शिक्षा पाने के अधिकार'' को मौलिक अधिकारों में शामिल करने के लिए सन् 2009 में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा पाने का अधिकार अधिनियम पारित किया गया। अब भारत में 6-14 वर्ष की आयु वर्ग के सभी बच्चे विविध तौर पर निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा पाने के हकदार हैं। इस अधिनियम को ही ''शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009'' कहते हैं।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत विद्यार्थियों के लिए शासन तथा स्थानीय निकायों के दायित्व, शिक्षकों के संबंध में प्रावधान, शाला के संबंध में अनेक प्रावधान निर्धारित किए गए हैं। प्रस्तुत शोध कार्य शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्र से संबंधित हैं, जहां सामाजिक व्यवस्था व मान्यताएं अभी भी परम्परागत है। यही कारण है कि शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर नामांकन से लेकर अध्ययन पूर्ण करने तक शैक्षिक सहभागिता में समानता नहीं है। यह शोध कार्य रीवा जिले में शिक्षा के प्राथमिक स्तर के बालक-बालिकाओं को प्रवेश से लेकर अध्ययन पूर्ण करने तक चुनौतियों से संबंधित है।

2. शोध शीर्षक में प्रयुक्त शब्दों का परिभाषीकरण

(क) रीवा जिला—रीवा जिला मध्य प्रदेश राज्य के उत्तर पूर्व में स्थित है जिसके 9 विकासखण्ड हैं।

(ख) बालकों की शिक्षा—विधेयक के प्रावधानों के तहत 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों का शत-प्रतिशत नामांकन, उपस्थिति तथा शत-प्रतिशत बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा शत-प्रतिशत पूर्ण कराने की संवैधानिक अनिवार्यता राज्य सरकार की है पालकों के लिए मूलभूत दायित्व में इसे शामिल किया गया है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत विद्यार्थियों के लिए शासन तथा स्थानीय निकाय के दायित्व, शिक्षकों के संबंध में प्रावधान, शाला के संबंध में अनेक प्रावधान निर्धारित किए गए हैं।

3. शिक्षा का अधिकार अधिनियम—The Righjt of Children to free and Compulsory Education Act, 2009, 27 August 2009 को राजपत्र में प्रकाशित किया गया है यह अधिनियम 30 अप्रैल 2010 से लागू किया गया है, अधिनियम में निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है।

4. अध्ययन—किसी विषय के सब अंगों या गूढ़ तत्वों का ज्ञान प्रदान करने के लिए उसे देखना समझना तथा पढ़ना अध्ययन कहलाता है।

3. शोध कार्य की आवश्यकता—भारत में अभी भी अत्यधिक लोग साक्षर नहीं हैं, वो ''शिक्षा का अधिकार अधिनियम''से अनभिज्ञ है, जिस कारण अपनी संतानों को शिक्षा प्रदान नही करा पा रहे हैं। देश के प्रत्येक बच्चा जो 6 से 14 वर्ष का है, समान रूप से निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार रखता है। बालकों एवं उनके पालकों को इसी अधिकार से अवगत कराने हेतु इस शोध कार्य की आवश्यकता महसूस हुई।

4. शोध कार्य का महत्व—हमारे देश में सन् 2010 तक प्रारंभिक शिक्षा स्तर में सकल नामांकन, शाला त्यागी दर में कमी तथा न्यूनतम अधिगम स्तर को प्राप्त करने का संकल्प लिया गया था, शिक्षा हेतु योजनाओं की प्रभावशीलता के मूल्यांकन पर आधारित इस शोध कार्य के महत्व निम्नलिखित हैं—

(1) शिक्षा के अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन पर किये जा रहे व्यय एवं उसके प्राप्त लाभ के मध्य संतुलन हेतु योजना प्रस्तुत की जा सकेगी।

(2) प्रस्तुत शोध कार्य शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत संचालित प्रोत्साहन योजनाओं के सफल संचालन की दिशा में अवरोधों एवं कमियों को इंगित करेगा तथा उनका समुचित निदान प्रस्तुत करेगा।

5. शोध कार्य का उद्देश्य—रीवा जिले में शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होने के परिणामस्वरूप शिक्षा से वंचित बालक-बालिकाओं की वास्तविक स्थिति का अध्ययन करना तथा प्रारंभिक शिक्षा स्तर पर इस अधिनियम के क्रियान्वयन एवं प्रभाव की वास्तविकता को प्रकट कर शिक्षा के अधिकार अधिनियम के उद्देश्य पूर्ति में इस शोध अध्ययन के माध्यम से अपनी सहभागिता प्रदान करना भी है। प्रस्तुत शोध कार्य निम्नलिखित उद्देश्य को ध्यान में रखकर किया गया है -

(1) शिक्षा का अधिकार अधिनियम के लक्ष्यों को प्राप्ति हेतु किए जा रहे शासकीय प्रयासों को ज्ञात करना।

(2) रीवा जिले में शिक्षा का अधिकार अधिनियम की वास्तविक स्थिति का आंकलन करना।

6. शोध की परिकल्पनाएं—प्रस्तुत शोध अध्ययन में शोधार्थी का पूर्वानुमान परिकल्पनाओं के रूप में निम्नवत है—

(1) शिक्षा का अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन के फलस्वरूप प्रारंभिक शिक्षा स्तर पर नामांकन में वृद्धि हुई है।

(2) शोध क्षेत्र में इस अधिनियम के कारण शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में प्रारंभिक शिक्षा स्तर पर नामांकन दर में कोई सार्थक अंतर नही है।

7. शोध क्षेत्र का परिसीमन—प्रस्तावित शोध कार्य का क्षेत्र, जिला रीवा है। इसके अन्तर्गत 9 विकासखण्डों का परिसीमन किया गया है, जिसमें जिला के अन्तर्गत स्थित प्रारंभिक शिक्षा स्तर (प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक), जन शिक्षा केन्द्र, ब्लाक शिक्षा केन्द्र द्वारा किए जाने वाले 'शिक्षा के अधिकार अधिनियम' संबंधी कार्यक्रम इस अध्ययन के अन्तर्गत सम्मिलित होंगे।

8. शोध विधि—शोध विधियां दो महत्वपूर्ण बातों पर निर्भर होती है—(1) शोध कार्य की प्रगति पर व उसके उद्देश्यों की प्राप्ति पर। (2) शोध कार्य की समय की अवधि पर अपने शोध अध्ययन में शोधार्थी द्वारा निम्नलिखित शोध विधियों का प्रयोग किया है—1. अभिलेख अध्ययन विधि 2. साक्षात्कार विधि 3. अवलोकन विधि 4. सांख्यिकीय विधि।

9. शोध उपकरण

(1) साक्षात्कार—शोधार्थी ने साक्षात्कार द्वारा शोध समस्या से संबंधित, रीवा जिले के शिक्षा से संबंधित, अधिकारियों, प्रधानाध्यापकों व ''पालक शिक्षक संघ'' के अध्यक्षों की प्रतिक्रियाओं की जानकारी प्राप्त किया।

(2) प्रश्नावली—प्रश्नावली को संबंधित व्यक्तियों के पास उत्तर प्राप्त करने हेतु भेजा जाता है। प्राप्त उत्तरों के आधार पर आंकड़ों को व्यवस्थित कर विश्लेषण एवं व्याख्या कर निष्कर्ष प्राप्त किए जाते हैं इस शोध कार्य में छात्र, अभिभावक, शिक्षक, प्रश्नावली निर्मित की गई है।

10. न्यादर्श—प्रस्तुत शोध कार्य को सार्थक करने हेतु न्यादर्श का चयन किया गया है, चूंकि रीवा

जिला का क्षेत्र व्यापक है, जिस कारण सभी प्रारंभिक स्तर (प्राथमिक व माध्यमिक) विद्यालयों का अध्ययन करना संभव नहीं है। इसलिए रीवा जिले के विकासखण्डों में से न्यादर्श के रूप में विद्यालयों, शिक्षकों, विद्यालय के प्रधानाध्यापक, पालक, शिक्षक संघ के अध्यक्ष, अभिभावक तथा छात्र-छात्राएं दैव निदर्शन विधि से चयनित किए गए हैं।

सारणी क्रमांक 01

क्र.	वि.खं.	विद्यालय संख्या	अधिकारियों की संख्या	प्रधानाध्यापक संख्या	शिक्षक संख्या	पलक शिक्षक संख्या	अभिभावक संख्या	छात्र संख्या
1.	रीवा	05	04	05	10	05	50	50
2.	रायपुर कर्चु.	05	04	05	10	05	50	50
3.	गंगेव	05	04	05	10	05	50	50
4.	मऊगंज	05	04	05	10	05	50	50
5.	नईगढ़ी	05	04	05	10	05	50	50
6.	हनुमना	05	04	05	10	05	50	50
7.	सिरमौर	05	04	05	10	05	50	50
8.	जवा	05	04	05	10	05	50	50
9.	त्योथर	05	04	05	10	05	50	50
	योग :	**45**	**36**	**45**	**90**	**45**	**450**	**450**

11. पूर्ववती शोध कार्यो का संक्षिप्त विवरण—किसी भी क्षेत्रों मे उपयुक्त अध्ययन के लिए शोधार्थी की पुस्तकालय तथा अनेक साधनों में पर्याप्त परिचय प्राप्त करना आवश्यक है। डब्ल्यू.आर. गेज ने अनुसंधान के महत्व को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि—''किसी भी क्षेत्र का साहित्य उस आधारशिला के समान है, जिस पर भार व कार्य आधारित होता है।''

शोधार्थी द्वारा ली गई शोध समस्या से संबंधित कुछ पूर्व किये गये शोध कार्यो के विधियों निष्कर्षों तथा उनकी शैक्षिक उपादेयता का वर्णन निम्नानुसार है—

1. शर्मा, एम.पी.(1960) ''6-14 आयु वर्ग के विद्यालय न जाने वाले कामकाजी बच्चों (मुख्य रूप से बालिकाएं) के शाला में नामांकन को सुनिश्चित कराने हेतु एक प्रेरणात्मक कार्य योजना को विकसित करने का अध्ययन।''

न्यादर्श—शहरी क्षेत्र के झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले मजदूर वर्ग के 6 से 14 आयु वर्ग के कामकाजी बालक-बालिकाओं एवं न्यादर्श हेतु 50 बच्चे, 50 माता-पिता 25 नियोजनकर्ता (जहां बच्चे कार्य करते हैं)।

2. कामकाज करने वाले बच्चे 10-12 वर्ष के आयु वर्ग के थे, इनमें से 60 प्रतिशत बच्चे शाला त्यागी तथा 40 प्रतिशत बच्चे जो कभी भी विद्यालय में प्रवेश नही लिए।

3. न्यादर्श में चयनित बच्चे अपने अध्ययन को पुनः प्रारंभ अथवा संस्था में प्रवेश लेने के इच्छुक थे।

परिणाम एवं निष्कर्ष

1. प्रत्येक राज्य में प्राथमिक स्तर की संस्थाओं हेतु शैक्षिक सुविधाओं की उपलब्धता लगभग सुनिश्चित कर ली गई थी।

2. प्राथमिक स्तर के साथ ही साथ माध्यमिक स्तर की शैक्षिक सुविधाओं में सामान्य वृद्धि परिलक्षित हो रही थी।

13. परिणामों का विश्लेषण एवं व्याख्या—शोध क्षेत्र में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन का विद्यार्थियों के उपलब्धि स्तर पर पड़ने वाले प्रभाव के अध्ययन हेतु शोधार्थी द्वारा कुछ शोध उपकरणों की सहायता ली गई, जिसके द्वारा एकत्रित तथ्यों का सारणीयन, विश्लेषण एवं व्याख्या द्वारा वस्तुस्थिति की जानकारी प्राप्त की गयी।

तालिका-02

शाला अभिलेख पत्रक—इस पत्रक के द्वारा न्यादर्श हेतु चयनित प्रत्येक विद्यालय कुल मिलाकर 45 विद्यालयों के अभिलेखों का अवलोकन कर शोध अध्ययन से संबंधित जानकारी संकलित की गयी।

परिकल्पना क्रमांक -01 के अनुसार

सारणी क्रमांक -02

शिक्षा का अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन के फलस्वरूप प्रारंभिक शिक्षा स्तर पर नामांकन दर में वृद्धि का अध्ययन (शाला अभिलेख पत्रक के आधार पर)

क्र0	सत्र	न्यादर्श में चयनित विद्यालयों की संख्या	कुल नामाकित छात्र संख्या	नवीन नामांकित छात्र संख्या	प्रतिशत	वृद्धि दर	प्रतिशत	वृद्धि दर अंतर
1.	2006&07	45	13562	1739	12-82	11823	14-71	
2.	2007&08	45	13744	1784	12-98	11960	14-92	0-21
3.	2008&09	45	13791	1826	13-24	11965	15-26	0-34
4.	2009&10	45	13837	1869	13-51	11968	15-62	0-36
5.	2010&11	45	13929	1932	13-87	11997	16-10	0-49
6.	2011&12	45	13999	1979	14-14	12020	16-46	0-36
7.	2012&13	45	14066	2032	14-45	12034	16-89	0-42

विश्लेषण एवं व्याख्या

उपरोक्त सारणी क्रमांक-02 से स्पष्ट होता है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन के फलस्वरूप प्रारंभिक शिक्षा स्तर पर सत्र 2006-07 में छात्रों के नामांकन में वृद्धि दर 14.71 प्रतिशत, सत्र 2007-08 में 14.92 प्रतिशत, सत्र 2008-09 में 15.26 प्रतिशत, सत्र 2009-10 में 15.62 प्रतिशत, सत्र 2010-11 में 16.10 प्रतिशत, सत्र 2011-12 में 16.46 प्रतिशत एवं सत्र 2012-13 में 16.82 प्रतिशत वृद्धि हुई है।

सत्र 2007-08 में 0.21, सत्र 2008-09 में 0.34, सत्र 2009-10 में 0.36 सत्र 2010-11 में 0.49, सत्र 2011-12 में 0.36 एवं सत्र 2012-13 में 0.42 वृद्धि दर हुई है।

सारणी क्रमांक -03

परिकल्पना क्रमांक -02 के अनुसार

शोध क्षेत्र में शहरी क्षेत्र में शिक्षा अधिकार अधिनियम के कारण प्रारंभिक शिक्षा स्तर पर नामांकन दर अध्ययन (शाला अभिलेख पत्रक के आधार पर)

क्र0	सत्र	न्यादर्श में चयनित विद्यालयों की संख्या	कुल नामाकित छात्र संख्या	नवीन नामांकित छात्र संख्या	प्रतिशत	वृद्धि दर	प्रतिशत	वृद्धि दर अंतर
1.	2006&07	45	13562	1739	12-82	11823	14-71	
2.	2007&08	45	13744	1784	12-98	11960	14-92	0-21
3.	2008&09	45	13791	1826	13-24	11965	15-26	0-34
4.	2009&10	45	13837	1869	13-51	11968	15-62	0-36
5.	2010&11	45	13929	1932	13-87	11997	16-10	0-49
6.	2011&12	45	13999	1979	14-14	12020	16-46	0-36
7.	2012&13	45	14066	2032	14-45	12034	16-89	0-42

उपरोक्त सारणी क्रमांक -03 से स्पष्ट है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन के फलस्वरूप प्रारंभिक शिक्षा स्तर पर 2006-07 में छात्रों के नामांकन में वृद्धि दर 14.87 प्रतिशत, सत्र 2007-08 में 14.86 प्रतिशत, 2008-09 में 15.29 प्रतिशत, सत्र 2009-10 में 15.60 प्रतिशत, सत्र 2010-11 में 16.30 प्रतिशत, सत्र 2011-12 में 16.67 प्रतिशत एवं सत्र 2012-13 में 17.10 प्रतिशत वृद्धि में अन्तर है।

सारणी क्रमांक-04

शोध क्षेत्र में शहरी क्षेत्र में शिक्षा अधिकार अधिनियम के कारण प्रारंभिक शिक्षा स्तर पर नामांकन दर अध्ययन (शाला अभिलेख पत्रक के आधार पर)

क्र0	सत्र	न्यादर्श में चयनित विद्यालयों की संख्या	कुल नामाकित छात्र संख्या	नवीन नामांकित छात्र संख्या	प्रतिशत	वृद्धि दर	प्रतिशत	वृद्धि दर अंतर
1.	2006-07	45	6750	874	12-95	5876	14-87	
2.	2007-08	45	6878	890	12-94	5988	14-86	0-01
3.	2008-09	45	6893	914	13-26	5979	15-29	0-42
4.	2009-10	45	6914	933	13-49	5981	15-60	0-31
5.	2010-11	45	6977	978	14-02	5999	16-30	0-70
6.	2011-12	45	7011	1002	14-29	6009	16-67	0-37
7.	2012-13	45	7055	1030	14-60	6025	17-10	0-42

विश्लेषण एवं व्याख्या

उपरोक्त सारणी क्रमांक-04 से स्पष्ट होता है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन के फलस्वरूप प्रारंभिक शिक्षा स्तर पर सत्र 2006-07 में छात्रों के नामांकन में वृद्धि दर 14.55 प्रतिशत, सत्र 2007-08 में 14.97 प्रतिशत, सत्र 2008-09 में 15.24 प्रतिशत, सत्र 2009-10 में 15.63 प्रतिशत, सत्र 2010-11 में 15.91 प्रतिशत सत्र 2011-12 में 16.25 प्रतिशत एवं सत्र 2012-13 में 16.67 प्रतिशत वृद्धि में अन्तर है।

इस प्रकार सारणी क्रमांक -03 एवं सारणी क्रमांक-04 विश्लेषण से यह निष्कर्ष प्राप्त होता है कि शोध क्षेत्र में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के कारण शहरी एवं ग्रामीण दोनो ही क्षेत्रों में प्रारंभिक शिक्षा स्तर पर छात्रों के नामांकन दर में वृद्धि हुई है। शहरी क्षेत्र में नामांकन दर ग्रामीण क्षेत्र की अपेक्षा कुछ अधिक है, किन्तु बहुत अधिक नही है। इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि शोध क्षेत्र में शिक्षा अधिकार अधिनियम के कारण शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में प्रारंभिक शिक्षा स्तर पर नामांकन दर में कोई सार्थक अन्तर नही है।

14. परिकल्पनाओं का सत्यापन एवं निरसन

परिकल्पना क्रमांक -1

''शिक्षा का अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन के फलस्वरूप प्रारंभिक शिक्षा स्तर पर नामांकन में वृद्धि हुई है।''

उपरोक्त परिकल्पना के मूल्यांकन हेतु शोधार्थी ने शोध क्षेत्र के न्यादर्श में चयनित प्रारंभिक शिक्षा स्तर के विद्यालयों के शाला अभिलेख अवलोकन पत्रक के माध्यम से छात्र एवं छात्राओं के नामांकन वृद्धि की जानकारी प्राप्त की।

शोध क्षेत्र में शिक्षा के अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन के फलस्वरूप प्रारंभिक शिक्षा स्तर पर साक्षारता दर सत्र 2006-07 से 2012-13 (सारणी क्रमांक 02) में नामांकन में वृद्धि हुई है इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन के फलस्वरूप प्रारंभिक शिक्षा स्तर पर नामांकन में वृद्धि हुई है।

अतः शोधार्थी द्वारा परिकल्पना क्रमांक 1 सत्यापित होती है।

परिकल्पना क्रमांक -2

''शोध क्षेत्र में इस अधिनियम के कारण शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में प्रारंभिक शिक्षा स्तर पर नामांकन दर में कोई सार्थक अंतर नही है।''

उपरोक्त परिकल्पना के मूल्यांकन हेतु शोधार्थी ने शोध क्षेत्र के न्यादर्श में चयनित प्रारंभिक शिक्षा स्तर के शहरी एवं ग्रामीण विद्यालयों के शाला अभिलेख अवलोकन पत्रक के माध्यम से छात्रों के नामांकन के संबंध में जानकारी प्राप्त की।

इस परिकल्पना के लिये सारणी क्रमांक-03 एवं सारणी क्रमांक-04 के विश्लेषण से यह निष्कर्ष प्राप्त होता है कि शोध क्षेत्र मे शिक्षा का अधिकार अधिनियम के कारण शहरी एवं ग्रामीण दोनो ही क्षेत्रों में प्रारंभिक शिक्षा स्तर पर छात्रों के नामांकन दर में वृद्धि हुई है। शहरी क्षेत्र का नामांकन दर ग्रामीण क्षेत्र की अपेक्षा कुछ अधिक है किन्तु बहुत अधिक नही है। इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि शोध क्षेत्र में इस अभियान के कारण शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र मे प्रारंभिक शिक्षा स्तर पर नामांकन दर में कोई सार्थक अन्तर नही है।

अतः शोधार्थी द्वारा परिकल्पना क्रमांक -02 सत्यापित होती है।

15. निष्कर्ष—शोधार्थी ने दैव निदर्शन विधि द्वारा चयनित क्षेत्र के अन्तर्गत निष्कर्ष प्राप्त हुए। शोध कार्य के निष्कर्ष निम्न प्रकार से है—

(1) शिक्षा का अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन के फलस्वरूप प्रारंभिक शिक्षा स्तर पर क्रमवार प्रति वर्ष नामांकन दर में वृद्धि हुई है।

(2) शोध क्षेत्र में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के कारण शहरी एवं ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों में प्रारंभिक शिक्षा स्तर पर छात्रों के नामांकन दर में वृद्धि हुई है।

(3) शोध क्षेत्र में प्रारंभिक शिक्षण स्तर पर छात्रों का नामांकन दर छात्राओं के नामांकन दर की अपेक्षा कुछ अधिक है किन्तु बहुत अधिक नही है। इस प्रकार छात्र-छात्राओं के नामांकन दर में कोई सार्थक अंतर नही है।

16. सुझाव—सुझाव किसी भी शोध अध्ययन का महत्वपूर्ण अंग होता है शोधार्थी द्वारा शोध अध्ययन के निष्कर्षो के आधार पर शोध कार्य के उपरांत जो तथ्य प्रकट करता है, वही सुझाव है। शोधार्थी ने शोध अध्ययन के आधार पर 'शिक्षा का अधिकार अधिनियम' के क्रियान्वयन की पूर्ण सफलता हेतु निम्नलिखित सुझाव रखे है—

(1) शोध क्षेत्र में शिक्षा का अधिकार अधिनियम का क्रियान्वयन राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुरूप किया जाय।

(2) शोध क्षेत्र में 6 से 14 वर्ष तक के प्रत्येक बच्चे का अनिवार्य प्रवेश, उपस्थिति व शिक्षा की समाप्ति सुनिश्चित की जाय।

संदर्भ ग्रन्थ

1. मदान, पूनम एवं गर्ग, सुषमा-2008 बी.एड., 'भारत में शिक्षा स्थिति समस्याएं एवं मुद्दे' पृष्ठ क्रमांक - 07, अग्रवाल पब्लिकेशन, 28/115-पोस्ट आफिस के पीछे, संजय पैलेस, ज्योति ब्लाक, सिविल लाइन, आगरा-282002 (उत्तर प्रदेश)
2. मदान, पूनम एवं गर्ग, सुषमा-2008 बी.एड., 'भारत में शिक्षा स्थिति समस्याएं एवं मुद्दे' पृष्ठ क्रमांक - 07, अग्रवाल पब्लिकेशन-28/115, पोस्ट आफिस के पीछे, संजय पैलेस, ज्योति ब्लाक, सिविल लाइन, आगरा-282002 (उत्तर प्रदेश)
3. शर्मा, डॉ. आरती एवं अदानिया, दिनेश -2019 प्रथम संस्करण डी.एल.एड. 'समसामयिक भारतीय समाज में शिक्षा', पृष्ठ क्र. 156, ठाकुर पब्लिकेशन प्रा.लि. मकान नं. 110, कमरा नं. 01 अहिंसाबिहार कालोनी, अयोध्या बायपास रोड, भोपाल (म.प्र.) -462022
4. हन्फी, एम.ए. एवं हन्फी, एस.के. एवं हन्फी, श्रीमती शबीना-प्रथम सस्करण-2014-15,'मनोविज्ञान में शैक्षिक अनुसंधान एवं सांख्यिकी' प्रथम संस्करण 2014-15 पृष्ठ संख्या 135, अग्रवाल पब्लिकेशन 28/115 पोस्ट आफिस के पीछे संजय पैलेस, ज्योति ब्लाक, सिविल लाइन्स, आगरा-282002

SHODH CHETNA – YEAR-7, VOL. 3 (JULY TO SEP., 2021) ISSN : 2350-0441
A Peer-Reviewed
International Referred &
Multifocal Research Journal
IMPACT-FACTOR 5.299
Paper Recieved : 10th Sep 21 Paper Accepted : 20th Sep 21

डॉ. सूर्यनारायण गौतम का लोकसाहित्य एवं परम्परागत शैली
('मोहन गाथा' के विशेष सन्दर्भ में)

❑ रेखा जेवरिया*
❑ डॉ. सुरेश कड़वासरा**

शोध सारांश

किसी भी देश की सांस्कृतिक विरासत को अक्षुण्ण बनाये रखने के लिए लोक साहित्य भी उतना ही उपादेय है जितना कि किसी देश की विशिष्ट भाषा होती है। बल्कि इस दिशा में लोकभाषा अधिक सशक्त होती है। इसी रहस्य को भलीभाँति समझकर संस्कृत एवं वेद विषय के मूर्द्धन्य विद्वान डॉ. सूर्यनारायण गौतम ने लोक साहित्य के संरक्षण में न केवल अपने को प्रवृत्त किया बल्कि उसके संवर्द्धन में भी अथक प्रयास किया है। आपने बघेलखण्ड की लुप्त होती लोककथाओं का परिश्राम पूर्वक संकलन किया तथा उसी लोक शैली में 'किस्सन केर पोथन्ना' नामक कथा ग्रन्थ भी प्रदान किया है। गद्य के साथ आपने पद्यसाहित्य में भी महान योगदान किया है। आपने 'बघेली बिरबाही' नामक काव्य संकलन प्रकाशित किया तथा 'बोली आपन नाउ रे...' नामक स्वरचित काव्य संग्रह का लेखन कर बघेली लोकसाहित्य को पुष्ट किया है। इसके अतिरिक्त भी आपने अनेक महत्वपूर्ण पुस्तकों का बघेली अनुवाद भी किया है जो अभी अप्रकाशित हैं। यह लेख बघेली लोक साहित्य के द्वारा 'सफेद बाध मोहन' की जानकारी प्रस्तुत करता है जो आज भारत का गौरव है तथा जिसका वर्णन 'मोहन गाथा' के नाम से वर्णित है।

शब्द कुंजी—डॉ. सूर्यनारायण गौतम, लोकसाहित्य, मोहन गाथा।

मध्य प्रदेश के पूर्वोत्तर क्षेत्र बघेलखण्ड के रीवा जिले में जन्मे डॉ. गौतम सस्कृत, हिन्दी एवं बघेली साहित्य के मूर्द्धन्य विद्वान हैं। संस्कृत आपकी साधना है। हिन्दी से समाज ने आपको सम्मान दिया है और बघेली ने आपको लोक से/निज माटी से जोड़ा है। आपने संस्कृत/हिन्दी एवं बघेली को समान रूप से पुष्ट करने में अभिनव योगदान किया है। सर्व प्रथम आपने बघेलखण्ड की लुप्त होती लोक कथाओं का संकलन किया है जिसके महत्व को अधिक शब्द देने की आवश्यकता नहीं। इसके पश्चात आपने लोकसाहित्य एवं लोककथाओं

* शोधार्थी, श्री जगदीशप्रसाद झाबरमल टीबड़ेवाला विश्वविद्यालय, झुन्झुनू (राज.)
** प्रो. एवं विभागाध्यक्ष (हिन्दी), श्री जगदीशप्रसाद झाबरमल टीबड़ेवाला विश्वविद्यालय, झुन्झुनू (राज.)

को पुनर्विकसित करने के लिए 'किस्सन केर पोथन्ना' नामक कथा साहित्य रत्न प्रदान किया है। जो पाठकों के मध्य बहुत ही अधिक लोकप्रिय हुआ है।

आपने बघेलखण्ड के ऐसे अनेक बघेली विद्वानों की रचनाओं का संकलन किया है जो अप्रकाशित एवं दुर्लभ थीं तथा बघेली साहित्य में प्रासांगिक भी थीं उनका संकलन कर 'बघेली बिरबाही' नाम से सम्पादित किया जिसका सौजन्यकार सोंधी माटी लोनी बघेली, साहित्यिक मंच, सीधी म.प्र. रहा है। इसके साथ ही आपने 'बोली आपन नाउ रे.... स्वरचित बघेली काव्य संकलन का लेखन भी किया है, जिसमें चालीस पद्य रचनायें हैं। आपके द्वारा लिखे गये गीतों को यूट्यूब चैनल पर भी आपके नाम से सुना जा सकता है। रीवा दर्शन, सत्या होप टाक्स, संस्कृत काव्य मंजरी, सोमालोब, साहित्य प्रभा आदि चैनल व फेसबुक में भी ओजस्वी रचनाओं के साथ आपको देखा व सुना जा सकता है। इसकी विशेषता इसी से ज्ञात हो जाती है कि इस पुस्तक के विषय में हिन्दी एवं बघेली के दो मूर्द्धन्य विद्वानों ने अपनी सारगर्भित सम्मति दी है। पूरी पुस्तक का सार बघेली व हिन्दी के ओजस्वी कवि श्री भृगुनाथ पाण्डेय 'भ्रमर' ने पद्यबद्ध किया है। आपने अपने उद्गार व्यक्त करते हुए डा. गौतम को गोस्वामी तुलसीदास के मार्ग का अनुसर्ता कहा है—

''रस्ता तुलसी बाबा के कबि, सुरिजनरायन चलि पाइन।

पोथी मंगलचार मा ढंग, रामचरित मानस अपनाइन।।''[1]

बघेली बोली उन्नयन के लिए संघर्षरत डा. गौतम ने जब मध्य प्रदेश शासन के यशस्वी मुख्य मन्त्री माननीय शिवराज सिंह चैहान के मुख से यह घोषणा सुनी कि रीवा में बघेली पीठ की स्थापना की जायेगी आपने अपनी प्रसन्नता व्यक्त करते हुए बोली आपन नाउ रे... एक लम्बी कविता का लेखन कर डाला जिसमें उन महान कवियों का भी स्मरण किया है जो जीवन पर्यन्त बघेली को यथोचित सम्मान दिलाने के लिए संघर्षरत रहे हैं। आपने बघेली की ओर से बहुत ही सरस, सरल एवं सुबोध रचना की जिसे सुनकर बघेली श्रोता भाव विभोर हो उठता है। यथा—

बनी बघेली पीठ बिन्ध मा,
सुनिके भरा उराव रे।
तबय बघेली मूड़े चढ़िके बोली
आपन नाउ रे।।[2]

श्री भृगुनाथ पाण्डेय जी ने आगे कहा कि आप सत्य बात को कहने में लेशमात्र भी नहीं हिचकते—

नीति बचन खरखर लिखिन, दिहिंन समाजि का सीखि।

सत्ति कहइ रहि बेहिचक, मागइ कबउ न भीखि।।[3]

श्री पाण्डेय जी के द्वारा आपको वेदज्ञानी कहकर संस्कृत, हिन्दी तथा अपनी लोकभाषा को सम्मान देने वाला भी कहा गया है—

कबि सुरिज बेदज्ञानी आहीं। हिन्दी संस्कीरति जानथें।।

पै माटी के भाखा बघेली का। महतारिन कस सनमानथें।।[4]

इसके साथ ही यह भी विशेषता है कि जो शब्द आधुनिक काल में समाज से लुप्तप्राय हो गये हैं उन शब्दों को भी आप अपने काव्य में स्थान देते हैं। जिससे उन शब्दों की पुनः प्रतिष्ठा होती है—

बिसरे-कुसरे शब्द बघेली के, बोलंइ जब कबिता मा।

लागथइ मछरी कुलुकु रही, धारा के साथइ सरिता मा।।[5]

हिन्दी साहित्य के मूर्द्धन्य विद्वान् डॉ. नर्मदा प्रसाद मिश्र 'नरम' जी ने आपकी रचनाओं का अध्ययन कर समीक्षा करते हुए कहा है कि —''डा. गौतम के चिन्तन का आकाश विस्तृत है, जिसमें भोगा हुआ, देखा हुआ यथार्थ है। चालीस कविताओं का यह ग्रन्थ-संकलन

पठनीय और संग्रह योग्य है।''[6] सफेद शेर के विषय में आपने कहा कि ''बघेलखण्ड का गौरव 'मोहन' उज्जर बाघ रचना हमें गौरवान्वित करती है''।[7]

मोहन गाथा के रूप में किये गये आपके साहित्यिक अवदान को भुलाया नहीं जा सकता। यह कलापक्ष और भाव पक्ष दोनों में ही इतनी उत्कृष्ट रचना है कि इसका कोई शानी आसपास नहीं दिखता। यदि इसकी भाव गम्भीरता की बात की जाय तो इस बात से ही यह तथ्य स्पष्ट हो जाता है कि आज भारत को गौरव प्रदान करने में सफेद बाघ की अहम भूमिका है, किन्तु इस बात से भारतीय समाज अभी भी अनभिज्ञ है। जिसे आमजन की जानकारी के निमित्त आपने उस प्रथम सफेद बाघ का सम्पूर्ण जीवन वृत्तान्त लेखन किया है। सफेद बाघ को किस प्रकार रीवा राज्य के तत्कालिक महाराजा मार्तण्ड सिंह जू देव द्वारा लाया गया और किस प्रकार वह भारत सरकार के अधीन हुआ और फिर किस प्रकार उसके वंशजों का विदेश की धरती पर पदार्पण और फिर पुनः उसके वंशजों का रीवा की धरती पर आगमन तथा इस समूची प्रक्रिया में किस प्रकार का जोर क्षेत्र के नेताओं को लगाना पड़ा आदि का सम्पूर्ण वर्णन किया गया है।

''विन्ध्य की पावन धरती का स्मरण करते हुए छुहिया घाटी का वर्णन किया है और उसमें यह बताया है कि वहीं पर एक सुन्दर बाघ शावक रहता था। जिसकी रखवारी में पूरा बाघ परिवार लगा रहता था। वहाँ भाँति-भाँति के पच्छियों का वास था। वन के सभी जीव उस वनराज कुमार के दास थे। वे सभी बारी-बारी से उसकी सेवा करते थे। उसी स्थान पर पर्वत के ऊपर एक तलैय्या है जिसमें पानी पीने के लिए सभी जीव नियमानुसार अपनी बारी आने पर ही आते हैं।

उस स्थान पर जाने से प्यास बुझ जायेगी ऐसा विचार कर वे जीव जब वहाँ आते थे वह बाघ उनको पकड़ लेता था। उसी तलैय्या के ऊपर एक सुन्दर राजनिवास भी बना हुआ है। उसके चारों ओर सभी जीव मिलकर मनोहर गीत गाते थे, जिससे सुन्दर संगीतमय वातावरण बना हुआ था। राजा ने देखा की यह बहुत बलवान है अतः इसे बलपूर्वक वश में नहीं किया जा सकता अतः यह विचार किया कि प्रेम ही वह साधन है जिससे संसार के सभी प्राणी वश में हो जाते हैं। राजा ने उसे प्रेम से पुचकारा और अपने समान ही उसे भी महत्व दिया और भाई बना लिया। राजा के इस प्रेम व्यवहार से वह बाघ एक छौने की तरह हो गया। वह राजा की प्रेम भावना के वशीभूत हो गेंद की तरह लुढकते हुए राजा के समीप आ गया और प्रेम से राजा के गाल को चाटने लगा।

समाज में जो यह धारणा थी कि मनुष्य और बाघ के बीच में मैत्री नहीं हो सकती इस धारणा का खण्डन हो गया। राजा ने उसका नामकरण मोहन कर दिया और उसे एक दिव्य रथ पर बिठाकर अपनी नगरी ले आये। वह रथ में बैठकर प्रसन्नता से मुस्कुरा रहा था। राजा ने उसे अपने महल में लाकर उसका खूब मान किया। उसे बड़ा सा महल और विशाल सरोबर दिया। गोविन्दगढ़ नामक स्थान पर उसका निवास बना जिसे बाद में मोहन वास के नाम से जाना जाता है। संसार भर के लोग मोहन को देखने आते जिससे बारहों मास मेले जैसी भीड़ लगी रहती। कभी-कभी राजा भी जब गोविन्दगढ़ आते तो मोहन के साथ दरवार लगाते थे। दोनों के प्रेम-संबंध की चर्चा विना किसी पर्चे के संसार भर में फैल गई थी। देखते ही देखते मोहन बूढ़ा हो गया और एक दिन वह संसार से बिदा हो गया। मोहन ने रोहन तथा सोहन नाम के दो संतानें दीं जिससे आज संसार भर में सफेद बाघों की संतति फैली हुई है।

संसार भर के लोगों ने उन्हें महत्व दिया किन्तु रीवा नगरी के लोग भूल गये। कुछ दिनों के बाद जब रेवाखण्ड वासियों को उनकी याद आई उनको पाने के लिए उतावले होने लगे। विचार किया गया कि किसके द्वारा उन्हें पुनः उनके पुराने घर लाया जा सकता है। सब लोगों ने रीचा क्षेत्र के यशस्वी नेता श्री राजेन्द्र शुक्ल

का नाम सुझाया। राजेन्द्र शुक्ल ने भी इसे रेवाखण्ड के गौरव के रूप में देखा तथा अपने सद्प्रयासों से उनके लिए मुकुन्दपुर के घने जंगल के मध्य भारत की पहला सफेर शेर आखेटालय (ँपजम ज्पहमत ँतिप) बनवाया जिसमें अब मोहन के वंशज सुख पूर्वक निवास करते हैं। मोहन बाघ और रीवा राज्य के महाराजा मार्तण्ड सिंह के नाम को अमर करने के कारण रेवाखण्ड की जनता भी श्री राजेन्द्र शुक्ल की जयजयकार मनाती है तथा अपने इस शुभ कर्म से श्री राजेन्द्र शुक्ल भी सुखद अनुभव करते हैं।''[8]

निष्कर्ष रूप में यह कहना समीचीन होगा कि डा. सूर्यनारायण गौतम के लोक साहित्य में 'मोहन गाथा' समाज के लिए ऐतिहासिक व सामाजिक दृष्टि से अत्यन्त उपयोगी है। परम्परागत सांस्कृतिक विरासत को सम्हालने और सहेजने में आपकी शैली का बहुत ही अधिक महत्व है क्योंकि जिस शैली में इस वृत्तान्त का लेखन किया गया है वह अब दुर्लभ है। इने-गिने लोग ही अब द्वार-द्वार जाकर भाँट और चारणों की शैली में गायन कर महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। कवि भृगुनाथ पाण्डेय जी के इस वचन से आलेख को पूर्ण कर रही हूँ कि—

सूर्यनरायण सुरिज के,
करी सरहना नित्य।
कहँउ लगइँ जस चन्द्रमा,
कहँउ लगइं आदित्य।।[9]

सन्दर्भ

1. बोली आपन नाउ रे..., प्रकाशक- जी.एच. पब्लिकेशन, प्रयाग (उ.प्र.), पृ.11
2. वही, पृ. 28
3. वही, पृ. 13, पद्य-4
4. वही, पृ. 11, पद्य-1, पंक्ति 11
5. वही, पृ. 15, पद्य 7, पंक्ति 1
6. वही, पृ. 10
7. वही, पृ. 8
8. वही, पृ. 67-70
9. वही, पृ. 20, पद्य 13 पंक्ति 01

SHODH CHETNA – YEAR-7, VOL. 3 (JULY TO SEP., 2021) ISSN : 2350-0441
A Peer-Reviewed
International Referred &
Multifocal Research Journal
IMPACT-FACTOR 5.299
Paper Recieved : 10th Sep 21 Paper Accepted : 20th Sep 21

भारत में राजभाषा हिंदी का भविष्य : एक अध्ययन

❒ डॉ. सुधीरकुमार गौतम*

शोध सारांश

प्रत्येक समुन्नत, स्वतंत्र, स्वाभिमानी देश की अपनी राष्ट्रभाषा है—इंग्लैंड, अमरीका, फ्रांस, रूस, चीन, जापान सभी देशों में वहाँ की व्यापक बहुप्रचलित भाषा राष्ट्रभाषा के रूप में व्यवहत होती है। अफ्रीका के दसों देश इसी शताव्दी में स्वतंत्र हुए। उनकी एक भाषा है जिसके बल पर प्रत्येक जाति में विदेशी आधिपत्य से मुक्ति पा ली है। हमारे देश के ही साथ लंका, बर्मा और पाकिस्तान में स्वतंत्र सत्ता की स्थापना हुई है। इन सभी देशों की अपनी-अपनी भाषा है जिसमें सबका कार्य व्यवहार होता है। खेद है कि एक भारत ऐसा देश है जहाँ राजभाषा समस्या बनी हुई है।

शब्दकुंजी—भारत, राजभाषा, हिन्दी, भविष्य

हिन्दी भारत के कोने-कोने में व्याप्त है। कहीं चले जाइए हिन्दी बोली और समझी जाती है। अहिन्दी प्रदेशों में तो हिन्दी ही एक मात्र विचार विनिमय और लेन - देन का माध्यम है। हिन्दी सम्पर्क भाषा के रूप में भारत भर में युग-युग से रही है। दक्षिण से आकर मध्याचार्य, बल्लभाचार्य, निम्बार्काचार्य और अन्य आचार्य सारे भारत में इसी भाषा के माध्यम से अपने धार्मिक विचारों का प्रचार करते रहे हैं।

भारत के राष्ट्र बनने से पहले भी हमारे तीर्थ थे और बंगाल, उड़ीसा, तमिलनाडु, कर्नाटक आदि प्रदेशों के लाखों यात्री इसी भाषा का व्यवहार सीख कर जाते थे। दक्षिण के तीर्थो तिरूपति, मदुरई, कन्याकुमारी और रामेश्वरम तक उत्तर भारत के लोग जाते थे तो हिन्दी के द्वारा ही एक दूसरें से सम्पर्क करते थे। आज तो हिन्दी और बेहतर हो गई है। रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा, समाचार-पत्रों के माध्यम से हिन्दी का प्रचार-प्रसार बढ़ा है। बहुत से राज्यों में स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों तक में हिन्दी में शिक्षा होती है। महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, उड़ीसा, असम, बंगाल और कर्नाटक के युवक हिन्दी सीखते है और बोलते हैं। देश की राजधानी हिन्दी प्रदेश में हैं। लाखों लोगो को मंत्रालयों, सचिवालयों, निदेशालयों और अन्य कार्यालयों में काम पड़ता है। उच्चतम न्यायालय भी हिन्दी प्रदेश में ही है।

भारत के सभी प्रदेशों के बहुत से लोग हिन्दी प्रदेश के नगरों, महानगरों में नौकरी करते है। वे और उनके बच्चे विशेषतः स्कूलों में, खेल के मैदानो में,

* सहायक प्राध्यापक (हिन्दी विभाग), एकलव्य विश्वविद्यालय, दमोह (म.प्र.)

मुहल्लों में बहुत जल्दी हिन्दी का ज्ञान प्राप्त करते है और हिन्दी को ही विचार विनिमय का माध्यम मानते है।

राजभाषा शब्द अंग्रेजी के ऑफिशियल लैंग्वेज के पर्याय के रूप में प्रयुक्त हो रहा है। यह एक पारिभाषिक शब्द है, जिसका एक निश्चित अर्थ है—सरकारी कामकाज के लिए प्रयुक्त भाषा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343(1) के अंतर्गत माना गया है कि संघ की सरकारी भाषा (राजभाषा) देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी होगी। अर्थात् संविधान के अनुसार संघ की विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका इन तीनों प्रमुख अंगों के कार्यकलाप में संवैधानिक मान्यता प्राप्त राजभाषा के रूप में हिंदी का प्रयोग किया जाएगा। 14 सितम्बर 1949 ई. को भारत के संविधान में हिन्दी को राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई। तब से राजकार्यो में इसका प्रयोग हो रहा है। किंतु संविधान बनने के 62 वर्ष बाद तक भी हिंदी कभी भी राजकाज की भाषा नहीं बन पाई। प्रारंभ में ही इसकी सीमाएँ निर्धारित कर दी गई थीं। नई दिल्ली में हिन्दी प्रदर्शनी के उद्घाटन पर राष्ट्रपति डॉ. राजेन्द्र प्रसाद ने स्पष्ट कहा था कि ''राजभाषा के रूप में हिंदी का व्यवहार कुछ कामकाज के ठीक निर्धारित क्षेत्रों तक ही सीमित रहेगा। अन्य भाषाओं का अपने क्षेत्रों में पूर्ण स्वतंत्र अधिपत्य रहेगा।'' बाद में कहा गया कि 26 जनवरी 1965 से हिंदी को उसका उचित स्थान प्रदान किया जाएगा किंतु हिंदी विरोध के कारण ऐसा संभव न हो सका।

'हिन्दी' शब्द का सम्बन्ध संस्कृत शब्द 'सिंधु' से है। 'सिंधु' शब्द नदी विशेष का वाचक है। ईरान में जाकर यह 'सिंधु' ध्वनि परिवर्तन से - हिन्दु हो गया, 'स' का 'ह' और 'ध' का 'द' हो गया। 'हिन्दु' शब्द आगे चलकर पुरानी फारसी में हिंदी बना जिसका अर्थ भारत था। हिंद में ईक प्रत्यय लगाने से हिन्दीक शब्द बना जो ग्रीक में जाकर 'इंदीक' 'इंदिका' तथा अंग्रेजी में इंडिया बन गया। बाद में हिन्दीक के अन्तिम अहीर ''क'' का लोप हो गया और इस प्रकार हिन्दी शब्द बना, जिसका मूल अर्थ है भारत का इसी आधार पर 'जबाने-ए-हिन्दी' (भारत की जबान या भाषा) का प्रयोग हुआ। धीरे-धीरे 'जबान-ए' का लोप गया। और केवल 'हिन्दी' शब्द बचा। बाद में हिन्दी शब्द भारत की केन्द्रीय भाष के लिये प्रयुक्त होने लगा। सौदा, मीर, गालिब, आदि ने अपनी भाषा के लिए हिन्दी का ही प्रयोग किया है।

वस्तुतः शब्दों में अरबी-फारसी तथा संस्कृत के शब्दों के आधिक्य की बात छोड़ दे तो हिन्दी तथा उर्दू में खास अन्तर नहीं है। दोनों ही एक ही भाषा की शैलियाँ है इसीलिये प्रारंभ में उर्दू के कवियों ने हिन्दी उर्दू को पर्याय माना है। मुल्ला वजही, सौदा, मीर आदि ने अपने शेरों को हिन्दी शेर कहा है। गालिब ने भी हिन्दी-उर्दू को समानार्थी माना है। अंग्रेजों ने अपनी भाषा नीति के कारण उर्दू को मुसलमानों से जोड़ दिया और हिन्दी को हिन्दुओं से। यदि अंग्रेज बीच में न पड़े होते तो आज दोनों भाषाएँ एक होती। भाषा वैज्ञानिक उर्दू को हिन्दी की ही एक शैली मानते हैं।

भारत संघ की सरकार ने भी संविधान द्वारा दिए गए आदेशों की अवहेलना की है। संविधान की धारा 344 में स्पष्टतः कहा गया था कि सन् 1950 के बाद हर पाँच बर्ष पर एक आयोग का गठन किया जाता रहेगा, जो राजभाषा हिन्दी की प्रगति की जायजा लेगा और आगे की चलन-वृद्धि के लिए सिफारिशें करेगा। 1950 के बाद एक ही आयोग 1955 में गठित किया गया है और उसकी नकारात्मक सिफारिशों की अनदेखी कर दी गयी। बाद में 1960 या 1965 में आयोग नहीं बने।

राजभाषा अधिनियम के द्वारा जब से अंग्रेजी को दृढ़ता से स्थापित कर दिया गया, तब से राजकर्मचारियों को विश्वास हो गया कि यदि कोई कर्मचारी हिन्दी में काम न करें तो उसका अहित नहीं होगा। कुल मिलाकर हिन्दी में काम करने की चाह नहीं है, जो काम अब तक हुआ है, उसके बारे में समीक्षकों का कहना है कि वह

दुरूह और भद्दा है। अनुवाद की अपेक्षा अंग्रेजी का मूल पाठ सरल और सुबोध है। यह संविधान की धारा 351 के अनुकूल भी नहीं है। इसमें संस्कृत ही संस्कृत है वह भी अत्यंत कठिन।

1976 से ग्रह मंत्रालय का राजभाषा विभाग नियम और आदेश जारी करता रहता है, लेकिन अंग्रेजी के समर्थक अधिकारी इनकी कोई परवाह नहीं करते। वार्षिक कार्यक्रम बनते है, परंतु वे कागजों पर ही बने रह जाते हैं। हिन्दी को देखने के लिए केन्द्रीय हिन्दी समिति है, उसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री है, जिन्हें राजभाषा के लिए फुरसत ही नहीं मिलती और वर्षानुवर्ष इस समिति की बैठक ही नहीं होती। मंत्रालयों की अपनी-अपनी सलाहकार समितियाँ है जो थोड़ी-बहुत सलाह तो देती है, पर उसे क्रियान्वित नहीं किया जाता।

निष्कर्ष

कहने का आशय है कि संविधान ने जो कार्य सरकार को सौपा था एसे दिखावे के लिए भले ही किया हो, परंतु इस कार्य में गति नहीं है। अभी अंग्रेजी का ही बोलबाला है। संविधान ने जिसको रानी बनाना चाहा था, उसे एक अधिनियम ने अंग्रेजी का सहचरी बना दिया। जनतांत्रिक शासन व्यवस्था में जनता की भाषा ही राजभाषा होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है परंतु हमें अंग्रेजी को हटाना होगा। इसके रहते हिन्दी ही नहीं, हमारी कोई भी प्रादेशिक भाषा पनप नहीं सकती।

सुझाव

1. भारत सरकार की सलाहकार समितियों को सक्रिय करना होगा।
2. सरकारी कर्मचारियों के लिए हिन्दी का व्यावहारिक ज्ञान अनिवार्य है। सरकारी कामकाज में हिन्दी का प्रयोग भी अनिवार्य होना चाहिये।
3. कार्यान्वयन समितियाँ परिश्रम से सही-सही तथ्य और आँकड़े गृहमंत्रालय को भेजे और वहाँ देखा जाय कि कहाँ-कहाँ, किन-किन कार्यालयों में आदेशो की अवहेलना की जाती है।
4. हिन्दी प्रदेश के सभी राज्यों में सारा काम हिन्दी में हो तथा सभी कानूनी, चिकित्सा, तकनीकी में हिन्दी का प्रयोग भी अनिवार्य होना चाहिये।

संदर्भ

1. भाषा विज्ञान एवं हिंदी भाषा - राम छबीला त्रिपाठी
2. हिंदी उपन्यास का इतिहास - गोपाल राय
3. हिन्दी भाषा का संक्षिप्त इतिहास - भोलानाथ तिवारी
4. हिन्दी भाषाः उद्भव और विकास - उदयनारायण तिवारी

SHODH CHETNA – YEAR-7, VOL. 3 (JULY TO SEP., 2021) ISSN : 2350-0441

A Peer-Reviewed
International Referred &
Multifocal Research Journal

IMPACT-FACTOR
5.299

Paper Recieved : 15th Sep 21 Paper Accepted : 25th Sep 21

वैश्विक महामारी कोरोना का एक अध्ययन : 'खरगोन जिले के विशेष सन्दर्भ में'

(मार्च 2020 से मार्च 2021 तक)

❑ प्रो. राजाराम आर्य*

शोध सारांश

प्रस्तुत शोध अध्ययन के फलस्वरूप सारांश के रूप में कहा जा सकता है कि खरगोन जिले में कोविड-19 आक्रमक रूप में दिखाई दे रहा है, जहां संक्रमण दर गतवर्ष मार्च-अप्रैल में 1 से 2 प्रतिशत थी, वह माह मार्च 2021 में 6 प्रतिशत हो गई है। जिले में पिछले एक वर्ष में अब तक कोरोना से संक्रमित 6554 मरीज मिले हैं। इनमें 5939 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हो चुके है। वहीं 31 मार्च, 2021 तक 120 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और 495 मरीज स्थिर है। जिले में कुल 471 कंटेनमेंट एरिया है। यहां 64 प्रतिशत पुरूष तथा 36 प्रतिशत महिलाएं संक्रमित हैं। वहीं अब तक सक्रिय मरीजों में 65 प्रतिशत पुरूष और 35 प्रतिशत महिलाएं हैं। इसी प्रकार ग्रामीण और शहरी क्षेत्र की बात करें तो नगरीय क्षेत्र में 61 प्रतिशत और ग्रामीण क्षेत्र में 39 प्रतिशत सक्रिय मरीज है। जिलें में कोरोना संक्रमण की दर 6 प्रतिशत है, जबकि संक्रमितों का मृत्यु का प्रतिशत लगभग 1.7 है। संक्रमण और मृत्यु का अनुपात ग्रामीण की अपेक्षा नगरों में अधिक है, वहीं संक्रमितों का अनुपात भी नगरों में अधिक है ग्रामीण आदिवासी बस्तियां दूर-दूर बसी है, प्राकृतिक जीवन यापन कर रहे हैं, मेहनतकश जीवन है तथा उनकी रोगप्रतिरोधक क्षमता भी अधिक है, इसीलिए ग्रामीण कम प्रभावित हुए है। इसी प्रकार पुरूष की अपेक्षा महिलाएं कम प्रभावित हुई हैं।

वहीं आदिवासी बहुल तहसीलों से गांव, भगवानपुरा और झिरन्या में सबसे कम संक्रमित हुए तथा मृत्यु भी कम हुई है, इस माहमारी में आदिवासी जीवन शैली कॉफी कारगर सिद्ध हुई है। आदिवासी समुदाय अपने खेतों में दूर-दूर मकान बनाकर रहते हैं, पैदल चलते समय भी वे एक-दूसरे के पीछे पर्याप्त दूरी बनाकर चलते है, हाथ जोड़कर अभिवादन करते हैं, प्राकृतिक वस्तुओं का सीधे उपभोग करते हैं (महुंआ, चारोली, मुसली, टेमरू आदि) हवा, पानी, भोजन भी शुद्ध और प्राकृतिक है। मेहनतकश जीवन जीते है। यही कारण है कि आदिवासियों में रोगप्रतिरोधक क्षमता अधिक होने से कम प्रभावित हुए है। वर्तमान में वैज्ञानिकों ने भी उनकी जीवन शैली को अपनाने के लिए आह्वान किया है।

शब्दकुंजी—कोविड-19, ट्रेवलिंग हिस्ट्री, सोसियल डिस्टेन्स, सैनेटाईजर, आइसोलेशन, एम्यूनिटी पावर।

* सहायक प्राध्यापक (भूगोल), शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, खरगोन, मो. 7566761345
E-mail : rajaramarya1971@gmail.com

प्रस्तावना

मेडिकल ज्योग्राफी, जिसे स्वास्थ्य भूगोल भी कहा जाता है, चिकित्सा अनुसंधान का एक क्षेत्र है जो विश्व भर में स्वास्थ्य के अध्ययन और रोगों के प्रसार में भौगोलिक तकनीकों को शामिल करता है। इसके अलावा, चिकित्सा भूगोल किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य के साथ-साथ स्वास्थ्य सेवाओं के वितरण पर जलवायु और स्थान के प्रभाव का अध्ययन करता है। मेडिकल ज्योग्राफी एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है क्योंकि इसका उद्देश्य स्वास्थ्य समस्याओं की समझ प्रदान करना और उन्हें प्रभावित करने वाले विभिन्न भौगोलिक करकों के आधार पर दुनिया भर में लोगों के स्वास्थ्य में सुधार करना है। इसी सन्दर्भ में बढ़ती वैश्विक महामारी कोविड-19 का अध्ययन करने का प्रयास किया गया है।

कोरोना संक्रमण से भोपाल, इन्दौर सहित मध्यप्रदेश के 10 जिले सबसे ज्यादा प्रभावित है। इन जिलों में ग्वालियर, मुरैना, जबलपुर, उज्जैन, खरगोन, नीमच, सागर तथा बड़वानी है। इन 10 जिलों में ही मध्यप्रदेश के कुल 71 प्रतिशत संक्रमित है।

जिले में पिछले एक वर्ष मे अब तक कोरोना से संक्रमित 6554 मरीज मिले हैं। इनमें 5939 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हो चुके है। वहीं 31 मार्च, 2020 तक 120 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और 495 मरीज स्थिर हैं। जिले में कुल 471 कंटेनमेंट एरिया है। यहां 64 प्रतिशत पुरुष तथा 36 प्रतिशत महिलाएं संक्रमित है। वहीं अब तक सक्रिय मरीजों में 65 प्रतिशत पुरुष और 35 प्रतिशत महिलाएं है। इसी प्रकार ग्रामीण और शहरी क्षेत्र की बात करें तो नगरीय क्षेत्र में 61 प्रतिशत और ग्रामीण क्षेत्र में 39 प्रतिशत सक्रिय मरीज है। जिले में कोरोना संक्रमण की दर 6 प्रतिशत है, जबकि संक्रमितों का मृत्यु का प्रतिशत लगभग 1.7 है।

आयु वर्ग के अनुसार मृत्यु दर पर गौर करें तो ज्ञात होता है कि 81 से 100 के बीच 8 व्यक्ति, 61 वर्ष से 80 के बीच 57 व्यक्ति, 41 से 60 के बीच 46 व्यक्ति, 21 से 40 के बीच 7 और 0 से 20 वर्ष के बीच 02 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है।

राज्य स्तर पर देखें तो ज्ञात होता है कि 31 मार्च, 2021 तक प्रदेश में कुल सेम्पल रिपोर्ट 64,97,170 प्राप्त हुई है। जिसमें पॉजिटिव केस 306851, स्वस्थ्य हुए मरीजों की संख्या 281476 है, कुल मृतकों की संख्या 4040 है तथा कुल सक्रिय मरीज 21335 है। राज्य में संक्रमण दर 11 प्रतिशत है। पहले संक्रमण बढ़ने की दर जहां 1.72 प्रतिशत थी, वह अब 2.01 प्रतिशत हो गई है। स्पष्ट है यह 1.16 प्रतिशत बढ़ा है।

अध्ययन उद्देश्य

1. अध्ययन क्षेत्र में अनियंत्रित होते कोरोना का अध्ययन करना।
2. उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाओं का अध्ययन करना।
3. कोरोना के प्रसार के कारण एवं स्थानीय स्तर पर नियंत्रण के उपाय खोजना।

परिकल्पना

निरन्तर पैर पसारते कोरोना को लेकर अध्ययन करने की जिज्ञासा जाग्रत हुई कि देश, प्रदेश एवं जिला स्तर पर इसका प्रभाव निरन्तर बढ़ता जा रहा है, और इसके समाप्त होने की कोई उम्मीद नहीं दिखाई दे रही है। इसलिए यह शोध अध्ययन जिले की वर्तमान स्थिति और स्वास्थ्य सुविधाओं के परिक्षण में सहायक सिध्द होगा।

अध्ययन विधि

शोध अध्ययन हेतु द्वितीयक आंकड़ो की सहायता ली गई है, तथा विश्लेशण हेतु तालिका एवं आरेख और मानचित्र का उपयोग किया गया है।

अध्ययन क्षेत्र

शोध अध्ययन हेतु मध्यप्रदेश के खरगोन जिले का चयन किया गया है। यह जिला मध्यप्रदेश की दक्षिणी-पश्चिमी सीमा पर स्थित है यह 21 डिग्री 22 मिनट से 22 डिग्री 33 मिनट उत्तरी अक्षांश तक तथा 75 डिग्री 19 मिनट पूर्वी देशांतर से 76 डिग्री 14 मिनट पूर्वी देशांश के मध्य स्थित है। इसका क्षेत्रफल लगभग 6541.870 वर्ग किमी है। इस जिले के उत्तर में धार, इन्दौर व देवास, दक्षिण में महाराष्ट्र, पूर्व में खण्डवा, बुरहानपुर तथा पश्चिम में बड़वानी जिला स्थित है।

शोध विश्लेषण एवं परिणाम–

तालिका क्रमांक - 01
जिला खरगोन

विकासखण्ड	कुल	सकिय मरीज	रिकवर	कुल मौते	मृत्यु प्रतिशत
खरगोन	2775	154	2575	46	38-33
बड़वाह	1091	106	963	22	18-33
महेश्वर	907	104	790	13	10-83
कसरावद	503	33	457	13	10-83
भीकनगांव	472	34	427	11	9-16
गोगावां	320	24	287	09	7-5
सेगांव	170	11	156	03	2-5
झिरन्या	116	19	94	03	2-5
भगवानपुरा	200	10	190	00	00
कुल	**6554**	**495**	**5939**	**120**	**100**

स्त्रोत - जिला चिकित्सालय खरगोन मार्च 2021

उपर्युक्त तालिका से स्पश्ट होता है कि जिले में मार्च 2021 तक कुल संक्रमितों की संख्या 6554 हो गई है, जिसमें सक्रिय मरीज 495, स्वस्थ्य हुए 5939 मरीज है, लेकिन 120 लोगों को भाग्य ने साथ नहीं दिया वे मृत्युलोक को सीधार गये। विकास खण्डवार देखें तो सबसे अधिक खरगोन विकासखण्ड में 2775 कुल संक्रमित है, जिसमें सक्रिय मरीज 154, स्वस्थ्य हुए 2575 मरीज है तथा 46 लोगों की मृत्यु हुई है। दूसरे क्रम पर बड़वाह तहसील है, जहां पर कुल संक्रमित मरीज 1091, सक्रिय मरीज 106 तथा 963 मरीज स्वस्थ्य हुए है और 22 लोगों की मृत्यु हुई है। तीसरे क्रम पर महेश्वर विकासखण्ड है, जहां कुल संक्रमितों की संख्या 907 है, जिसमें सक्रिय मरीज 104 तथा मरने वालों की संख्या 22 है और 790 मरीज अभी भी सक्रिय बने हुए है।

संभावित कारणों में ट्रेवलिंग हिस्ट्री प्रमुख कारण पाया गया है, चूँकि ये तीनों विकासखण्ड इन्दौर नगर से लगे हुए है, जहां से सबसे अधिक लोगों का आवागमन विभिन्न कारणों से निरन्तर बना रहता है। खरगोन नगर के बड़े व्यावसायिक परिवार विदेशों से भी ताल्लुक रखते है, एक अन्य कारण महाराष्ट्र राज्य की सीमा भी खरगोन जिले को स्पर्श करती है । खरगोन-सेंधवा से राष्ट्रीय राज मार्ग 03 से भी संक्रमितों का प्रवेश बढ़ा है। यही कारण है कि यहा कोरोना मरीजों की संख्या अधिक पायी गई है, वहीं जागरूकता का अभाव, अपनी जिम्मेदारी के प्रति नागरिकों की उदासीनता तथा 'वसुधैव कुटुम्बकम्' की भावना का समाप्त होना भी एक प्रमुख कारण है, पहले हम एक-दूसरे को परिवार का सदस्य मानते थे,दूसरों का दुःख-दर्द अपना समझकर बांटते थे, परन्तु विगत 1 दशक से यह भावना धीरे-धीरे खत्म होते जा रही है।

शासन-प्रशासन निरन्तर इस बीमारी को रोकने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश और लॉकडाउन जैसे कदम उठाते रहा, लेकिन लोगों की लापरवाही और उदासीनता, जागरूता का अभाव वहीं कुछ लोग इस बीमारी को मानते ही नहीं आदि कारणों से कोरोना अनियंत्रित हो गया।

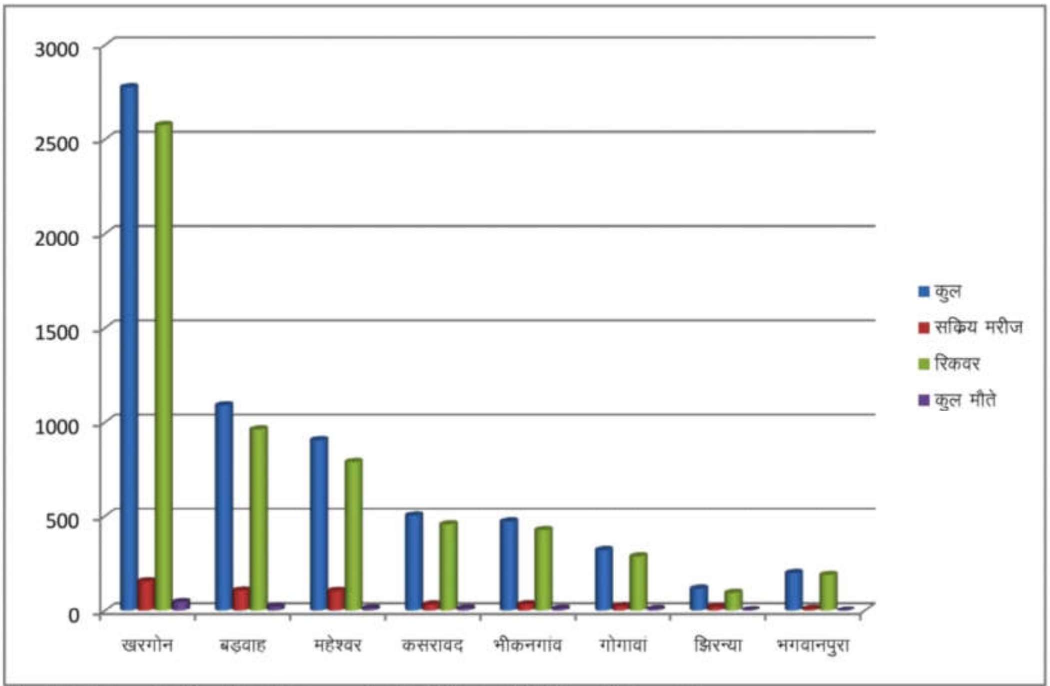

बीमारी को मानते ही नहीं आदि कारणों से कोरोना अनियंत्रित हो गया ।

वहीं आदिवासी बहुल तहसीलों से गांव, भगवानपुरा और झिरन्या में सबसे कम संक्रमित हुए तथा मृत्यु भी कम हुई है, इस माहमारी में आदिवासी जीवन शैली कॉफी कारगर सिद्ध हुई है। आदिवासी समुदाय अपने खेतों में दूर-दूर मकान बनाकर रहते है, पैदल चलते समय भी वे एक-दूसरे के पीछे पर्याप्त दूरी बनाकर चलते है, प्राकृतिक वस्तुओं का सीधे उपभोग करते है (महुंआ, चारोली, मुसली, टेमरू आदि) हवा, पानी, भोजन भी शुद्ध

और प्राकृतिक है। मेहनतकश जीवन जीते है। यही कारण है कि आदिवासियों में रोगप्रतिरोधक क्षमता अधिक होने से कम प्रभावित हुए है।

तालिका क्रमांक - 02
जिला खरगोन

लिंग/क्षेत्र	संक्रमित	प्रतिशत	सक्रिय	प्रतिशत
पुरूष	4216	64.32	320	4.88
महिलाएँ	2338	35.67	176	2.68
नगरीय	4088	62.37	301	4.59
ग्रामीण	2466	37.62	195	2.97

स्त्रोत - जिला चिकित्सालय खरगोन मार्च 2021

उपर्युक्त तालिका से ज्ञात होता है कि अध्ययन क्षेत्र में पुरुषों में संक्रमित एवं सक्रिय मरीजों की संख्या अपेक्षाकृत महिलाओं से अधिक है। पुरुष वर्ग में संकमितों का प्रतिशत 64.33 तथा महिलाओं का प्रतिशत 35.67 है। यदि संभावित कारणों को देखे तो स्पष्ट होता है कि पुरुष वर्ग को घर के साथ-साथ बाहर की भी जिम्मेदारी निभाना होता है, पुरुष स्वयं को बाहर जाने पर नियंत्रण नहीं रख पाता है। अधिकतर महिलाएं ग्रहणी हैं, इनमें प्रतिरोधक क्षमता भी अधिक होती है साथ ही सहनशीलता भी अधिक होती है। यही कारण है कि पुरुषों में संक्रमण अधिक है एवं महिलाओं में कम है।

इसी प्रकार ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में भी असमानता दिखाई देती है। ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्रों में संक्रमित मरीजों की संख्या क्रमशः 2466 (37.62 प्रतिशत) एवं 4088 मरीज (62.38 प्रतिशत) है, वहीं सक्रिय मरीज भी ग्रामीण क्षेत्रों में केवल 195 तथा नगरीय क्षेत्र में 301 मरीज है। कुछ संभावित कारण खोजे गये जिसमें प्रमुख रूप से ग्रामीण क्षेत्र में लोग प्राकृतिक वायु में जीते है, शहरी क्षेत्र के लोग पंखे, कुलर और ए.सी. पर निर्भर है, इसी प्रकार जल के लिए ग्रामीण प्राकृतिक स्त्रोत पर निर्भर है, लेकिन शहरी क्षेत्र में फ्रीज, आर.ओ तथा एक्वागार्ड पर ज्यादा आश्रित है। इसी प्रकार भोजन तथा सब्जी और फल भी ग्रामीण क्षेत्र में ताजे और शुद्ध मिल जाते है, वहीं शहरी क्षेत्र इसका अभाव है।

दूसरी ओर आदिवासिंयो की जीवन शैली भी कोरोना संक्रमण को रोकने में सहायक सिद्ध हुई। ये दूर-दूर अपने खेतों में मकान बना कर रहते है, हाथ जोड़कर अभिवादन की प्रवृति है, तथा जब वे पैदल चलते है, तो एक-दूसरे के पीछे पर्याप्त दूरी पर कतारबद्ध होकर चलते है। वर्तमान में वैज्ञानिकों ने भी उनकी जीवन शैली को अपनाने के लिए आव्हान किया है। देश के उपराष्ट्रपति एम. वेंकैया नायडू ने भी इस बात का समर्थन किया है। नायडू ने उत्कल विश्वविद्यालय के 50 वे दीक्षांत समारोह को संबोधित कर कहा कि ओडिशा की आदिवासी आबादी कोविड-19 वैश्विक महामारी से व्याप्त तौर बची रही है, उनकी अनोखी आदतों और परम्पराओं ने उन्हें संक्रमण से दूर रखने में मदद की। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति और जनजाति शोध और शिक्षण संस्थान (SCFTRTI) की रिपोर्ट में बताया गया कि जनजातीय लोगों की चलते वक्त एक-दूसरे से पर्याप्त दूरी बनाकर रखने की आदत होती है। साथ ही प्राकृतिक खान-पान ने उन्हे वैश्विक महामारी के दौरान सुररिक्षत रहने में मदद की।

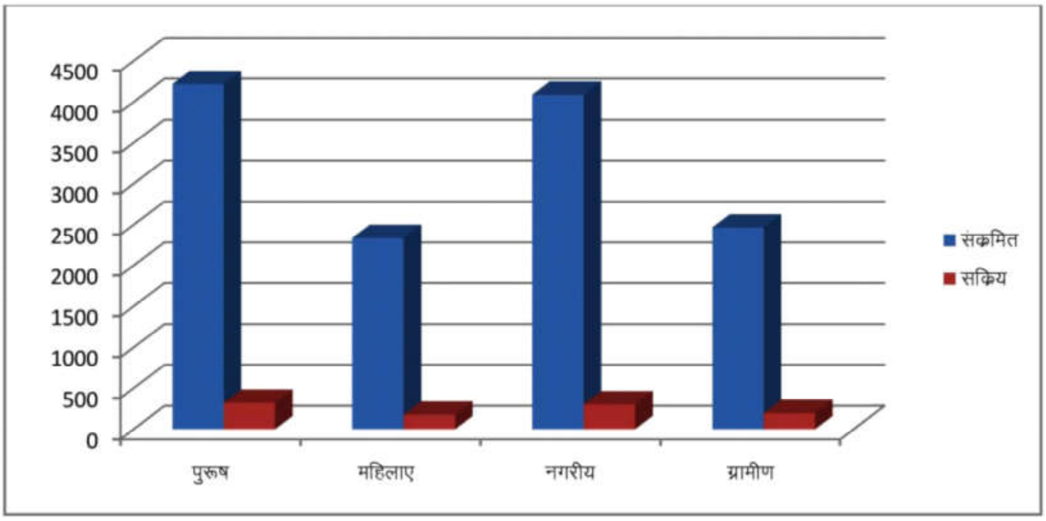

Table No. 03

Corona patient according to age group inkhargone district

Age group	Patient	Percent
81-100	08	6.66
61-80	57	47.5
41-60	46	38.33
21-40	07	5.83
0-20	02	1.66
Total	120	100

Source : district hospital khargone

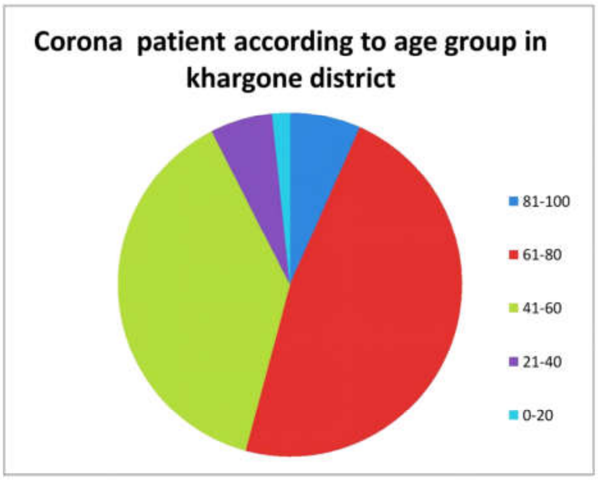

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि सबसे अधिक मौतें 61 से 80 आयुवर्ग की 47.5 प्रतिशत हुई। इस आयुवर्ग में अधिकांश मौते पूर्व में ग्रसित बीमारी के कारण हुइ है ऐसे मरीज जल्दी चपेट में आ गए, वहीं 41 से 60 आयुवर्ग के लोग चूंकि कामकाजी होने से इनमें अधिक संक्रमण फैला और मौत के शिकार बने। 40 वर्ष से कम आयु वर्ग के लोगों में रोगप्रतिरोधक क्षमता अच्छी होने की वजह से इस वर्ग की मौते कम हुई है।

सुरक्षा के उपाय

इस भयावह कोरोना वायरस की अभी तक वैक्सीन तैयार करने में विश्व के सभी देश असफल हुए है, पूरा एक वर्ष हो गया है। केवल हमारा देश ही है, जहां रेमडेसिवीर इंजेक्शन तैयार किया गया है तथा देश के साथ-साथ विदेशों को भी भेज रहा है। हमारे देश में मलेरिया और वायरल बुखार की खुराक से ही इसका उपचार किया जा रहा है, और काफी हद तक इस वायरस को नियंत्रित भी किया है, परन्तु कोरोना की इस दूसरी लहर के अनियंत्रित होते कोविड-19 ने ऐसे हालात शासन-प्रशासन और आम जनता के सामने पैदा कर लिए कि सभी विवश नजर आ रहे हैं। इस भयावह बीमारी के नियंत्रण के लिए कुछ सुझाव शासन ने जारी किए है, कुछ आर्युवैदिक तथा एलोपैथिक उपाय बताएं गए है, जिनमें निम्नलिखित है—

1. दैनिक जीवन में मास्क लगाना जरूरी है।
2. दो गज दूरी का अनिवार्यतः पालन हो।
3. सैनेटाईजर का उपयोग किया जाय।
4. लगातार साबून से हाथ धोयें, संतुलित खाना खाएं, पानी ठीक से पीएं, व्यायाम करें और अच्छी नींद ले।
5. पानी गर्म करके पीएं, दूध में हल्दी मिलाकर पीएं तथा समय पर भांप लेते रहें।
6. पांडिचेरी विश्वविद्यालय के एक भारतीय छात्र रामू ने कोविड-19 का घरेलू उपचार खोज लिया जिसे WHO ने पहली बार में ही स्वीकृति प्रदान कर दी है। उसने सिद्ध कर दिया है कि एक चाय के चम्मच भरकर काली मिर्च का चूर्ण दो, दो चम्मच शहद, थोड़ा-सा अदरक का रस, लगातार 5 दिनों तक लिया जाय तो कोरोना के प्रभाव को 100 प्रतिशत तक समाप्त किया जा सकता है। सम्पूर्ण जगत इस उपचार को लेना आरम्भ कर दिया है।

रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के आयुर्वेदिक उपाय

1. च्यवनप्राश 10 ग्राम (1 चम्मच) सुबह ले। मधुमेह के रोगी श्शुगर फ्री च्यवनप्राश लें।
2. तुलसी, दाल चीनी, काली मिर्च, शुण्ठी (सूखी अदरक) एवं मुनक्का से बनी हर्बल टी/काढ़ा दिन में एक से दो बार पिएं। (स्वाद के अनुसार इसमें गुड़ या ताजा नींबू रस मिला सकते है।)
3. गोल्डन मिल्क-150, उस गर्म दूध में आधा चम्मच हल्दी चूर्ण दिन में एक से दो बार लें।

होम आइसोलेशन के लिए गाइड लाइन जारी

प्रदेश के साथ-साथ जिले में लगातार बढ़ रहे संक्रमितों के आंकड़ों के बाद और मरीजों को संस्थागत क्वारंटाइन में आने वाली समस्या को ध्यान में रखते हुए राज्य शासन द्वारा होम आइसोलेशन की संशोधित गाइड लाइन जारी की गई है। नई गाइड लाइन के अनुसार लक्षण रहित और अति मंद लक्षण वाले कोविड-19 पोजिटिव केस के लिए होम आइसोलेशन की सुविधा दी जाए। जारी निर्देश में कहा गया है कि प्रदेश में कोविड-19 के प्रकरणों की संख्या के चलते घर पर आइसोलेशन की समुचित व्यवस्था वाले अधिक से अधिक पात्र कोविड पाजिटिव व्यक्तियों को होम आइसोलेशन में रखा जाए। इसके लिए महत्वपूर्ण है कि होम आइसोलेशन व्यक्ति की दैनिक निगरानी जिला स्तर पर स्थापित जिला कोविड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर द्वारा सुनिश्चित की जाए और व्यक्ति के पास आवश्यक चिकित्सीय संसाधन और औषधियां उपलब्ध रहे। निर्देश दिए गए है कि कोविड-19 पाजिटिव केस को होम आइसोलेशन की अनुमति देते समय एक होम आइसोलेशन किट उपलब्ध कराई जाए।

टीकाकरण

जिले में संचालित सभी स्वास्थ्य संस्थाओं में 60 वर्ष और इससे अधिक आयु वाले व्यक्ति और 45 से 59 वर्ष के ऐसे हितग्राही जो कि विभिन्न (चिन्हित) बीमारियों से ग्रसित है, को टीका लगाया गया। सीएमएचओ कार्यालय के अनुसार 29 मार्च तक 1875 व्यक्तियों को टीका लगाया गया। इनमें 60 से अधिक आयु वाले 1500 और 45 से 59 वर्ष तक के कुल 230 व्यक्तियों को पहले डोज का टीका लगाया गया। वहीं एफएलडब्ल्यू के 15 कर्मियों को पहला डोज व 70 कर्मियों को दूसरा डोज और एससीडब्ल्यू के 20 कर्मियों को पहला डोज और 40 कर्मियों को दूसरा डोज का टीका लगाया गया। सीएमएचओ डॉ.एस.के. सरल ने नागरिकों से अपील की है कि वे कोविड 2.0 एप और आरोग्य सेतु एप के माध्यम से ऑनलाइन पंजीयन कराएं, ताकि स्थान और समय की सुविधा स्वेच्छा अनुसार मिल सकें।

टीकाकरण के लिए बनाएं 73 केंद्र

कोविड-19 वैक्सीनेशन के अगले चरण मे अब एक अप्रैल से 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के सभी नागरिकों का वैक्सीनेशन किया जाएगा। इसके लिए जिले में कुल 73 केन्द्र बनाए गए हैं। इनमें शहरी क्षेत्र खरगोन में 07 केन्द्रों में पुराना अस्पताल परिसर में 03 केन्द्र के अलावा ओजोन अस्पताल, सुभिशी अस्पताल, साईं समर्थ अस्पताल और विजयलक्ष्मी अस्पताल में केन्द्र बनाए गए हैं। इसके अलावा बड़वाह व महेश्वर में 13-13 केन्द्र, गोगावां व ऊन में 7-7, कसारावद, भीकनगांव व भगवानपुरा में 6-6, झिरन्या में 5 और सेगांव में 03 केन्द्र बनाए गए हैं। 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के सभी लोगों को टीका लगाया जाएगा, वैक्सीनेशन के लिए को-मोर्विड प्रमाण-पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

सारांश

खरगोन जिला मध्यप्रदेश का ग्रामीण जिला है,जहां 84.04 प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या निवास करती है,साथ ही 39.08 प्रतिशत आदिवासी जनसंख्या पायी जाती है, यही वजह है कि जिले में ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना का कहर कम पाया गया है, वहीं महिलाओं में भी इसका प्रतिशत कम है। जिलें में कुल संक्रमित लोगों में ग्रामीणों का प्रतिशत केवल 37.62 है, इसी प्रकार महिलाओं का प्रतिशत भी केवल 35.67 है। दूसरी ओर यदि हम आयु की दृष्टि से देखें तो जिले में सबसे अधिक मौंते 40 वर्ष से अधिक आयुवर्ग के लोगों की 92.5 प्रतिशत मौंते हुई है, जबकि 40 वर्ष से कम आयुवर्ग के केवल 7.5 प्रतिशत लोगों की हुई है। नगरीय क्षेत्र हो या ग्रामीण क्षेत्र हो लोगों ने कोरोना को गंभीरता से नहीं लिया। लगभग 90 प्रतिशत लोग बिना मास्क और सोसल दूरी का पालन नहीं करते पाए गए। व्यापारी वर्ग भी इस दिशा में उदासीन दिखाई दिया। वहीं नवग्रह मेला, धार्मिक एवं राजनीतिक आयोजन भी संक्रमण बढ़ाने में सहायक सिद्ध हुई और हालात अनियंत्रित हो गए। कुल मिलाकर लोग शासन की गाइड लाइन का पालन नहीं कर रहे हैं, प्रशासन ने भी धीरे-धीरे उदारता और उदासीनता दिखाई। इस कारण शासन को जिले में पुनः लॉकडाउन लगाने के लिए मजबूर होना पड़ा।

सन्दर्भ सूची

1. प्रो. चौबे कैलाश-2001 स्वास्थ्य/चिकित्सा भूगोल, 'विश्व स्तर पर प्रमुख रोगों का विवरण' पृष्ठ क्रमांक 158, मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी भोपाल।
2. जिला चिकित्सालय खरगोन।
3. दैनिक समाचार पत्र नई दुनिया, खरगोन, दिनांक- 02 अप्रैल 2021
4. www.coronabule.com

SHODH CHETNA – YEAR-7, VOL. 3 (JULY TO SEP., 2021) ISSN : 2350-0441
A Peer-Reviewed
International Referred &
Multifocal Research Journal
IMPACT-FACTOR 5.299
Paper Recieved : 29th Sep 21 Paper Accepted : 4th Oct 21

'मेघदूतम्' खण्डकाव्य में पर्यावरण एवं पर्यटन : एक अध्ययन

❒ सुमन*
❒ डॉ. सूर्यनारायण गौतम**

शोध सारांश

महाकवि कालिदास का काव्य वैभव जितना अधिक है उसकी तुलना किसी अन्य कवि के काव्य वैभव से नहीं की जा सकती। जिन परिस्थितियों में उन्होंने जिन काव्यों का प्रणयन किया है उन परिस्थितियों में सबके लिए ऐसा अद्भुत कार्य करना सरल नहीं होता। किसी भी कवि की रचनाओं में काव्य शिल्प का होना स्वाभाविक ही है चाहे वह किसी में कम हो या अधिक। किसी कवि का शिल्प विधान उन्नत होता है तो किसी का भाव पक्ष बहुत ही अधिक समुन्नत होता है। प्रमुख महाकवियों के गणना प्रसंग का उद्धरण निम्न श्लोक से देखा जा सकता है—

उपमाकालिदासस्य भारवेरर्थगौरव।
दण्डिनः पदलालित्यं माघे सन्ति त्रयोगुणाः।।

जब भी कवियों की गणना का प्रसंग उपस्थित होता है सबसे पहली उंगली महाकवि कालिदास के नाम की ही उठती है।

शब्दकुंजी—मेघदूत, कालिदास, पर्यावरण।

प्रस्तावना

महाकवि कालिदास को कविकुलगुरु की परम सम्मनित उपाधि से विभूषित किया गया है। निश्चय ही यह सम्मान प्राप्त करना बड़े ही भाग्य की बात है। महाकवि कालिदास संस्कृत जगत के मूर्द्धन्य महाकवि हैं। सम्राट विक्रमादित्य के नौ रत्नों में अग्रगण्य महाकवि कालिदास ने अनेक उत्कृष्ट ग्रन्थों का प्रणयन किया है। प्रकृति के लाडले कवि कालिदास ने आर्यावर्त की समस्त नदियों, प्रसिद्ध पोखरों, झीलों, उत्तुंग शिखरों से युक्त पर्वतों का जहाँ बहुत ही मार्मिक पर्यावरणीय चित्रण किया है, वहीं

* शोधार्थी (संस्कृत विभाग), पंजीयन संख्या-17219141, श्री जगदीशप्रसाद झाबरमलटीबड़ेवाला विश्वविद्यालय, झुंझुनु (राज.)
** एसो. प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष (संस्कृत) विभाग, श्री जगदीशप्रसाद झाबरमल टीबड़ेवाला विश्वविद्यालय, झुंझुनु (राज.)

नानाविध चित्रों विविध बेल-बूटों से उकेरी गई मूर्तियों, फव्वारों, नक्काशीदार गुम्बदों और अति शोभायमान रत्न जडित सीढ़ियों का अद्भुत वर्णन कर पर्यटन के सूत्र भी दिए हैं। इसी प्रकार नाटकों में भी चाहे वह शकुन्तला के पोष्य पिता कण्व का आश्रम हो या महाराज दुष्यंत का राजभवन तथा विक्रमोर्वशीयम् में राजा पुरुरवा का वह मण्डप जहाँ नानाविध औषधीय लताओं और विटपों से युक्त हरीतिमा सिर में उठ रही पीड़ा का भी शमन करने में समर्थ है। महाकवि के द्वारा रचित उपलब्ध ग्रन्थों की रचना निम्नवत् सात है; यथा—

1. अभिज्ञानशाकुन्तलम्, 2. विक्रमोर्वशीयम्, 3. मालविकाग्निमित्रम्, 4. ऋतुसंहारम्, 5. कुमारसंभवम्, 6. रघुवंशम्, 7. मेघदूतम्।

प्रस्तुत शोध पत्र में महाकवि कालिदास की रचनाओं में पर्यावरण एवं पर्यटन का विधिवत वर्णन प्रस्तुत किया गया है। पर्यटन का तात्पर्य ही है ऐसी वह जगह, ऐसे वे स्थल जिन्हें देखने के लिए मन चारों ओर दौड़ने लग जाए। महाकवि ने अवन्तिका का वर्णन कर अलकापुरी तक का ऐसा मनोरम चित्रण किया है जिसे पढ़कर उस स्थल को देखने के सहज ही विचार मन में उमड़ने लग जाते हैं। हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं को पार कर अलकापुरी के उत्तुंग अट्टालिकाओं से युक्त भवनों का वर्णन और उन भवनों के समीप ही नानाविध मणियों से युक्त जल तक पहुँचने के लिए सोपानों तथा स्नान के उपरांत बैठने वाले मणिमय सोपानों को देखने के लिए किसका मन नहीं करेगा। ग्रीष्म ऋतु का यह एक स्वाभाविक चित्र उनके अभिज्ञानशकुन्तलम् से है—

सुभगसलिलावगाहाः पाटलसंसर्गसुरभिवनतायाः।
प्रच्छायसुलभनिद्रा दिवसाः परिणामरमणीयाः॥[1]

सलिल अर्थात् ऐसा जल जो पूर्णतः निर्मल है और शीतल है ऐसे जल में स्नान करना अत्यंत सुहावना लग रहा है। पाटल के खिले पुष्पों से वन की वायु सुगन्धित हो रही है। घने वृक्षों की छाया में सरलता से नींद आ रही है। दिन का अवसान अत्यंत रमणीय प्रतीत हो रहा है।

महाकवि की कृतियों में उपमा आदि अलंकारिक विधानों का जहाँ गहन अध्ययन किया गया है, वहीं पर्यावरण जैसे ज्वलंत मुद्दों को भी बारीकी से देखा और परखा भी गया है, किन्तु एक व्यावहारिक और व्यापारिक दृष्टिकोण को रखते हुए पर्यटनीय अध्ययन अभी तक मेरी दृष्टि में कहीं भी पढ़ने या सुनने में नहीं आ सका है। अतः अब आवश्यकता है कि भारतीय पुरातन ग्रन्थों में उन विषयों को लक्ष्य कर अध्ययन किया जाए जो व्यक्ति को रोजगार भी समुपलब्ध करा सकें।

प्रस्तुत शोध के पीछे का उद्देश्य है कि महाकवि कालिदास की रचनाओं का नवीनतम अध्ययन प्रस्तुत किया जाए और उसके साथ ही वर्तमान की सबसे ज्वलंत समस्या जो पर्यावरण को लेकर है उसका समाधान निकाला जाए। वर्तमान में इसके लिए अनेक प्रकार के उपाय किए जा रहे हैं। संस्कृत विषय का अध्येता होने के नाते मेरा यह कर्त्तव्य है कि अपने ज्ञान का उपयोग उस विधा या क्षेत्र में करना चाहिए जिस ओर मानवता को जीवन का संकट दिख रहा है।

अध्ययन का महत्व

महाकवि कालिदास संस्कृत जगत के ऐसे कवि हैं जिनका उल्लेख कवि गणना में प्रथम आता है। उन्होंने अपनी रचनाओं में जिन विषयों का उल्लेख किया है वह सदा ही प्रासंगिक रहेगा। जितना अधिक शोध किया जाता है, नित्य ही ऐसे नवीन तथ्य सामने आते हैं जिनकी समूची मानवता को आज सर्वाधिक आवश्यकता है।

प्रस्तुत शोध का यही महत्व है कि आधुनिक समस्या का पुरातन हल क्या हो सकता है तथा उससे जो भी अनुकरणीय प्राप्त होगा, उसका प्रयोग और उपयोग मानवता के लिए समर्पित होगा।

''यक्षश्चक्रे जनकतनयास्नानपुण्योदकेषु।
स्निग्धच्छायातुरुषु वसतिं रागिर्याश्रमेषु॥''[2]

उपरोक्त पंक्तियों में महाकवि ने रामगिरि स्थित आश्रम का सुन्दर वर्णन करते हुए उसकी सघन छाया वाले वृक्षों की सुन्दरता का व्याख्यान किया है। यहाँ सीता जी के स्नान करने से पवित्र जल कुण्ड भरे हुए हैं—

पाण्डुच्छायोपवनवृतयः केतकैः सूचिभिन्नै-
र्नीडारम्भैर्गृहबलिभुजामाकुलग्रामचैत्याः।
त्वय्यासन्नेपरिणतफलश्यामजम्बूवनान्ताः
सम्पत्स्यन्ते कतिपयदिनस्थायिहंसा दशार्णाः॥[3]

मेघमार्ग वर्णन प्रसंग में मध्यभारत में स्थित दशार्ण प्रदेश का वर्णन करते हुए महाकवि कालिदास कहते हैं—हे मेघ तुम्हारे समीप आ जाने पर दशार्ण प्रदेश के उपवनों के किनारे, केतकी पुष्प के अग्रभाग के खिल उठने से पीत वर्ण की कान्ति वाले हो जाते हैं, गृहस्थों द्वारा दिये गये अन्न को चुगने वाले पक्षियों के घोंसलों से गाँव के रास्ते के वृक्ष व्याप्त हो जाते हैं, पके हुए जामुन के फलों से रमणीये हो उठते हैं। ऐसे वन प्रदेश में हंस कुछ दिन और निवास करते हैं।

''छन्नोपान्तः परिणतफलद्योतिभिः काननाम्रैः
त्वय्यारुढे शिखरमचलः स्निग्धवेणी सवर्णे।
नूनं यास्यत्यमरमिथुनप्रेक्षणीयामवस्थाम्
मध्ये श्यामः स्तन इव भुवः शेषविस्तारपाण्डुः॥''[4]

अमरकोट पर्वत की सुन्दरता का वर्णन करते हुए कवि कहते है कि पके हुए फलों से शोभित आम के वृक्षों से सघन भाग वाला पर्वत शिखर स्तम्भ के समान सुशोभित हो रहा है। ऐसा स्थान देवी-देवताओं द्वारा भ्रमणीय है—

प्राप्यावन्तीनुदयनकथाकोविदग्रामवृद्धान,
पूर्वोद्दिष्टामनुसर पुरीं श्रीविशालां विशालम्।
स्वल्पीभूते सुचरितफले स्वर्गिणां गां गतानां
शेषैः पुण्यैर्हृतमिव दिवः कान्तिमत खण्डमेकम्॥[5]

उज्जयिनी नगरी के प्रति महाकवि कालिदास का कुछ विशेष ही अनुग्रह दिखाई देता है। यद्यपि मेघ को उत्तर की ओर जाना है फिर भी यक्ष उससे कहता है कि आप कृपा करके उज्जयिनी अवश्य जाएं। यक्ष के अनुसार उज्जयिनी नगरी का अपना ही विशेष आकर्षण है। तुम उज्जयिनी के प्रासादों की शोभा से परिचय अवश्य प्राप्त करना।

यहां पर शिप्रा नदी बहती है। यक्ष मेघ से कहता है कि आप जब उज्जयिनी पहुँच जाओ तो सूर्यास्त पर्यन्त अवश्य रूकना। अपनी गर्जना से महाकाल की संध्याकालीन आरती में नगाड़े का कार्य अवश्य करना। हे मेघ इससे तुम्हें अविकल पुण्य प्राप्त होगा—

''अप्यन्यस्मिन् जलधर महाकालमासाद्य काले
स्थातव्यं ते नयनविषयं यावदत्येति भानुः।
कुर्वन् सन्ध्याबलिपटहतां शूलिनः श्लाघनीय-
मामन्द्राणां फलमविकलं लप्स्यसे गर्जितानाम्॥''[6]

अलकापुरी

''बाह्योद्यान स्थित हरशिरश्चन्द्रिका धौतह्मर्म्या।''

अलकापुरी का वर्णन करते हुए यक्ष कहता है कि भगवान भूतनाथ शिव के मस्तक पर सुशोभित रहने वाले चन्द्रमा की चाँदनी से धवल वर्ण वाली यक्षेश्वरों की नगरी में तुम्हें जाना है—

विद्युत्वन्तं ललितवनिता सेन्द्रचापं सचित्राः
सङ्.गीताय प्रहतमुरजाः स्निग्धगंभीरघोषम्।
अन्तस्तोयं मणिमयभुवस्तुङ्.मभ्रंलिहाग्राः
प्रासादास्त्वां तुलयितुमलं यत्र तैस्तैर्विशेषैः।''[7]

मेघदूत खण्डकाव्य के अनुसार अलकापुरी ही मेघ का अन्तिम गन्तव्य है। विविध नगरों का वर्णन करते हुए यक्ष मेघ से कहता हैं कि जब तुम अलकापुरी पहुँच जाओगे तब वहां का सौन्दर्य देखकर ही तुम यह अनुमान कर सकते हो कि तुम अलकापुरी पहुँच गये हो। वहां गगनचुम्बी भवन मिलेगें, उनमें निवास करने वाली सुन्दर स्त्रियां अपनी चपलता के कारण तुम्हारे भीतर से चमकने वाली बिजलियों, भित्तियों पर चित्रित चित्र तुम्हारे इन्द्रधनुष

से तथा संगीत के लिए बजने वाले नगाड़े जल धारण किये तुम्हारी गर्जना से समानता रखने में समर्थ हैं। अलकापुरी देवों के कोषाध्यक्ष कुबेर की राजधानी है। इस कारण वहां पर अत्याधिक सम्पन्नता है। अलकापुरी का वर्णन करते हुए यक्ष कहता है—यहाँ के पौधे और वृक्ष पुष्पों से लदे रहते हैं। यहाँ सरोवर नित्य कमलों से युक्त रहते हैं। जिन पर हंस समूह ऐसी शोभा देते हैं। मानो वे कमलिनियाँ अपनी कमर पर करधनियाँ धारण किए हुए हैं। यहां सदा शुक्लपक्ष रहता है। इसलिए अंधकार के प्रसार से सदा के लिए निवृत्त रहने के कारण यहाँ की रात्रियाँ अत्यधिक रमणीय होती हैं।

निष्कर्ष

कालिदास ने अपने सभी नाटकों एवं रचनाओं में प्रकृति एवं पर्यावरण के प्रति अपना आकर्षण प्रकट किया है। कालिदास की रचनाओं में पर्यावरण एवं पर्यटन कहीं पृष्ठभूमि के रुप में, कहीं उपमान के रुप में और कहीं उद्दीपन विभाव के रुप में भी है। मेघदूत में मेघ को रामगिरि पर्वत से अलकापुरी तक प्रकृति एवं पर्यटन का आनन्द लेते हुए दिखाया गया है, मानो कोई हवाई जहाज में बैठकर प्रकृति के नजारों का लुत्फ उठाते हुए जा रहा हो।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. अभिज्ञानशाकुन्तलम् 1.3
2. मेघदूतम् श्लोक -01
3. मेघदूतम् श्लोक-23
4. मेघदूतम् श्लोक -18
5. मेघदूतम् श्लोक - 30
6. मेघदूतम् श्लोक - 34
7. मेघदूतम् उ. में श्लोक -1

SHODH CHETNA – YEAR-7, VOL. 3 (JULY TO SEP., 2021) ISSN : 2350-0441
A Peer-Reviewed
International Referred &
Multifocal Research Journal
IMPACT-FACTOR 5.299
Paper Recieved : 29th Sep 21 Paper Accepted : 3rd Oct 21

मतदान व्यवहार में मीडिया का प्रभाव

❐ डॉ. राजेश शर्मा*

शोध सारांश

चुनावों में राजनैतिक-संचार मीडिया के सभी आयामों से होता है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिन्ट मीडिया, इन्टरनेट और अन्य माध्यमों जैसे रैली जन-सम्पर्क इत्यादि से जनमत अपने पक्ष में बनानें की कोशिश सभी दलों और उम्मीदवारों के द्वारा किया जाता है। लेकिन इसका क्या प्रभाव व कितना प्रभाव पड़ा। जिसमें मीडिया, मतदान व्यवहार स्वतंत्र चर है और लिंग,आयु, धर्म और जाति निर्भर चर है। जिसका प्रमुख प्रश्न यह था कि क्या मीडिया आपके मतदान व्यवहार को प्रभावित करता है?

इस प्रकार यह शोध मीडिया द्वारा किस प्रकार प्रभावी होता है, अध्ययन के क्षेत्र में प्रवृत्त है।

शब्द कुंजी—मतदान व्यवहार, मीडिया

राजनीतिक संचार वह प्रक्रिया द्वारा राजनीतिक दृष्टि से प्रासंगिक सूचना राजनीतिक व्यवस्था के एक भाग से दूसरे भाग तक तथा सामाजिक व राजनीतिक व्यवस्थाओं में संचारित होती है। यह निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है, जिसमें समाज के सभी स्तरों पर व्यक्तियों तथा व्यक्तियों के समूहों में सूचना का आदान प्रदान शामिल है। जिसमें न केवल समाज के सदस्यों के विचारों व इच्छाओं की अभिव्यक्ति संलिप्त है बल्कि वे साधन भी शामिल हैं। जिनके द्वारा समाज के संचारित सत्ताधारियों के विचार व प्रस्ताव तथा उनके प्रति समाज की प्रतिक्रिया भी शामिल है।

राजनीतिक संचार राजनीति दलो और समाज व राज्य समस्त संस्थाओं के बीच एक ऐसी संचार प्रणाली है, जिसमें विभिन्न उद्देश्यों और अपने हितो कोप्राप्त करने के लिए मानवीय प्रयत्न को सही दिशा व दशा प्रदान करते हैं।

राजनीतिक संचार यह मानता है कि राजनीतिक प्रणाली की कोई भी प्रक्रिया तबतक सही नहीं हो सकती, जब तक प्रणाली के आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर अथवा विचार विनिमय करके कोई निर्णय न लिया जाए जैसे विश्व के निहित हितों को प्राप्त करने के लिए बनाए गए विभिन्न संघ अथवा संगठन जैसे संयुक्त राज्य संघ, आसियान, सार्क और देश में फिक्की, भारतीय किसान यूनियन और विभिन्न संगठन इत्यादि। इनके द्वारा देश आपस में एक दूसरे से राजनीतिक संचार से आपस के विवादों को सुलझानें का प्रयास

* सहायक प्राध्यापक (राजनीति विज्ञान), एकलव्य विश्वविद्यालय, दमोह (म.प्र.)

किया जाता है। राजनीतिक व्यवस्था की सभी संरचनाओं एवं संस्थाओं जैसे विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, राजनीतिक दलों, हित समूहों जनता इत्यादि के बीच सम्प्रेषण होता है जिससे राजनीतिक अधिकारों के बारे में विचार विमर्श होता है।

भारत एक लोकतांत्रिक देश है, जहां, हर पांच साल में चुनाव होते हैं। जहां पर ग्राम पंचायत से लेकर लोकसभा तक के चुनाव एक ही प्रकार की चुनाव प्रणाली से कराये जाते हैं। इस व्यवस्था में जिस व्यक्ति को सबसे ज्यादा मत प्राप्त होता है, उसे विजेता मान लिया जाता है। इस प्रकार हमारा लोकतंत्र सभी को एक समान अधिकार देता है और जिसमें हर नागरिक को चुनाव लड़ने के साथ ही मतदान देने का समान अधिकार प्राप्त होता है। प्रत्येक राजनीतिक दल जनमत को अपने पक्ष में बनाने और जनता का समर्थन प्राप्त करने के लिए वह मतदाताओं से राजनीतिक संचार करता है। इसके द्वारा हर दल अपनी नीतियों को जनता तक पहुँचाता है। इसमें वह मीडिया के साथ-साथ अर्न्तव्यैक्तिक संचार सहित अन्य माध्यमों का भी प्रयोग करता है।

भारतीय राजनीतिक व्यवस्था बहुदलीय व्यवस्था है, चुनाव में कई दल भाग लेते हैं। चुनाव प्रचार के दौरान राजनीतिक दल राजनीतिक संचार का उपयोग करते हैं, जिसमें पोस्टर, रैली, जनसंपर्क राजनैतिक बहस इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। राजनीतिक व्यवस्था की सभी संरचानाओं—जैसे औपचारित संरचनाएँ अथवा परिवार रक्त सम्बन्ध, वंश परम्पराएं निकटस्थ समूह, पड़ोसी, समुदाय ग्राम जातीय और भाषायी समूह आदि अनौपचारिक संरचानाओं का भी संचार संबंधी काम होता है।

जैसा कि आमंड ने कहा है कि आधुनिक राजनीतिक व्यवस्था का परम्परागत या आदिम राजनीतिक व्यवस्था से भिन्न करने वाला तथ्य यह है कि आधुनिक व्यवस्था में विशेषीकृत संचार अधिक व्यापक होता है और यह अविशेष या सविराम संरचनाओं में अन्तः प्रविष्ट कर सकती है.... जहां मतदाता कई समूहों, धर्मों, जातियों, भाषाओं के आधार पर बंटे हैं। इस तरह बिखरे पड़े विशाल जनसमूह तक अपनी योजनाओं और नीतियों, विचारों को पहुंचाने के लिए प्रत्येक राजनैतिक दल एक विशिष्ट संचार रणनीति बनाता है। इसी रणनीति से मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिश करता है। ताकि वह इसको मतदान व्यवहार से अपने लिए मतों में बदल सके और देश में अपनी निर्णयों तथा नीतियों को लागू कर सके जिससे देश के उत्थान में अपना योगदान प्रदान कर सके। इस राजनीतिक संचार में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, इन्टरनेट और मोबाइल का भी प्रयोग किया जाता है। आज लगातार मीडिया में व्यापक बदलाव आ रहे हैं अब कोई राजनीतिक दल या संगठन अपनी वेबसाइट बनाकर अपना नीतियों का प्रचार-प्रसार कर सकता है जिससे वह चुनाव में अपना पलड़ा भारी कर सके। अब तो प्रचार का माध्यम मोबाइल बन चुका है समय के कुछ ही पल में लाखों लोगों के पास एसएमएस से कोई भी राजनीतिक दल का उम्मीदवार अपना प्रचार कर सकता है। यह ऐसा माध्यम है जिसमें आप राजनीतिक संचार को बेहद तेज रफतार से कर सकते हैं। आज यह एक महत्त्वपूर्ण माध्यम बन चुका है। मतदाता को राजनीतिक संचार प्राप्त जानकारी के अनुसार कुछ तो मन बना ही लेते हैं। इसके साथ विरोधी पार्टी और अन्य उम्मीदवार भी अपनी रणनीति बनाते हैं। पहले वे एक दूसरे दल के प्रचार व संचार को सवाल के रूप में लेते है और फिर उसका जवाब वो अपने तरीके से जनता के सामने रखते हैं। अतः इस प्रकार उम्मीदवार एक दूसरे को जवाब देते रहते हैं। इस प्रक्रिया को जनता बड़े ध्यान से सुनती और आकलन भी करती है।

मतदान व्यवहार मुख्य रूप से मीडिया द्वारा किये जाने वाले राजनीतिक संचार पर आधारित नहीं होता है, लेकिन इसका योगदान अति महत्त्वपूर्ण होता है। आज दुनिया के प्रत्येक लोकतान्त्रिक देश में इसका अध्ययन किया जाता है।

अध्ययन किया जाता है। अध्ययन से कई घटकों का पता चला है जिसमें 36 राजनीतिक संचार की रणनीति और प्रचार एक मुख्य घटक के रूप में उभर कर सामने आया है। मतदान व्यवहार प्रत्येक देश का अलग होता है, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका में लोग विकास तथा रोजगार को मुख्य मुद्दा मानते हैं, इसी के आधार पर वह अपने मत का प्रयोग करते हैं लेकिन भारत जैसा देश जहां जाति व्यवस्था सहित कई संस्कृतियाँ यहां पर वास करती हैं। जो चुनावों को काफी हद तक प्रभावित करती हैं, चुनावों में जाति एक महत्त्वपूर्ण समीकरण होता है। भारत में यह एक सच्चाई है कि राजनीतिक दल खास जाति के चुनाव क्षेत्र से उसी जाति के उम्मीदवार को ही चुनाव में उतारना ज्यादा पसंद करते हैं। यहां पर जातियाँ एक महत्वपूर्ण कारक बनती हैं और जाति के अनुसार ही राजनीतिक संचार की रणनीति भी बनायी जाती है। कुछ पार्टियाँ जाति के आधार पर ही गठित की गयी हैं। जैसे भारतीय जनता पार्टी को अगड़ी जातियों तथा हिन्दुत्ववादी दल माना जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भी अगड़ी जाति का माना जाता है लेकिन इस पार्टी में सभी को समान मानने की बात कही जाती है, इसे एक उदार दल माना जाता है। यह दल भारतीय स्वतंत्रता आन्दोलन की कर्ता-धर्ता रही है। इसलिए इसके प्रति लोगों का नजरिया भी सकारात्मक रहा है। इसके बावजूद इसे अगड़ी जाति की पार्टी माना जाता है। बहुजन समाज पार्टी को दलितों और पिछड़ों की पार्टी माना जाता है। इसका वोट बैंक इसी वर्ग से आता है और इस पार्टी में इस वर्ग की बात ज्यादा उठायी जाती है। अतः इसे दलितों की पार्टी माना जाता है। हालांकि अब इस दल में अगड़ी जातियां भी अपना योगदान दे रही हैं। इसी तरह लोक जन शक्ति पार्टी भी दलितों की पार्टी माना जाता है। समाजवादी पार्टी पिछड़ों और मुसलमानों की पार्टी माना जाता है इसमें भी अगड़ी और समाज की अन्य जातियों का योगदान रहता है। इसी तरह राष्ट्रीय जनता दल भी इसी वर्ग में मानी जाती है। इसके अलावा कुछ राजनीति दल आज भी राजनीतिक विचारधारा को मुख्य हथियार बना रखा है जिसमें प्रमुख रूप से भारतीय वामदल हैं जो समाजवाद को आज भी एक विचारधारा के रूप में मानते हैं।

इस तरह किसी भी लोकतन्त्रात्मक देश में इन राजनीतिक दलों के अलावा अन्य सामाजिक संगठन भी अपनी भूमिका का निर्वाह करते है और वो इन चुनाव 37 के मतदान व्यवहार को में प्रभावित करते हैं। जैसे मीडिया संगठन, दबाव गुट, गैर सरकारी संगठन, धार्मिक संगठन इत्यादि जो अपने धर्म के अनुयाइयों को बाकायदा फतवा तक जारी करते हैं कि किस दल को अपना मत दें और इसका प्रभाव कितना पड़ता है, यह एक अलग बात है। भारत में इन कारकों का चुनाव को दौरान एक अहम योगदान होता है, जिससे मतदान व्यवहार प्रभावित होता है।

इस तरह के मतदान व्यवहार और राजनीतिक संचार से संबंधित अध्ययन पश्चिमी देशों में शुरू हुये और अब भारत में भी इनका अध्ययन किया जा रहा है। चुनावों के दौरान तो भारतीय मीडिया इसे बड़े स्तर पर कवर करता है। इन चुनावों के दौरान मीडिया तथा भारतीय औद्योगिक घरानों पर लगातार आरोप लगते रहते हैं कि वो इन चुनावों के दौरान मीडिया तथा भारतीय औद्योगिक घरानों पर लगातार आरोप लगते रहते हैं कि वो इन चुनावों को प्रभावित करने की कोशिश करते रहते हैं। कभी-कभी तो लगता है कि मीडिया जनता के सामने कुछ खास मुद्दों को लेकर उसे हाइप कर देता है और इससे लोग प्रभावित होने बच नहीं पाते है। इसके अलावा अब तो न्यूज के द्वारा मीडिया जनमत को गुमराह करने की कोशिश करता रहता है। इस तरह चुनाव के दौरान जनता को सही मुद्दों से दूर रखा जाता है। मतदान व्यवहार को प्रभावित किया जाता है और समाज को निष्पक्ष चुनावों से दूर रखने की कोशिश की जाती है। इन सबके बावजूद

जनता अब धीरे-धीरे राजनीतिक तौर पर जागरूक हो रही है, अब विकास को मुख्य मुद्दा मानने लगी है और जिसके परिणाम भी कभी-कभी देखे जाते हैं।

किसी भी लोकतान्त्रिक देश में चुनाव एक बेहद अहम काम है जिसके लिए राजनीतिक दल सालों-साल अपने विचारधारा का प्रचार-प्रसार करते हैं और एकराजनीतिक प्रणाली को तरलता से चुनावों के दम पर चलाया जाता है। इन्हीं चुनावों के द्वारा हम अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं, जो हमारे लिए कानूनों और व्यवस्थाओं को चलाते हैं। राजनीतिक दलों के अलावा समाज तथा राज्य के समस्त संगठन आपस में मीडिया के माध्यम से राजनीतिक संचार का उपयोग करते हैं। भविष्य की योजनाओं को बनाया जाता है और इसका प्रयोग हर संगठन अपने विकास के लिए एक रीढ़ की हड्डी का काम करता है। जिसके उपयोग सेलोग अपनी बात को शासन तक पहुंचाते हैं और शासन उनकी बातों को सुनता है और समस्याओं का निराकरण करते हैं।

इस तरह भारत जैसे देश में राजनीतिकसंचार उपयोग बहुत कारगर साबित होता है, क्योंकि इसके प्रयोग से लोकतंत्र को लगातार मजबूत बनाया जा रहा है। साइबर स्पेस का इस्तेमाल अब राजनीतिक दलों के अलावा अब आम लोग भी करने लगे हैं। आज वो माई स्पेस, आरकुट, फेसबुक और ब्लॉग का प्रयोग करके मुद्दों तथा सरकार की नीतियों की बुराई तथा उनका समर्थन करना शुरू कर दिया है। अब तो इसका प्रयोग लोग धरना प्रदर्शन तथा विरोध प्रदर्शन के रूप में करने लगे हैं। इस तरह संचार के इस माध्यम ने लोगों को एक सशक्त माध्यम के रूप में उभरा है। आज आम आदमी अपने सोशल मीडिया के एकाउन्ट का प्रयोग करके लोगों को एक खास जगह एकत्र करके अपना विरोध तथा समर्थन पेश करने के लिए करने लगे हैं। सबसे अच्छी बात यह हे कि यहां पर आपके द्वारा लिखे जाने वाले संदेशों पर कोई एडीटर नहीं बैठा है आपकी सारी बातों को यह माध्यम किसी भेदभाव के बिना लोगों के बीच तथा अन्य राजनीतिक संगठनों तक पहुंचा देता है।

लगभग आठ दशक पहले वॉल्टर लिपमैन ने मीडिया के द्वारा किये जानेवाले राजनीतिक संचार के महत्त्व को समझा और उस पर शोध भी किया कि किस तरह से यह मतदान व्यवहार में उपयोगी सिद्ध हो सकता है।

निष्कर्ष

उपरोक्त अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि मतदान के पूर्व मतदाताओं पर मीडिया द्वारा उठाये गये चुनावों के समय रेखांकित किये गये विषय, मुद्देएवं समस्याओं पर मतदाताओं की गहरी रुचि देखने को मिलती है और मतदाता तत्कालिक मुद्दों के आधार पर पूरी तरह तो नहीं किन्तु आंशिक रूप से प्रभावित होने से रोक नहीं पाता।

सन्दर्भ

1. चौधरी नीरजा 'मोदी प्रभाव विस्तार' दैनिक जागरण, रोहतक, 20 अक्टूबर, 2014।
2. सिंह, एम.पी. राय हिमांशु, 'इंडियन पोलिटिक्स सिस्टम', मानक पाब्लकेशन, नई दिल्ली।
3. कश्यप सुभाष 'दल-बदल व राज्य की राजनीति' श्रवाली प्रकाशन, मेरठ, 1970।
4. चाहर एस.एस. 'डाइनामिक्स ऑफ इलैक्ट्राल इन हरियाणा प्रकाशन' संज, नई दिल्ली, 2008।
5. वसु डी.डी. (2013) भारत का संविधान, प्रकाशक- लेक्सिस-नेक्सिस, नई दिल्ली।
6. Young, P.V., "Scientific Social Survey and Research", Asia publishing house, Bombay & 1960, P

SHODH CHETNA – YEAR-7, VOL. 3 (JULY TO SEP., 2021) ISSN : 2350-0441
A Peer-Reviewed
International Referred &
Multifocal Research Journal
IMPACT-FACTOR 5.299
Paper Recieved : 30th Sep 21 Paper Accepted : 5th Oct 21

Relevance of Gandhian Economics in pandemic situation for consumers

❒ Dr. Shilpa Mishra*

ABSTRACT

"A customer is the most important visitor on our premises. He is not dependent on us. We are dependent on him. He is not an interruption in our work – he is the purpose of it. We are not doing him a favor by serving him. He is doing us a favor by giving us the opportunity to serve him. –Mahatma Gandhi"

The proximity of Gandhian economic thought to socialism has also evoked criticism from the advocates of free-market economics. To many, Gandhian economics represent an alternative to mainstream economic ideologies as a way to promote economic self-sufficiency without an emphasis on material pursuits or compromising human development. Gandhi's emphasis on peace, "trusteeship" and co-operation has been touted as an alternative to competition as well as conflict between different economic and income classes in societies. Gandhian focus on human development is also seen as an effective emphasis on the eradication of poverty, social conflict and backwardness in developing nations.

Keyword : Gandiji. Economics. consumers

Introduction:

Gandhian economics is based on the concept of an economic system in which "class" has no place. Gandhi's economics talks about establishing a social system in which one person does not exploit another. That is, Gandhian economics is based on the principle of social justice and equality. The Gandhian Economic Order is based on simplicity, decentralization, self-sufficiency, cooperation, equality, non-violence, human values, self-sufficient village.

QUOTE : Gandhiji said that the goal of man is not to increase his consumption continuously but to get satisfaction in the life of simplicity. He believed in utilizing resources only for satisfying basic necessities of human beings. He opposed and criticized over exploitation of resources. Gandhi contended that 'There is enough for everyone's needs but not for everyone's greed"

Mahatma Gandhi had a very fundamental thinking about economy and economics. This thinking, irrespective of the prevailing ideas of

* Assistant Professor, Department of Commerce, Eklavya University, Damoh (M.P.)

the time, directly demanded such policies which would provide relief to the poor. At the same time, he asked to adopt such principles that remove tension and violence in the world and do not harm the environment. For Gandhi, the protection of world peace, contentment and environment were of paramount importance. He used to talk about favourable economic policies. He never made any distinction between economics and morality. He never made any distinction between economics and morality.

Gandhi on Economics/ ethics …..Gandhi clearly wrote that I must accept that I do not make any distinction between economics and ethics. The economics that harm the moral welfare of a person or a nation, I would call it imperfect and sinful. For example, a policy that allows one country to exploit another is immoral. It is a sin to buy goods or use those things which do not give qualified wages to workers and exploit their labor .

He demanded a system without exploitation so that the basic needs of all are met. He said that poor people should also get control over the means of production so that they are not exploited. Gandhi wrote that in my opinion, the economy of not only India, but the whole world, should be such that no one has to suffer in the absence of food and clothes. In other words, everyone must get so much work that he can fulfill his food and clothing needs.This ideal can be implemented only when the means of production of the primary necessities of life remain under the control of the public. They should be available to each one without any hindrance in the same way that God's given air and water is available to us. Under no circumstances should they become a vehicle of trade to exploit others.

Relevence of GandhianEconomics :Today Gandhiji's economic theory is the subject of research for many thinkers who want to shed new light on a particular goal. Interpreting Gandhiji's ideas in a new context helps in resolving the suppressed socio-economic thinking, planning and actions which take the same approach towards the problems not only of his own country but of all the countries of the world. Besides this one should not ignore the fact that Gandhi was not an economist. He never studied in depth the economic system and the factors affecting it, nor could he fully understand the dynamics of capitalism. The main topic of discussion here is that we should respect Gandhiji's personality and thoughts and know the purpose of economic theory.Many important questions arise related to economic theory. They are attached to its significance. Does economic theory have meaning in modern times and contemporary Indian society? is this a practical theory

For its significance in India today, efforts were made to give a meaningful form to the All India Weavers Organization, Charkha Union, Labor Union, etc. Big industrial houses and capitalists give some part of their property to the government in the form of tax and the government is making good use of that property for the development of the country, society and poor people. It is based on Gandhiji's idea but its form has changed.

The monopoly of any country or community over them would be unjust. The reason for the poverty that we see today not only in our unhappy country, but also in other parts of the world is the neglect of this simple principle. It is often believed that poverty and scarcity will be removed from the world only by continuous economic development and growth, but Mahatma Gandhi had recognized that under such economic development, the possibility of increasing poverty and inequality also exists. Therefore, he made the basic needs of the poor man the center of his economic thinking, not economic development.

He made a special request to the leaders and planners of the country to try this criterion whenever you are in doubt or if your importance starts dominating you." Recall the appearance of the poorest and weakest man you have seen and

ask from your heart how useful the step you are thinking of taking will be for that man. Will it benefit him? Will he be able to control his own life and fortune? That means that it will give swaraj to those crores of people whose stomachs are hungry and souls are unhappy?" In this way Mahatma Gandhi brought the poor man to the centre of economic thought.

Gandhi ji did not have any scriptural basis for political, socio-economic or whatever views he expressed, but he was a humanist thinker. Impressed by the condition of the Indian poor, whatever ideas he has presented from time to time, he sheds light on their economic plans and economies. Gandhi, like other thinkers, was dissatisfied with the economy of his time because the immediate capitalist economy and its production capacity were unable to meet the needs of social life and still exists today.

Gandhiji calls capitalism a system based on exploitation. Therefore, he advocated for a simple economy. We can explain the Gandhian economy based on the following ideas of Gandhiji. Bread Labor: First we will explain the principle of labor for bread propounded by Gandhiji. This principle is the principle of 'what will not work will not eat.' Gandhi ji says that bread is an essential requirement of life.

And she achieves hard work. Hence, the person who eats without proper labor is a thief. The person who increases his needs in the cover of modern civilization and does not do manual labor himself, exploits other people (poor). Gandhiji gives more importance to manual labor.He was of the view that a hard worker who is doing manual labor is honest and characterful. By the personal hard work of every person and the production of food items, the foundation of economic equality will be laid. If every person cannot do this, then they should do such work which takes their physical labor like spinning, weaving, woodwork and other hand arts.

To improve India's economic system, Gandhiji has laid special emphasis on cottage industry, village industry and Swadeshi, women and men will do spinning and weaving from house to house, on one hand the unemployment of citizens will go away, on the other hand they get enough money.

Several of Gandhi's followers developed a theory of environmentalism. J. C. Kumarappa was the first, writing a number of relevant books in the 1930s and 1940s. He and Mira Behan argued against large-scale dam-and-irrigation projects, saying that small projects were more efficacious, that organic manure was better and less dangerous than man-made chemicals, and that forests should be managed with the goal of water conservation rather than revenue maximization. The Raj and the Nehru governments paid them little attention. Guha calls Kumarappa, "The Green Gandhian," portraying him as the founder of modern environmentalism in India

Gandhiji was of the view that in order to improve the economic system, inequality is necessary to be removed. This subjectivity can be erased in two ways. By a communist-remedy which seeks to bring equality by revolution by taking away the property of the capitalists. Gandhiji was not in favour of equality through revolution. The second solution is that the capitalists voluntarily use their property for the benefit of others. Therefore, Gandhiji was a supporter of Pranyas (Nyas) theory in place of communist policy.

Conclusion :

1. The value of everyone's labor in society is equal.

2. There is no conflict between labor and capital.

3. Gandhiji believed that no matter how rich a person is, he must do so much physical work that he can fill his stomach. That is, those doing mental labor should also do manual labor.

4. His Principle of Trusteeship says that the real owner of capital is not a capitalist but the whole society. The bourgeoisie is only the keeper of the property. He believed that the property that the capitalists have is the heritage of the whole society.

5. Gandhi's economics is in favour of small and labor-intensive industries. Gandhiji was opposed to big machines; However, this thing is slightly less meaningful in the present time. He believed that an inanimate machine works for many human beings, due to which unemployment in society increases.

6. Gandhiji believed that if the person gets used to living with less resources, then there is 'nothing less' in the person's life. They believed that the requirements are similar to antelope and the requirements increase as much as the requirements are increased.

7. The goal of production should be to fulfill the need of society and not to earn profit.

8. Gandhiji did not want to completely destroy the capitalist, but he wanted to make it useful for the society.

9. Gandhiji used to say that not every capital is guilty, wrong use of capital makes capital wrong. Excessive capital is the enemy of society.

10. The quantity of production in Gandhi's economic system is determined according to the need of society. There is no place for personal desires and greed in it.

References

Gonsalves, Peter (2012). Khadi: Gandhi's Mega Symbol of Subversion. SAGE Publications. ISBN 978-81-321-0735-4.

Narayan, Shriman (1970). Relevance of Gandhian economics.Navajivan Publishing House.ASIN B0006CDLA8.

Narayan, Shriman (1978). Towards the Gandhian Plan. S. Chand and Company Limited.

Pani, Narendar (2002). Inclusive Economics: Gandhian Method and Contemporary Policy. Sage Publications Pvt. Ltd. ISBN 978-0-7619-9580-7.

Schroyer, Trent (2009). Beyond Western Economics: Remembering Other Economic Culture. Routledge.

Sharma, Rashmi (1997). Gandhian economics: a humane approach. Deep and Deep Publications Pvt. Ltd. ISBN 978-81-7100-986-2.

External links[edit]

Gandhian Trusteeship as an "Instrument of Human Dignity"

Review of "Gandhian economics"

Gandhian economics is relevant

AbhayGhiara's "Pink House" Gandhian Economics in action blog

Upadhyay, Ram Narayan (2015)."Gandhi VicharYatra, Indian Institute of Publications, New Delhi.

Iyer, Raghavan (1997). "The Moral and Political Warning of Mahatma Gandhi, Kalaardan Press, Oxford.

Anand, Y. P .(2015). "Non-Violence in a Violence Word a Gandhian Response, Gandhi Smriti and DarshanSamiti, New Delhi.

Agarwal, Alka and Agarwal, Shikha (2015). "Gandhi Darshan (Different Dimensions)", Pointer, Publishers, Jaipur.

SHODH CHETNA – YEAR-7, VOL. 3 (JULY TO SEP., 2021) ISSN : 2350-0441
A Peer-Reviewed
International Referred &
Multifocal Research Journal
IMPACT-FACTOR 5.299
Paper Recieved : 30th Sep 21 Paper Accepted : 5th Oct 21

कोविड-19 का नर्मदा के घाटों का पर्यावरणीय प्रभाव का अध्ययन

❑ डॉ. दुर्गा महोबिया*

शोध सारांश

पूरे विश्व में कोविड 19 ने अपना प्रकोप दिखाया है। यह महामारी चीन से शुरू होकर पूरे विश्व में फैल गई जिसका प्रभाव सभी क्षेत्रों में देखा गया है। प्रस्तुत शोध में मध्यप्रदेश के अत्यन्त सुन्दर शहर जबलपुर से बहने वाली नर्मदा नदी में प्रमुख घाटों का अध्ययन किया गया है कि किस प्रकार शहर के प्रमुख नर्मदा घाट जैसे ग्वारीघाट, सिद्ध घाट, उमा घाट, दरोगा घाट, जलहरी घाट पर कोविड 19 का प्रभाव पड़ा है। प्रभाव का आंकलन करने के लिए 50-50 प्रश्नावलियां रहने वाले पुजारियों, स्थानीय लोगों, दुकानदारों, नाविकों आदि से भरवाकर समंकों का संकलन किया गया है। यह प्रश्नावली संबंधी विषय की पूर्ण रूप से पुष्टि करती है। उन्हें इस प्रकार से तैयार किया गया है कि अध्ययन के उद्देश्य की पूर्ति की जा सके। आंकड़ों के अध्ययन से यह ज्ञात होता है कि कोविड-19 का सकारात्मक प्रभाव नर्मदा के समस्त घाटों पर पड़ा है। करोना काल से पूर्व मानवीय क्रियाकलापों के कारण नदी के घाटों पर प्रदूषण देखा गया है। लोगों के द्वारा विभिन्न प्रकार के कार्य पूजा-पाठ, खाद्य-पदार्थों से कचरा भण्डारे से उत्पन्न ठोस कचरा, दीप दान, दुकानों से निकलने वाले कचरे से भूमि प्रदूषण तथा लोगों के घाटों पर स्नान करने, साबुन व डिटर्जेन्ट के प्रयोग करने, विसर्जन करने तथा ठोस कचरे को नदी में प्रवाहित करने से जल-प्रदूषण देखा गया है। परन्तु कोरोना काल में मानवीय क्रियाकलापों पर प्रशासन द्वारा दिखाई गई सख्ती तथा शहरवासियों के सहयोग के कारण सभी प्रमुख घाटों का रूप या सौन्दर्य निखर कर सामने आया है। प्रस्तुत शोध आलेख में उपरोक्त तथ्यों को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है।

शब्दकुंजी—कोविड 19, नर्मदा घाट, पर्यावरण।

* सहायक प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष (भूगोल विभाग), एकलव्य विश्वविद्यालय, दमोह (मध्यप्रदेश)

वर्तमान समय में कोविड-19 जो कि पूरी दुनिया में एक महामारी के रूप में सामने आई है। साथ ही विश्व में कई विकट चुनौतियाँ भी पैदा की हैं। जहाँ इन चुनौतियों से निपटने के लिए देश अपने-अपने स्तर पर प्रयासरत है वहीं दूसरी ओर प्राकृतिक सौंदर्य के अद्‌भुत व जीवंत नजारे भी देखने को मिले हैं। अतीत काल से हम निरन्तर देखते चले आ रहे हैं कि जब-जब इस प्रकार की भयानक महामारियां आई हैं तब तब प्रकृति ने अपना सकारात्मक रूप दिखाया है। कई पर्यावरणविदों का मानना है कि यह वायरस मानव व प्रकृति के मध्य पैदा हुआ। प्राकृतिक असंतुलन का दुष्परिणाम है। कई वैज्ञानिकों का मानना है कि अत्यधिक मांस का उत्पादन, रोगाणुरोधी प्रतिरोध और बढते वैश्विक तापमान जैसे कारक वन्यजनित विषाणुओं को मनुष्यों में फैलने और भयावह रूप धारण करने में विशेष भूमिका निभा रहे हैं। प्राकृतिक असंतुलन के कारण मानव में रोग प्रतिरोधक क्षमता निरन्तर कम होती जा रही है तथा विषाणु अधिक उत्पन्न होते जा रहे हैं। कोरोना काल जहाँ मानव के लिए कई तरह की कठिनाइयों तथा चुनौतियों भरा है। परन्तु प्रकृति का रूप और निखर कर सामने आया है जिसका अध्ययन जबलपुर शहर के नर्मदा नदी के प्रमुख घाटों के रूप में किया गया है।

अध्ययन क्षेत्र

मध्यप्रदेश राज्य का बहुत ही सुन्दर व शहरीय नगर के रूप में जबलपुर शहर को जाना जाता है। यह शहर सही मायने में शिक्षा, संस्कृति, औद्योगिकरण व अपने प्राकृतिक सौंदर्य के रूप में एक सम्पन्न शहर है। कई विशेषताओं से अलंकृत यह शहर नर्मदा नदी जिसे की जीवन रेखा माना जाता है उसके प्राकृतिक सौंदर्य से सुसज्जित है। जबलपुर शहरवासी नर्मदा नदी को रेवा मासा नर्मदा मईया के नाम से भी संबोधित करते हैं। नर्मदा नदी का उद्‌गम मध्यप्रदेश के अनूपपुर जिले में विंध्याचल और समपुड़ा पर्वत श्रेणियों के पूर्वी संधिस्थल पर स्थित अमरकंटक में लर्मइर कुंडो हुआ है। परन्तु इसकी महिमा व लोकप्रियता प्राकृतिक सौंदर्य के रूप से दिखाई देती है। जबलपुरवासियों के लिए नर्मदा घाटों का प्राकृतिक व धार्मिक महत्व है। प्रतिदिन कई लोग इन घाटों पर विभिन्न उद्देश्यों से आते हैं। कुछ लोग पूजा-पाठ के लिए, तो कुछ लोग मत्यु कर्मकाण्ड के उद्देश्य से आते हैं, कुछ लोग घूमने व मौज-मस्ती के लिए आते हैं।

अध्ययन के उद्देश्य

पूर्व में किए गये शोध व उपलब्ध समसामयिक साहित्य के आधार पर विषय की आवश्यकता के अन्तर्गत कुछ उपकल्पनायें निर्मित की गई हैंसौंदर्य

1. जबलपुर शहर के नर्मदा घाटों पर प्रदूषण का स्तर।
2. प्रमुख घाटों पर प्राकृतिक सौन्दर्य।
3. कोरोना काल का नर्मदा पर प्रभाव।
4. शहर के नर्मदा घाटों पर मानवीय क्रियाकलापों का हस्ताक्षेप।

विधितन्त्र

प्रस्तुत अध्ययन में जबलपुर शहर के प्रमुख नर्मदा घाटों ग्वारीघाट, सिद्धघाट, उमाघाट, दरोगा घाट, खारी घाट, तथा जलहरी घाट पर कोरोना काल के प्रभाव का आंकलन किया गया है। आंकड़ों का संकलन वैज्ञानिक विधि के आधार पर किया गया है। अध्ययन में विषय की आवश्यकता के अनुरूप मध्यप्रदेश राज्य के जबलपुर जिले के खूबसूरत शहर जबलपुर के नर्मदा घाटों को अध्ययन क्षेत्रों के रूप में लिया गया है। शोध के विषय को ध्यान में रखते हुए शोध की सफलता हेतु आदर्श निदर्शन का चुनाव किया गया है। शोध के लिए जबलपुर शहर के सभी प्रमुख घाटों ग्वारीघाट, सिद्धघाट, उमा घाट, दरोगा घाट खारी घाट तथा जलहरी घाट से आंकडों को एकत्रित किया गया है। प्राप्त आंकड़ों का अध्ययन व विश्लेषण कर सभी पर लागू कर निष्कर्ष प्राप्त किया गये हैं।

सारणी क्रमांक 1
कोरोना काल में नर्मदा जल की स्थिति

विकल्प	सवच्छ व निर्मल	स्वक्छ	मध्यम	दूषित	कुल
उत्तरदाता	32	11	7	0	50
प्रतिशत	64	22	14	0	100

आरेख क्रमांक-1

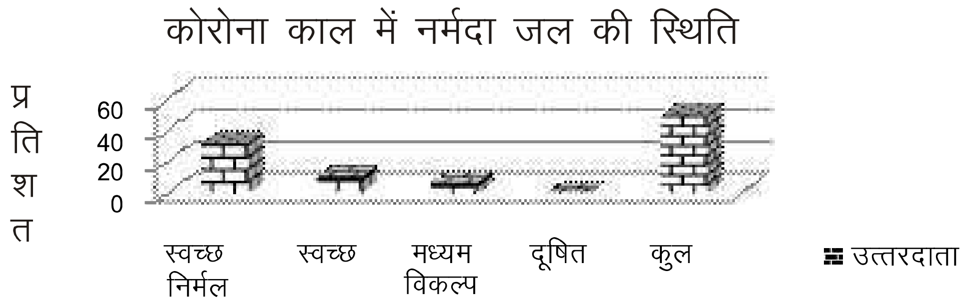

सारणी क्रमांक 2
कोरोना काल में खारी घाट का पर्यावरण

श्रेणी	निम्न	गध्यम	एच्च	सर्वोच्च	कुल
उत्तरदाता	12	8	28	2	50
प्रतिशत	24	16	56	4	100

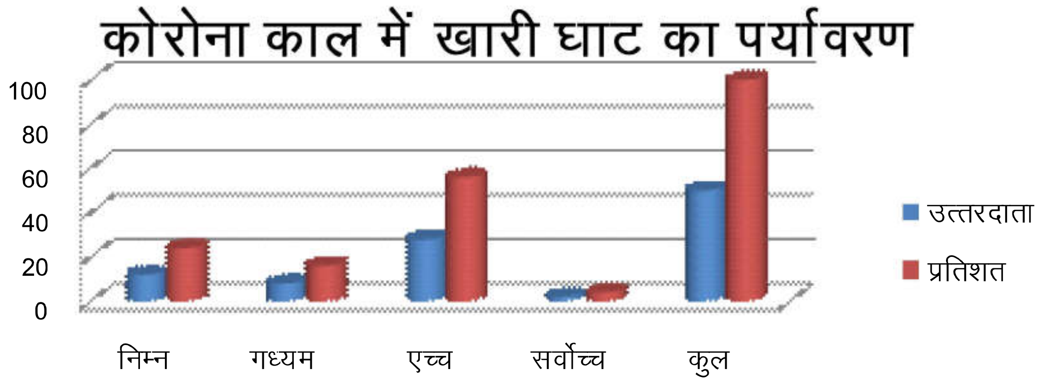

नर्मदा घाटों में क्षारी घाट अत्यन्त खूबसूरत और शांत घाट है। इस घाट की विषेशता है कि यहाँ खारी का विसर्जन किया जाता है। यहां लोग दूर-दूर से इसी कार्य प्रयोजन हेतु आते हैं। कोरोना काल में खारी घाट की स्थिति का अध्ययन हेतु स्थानीय लोगों तथा नाविकों द्वारा एकत्रित आकड़ों का अध्ययन किया गया है। आकड़ों के अध्ययन से ज्ञात होता है कि 56 प्रतिशत लोगों के अनुसार खारी घाट की श्रेणी उच्च रही अर्थात् लोगों का हस्तक्षेप कम रहा। कोरोना काल में यूं तो जबलपुर शहर मृत्यु की दर अधिक रही परन्तु मृत्यु व्यक्तियों का अंतिम संस्कार सख्त नियमों का पालन करते हुए कोरोना प्रोटोकाल के तहत किया गया जिस कारण खारी घाट का पर्यावरण स्वच्छ पाया गया है।

सारणी क्रमांक 3

कोरोना काल नर्मदा घाटों पर धार्मिक कार्य

श्रेणी	मनोरम	सामान्य	स्वच्छ व शुद्ध	निम्न	कुल
उत्तरदाता	22	4	23	1	50
प्रतिशत	44	8	46	2	100

आरेख क्रमांक 3

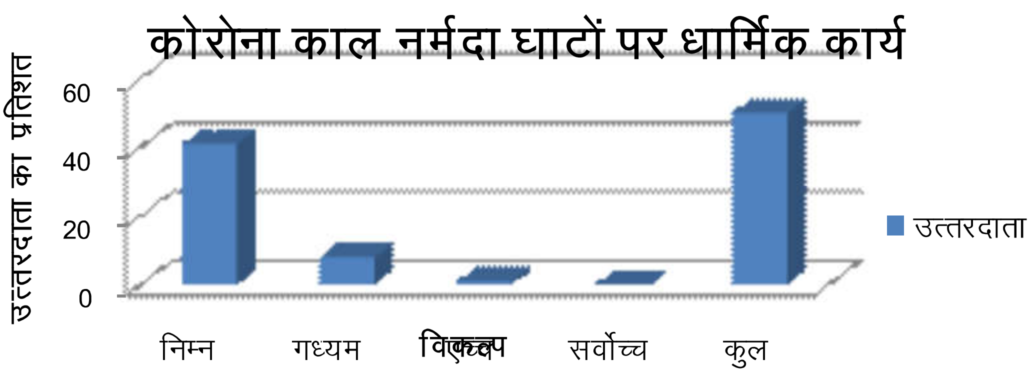

सारणी क्रमांक-3 में जबलपुर नगर के विभिन्न घाटों में धार्मिक कार्यो का अध्ययन किया गया है। आंकड़ों का संकलन प्रश्नावली के माध्यम से किया गया है। विषय संबंधित प्राप्त आंकडों के अध्ययन से ज्ञात होता है कि कोरोना काल में नर्मदा नदी के सभी प्रमुख घाटों पर सभी प्रकार के धार्मिक कार्य पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहे। जिस कारण ठोस कचरे का एकत्रण बहुत ही कम मात्रा में हुआ। घाटों पर दीप दान, पूजा-पाठ, भण्डारा आदि कार्य प्रशासन के अधीन प्रतिबन्धित रहे। जिस कारण जल व भूमि प्रदूषण निम्न आंका गया तथा वातावरण स्वच्छ प्रतीत हुआ।

सारणी क्रमांक 4

कोरोना काल में नर्मदा घाटों का प्राकृतिक सौंदर्य

श्रेणी	मनोरम	सामान्य	स्वच्छ व शुद्ध	निम्न	कुल
उत्तरदाता	22	4	23	1	50
प्रतिशत	44	8	46	2	100

आरेख क्रमांक 4

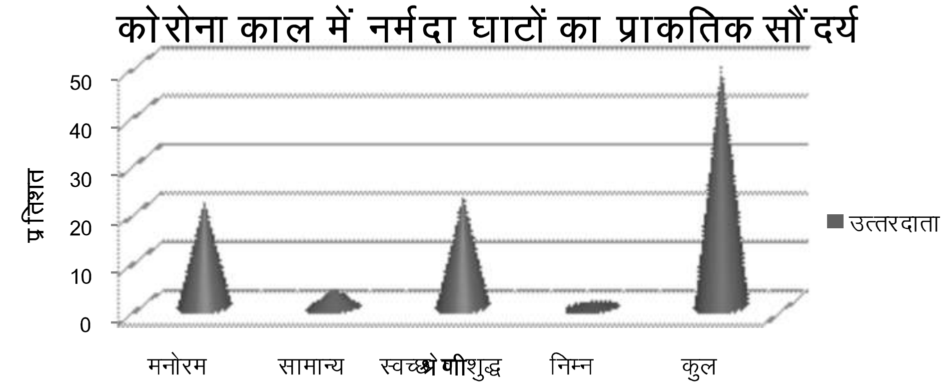

जबलपुर शहर के प्रमुख नर्मदा घाटों के प्राकृतिक सौंदर्य का अध्ययन सारणी क्रमांक-4 में किया गया है। जिसमे विभिन्न कार्य करने वाले स्थनीय लोगों द्वारा प्रश्नावली भरवाई गई तथा आंकडों का संकलन किया गया। आंकड़ों के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि सबसे अधिक 46 प्रतिशत व्यक्तियों के अनुसार नर्मदा घाटों का प्राकृतिक सौंदर्य स्वच्छ व शुद्ध रहा जबकि 44 प्रतिशत यक्तियों के अनुसार मनोरम रहा।

सारणी क्रमांक 5

कोरोना काल में नर्मदा घाटों पर विसर्जन कार्य

श्रेणी	हाँ	नहीं	बहुत कम	निरूत्तर	कुल
उत्तरदाता	1	45	2	1	50
प्रतिशत	2	90	4	2	100

आरेख क्रमांक 5

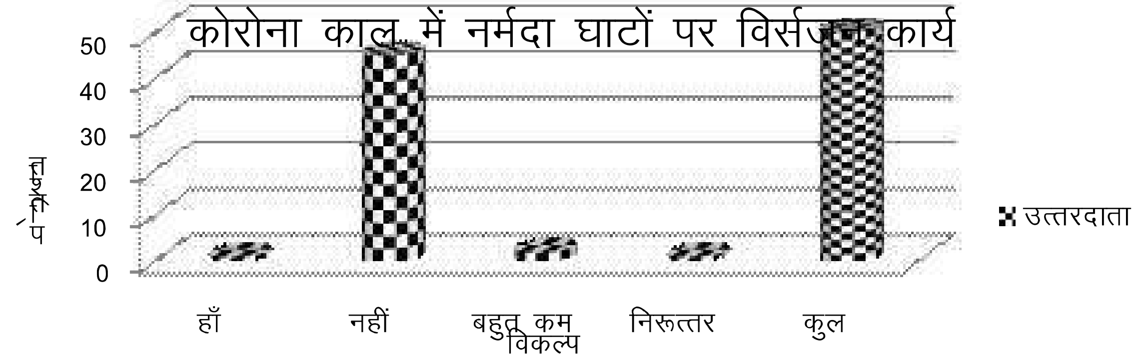

उपरोक्त सारणी क्रमांक-5 में कोरोना काल में नर्मदा घाटों पर विर्सजन कार्य का अध्ययन किया गया है। जबलपुर शहर के कुछ विशेष घाटों में विसर्जन का कार्य किया जाता है। उपरोक्त आंकड़ों के अध्ययन से यह ज्ञात होता है कि कोरोना काल में प्रशासन के दिशा-निर्देशों के अनुसार किसी भी प्रकार का विसजर्न कार्य नहीं किया गया है। सामान्य दिनों में नर्मदा घाटों पर विसर्जन का कार्य से विसर्जन के पश्चात् घाटों की स्थिति बहुत ही चिंताजनक रहती है। विसर्जन के पश्चात घाटों में विसर्जन से उत्पन्न होने वाले प्रदषण के कारण नर्मदा घाटों के प्राकृतिक पर्यावरण तथा सौंर्दय का विघटन होता है।

निष्कर्ष

प्रस्तुत शोध पत्र में जबलपुर शहर से होकर बहने वाली नर्मदा नदी के प्रमुख घाटों पर कोविड-19 के प्रभाव का अध्ययन किया गया है। अध्ययन से ज्ञात हुआ है कि मानव भले ही कितनी प्रगति कर ले। कितना ही प्र्यावरण का विदोहन कर ले किन्तु जब प्रकृति करवट लेती है तब वह अपना सकारात्मक रूप प्रकट करती है। कोराना का प्रभाव मानव के लिए विघटन के रूप में था परन्तु कोरोना काल में प्रकृति ने अपना वह रूप दिखाया जिसे देख सभी आश्चर्यचकित थे कि प्रकृति का ऐसा सौन्दर्य देखते ही बनता है। जबलपुर शहर के सौन्दर्य का केन्द्र है नर्मदा नदी तथा उससे लगा मनोहारी घाट। परन्तु मानव ने अपने धार्मिक व आर्थिक क्रियाकलापों से उसके सौन्दर्य को मलिन कर दिया था। प्रशासन, सेवी संस्थायें तथा मानव श्रम द्वारा भी इसे ठीक करना असम्भव था। परन्तु कोविड-19 ने ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न की कि विना प्रयास किये ही नर्मदा का सौन्दर्य निखर गया। अतः कोविड काल में परिस्थितिवश जो शिक्षा प्रकृति से प्राप्त हुई उसे भविष्य में ऐसी आपदा की पुनरावृत्ति न हो। आवश्यकता इस बात की है कि उसे प्रयत्नपूर्वक पालन करें।

सन्दर्भ

1. प्राथमिक आंकड़ों के आधार।
2. जबलपुर जिला कलेक्ट्रेट से प्राप्त आंकड़े, वर्ष 2020

SHODH CHETNA – YEAR-7, VOL. 3 (JULY TO SEP., 2021) ISSN : 2350-0441
A Peer-Reviewed
International Referred &
Multifocal Research Journal
IMPACT-FACTOR 5.299
Paper Recieved : 30th Sep 21 Paper Accepted : 5th Oct 21

आत्महत्या अंतिम विकल्प क्यों?

❑ डॉ. वंदना पाण्डेय*

शोध सारांश

आत्महत्या एक मानसिक विकार है। इस मानसिक बीमारी को रोकने के कई उपाय हैं। यदि समय रहते इस पर ध्यान दिया जाए तो आत्महत्या के मामलों में कमी लाई जा सकती है। जरूरी यह है कि समाज का प्रत्येक बुद्धिजीवी वर्ग, सरकार और अन्य लोग इसके प्रति जागरूक रहें और लोगों को जागरुक करते रहें। जीवन का महत्व और उसके प्रति मानव का रुझान बना रहना चाहिए क्योंकि छोटी-छोटी समस्या के समाधान के रूप में मानव आत्महत्या को चुनता रहा तो मानव का अस्तित्व संकट में आ जायेगा।

शब्दकुंजी—आत्महत्या, विकल्प।

जीवन की शुरुआत लगभग 4 अरब वर्ष पहले हुई थी प्रकृति की अनेक भौगोलिक एवं संरचनात्मक परिवर्तनों के फलस्वरुप जीवन की उत्पत्ति हुई और यह जीवन ईश्वर के अमूल्य वरदान के रूप में मानव को भी प्राप्त हुआ। मानव सदैव रचनात्मक और सृजनात्मक रहा है। जीवन की प्राप्ति कठिन संघर्षों और अथक प्रयासों के बाद ही हो पाती है मानव का जीवन सर्वोपरि है क्योंकि संसार की अनगिनत घटनाओं के केंद्र में मानव जीवन रहा है। 'चार्ल्स डार्विन' का प्राकृतिकवरण का सिद्धांत यह बताता है कि व्यक्ति जीवन के लिए अपने सजातीय जीवों से संघर्ष करता है और उसी संघर्ष के उपरांत जिसमें सर्वोत्तम गुण होते हैं और योग्यता होती है वह आगे बढ़ता है प्रकृति भी उसे आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करती है। यह संघर्ष व्यक्ति के जन्म के साथ ही प्रारंभ होता है और मृत्यु तक उसके साथ चलता रहता है। इन्हीं संघर्षों के दौरान कई बार ऐसी परिस्थितियां मनुष्य के सामने आती हैं जब स्वयं को कमजोर, लाचार और अकेला महसूस करता है। उस दौरान उसकी मानसिक परिस्थितियां इतनी जटिल हो जाती हैं कि उसे कोई और रास्ता दिखाई नहीं देता है और वह नैसर्गिक मृत्यु की जगह स्वतः ही जीवन को समाप्त करने की ओर बढ़ता है।

यह वह मानसिक विकार की स्थिति है जिसमें व्यक्ति अपने चारों ओर घटित होने वाली घटनाओं से मैं स्वयं को कमजोर पाता हूँ और उसका उनके प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण बनता जाता है। जो उसे नशीली पदार्थों की ओर आकर्षित करता है। व्यक्ति अकेलेपन और व्यसनाधीन होकर विवेकहीन कुतर्कों पर स्वयं को मापता है। ऐसे मापदंड़ों में अपनी तुच्छ स्थिति पाकर वह आत्महत्या जैसे कुकर्म को करता है। आत्महत्या करना मानव के लिए अलग-अलग उम्र में अलग-अलग परिस्थितियों पर निर्भर करता है। एक छात्र के द्वारा आत्महत्या करने के निम्न कारण हो सकते हैं, उसका शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा ना कर पाना एक नंबर का आना, अपने साथी छात्रों से प्रतिस्पर्धा का नकारात्मक असर, परिवार और समाज का दबाव, योग्यता से ज्यादा अपेक्षा का दबाव, अपरिपक्व अवस्था में अधिक जिम्मेदारी लेना आदि। इस दौरान यदि छात्रों की काउंसलिंग कर लें

* सहायक प्राध्यापक (मनोविज्ञान विभाग), एकलव्य विश्वविद्यालय, दमोह (म.प्र.)

तो छात्रों पर से इस प्रकार के दबाव को खत्म कर दिया जाए और उन्हें स्वतंत्र होकर अपनी शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर करने के लिए प्रोत्साहित किए जाएं, सरकार की ओर से आर्थिक मदद की जाये, खुशमिज़ाज माहौल दियाजाये। उन्हें बिना ईर्ष्या के स्वच्छंद प्रतिस्पर्धा के साथ आगे बढ़ने के अवसर समान रूप से प्रदान किये जाएं, तो हो सकता है। कि वह ऐसे कदम ही ना उठाये क्योंकि शिक्षा व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए दी जाती है ताकि वह विपरीत परिस्थितियों से लड़ सके और उनका सामना मजबूती से कर सके। युवावस्था में आत्महत्या के कई अन्य कारण होते हैं जैसे कैरियर की चिंता, रोजगार, स्थायित्व, अच्छी जीवन शैली, शादी, प्रेम संबंध, और सुरक्षित भविष्य की चिंता आदि। युवाओं के पास पर्याप्त समय होता है अपने जीवन को निखारने का यदि समय रहते उनका सही मार्गदर्शन किया जाये और उन्हें संयम और आत्मबल बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जाये तो वह ऐसे कदम उठाने से बचेंगे।

वर्तमान में युवाओं के पास अपने जीवन को निखारने के लिए कला-साहित्य, विज्ञान, तकनीक, शिक्षा, स्वास्थ्य, आदि के क्षेत्र में पर्याप्त विकल्प है। यदि वह इन विकल्पों पर विचार करें तो निश्चित तौर पर वह अपने कौशल और क्षमता को बढ़ाकर उच्च स्तर की जीवन शैली अपना सकता है। तकनीक और विज्ञान के दौर ने नवीन रोजगार के अवसर पैदा किये है। युवाओं को अपने जीवन के लिए कोई-न-कोई उद्देश्य निर्धारित करना चाहिए और उसके विकल्प भी रखना चाहिए। यदि एक क्षेत्र में सफल ना हो पाये तो अन्य की ओर सम्पूर्ण ऊर्जा से प्रयास करते रहना चाहिए। परिपक्व व्यक्ति के द्वारा आत्महत्या जैसे कदम उठाना आज के समय में गंभीर चिंतन का विषय है। हाल के दिनों में आत्महत्या के निम्न कारण देखे गये है जैसे पारिवारिक जिम्मेदारी को ना निभा पाना, आधुनिक जीवन शैली का अतिरिक्त दबाव और खर्च, स्वास्थ्य की समस्या, मानसिक तनाव, पारिवारिक वाद-विवाद आदि। ऐसी समस्याओं के निराकरण के कुछ उपाय है जो परिवार और व्यक्ति का भविष्य सुरक्षित कर सकता है जैसे हमें यह समझना होगा कि जीवन-यापन के लिए धन की आवश्यकता है किंतु ऐसे धन की क्या आवश्यकता जो स्वास्थ्य को, जीवन को गंवाकर मिले, यदि जिम्मेदारियों का भार अधिक है तो परिवार के अन्य सदस्यों के साथ साझा करें। एक साथ परिवार में बैठकर उन विचारों पर चर्चा करके जिसे वह झेल रहा है। अपनी परेशानी को दूर कर सकता है। साथ ही पारिवारिक सुख और सामंजस्य बनाये रख सकता है। समस्या के समाधान के लिए परिवार के बुजुर्ग और अनुभवी लोगों से सलाह-मशविरा कर सकता है। जिन कारणों से विकार उत्पन्न हो रहा है। उनके सकारात्मक पक्ष के बारे में सोचकर दृष्टिकोण बदल सकता है। घर के बाहर हंसी-मजाक करके, किसी पर्यटन स्थान पर घूमकर, पूजा स्थलों एवं साधू-संतों से मिलकर अपने मन को शांत कर सकता है। कई बुद्धिजीवी और जीवन में सफल व्यक्तियों के द्वारा आत्महत्या का प्रयास किया जाता है वह अपने जीवन में सबकुछ पाने के बाद भी संतुष्ट नहीं होते हैं जिसके कारण वह आत्महत्या के बारे में विचार करते हैं। लेकिन यह बात सोचनीय है जब व्यक्ति सबकुछ पा लेता है तो उसे समाज के अन्य वर्गों के लिए अपने अनुभव को साझा करना चाहिए, अपनी उपलब्धियों का प्रयोग समाज के कल्याण के लिए करना चाहिए, अपने धन का प्रयोग गरीब आश्रितों के लिए करना चाहिए। अपनी बौद्धिक क्षमता का प्रयोग मानव कल्याण के लिए करना चाहिए। जो समय जीवन का बचा हुआ है उसमें साहित्यिक लेखन, विचार अभिव्यक्ति आदि के माध्यम से अन्य लोगों को प्रोत्साहित करना चाहिए। क्योंकि आत्महत्या प्राकृतिक नियमों के विरुद्ध है। यह सैद्धांतिक और तार्किक दृष्टि से अपराध की श्रेणी में आता है। पीड़ित स्वयं तो आत्महत्या करता है किंतु अपने पीछे के लोगों के सामने अनगिनत समस्याओं को छोड़ जाता है।

आत्महत्या के विचार क्षणिक होते है यदि उस दौरान व्यक्ति के मन को परिवर्तित कर दिया जाये या उसका ध्यान अन्य बातों की ओर लगा दिया जाये तो ऐसी दुर्घटना को टाला जा सकता है। अतः आवश्यकता है इस दौरान धैर्य और संयम को बनाए रखने की, ऐसे साहित्य के अध्ययन की जिनका सकारात्मक प्रभाव व्यक्ति के मस्तिष्क पर पड़े। बुद्धिजीवियों से चर्चा की। आध्यात्मिक पुस्तकों और ग्रंथों के दृष्टांत को जानने और समझने की, एकाकी जीवन व्यतीत करने की जगह संगठनात्मक गतिविधियों में भाग लेने की, अपनी रुचिकर किताबों को पढ़ने की, सोशल मीडिया, टेलीविजन और रेडियो जैसे तकनीकी साधनों के माध्यम से आत्मविश्वास बढ़ाने की ताकि व्यक्ति जीवन को नये उत्साह

और उमंग के साथ शुरू कर सकें। जब कोई शख्स आत्महत्या करने के बारे में सोचने लगता है तो इस स्थिति को मनोचिकित्सक 'सुसाइडल आईडिएशन' कहते हैं, और यह जरूरी नहीं कि किसी एक ही वजह से ऐसा हो, जब व्यक्ति को किसी मुश्किल से निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलता है तो वह अपने जीवन को खत्म करने के बारे में सोचता है और ऐसे व्यक्तियों को लगता है कि जीवन में अब कुछ भी बचा नहीं और वह जीवन के प्रति नकारात्मक होता चला जाता है। मनोचिकित्सक एस्कुइरोल के अनुसार—आत्महत्या में दिमागी पागलपन के सभी लक्षण मौजूद है। मानसिक उन्माद की अवस्था में ही व्यक्ति आत्महत्या करता है। आत्महत्या ऐच्छिक नहीं वरन् अनैच्छिक होती है। मनोचिकित्सक मानते है आत्महत्या का विचार प्राकृतिक नहीं होता है मस्तिष्क में बायोन्यूरोलॉजिकल बदलाव के कारण लोगों को लगने लगता है कि जीवन कोई काम का नहीं है। इसके बाद व्यक्ति में आत्महत्या का विचार आता है और समस्या समाधान के रूप में वे मृत्यु को सरल रास्ता मानते हैं। आत्महत्या के 90% मामले मानसिक विकार के ही होते हैं। विश्व स्वास्थ संगठन के मुताबिक 15 से 19 साल के युवाओं के बीच मौत की चौथी सबसे बड़ी वजह आत्महत्या है। इसके अलावा आत्महत्या करने की मेडिकल वजह भी हो सकती है। दुनिया भर में 70 लाख लोग प्रति वर्ष आत्महत्या करते हैं।

भारत में आत्महत्या के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। नेशनल क्राइम रिकाड्र्स ब्यूरो के ताजा रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्ष 2019 के दौरान देश में 1.39 लाख लोगों ने आत्महत्या कर ली। इनमें से 67 प्रतिशत लोग 18 से 45 साल की उम्र के बीच थे। देश के महानगरों में तो परिस्थिति चिंताजनक है। केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से तमाम हेल्पलाइन नंबर जारी होने और जागरुकता अभियान चलाने के बावजूद हालात सुधरने की बजाय लगातार गंभीर होते जा रहे हैं। इससे पहले विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी अपनी एक रिपोर्ट में भारत को ऐसे शीर्ष 20 देशों की सूची में रखा था जहां सबसे ज्यादा ऐसी घटनाएं होती हैं।

एनसीआरबी की ओर से हाल में जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्ष 2019 में हर चार मिनट में किसी-न-किसी व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली। युवाओं में आत्महत्या की दर वर्ष 2018 के मुकाबले चार प्रतिशत बढ़ गई है।

एनसीआरबी की रिपोर्ट से पता चलता है कि भारत में पारिवारिक कलह आत्महत्या की प्रमुख वजहों में शामिल है। वर्ष 2019 के आंकड़ों के अनुसार, आत्महत्या करने वालों में 15.4% गृहिणियों के अलावा 9.1% नौकरी पेशा लोग थे। भारत पहले दुनिया के शीर्ष 20 देशों में शुमार था और अब 21वें नंबर पर है। यहां से बेहतर स्थिति पड़ोसी देशों की है।

आत्महत्या एक वैश्विक समस्या बनकर सभी देशों के सम्मुख खड़ी है किंतु वर्तमान परिस्थितियों में हमें इसको लेकर एक ठोस रणनीति बनानी होगी साथ ही एक ऐसे माहौल बनाने की आवश्यकता है जिसमें व्यक्ति स्वयं को अकेला ना समझें और आत्महत्या जैसे कदम ना उठाएं। सरकार के द्वारा विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों, मनोचिकत्सकों, काऊंसलर सेंटरों आदि की व्यवस्था की जा रही है जहां लोग अवसाद के दौरान संपर्क कर सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं किंतु एनसीआरबी 2019 की रिपोर्ट के अनुसार यह पूर्णता प्रभावी नहीं है। जीवन को क्षणिक विचारों के आधार पर खत्म कर देना यह कोई समझदारी नहीं है समस्या यदि है तो उसका समाधान भी है बस आवश्यकता है। उस समाधान को ढूंढने की जिस प्रकार नकारात्मक विचार व्यक्ति पर प्रभावी होते हैं उसी प्रकार सकारात्मक माहौल बनाकर विचारों में परिवर्तन किया जा सकता है और व्यक्ति का जीवन के प्रति लगाव बढ़ाया जा सकता है जिससे वह ऐसे कदम ना उठाए जो उसके लिए अहितकर हो क्योंकि कोई भी समस्या जीवन को खत्म करने से बड़ी नहीं।

सन्दर्भ

1. एमिल दुर्खीम के लेख के अंश फ्रांस समाजशास्त्री बुक, Mental maladies: A treatise on insanity एनसीआरबी 2019 की रिपोर्ट। बीबीसी की 2020 की रिपोर्ट।
2. आत्महत्या क्यों? लेखक- एस हुण्डिवाल, प्रकाशन-अरिहंत।
3. डिप्रेशन और आत्महत्या के विरुद्ध जीवन संवाद, लेखक-दयाशंकर मिश्र, प्रकाशन- संवाद प्रकाशन, प्रथम संस्करण।

SHODH CHETNA – YEAR-7, VOL. 3 (JULY TO SEP., 2021) ISSN : 2350-0441

A Peer-Reviewed
International Referred &
Multifocal Research Journal

IMPACT-FACTOR
5.299

Paper Recieved : 15th Sep 21 Paper Accepted : 30th Sep 21

Challenges in Managing E-Waste

❒ Dr. Archana Sinha*

ABSTRACT

Volume of e-waste is increasing day by day, not only in India but throughout the world. The problem of e-waste management has to be tackled in a very efficient way otherwise due to non awareness, the toxic materials present in this e-waste will keep on polluting our environment and on the other hand, some costly materials will be dumped and get destroyed. In this paper the author deals with the introduction of e-waste to the users. The hazardous chemicals present in them are being listed and the effect of these chemicals on human body and environment are discussed in details. Solution for proper disposal of e-waste is suggested so those already stressed environments don't get further worsened with the invasion of e-waste.

Introduction :

During past few decades, life style of human beings has changed in a big way. Electronic and electrical goods are increasingly finding place in our lives. People are dependent on these electronic gadgets not only in urban areas but in rural areas too. TV, computers, laptops, mobile phones, I pod, ipad, photocopy machines etc are essential part of today's household. Not only this,for the information savvy population, organizations keep on producing newest models of these goods, which people keep on buying to satisfy their urge of possessing latest launched models and this cycle goes on. Latest electronic goods are manufactured in the industries, urban and rural population buys them leaving their old possessions of electronic goods obsolete. These electronic goods become e-waste after their useful life.

The term electronics contain wide varieties of home and business appliances. Eg:- LCD, LED TVs, desktops, laptops, photo copy machines, and other wireless devices. Most of these gadgets contain hazardous materials and chemicals.

According to a study 181 million mobile phones were sold only in India, in 2018 against a figure of 124 million in 2017. This shows an increase of about 50% in mobile phone sale in one year.

A field survey was conducted by the author, in Prayagraj to study the use & life span of some commonly used electronic gadgets. A sample size of one thousand was taken. Data was collected both for upper as well as lower income group. The results were as follows :

* Associate Professor, Kulbhaskar Ashram PG College, Prayagraj, E-mail : archana24x7@rediffmail.com

	Upper income group	Lower income group
Mobile phone	1.86 years	3.94 years
TV	6.0 years	10.12 years
Computers	4.12 years	7.36 years

The above table shows the period after which these commonly used gadgets lose their usefulness and move to the category of e-waste.

In the same survey people were also asked about the awareness of the proper disposal of these obsolete items, and the result were alarming. 70% of the users were not even aware of proper disposal. When asked about their willingness to pay for disposal, only 20% were ready to pay. In the above survey it is seen that the growth rate of mobile phone users is 12%, Computers 14% and TV 10% as observed in Prayagraj. Similar is the case for other cities and clearly much higher in other big cities.

According to a study conducted by ASSOCHAM-NEC on electronics and electrical manufacturing in India, e-waste is increasing at the rate of 20% annually. India is among the top five countries in terms of e-waste generation. Other countries are China, USA, Japan & Germany. In India two million ton e-waste is generated per annum. Largest producers of e-waste in India are :

	% e-waste generation	E-waste recycle in tons/annum	Number of e-waste recycling units
Maharashtra	19.8	47810	32
Tamilnadu	13	52427	14
Uttar Pradesh	10.1	86130	22
West Bengal	9.8	32250	20
Delhi	9.5	46500	34
Karnataka	8.9	44620	57
Gujrat	8.8	32262	12
Madhya Pradesh	7.6	22000	16

Now let us see what happens to this e-waste. Generally most of this e-waste either used as landfills along with other garbage or being burnt in open releasing a lot many toxic gases. These e-wastes generally contain heavy metals like mercury, cadmium, barium, lead etc. Poly Chlorinated Biphenyls (PCB) is released from old capacitors, transformers and lead from old batteries. All these materials are not bio degradable. This means that they remain present in the environment for very long time and create serious problems for human beings and the environment. This is the reason why proper disposal of e-waste should be taken as priority among all the wastes.

The effect of the hazardous elements mentioned above are as follows:-

1. Lead : If a person is exposed to high level of lead even for a short period, it may cause lead poisoning. Kidney & brain damage may occur.

Anemia and general weakness are other effects of lead exposure. Once absorbed in the body it remains there throughout the life.

2. Cadmium : Inhaling cadmium over a long period of time results in kidney, bone & lung diseases. Excessive inhaling within a short period gives flu type symptoms.

3. Beryllium : Exposure to beryllium leads to symptoms like shortness of breath, weight loss, fever, and night sweats. Other studies reveal that beryllium causes lung cancer in human being. IARC agency for research on cancer classifies beryllium as class 1 carcinogen.

4. Chromium Hexavalent : Exposure to this may cause lung cancer. Irritation in nose and throat even bleeding can occur. Irritation in eyes and skin is also seen occasionally.

5. Mercury : Inhaling the vapour of mercury affects the nervous system, digestive system, immune system, lungs and kidney and in some cases it could be fatal also. It causes certain cases of neurological cancers.

Effects of toxins on human beings are very widespread. It can affect heart, brain, kidney, reproduction system and nervous system. When computer monitors are burnt, cancer producing dioxins are mixed into air and whey are buried they pollute ground water and even pollute the crops by dioxins creeping through the roots to the plants and trees.

Another very important fact is that for manufacturing electronic goods, large amount of precious metals are being mined out every year. For the production of computers and mobile phones 3% of total gold and silver produce, 13% of palladium, 15% of cobalt and similarly other elements like copper, steel, aluminum and nickel are used. Two things are worth mentioning here:-

1. During the process of digging these materials, environment is disturbed.

2. When e-waste is dumped, these precious materials go in vain.

Disposal :

In India, disposal of e-waste is being done in two ways : (1) Informal and (2) Formal.

According to a study, 95% of e-waste is handled by informal sector and just 5% is recycled by formal sector. The informal sector has a long chain of vendors, scrap dealers, dismantlers and recyclers. They dismantle the waste manually, retain whatever is useful for them, recycle the parts which they can and then dump the remaining in the landfills or burn them in open. This whole process is very hazardous for human life. People who dismantle the e-goods, risk their lives as well as whole population in general as we have already discussed the effects of chemicals present in the waste items on human beings.

Formal recycling is done in a right manner. Here the waste is dismantled and recycled in such a way that neither the environment is disturbed nor the health of persons working in the unit is at risk. Nearly two hundred registered recycling units approved by state government are operational in India. First e-waste recycling unit by the government is being set up at Bengaluru which will recycle nearly one lac tons of e-waste per annum.

Conclusion :

Looking at the great risk on human lives and the environment due to ever increasing e-waste year after year, following points should be taken into account for arriving at some solutions :

1. Reduce the quantity of e-waste. This can be achieved by promoting such gadgets which are-

(a) Reusable

(b) Expandable or we can say they can be upgraded from time to time

(c) Made up of recycled materials

2. Create awareness- By creating awareness among the masses, e-waste will go to the formal recycling units and thus the outer environment can be saved. This can be done by repeatedly appealing people to do so through print and electronic media.

3. Make stringent laws:- Strict laws should be enacted so that people are compelled not to dispose their e-waste in wrong manner.

4. Promote proper recycling units:- Proper recycling units should be promoted by the government by giving them incentives like subsidy, making land available at concessional rates, tax holidays etc.

References :

1. Bernard A. Ind.J Med Res 2008
2. M Kampa, E Castanas. Environment pollution 2008 El sevier
3. Davis J M, Akese G, Garb Y Geo forum 2019, 98,36-45
4. ASSOCHAM-NEC study e-waste- June 2018
5. Robinson BH. Sci. Total Environ. 2009, 408,183-191

SHODH CHETNA – YEAR-7, VOL. 3 (JULY TO SEP., 2021) ISSN : 2350-0441

A Peer-Reviewed
International Referred &
Multifocal Research Journal

IMPACT-FACTOR 5.299

Paper Recieved : 15th Sep 21 Paper Accepted : 30th Sep 21

Impulse Voltage - Effects on Transformer Winding

❐ Dr. Archana Sinha*

ABSTRACT

Electric power is an essential requirement for any Nation to secure the goals and objectives of its national interest. Transmission lines and transformers play a vital role in ensuring power to the consumers. During operations the transformers are subjected to high voltage impulses repeatedly. The transformers must be designed to withstand these impulses during its life time. In this paper, the author has explained the impact of impulse voltages on transformer windings. The designers of the transformer take care of the effects of these impulses at design stage.

Introduction :

Lightning is probably the most common cause of flashover on overhead transmission lines. Two mechanisms can be distinguished. In the first, the lighting stroke makes a direct contact with a phase conductor producing a voltage on the line in excess of the impulse voltage level and in the other, the stroke makes contact with an earth wire or tower and the combination of tower current and tower impedance produces a voltage near the tower top sufficient to precipitate a so called back flashover. The terminal equipments of the transmission lines experience lightening impulse in service.

Insulation is one of the most important constituents of a transformer. Any weakness of insulation may result in failure of transformer. A measure of effectiveness with which insulation performs is the dielectric strength. The power frequency tests alone are not adequate to demonstrate the dielectric strength of transformers. The distribution of impulse voltage along the transformer winding is different from power frequency voltage distribution. The power frequency voltage distributes itself throughout the winding on uniform volt per turn basis. Impulse voltage is initially distributed on the basis of the winding capacitance and finally the inductance. Thus it is necessary to ensure adequate dielectric strength of transformers for impulse conditions.

Switching impulses occur during all kinds of switching operations in the system, for example by switching a transformer ON or OFF a system, switching of distribution lines etc. The magnitude and form of impulses produced differ from case to case. The magnitudes of switching impulses occurring in the network are proportional to the network voltage. The maximum voltage can be

* Associate Professor, Kulbhaskar Ashram PG College, Prayagraj, E-mail : archana24x7@rediffmail.com

about 3.5 times the service voltage (the ratio of the maximum switching impulse voltage to maximum peak phase-to-earth service voltage). This ratio is as low as 2.1 on some EHV systems. The need for switching impulse test is based on the possibility that switching impulses in service can cause insulation damage to a transformer designed for greatly reduced insulation level. Studies and researches on insulation arrangements have shown that a transformer designed without taking switching impulses into account, can withstand switching impulse voltages equivalent to 83% of corresponding BIL.

IMPULSE WAVE SHAPES AND THEIR EFFECT ON TRANSFORMER WINDINGS

1. Lightning impulse :

Impulse tests are made with wave shapes which simulate conditions those encountered in service. From the data compiled about natural lightning, it has been concluded that the system disturbances from lightning can be represented by three basic wave shapes- full waves, chopped waves and front of waves. It is also recognized that lightning disturbances do not always have these basic wave shapes. However, by defining the amplitude and shape of these waves, it is possible to establish a minimum impulse dielectric strength that a transformer should meet. If a lightning impulse travels some distance along the line before it reaches the transformer, the wave shape approaches that of full wave figure 1 (a). It is generally referred to as 1.2/50 wave. A wave travelling along the line might cause flashover across an insulator after the peak of the wave has been reached. This wave is simulated by a chopped wave which is of the same magnitude as the full wave, as shown in fig 1 (b). If a lightning stroke hits directly at or very near to a transformer terminal, the impulse voltage may rise steeply until it is relieved by a flashover causing a sudden, very steep collapse in voltage. This condition is represented by the front of wave fig 1 (c)

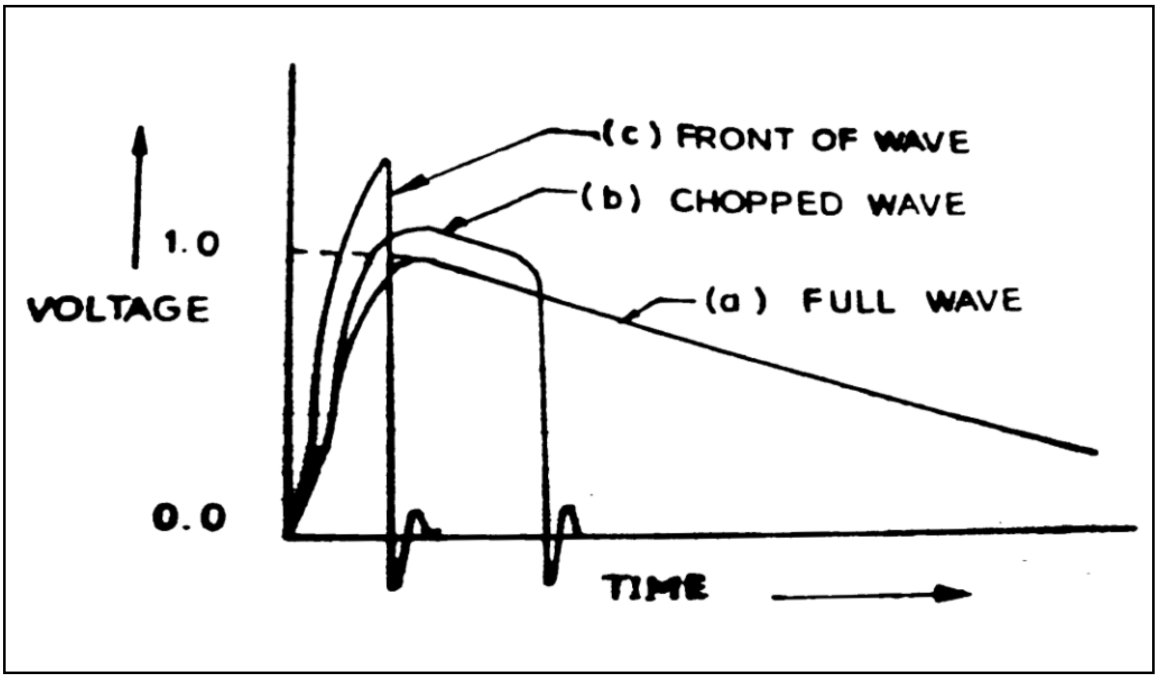

These three waves are quite different in duration and rate of rise and decay of voltage. They produce different reactions within the transformer winding. The full wave, because of its relatively long duration, cause major oscillations to develop in the windings and consequently produce stresses not only in the turn to turn and section to section insulation throughout the winding but also develops relatively high voltages compared to power frequency stresses across the large portions of the winding and between the winding and the ground.

The chopped wave, because of its shorter duration, does not allow major oscillations to develop fully and generally does not produce as high voltages across the large portion of the windings. However, because of rapid change in voltage following flashover, it produces higher turn to turn and section to section stresses.

The front of wave is still shorter in duration and produces still lower winding to ground voltages within the winding. The rapid change of voltage on the front followed by a flashover produces high turn to turn and section to section voltages very near the line-end of the winding. The front of wave test is not carried for transformers but it is a very important test for lightning arresters.

2. Switching Impulse :

Studies on network models and practical measurements in the network regarding form and magnitude of the unipolar voltages due to switching operations reveal that these over-voltages have front times of several hundred micro seconds. The form of over-voltage may be a periodically damped or oscillating one.

The IEC-60 have adopted, for switching impulse test, a long wave having front time 250 micro seconds and time to half value 2500 micro seconds with tolerances. The American standard recommends the duration of voltage wave at 90% of crest value at least 200 microseconds. The actual time to crest shall be greater than 100 microseconds and time to first voltage zero on the wave tail shall not be less than 1000 microseconds except where core saturation causes the tail to become shorter. In view of the difficulties in generating these wave shapes in laboratories and more to minimize core saturation during testing of transformers, IEC-76 Pt III has specified a switching impulse wave having a virtual front time of at least 20 microsecond, a duration above 90% of the specified amplitude of at least 200 microsecond and a total duration of the first zero passage of at least 500 microseconds. The time to crest has been chosen so that the voltage distribution within the winding will be essentially uniform.

The dielectric strength of air particularly for positive unipolar impulses is dependent on the front time of these unipolar impulses and features a pronounced minimum in the range of 100-300 microsecond. Therefore to avoid flashover on the external insulation of the transformer it is preferred to conduct the test with negative polarity impulse.

The switching impulse voltages are of long durations and generally do not cause any non uniform voltage distribution along the winding but they affect insulation to ground, between windings and phase and the external insulation of the bushings. During the switching impulse test, the open circuited low voltage winding on the same core limb as the impulse HV winding is automatically subjected to impulse voltage stresses. These voltages are induced proportional to the transformation ratio and the flux distribution. Further test on low voltage windings are not essential.

Conclusion :

Transformer is capital equipment having a life span of 30-35 years. It is one of the most vital equipment in power transmission & distribution system. During its operation it is subjected to high impulse voltages due to various reasons. The transformer must withstand these impulse voltages during its useful life. The effects of impulse voltages must be taken care of at the design stage itself. For this, proper understanding of impulse waves on transformer winding is essential.

References :

1. IEC - 76 Pt III
2. IEC - 60 Pt. II & III
3. IEEE Guide for transformer impulse tests IEEE no 93, June 1968
4. Switching surge tests of Power transformers – T. N. Sie Bulletin Oerlikon no 383/384

SHODH CHETNA – YEAR-7, VOL. 3 (JULY TO SEP., 2021) ISSN : 2350-0441
A Peer-Reviewed SJIF - 5.299
International Referred &
Multifocal Research Journal
Paper Recieved : 15th Sep 21 Paper Accepted : 30th Sep 21

''राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 : आत्मनिर्भर भारत की रूपरेखा का एक अध्ययन''

❐ विमलेश*

शोध सारांश

हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाई गई जिसे सभी सत्ताधारी लोगों के परामर्श से तैयार किया गया है। इसे लाने के साथ ही देश में शिक्षा पर व्यापक चर्चा आरंभ हो गई है। इससे पहले शिक्षा के संबंध में गांधी जी का तात्पर्य बालक और मनुष्य के शरीर, मन तथा आत्मा के सर्वांगीण एवं सर्वोत्कृष्ट विकास से है। इसी प्रकार स्वामी विवेकानंद का कहना था कि मनुष्य की अंर्तनिहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। इन्हीं सब चर्चाओं के मध्य हम देखेंगे कि 1986 की शिक्षा नीति में ऐसी क्या कमियाँ रह गई थीं जिन्हें दूर करने के लिये नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लाने की आवश्यकता पड़ी। साथ ही क्या यह नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति उन उद्देश्यों को पूरा करने में सक्ष्म होगी जिसका स्वप्न महात्मा गांधी और स्वामी विवेकानंद ने देखा था? सबसे पहले 'शिक्षा' क्या है इस पर गौर करना आवश्यक है।[1] शिक्षा का शाब्दिक अर्थ होता है सीखने एवं सिखाने की क्रिया परंतु अगर इसके व्यापक अर्थ को देखें तो शिक्षा किसी भी समाज में निरंतर चलने वाली सामाजिक प्रक्रिया है जिसका कोई उद्देश्य होता है और जिससे मनुष्य की आंतरिक शक्तियों को गौरतलब है कि नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा के साथ ही मानव संसाधन मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। इस नीति द्वारा देश में स्कूल एवं उच्च शिक्षा में परिवर्तनकारी सुधारों की अपेक्षा की गई है। इसके उद्देश्यों के महत वर्ष 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100% GER के साथ–साथ पूर्व–विद्यालय से माध्यमिक स्तर तक शिक्षा के सार्वभौमिकरण का लक्ष्य रखा गया है। विकास तथा व्यवहार को परिष्कृत किया जाता है। शिक्षा द्वारा ज्ञान एवं कौशल में वृद्धि कर मनुष्य को योग्य नागरिक बनाया जा सके।

मुख्य शब्दः नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा व उच्च शिक्षा, भारतीय परम्पराओं के आधार पर।

* * शोध छात्रा, शिक्षा विभाग, मंगलायत विश्वविद्यालय अलीगढ़

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रमुख बिंदु

स्कूली शिक्षा संबंधी प्रावधान

- नई शिक्षा नीति में 5+3+3+4 डिजाइन वाले शैक्षणिक संरचना का प्रस्ताव किया गया है जो 3 से 18 वर्ष की आयु वाले बच्चों को शामिल करता है।
- पाँच वर्ष की फाउंडेशनल स्टेज (Founda-tional Stage)–3 साल का प्री–प्राइमरी स्कूल और ग्रेड 1, 2
- तीन वर्ष का प्रीपेट्रेरी स्टेज (Prepatratory Stage)
- तीन वर्ष का मध्य (या उच्च प्राथमिक) चरण– ग्रेड 6, 7, 8 और
- 4 वर्ष का उच (या माध्यमिक) चरण– ग्रेड 9, 10, 11, 12
- NEP 2020 के तहतHHRO द्वारा 'बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान पर एक राष्ट्रीय मिशन' (National Mission on Foundational Literacy and Numeracy) की स्थापना का प्रस्ताव किया गया है। इसके द्वारा वर्ष 2025 तक कक्षा–3 स्तर तक के बच्चों के लिये आध ारभूत कौशल सुनिश्चित किया जाएगा।[2]

उदेश्य–

1. NEP2020 में कक्षा–5 तक की शिक्षा में मातष्भाषा/स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा को अध्ययन के माध्यम के रूप में अपनाने पर बल दिया गया है। साथ ही इस नीति में मातष्भाषा को कक्षा–8 और आगे की शिक्षा के लिये प्राथमिकता देने का सुझाव दिया गया है।

2. स्कूली और उच्च शिक्षा में छात्रों के लिये संस्कृत और अन्य प्राचीन भारतीय भाषाओं का विकल्प उपलब्ध होगा परंतु किसी भी छात्र पर भाषा के चुनाव की कोई बाध्यता नहीं होगी।

3. विद्यालयों में सभी स्तरों पर छात्रों को बागवानी, नियमित रूप से खेल–कूद, योग, नष्त्य, मार्शल आर्ट को स्थानीय उपलब्धता के अनुसार प्रदान करने की कोशिश की जाएगी ताकि बच्चे शरीरिक गतिविधियों एवं व्यायाम में भाग ले सके।[3]

4. इस नीति में प्रस्तावित सुधारों के अनुसार, कला और विज्ञान, व्यवसायिक तथा शैक्षणिक विषयों एवं पाठ्यक्रम व पाठ्येतर गतिविधियों के बीच बहुत अधिक अंतर नहीं होगा।

5. कक्षा–6 से ही शैक्षिक पाठ्यक्रम में व्यवसायिक शिक्षा को शामिल कर दिया जाएगा और इसमें इंटर्नशिप (Internship) की व्यवस्था भी की जाएगी।

6. 'राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद' (National Council of Educational Research and Training- NCERT) द्वारा 'स्कूली शिक्षा के लिये राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा' (National Curricular Framework for School Education) तैयार की जाएगी।

7. छात्रों के समग्र विकास के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए कक्षा–10 और कक्षा–12 की परीक्षाओं में बदलाव किया जाएगा। इसमें भविष्य में समेस्टर या बहुविकल्पीय प्रश्न आदि जैसे सुधारों को शामिल किया जा सकता है।

8. छात्रों की प्रगति के मूल्यांकन के लिये मानक–निर्धारक निकाय के रूप में 'परख' (PARAKH) नामक एक नए 'राष्ट्रीय आकलन केंद्र (National Assessment Centre) की स्थापना की जाएगी।[4]

9. छात्रों की प्रगति के मूल्यांकन तथा छात्रों को अपने भविष्य से जुड़े निर्णय लेने में सहायता प्रदान करने के लिये 'कृकि बुद्धिमत्ता' (Artificial Intelli-gence- AI) आधारित सॉफ्टवेयर का प्रयोग।

10. शिक्षकों की नियुक्त में प्रभावी और पारदर्शी प्रक्रिया का पालन तथा समय–समय पर किये गए कार्य–प्रदर्शन आकलन के आधार पर पदोन्नति।

11. राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा वर्ष 2022 तक 'शिक्षकों के लिये राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक'(National Professional Standards for Teachers-NPST) का विकास किया जाएगा।

12. राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा NCERT के परामर्श के आधार पर 'अध्यापक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा' (National Curriculum Framework for Teacher Education NCFTE) का विकास किया जाएगा।

13. वर्ष 2030 तक अध्यापन के लिये न्यूनतम डिग्री योग्यता 4–वर्षीय एकीकृत बी०एड० डिग्री का होना अनिवार्य किया जाएगा।

उच्च शिक्षा से संबंधित प्रावधान

- NEP–2020 के महत उच्च शिक्षण संस्थानों में 'सफल नामांकन अनुपात' (Gross Enrolment Ratio) को 26.3% (वर्ष 2018) से बढ़ाकर 50% तक करने का लक्ष्य रखा गया है, इसके साथ ही देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में 3.5 करोड़ नई सीटों को जोड़ा जाएगा।
- NEP-2020 के तहत स्नातक पाठ्यक्रम में मल्टीपल एंट्री एंड एक्ज़िट व्यवस्था को अपनाया गया है, इसके तहत 3 या 4 वर्ष के स्नातक कार्यक्रम में छात्र कई स्तरों पर पाठ्यक्रम को छोड़ सकेंगे और उन्हें उसी के अनुरूप डिग्री या प्रमाण–पत्र प्रदान किया जाएगा (1 वर्ष के बाद प्रमाण–पत्र, 2 वर्षों के बाद एडवासं डिप्लोमा, 3 वर्षों के बाद स्नातक की डिग्री तथा 4 वर्षों के बाद शोध के साथ स्नातक)।[5]
- विभिन्न उच्च शिक्षण संस्थानों से प्रापत अंकों के क्रेडिट को डिजिटल रूप से सुरक्षित रखने के लिये एक 'एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट' (Academic Bank of Credit) नाम दिया जाएगा, ताकि अलग–अलग संस्थानों में छात्रों के प्रदर्शन के डिग्री प्रदान की जा सके।
- नई शिक्षा नीति के तहत एम० फिल० (M.Phil) कार्यक्रम को समाप्त कर दिया गया।

भारतीय उच्च शिक्षा आयोग (Scope of the Study)

नई शिक्षा नीति (NEP) में देश भर के उच्च शिक्षा संस्थानों के लिये एक एकल नियामक अर्थात् भारतीय उच्च शिक्षा परिषद् (Higher Education Commision of India-HECI) की परिकल्पना की गई है।

जिसमें विभिन्न भूमिकाओं को पूरा करने हेतु कई कार्यक्षेत्र होंगे। भारतीय उच्च शिक्षा आयोग चिकित्सा एवं कानूनी शिक्षा को छोड़कर पूरे उच्च शिक्षा क्षेत्र के लिये एक एकल निकाय (Single Umbrella Body) के रूप में कार्य करेगा।[6]

HECI के कार्यों के प्रभावी निष्पादन हेतु चार निकाय–

- राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा नियामकीय परिषद (National Higher Education Regulatory Council-NHERC) : यह शिक्षक शिक्षा सहित उच्च शिक्षा क्षेत्र के लिये एक नियामक का कार्य करेगा।
- सामान्य शिक्षा परिषद् (General Education Council-GEC) : यह उच्च शिक्षा कार्यक्रमों के लिये अपेक्षित सीखने के परिणामों का ढाँचा तैयार करेगा अर्थात् उनके मानक निर्धारण का कार्य करेगा।
- राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद (National Accreditation Council - NAC) : यह संस्थानों के प्रत्यायन का कार्य करेगा जो मुख्य रूप से बुनियादी मानदंडों, सार्वजनिक स्व–प्रकटीकरण, सुशासन और परिणामों पर आधारित होगा।
- उच्चतर शिक्षा अनुदान परिषद (Higher Education Grants Council - HGFC) : यह निकाय कॉलेजों एवं विश्वविद्यालयों के लिये वित्तपोषण का कार्य करेगा।[7]

  नोट–गौरतलब है कि वर्तमान में उच्च शिक्षा निकायों का विनियमन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी), अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) जैसे निकायों के माध्यम से किया जाता है।
- देश में आईआईटी (IIT) और आईआईएम (IIM) के समकक्ष वैश्विक मानकों के 'बहुविषयक शिक्षा एवं अनंसुधान विश्वविद्यालय' (Multidisciplinary

Education and Research Universities-MERU) की स्थापना की जाएगी।

विकलांग बच्चों हेतु प्रावधान

- इस नई नीति में विकलांग बच्चों के लिये क्रास विकलांगता प्रशिक्षण, संसाधान केंद्र, आवास, सहायक उपकरण, उपर्युक्त प्रौद्योगिकी आधारित उपकरण, शिक्षकों का पूर्ण समर्थन एवं प्रारंभिक से लेकर उच्च शिक्षा तक नियमित रूप से स्कूली शिक्षा प्रक्रिया में भागीदारी सुनिश्चित करना आदि प्रक्रियाओं को सक्षम बनाया जाएगा।[8]

डिजिटल शिक्षा से संबंधित प्रावधान

- एक स्वायत्त निकाय के रूप में ''राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच'' (National Educational Technol Foruem) का गठन किया जाएगा जिसके द्वारा शिक्षण, मूल्कांकन योजना एवं प्रशासन में अभिवृद्धि हेतु विचारों का आदान–प्रदान किया जा सकेगा।[9]
- डिजिटल शिक्षा संसाधनों को विकसित करने के लिये प्रौद्योगिकी इकाई का विकास किया जाएगा जो डिजिटल बुनियादी ढ़ाँचे, सामग्री और क्षमता निर्माण हेतु समन्वयन का कार्य करेगी।

परंपरिक ज्ञान–संबंधी प्रावधान

भारतीय ज्ञान प्रणालियाँ जिनमें जनजातीय एवं स्वदेशी शामिल होंगे, को पाठ्यक्रम में सटीक एवं वैज्ञानिक तरीके से शामिल किया जाएगा।

विशेष बिंदु

- आकाक्षी जिले (Aspirational districts) जैसे क्षेत्र जहाँ बड़ी संख्या में आर्थिक, सामाजिक या जातिगत बाधाओं का सामना करने वाले छात्र पाए जाते हैं, उन्हें 'विशेष शैक्षिक क्षेत्र' (Special Educational Zones) के रूप में नामित किया जाएगा।
- देश में क्षमता निर्माण हेतु केंद्र सभी लड़कियों और ट्रांसजेंडर छात्रों को समान गुणवत्ता प्रदान करने की दिशा में एक 'जेंडर इंक्लूजन फंड' (Gender Inclusion Fund) की स्थापना करेगा।
- गौरतलब है कि 8 वर्ष की आयु के बच्चों के लिये प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा हेतु एक राष्ट्रीय पाठ्यचर्या और शैक्षणिक ढाँचे का निर्माण एनसीआरटीई द्वारा किया जाएगा।

वित्तीय सहायता

- एससी, एसटी, ओबीसी और अन्य सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित समूहों से संबंधित मेधावी छात्रों को प्रोत्साहन के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

पूर्ववर्ती शिक्षा नीति में परिवर्तन की आवश्यकता क्यों?

- बदलते वैश्विक परिदृश्य में ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए मौजूदा शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन की आवश्यकता थी।
- शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने, नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिये नई शिक्षा नीति की आवश्यकता थी।
- भारतीय शिक्षण व्यवस्था की वैश्विक स्तर पर पहुँच सुनिश्चित करने के लिये शिक्षा के वैश्विक मानकों को अपनाने के लिये शिक्षा नीति में परिवर्तन की आवश्यकता थी।

नई शिक्षा नीति से संबंधित आज की चुनौतियाँ

- राज्यों का सहयोग : शिक्षा एक समवर्ती विषय होने के कारण अधिकांश राज्यों के अपने स्कूल बोर्ड हैं, इसलिए इस फैसले के वास्तविक कार्यान्वयन हेतु राज्यों सरकारों को सामने आना होगा। साथ ही शीर्ष नियंत्रण संगठन के तौर पर एक राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा नियामक परिषद को लाने संबंधी विचार का राज्यों द्वारा विरोध हो सकता है।
- महँगी शिक्षाः नई शिक्षा नीति में विदेशी विश्वविद्यालयों में प्रवेश का मार्ग प्रशस्त किया गया है। विभिन्न शिक्षाविदों का मानना है कि विदेशी विश्वविद्यालयों में प्रवेश से भारतीय शिक्षण व्यवस्था के महँगी होने की आशंका है। इसके

फलस्वरूप निम्न वर्ग के छात्रों के लिये उच्च शिक्षा प्राप्त करना चुनैतीपूर्ण हो सकता है।

- इस शिक्षा नीति का सांस्कृतिकरण से दक्षिण भारतीय राज्यों को यह षक है कि 'त्रि–भाषा' सूत्र से सरकार शिक्षा का सांस्कृतिकरण करने का प्रयास कर रही है।
- फंडिंग संबंधी जाँच का अपर्याप्त होनाः कुछ राज्यों में अभी भ शुल्क संबंधी विनियमन मौजूद है, लेकिन ये नियामक प्रक्रियाऐं असीमित दान के रूप में मुनाफाखोरी पर अंकुश लगाने में असमर्थ हैं।
- वित्तपोषण : वित्तपोषण का सुनिश्चित होना इस बात पर निर्भर करेगा कि शिक्षा पर सार्वजनिक व्यय के रूप में जीडीपी के प्रस्तावित 6% खर्च करने की इच्छाशक्ति कितनी सशक्त है।
- मानव संसाधन का अभावः वर्तमान में प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में कुशल शिखकों का अभाव है, ऐसे में राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के तहत प्रारंभिक शिक्षा हेतु की गई व्यवस्था के क्रियान्वयन में व्यावहारिक समस्याएँ भी हैं।

निष्कर्ष

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 21वीं सदी के भारत की जरूरतों को पूरा करने के लिये भारतीय शिक्षा प्रणाली में बदलाव हेतु जिस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 को मंज़ूरी दी है अगर उसका क्रियान्वयन सफल तरीके से होता है तो यह नई षिक्ष प्रणाली भारत को विश्व के अग्रणी देशों के समकक्ष ले आएगी। नई शिक्षा नीति, 2020 के तहत 3 साल तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार कानून, 2009 के अंतगर्त रखा गया है। 34 वर्षों पश्चात् आई इस नई शिक्षा नीति का उद्देश्य सभी छात्रों को उच्च शिक्षा प्रदान करना है जिसका लक्ष्य 2025 तक पूर्व–प्राथमिक शिक्षा (3–6 वर्ष की आयु सीमा) का सार्वभौमिक बनाना है।[10] स्नातक शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटलीजेंस, थ्री–डी मशीन, डेटा–विश्लेषण, जैवप्रौद्योगिकी आदि क्षेत्रों के समावेश से अत्याधुनिक क्षेत्रों में भी कुशल पेशेवर तैयार होंगे और युवाओं की रोजगार क्षमता में वषद्धि होगी ऐसा होना चाहिये अन्यथा नोटबन्दी फेल और जैसे जी.एस.टी. फेल हुई है वैसे यह नई षिक्षा नीति फे लना हो जाये।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. बेनी प्रसाद : हिन्दुस्तान की पुरानी सभ्यता 1986 पृ० 103
2. बी० एन० लूनिया : भारतीय सभ्यता तथा संस्कृति का विकास 1986 पृ० 69
3. जे० सी० अग्रवाल : भारत में शिक्षा विद्या बिहार, नई दिल्ली
4. प्रो० रामसकल पाण्डेय : मूल्य शिक्षा के परिप्रेक्ष्य
5. एस० पी० गुप्ता : भारतीय शिक्षा का इतिहास विकास एवं समस्याऐं
6. बी० महेश शर्मा : शिक्षा में भ्रष्टाचार का सबसे विकृत रूप उनके सितम्बर 2011
7. प्रमोद जोशी : नये समाज में ज्ञान के रास्ते ''हिन्दुस्तान हिन्दी दैनिक समाचार पत्र कानपुर''
8. अरूण कुमार सिंह : शिक्षा मनोविज्ञान नई दिल्ली भारती भवन वर्ष 2009
9. एस० पी० गुप्ता एवं अलका : भारतीय शिक्षा का ताना–बाना (शारदा पुस्तक भवन इलाहाबाद 2019
10. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) की वर्षिक रिपोर्ट 2016

SHODH CHETNA – YEAR-7, VOL. 3 (JULY TO SEP., 2021) ISSN : 2350-0441
A Peer-Reviewed SJIF - 5.299
International Referred &
Multifocal Research Journal
Paper Recieved : 6th Aug 21 Paper Accepted : 10th Aug 21

श्रवणबाधित विद्यार्थियों की संवेगात्मक बुद्धि का अध्ययन

❐ अवनीश कुमार मिश्र*
❐ डॉ. रजनीश कुमार सिंह**

शोध सारांश

निःशक्तजन अधिनियम 1995 की धारा 2 (डी) के अनुसार श्रवण शक्ति का ह्मस से अभिप्राय है संवाद सम्बन्धी रेंज की आवृत्ति के श्रवणबाधित कान 60 (डेसिबल) या उससे अधिक की श्रवण हानि।संवेगात्मक बुद्धि के मापन परिणामों को व्यक्त करने के लिए हम जिस इकाई विशेष का प्रयोग करते है उसे ही संवेगात्मक बुद्धि लब्धि संक्षेप में (आइ क्यू) कहा जाता है। सामान्य बुद्धि के बारे में यह अच्छी तरह से कहा जा सकता है कि यह वंशानुक्रम और वातावरण दोनों की ही उपज है। एक बालक अपने जन्म के समय कुछ न कुछ बुद्धि लेकर ही इस धरती पर आता है जिसे आगे चलकर अनुभव और परिपक्वता की प्रक्रिया के द्वारा अपेक्षाकृत ऊँचाइयों पर पहुँचाने के प्रयत्न किये जाते रहते हैं। इस रूप में सभी बालकों में अपनी जन्म के समय कुछ न कुछ संवेगात्मक बुद्धि पायी जाती है।प्रस्तुत शोध में मानकीकृत परीक्षणों का प्रयोग किया गया। संवेगात्मक बुद्धि इन्वेन्टरी–जो कि एस के मंगल व शुभ्रा मंगल द्वारा निर्मित है तथा नेशनल साइक्लोजिकल कार्पोरेशन आगरा द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित है।

कूट शब्द– श्रवण–बाधित विद्यार्थी, संवेगात्मक बुद्धि।

प्रस्तावना–

शिक्षा मानव विकास का मूल साधन है इसके द्वारा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का विकास करके उसके ज्ञान कला, कौशल, बुद्धि एवं व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है तथा उसे सभ्य, सुसंस्कृत एवं योग्य नागरिक बनाया जाता है और यह कार्य मनुष्य के जन्म से प्रारम्भ हो जाता है। बच्चे के जन्म के कुछ दिन बाद ही उसके माता पिता एवं परिवार के अन्य सदस्य उससे सुनना और बोलना सीखने लगते हैं। जब बच्चा कुछ बड़ा हो जाता है तो उसके उठने–बैठने चलने–फिरने खाने–पीने तथा सामाजिक आचरण की विधियां सिखायी जाती हैं।

सर्वोच्च शिक्षा वह है जो हमें सूचनायें ही नहीं देती है वरन् हमारे जीवन और सम्पूर्ण दृष्टि में समरसता पैदा करती है।

---

* शोध छात्र, शिक्षाशास्त्र जे0आर0डी0यू0 चित्रकूट उ0प्र0
** शोध निर्देशक, असि0 प्रोफेसर शिक्षा संकाय जे0आर0डी0यू0 चित्रकूट उ0प्र0

शिक्षा के लिए अंग्रेजी में 'एजुकेशन' शब्द का प्रयोग किया जाता है जिसका अर्थ है– अन्दर से आगे बढ़ाना। प्रश्न यह उठता है कि अन्दर से क्या आगे बढ़ाना है। वास्तव में प्रत्येक बालक के अन्दर जन्म के समय कुछ जन्मजात शक्तियाँ विद्यमान रहती हैं। उचित वातावरण के सम्पर्क में आने पर ये शक्तियाँ विकसित हो जाती हैं। शिक्षा के द्वारा व्यक्ति जन्मजात शक्तियों को अन्दर से बाहर की ओर उचित दिशा में विकसित करने का प्रयास करता है।

संवेगात्मक बुद्धि को एक ऐसी क्षमता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिससे चार विभिन्न रूपों में संवेगों को उचित दिशा देने में मदद मिले जैसे–संवेग विशेष का प्रत्यक्षीकरण करना। उसका अपनी विचार प्रक्रिया में समन्वयन करना, उसे समझाना तथा उसका प्रबन्धन करना।उसके व्यवहार में प्रायः सभी संवेगों के दर्शन हो सकते हैं और उनके द्वारा कब किस संवेग की अभिव्यक्ति हो रही है इसका ज्ञान भी भली–भाँति हो सकता है। संवेगों की अभिव्यक्ति में भी पर्याप्त सुधार हो जाता है। अब यह अपने संवेगों की अभिव्यक्ति समाज के नियम और आचरण संहिता का ध्यान में रख कर करने लगता हैं।

शिक्षा व्यक्ति की शारीरिक मानसिक सामाजिक नैतिक चारित्रिक संवेगात्मक तथा आध्यात्मिक शक्तियों का विकास करती है। शिक्षा के द्वारा व्यक्ति अपनी समस्याओं का समाधान करता है। जीवन को आनन्दमय बनाता है तथा जनकल्याण के कार्यों की ओर प्रवृत्त होता है।

जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश पाकर कमल का पुष्प खिल जाता है। ठीक उसी प्रकार शिक्षा को पाकर मानव जीवन कमल के पुष्प के समान खिल उठता है तथा उसकी कीर्ति चारों दिशाओं में फैल जाती है। इसके विपरीत शिक्षा रूपी प्रकाश के अभाव में व्यक्ति अज्ञानता, दरिद्रता एवं कष्ट के अन्धकार में डूबा रहता है। वास्तव में शिक्षा जहाँ एक ओर व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करके वही उसके व्यक्तिगत उन्नति का मार्ग प्रशस्त करती है वहीं दूसरी ओर वह उसे समाज का महत्वपूर्ण एवं उत्तरदायी सदस्य तथा राष्ट्र का सुयोग्य कर्तव्यनिष्ठ व सजग नागरिक भी बनाती है।

संवेगात्मक बुद्धि को एक ऐसी क्षमता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिससे चार विभिन्न रूपों में संवेगों को उचित दिशा देने में मदद मिले जैसे–संवेग विशेष का प्रत्यक्षीकरण करना। उसका अपना विचार तथा उसका प्रबन्धन करना।उसके व्यवहार में प्रायः सभी संवेगों के दर्शन हो सकते हैं और उनके द्वारा कब किस संवेग की अभिव्यक्ति हो रही है इसका ज्ञान भी भली–भाँति हो सकता है।संवेगों की अभिव्यक्ति में भी पर्याप्त सुधार हो जाता है। अबवह अपने संवेगों की अभिव्यक्ति समाज के नियम और आचरण संहिता को ध्यान रखकर करने लगता है।

अध्ययन के उद्देश्य –

1. श्रवण बाधित विद्यार्थियों की संवेगात्मक बुद्धि जानना।

(क) श्रवणबाधित बालक एवं बालिका विद्यार्थियों की संवेगात्मक बुद्धि की तुलना करना।

(ख) कला वर्ग के श्रवण बाधित बालक एवं बालिका विद्यार्थियों की संवेगात्मक बुद्धि की तुलना करना।

(ग) विज्ञान वर्ग के श्रवण बाधित बालक एवं बालिका विद्यार्थियों की संवेगात्मक बुद्धि की तुलना करना।

अध्ययन विधि– प्रस्तुतअध्ययन में अध्ययन के उद्देश्यों एवं प्रकृति को ध्यान में रखकर वर्णनात्मक सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया है।

न्यादर्श–प्रस्तुत शोध जो कि माध्यमिक विद्यालय के श्रवण बाधित विद्यार्थियों के लिये व जनसंख्या 93 है न्यादर्श का चुनाव उद्देश्यपूर्ण विधि द्वारा किया गया।

जनसंख्या–प्रस्तुत अध्ययन गोरखपुर मण्डल की सीमा में स्थित माध्यमिक विद्यालय जिनकी संख्या 75 हैं में अध्ययनरत् 93 श्रवणबाधित विद्यार्थियों पर किया गया है अतः गोरखपुर मण्डल की सीमा में

स्थित माध्यमिक विद्यालयों के समग्र श्रवण बाधित विद्यार्थी अध्ययन की जनसंख्या हैं।

प्रयुक्त शोध–उपकरण–प्रस्तुत अध्ययन में निम्नलिखित मानकीकृत परीक्षणों का प्रयोग किया गया है।संवेगात्मक बुद्धि इन्वेन्टरी जो कि एस. के. मंगल व शुभ्रा मंगल द्वारा निर्मित है तथा नेशनल साइकलोजिकल कार्पोरेशन आगरा द्वारा प्रकशित एवं मुद्रित है।

आंकड़ो का विश्लेषण व व्याख्या–प्रस्तुत अध्ययन जिसमें कि श्रवण–बाधित विद्यार्थियों की संवेगात्मक बुद्धि का अध्ययन करना था, के लिए शोधकर्ता ने सर्वेक्षण विधि का प्रयोग करके मानकीकृत उपकरणों की सहायता से आंकड़ों का संग्रहण किया। प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण करने के पश्चात् निम्नलिखित निष्कर्ष प्राप्त हुये जिनका विवरण उद्देश्यों के क्रम के अनुसार निम्न प्रकार है–

उद्देश्य क्रमांक 1– श्रवणबाधित विद्यार्थियों की संवेगात्मक बुद्धि की स्थिति को जानना।

1. (अ) श्रवणबाधित बालक एवं बालिका विद्यार्थियों की संवेगात्मक बुद्धि की तुलना की करना।

परिकल्पना–श्रवणबाधित बालक एवं बालिका विद्यार्थियों की संवेगात्मक बुद्धि में सार्थक अन्तर नहीं है। उपरोक्त उद्देश्य के अध्ययन में ज्ञात हुआ है कि श्रवणबाधित बालक एवं बालिका विद्यार्थियों की संवेगात्मक बुद्धि में सार्थक अन्तर नहीं है।

अतः उपरोक्त शोध परिकल्पना स्वीकृत होती है।

तालिका–1

श्रवण बाधित बालक व बालिका वर्ग में संवेगात्मक बुद्धि की तुलना

समूह	संख्या	मध्यमान	मानक विचलन	मुक्तांष	टी मान
श्रवण बाधित बालक	40	191.05	18.737	91	1.42
श्रवणबाधित बालिका	53	185.94	15.950		

0.01 स्तर=2.63. , 0.05 स्तर=1.98

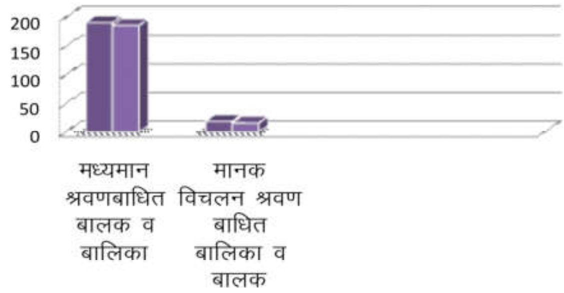

निष्कर्ष–उपरोक्त निष्कर्ष से स्पष्ट है कि श्रवण बाधित बालक एवं बालिका विद्यार्थियों को संवेगात्मक बुद्धि पर लिंग भेद का कोई प्रभाव दृष्टि गोचर नहीं होता। अतः कहा जा सकता है कि दोनों ही वर्गों के श्रवण बाधित विद्यार्थियों की संवेगात्मक बुद्धि में सार्थक अन्तर नहीं हैं।

उद्देश्य संख्या –1 (ब) कला वर्ग के श्रवण बाधित बालक एवं बालिका विद्यार्थियों की संवेगात्मक बुद्धि में तुलना करना।

परिकल्पना–कला वर्ग के श्रवण बाधित बालक एवं बालिका विद्यार्थियों की संवेगात्मक बुद्धि में सार्थक अन्तर नहीं है।

तालिका–2

कला वर्ग के श्रवण बाधित बालक व बालिका वर्ग की संवेगात्मक बुद्धि की तुलना

समूह	संख्या	मध्यमान	मानक विचलन	मुक्तांश	टी का मान
श्रवणबाधित बालक	16	183.63	18.938	42	0.22
श्रवणबाधित बालिका	28	184.93	19.566		

0.01 स्तर =2.69, 0.05 स्तर = 2.02

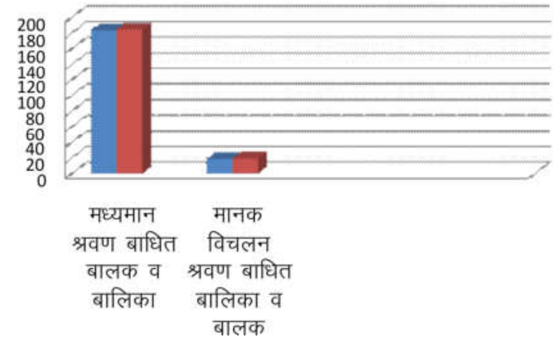

विवेचना–उपरोक्त निष्कर्ष से स्पष्ट है कि कला वर्ग के श्रवण बाधित बालक एवं बालिका विद्यार्थियों के संवेगात्मक बुद्धि पर कला वर्ग की विद्यार्थियों का होने का कोई सार्थक प्रभाव नहीं है। हम जानते हैं कि माध्यमिक स्तर के कला वर्ग के विद्यार्थियों का विषय चयन की दृष्टिसे सामाजिक विज्ञान, सौन्दर्यात्मक विषय जैसे कला संगीत साहित्य मनोविज्ञान जैसे पृष्ठ भूमि के होते हैं। अतः सामाजिक व्यवहार, समायोजन मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध तथा संवेगात्मक परिपक्वता की दृष्टि से यह विद्यार्थी उत्तम संवेगात्मक बुद्धि को प्रदर्शित करते हैं जिसके कारण बालक और बालिका दोनों की संवेगात्मक बुद्धि में सार्थक अन्तर दृष्टि गोचर नहीं हो रहा है।

उद्देश्य–1 (स) विज्ञान वर्ग के श्रवण बाधित बालक एवं बालिका विद्यार्थियों की संवेगात्मक बुद्धि की तुलना करना।

परिकल्पना– विज्ञान वर्ग के श्रवण बाधित बालक एवं बालिका विद्यार्थियों की संवेगात्मक बुद्धि में सार्थक अन्तर नहीं है।

तालिका–3

विज्ञान वर्ग के श्रवण बाधित बालक व बालिका विद्याथियों की संवेगात्मक बुद्धि की तुलना

समूह	संख्या	मध्यमान	मानक विचलन	मुक्तांश	टीमान
श्रवण बाधित बालक	24	196.0	17.248	47	2.18
श्रवण बाधित बालिका	25	187.08	10.862		

0.01 स्तर =2.680, 0.05 स्तर = 2.01

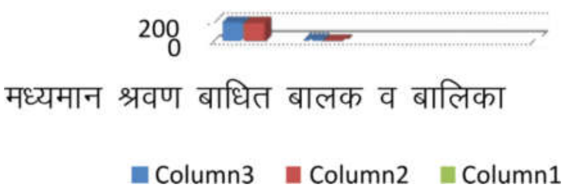

निष्कर्ष–उपरोक्त उद्देश्य के अध्ययन से ज्ञात हुआ है कि विज्ञान वर्ग के श्रवण बाधित बालक एवं बालिका विद्यार्थियों की संवेगात्मक बुद्धि में .05 स्तर पर सार्थक अन्तर पाया गया तथा .01 स्तर सार्थक अन्तर नहीं पाया गया इसका कारण सम्भवतः यह हो सकता है कि विज्ञान वर्ग के बालक वैज्ञानिक अभिवृत्ति युक्त होते हैं। साथ ही बालक प्रायः बालिका की अपेक्षा अधिक बर्हिमुखी प्रवृत्ति के होते हैं। इस कारण उनके सामाजिक और मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध उत्त्म होते हैं।

निष्कर्षों की शैक्षिक उपयोगिता–प्रस्तुत अध्ययन के निष्कर्ष निम्नलिखित प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में योगदान दे सकते हैं :–

1. प्रस्तुत अध्ययन के निष्कर्ष के आधार पर श्रवण बाधित विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास हेतु उचित वातावरण का सृजन माध्यमिक विद्यालयों में किया जा सकता है।

2. प्रस्तुत अध्ययन के परिणामों के आधार पर श्रवण बाधित विद्यार्थियों के संवेगात्मक विकास हेतु उन्हें उचित निर्देश दिया जा सकता है।

3. प्रस्तुत अध्ययन के आधार पर उपयुक्त शिक्षा नीति निर्मित करकेश्रवण बाधित विद्यार्थियों के उचित मनोवैज्ञानिक विकास हेतु सार्थक नीतियों को बना सकते हैं।

4. इस अध्ययन के आधार पर श्रवण बाधित विद्यार्थियों के समुचित शिक्षा एवं पुनर्वास हेतु ठोस कार्य नीति का निर्माण किया जा सकता है।

सन्दर्भ–

1. भार्गव, डॉ. महेश (2009) विशिष्ट बालक, एच. पी. भार्गव बुक हाउस, आगरा।

2. टण्डन, डॉ. उमा (2008) उदीयमान भारतीय समाज में शिक्षा, केशरवानी प्रेस इलाहाबाद।

3. किरण चाँद, शिक्षा समाज और विकास, (2012) , कनिष्का पब्लिशर्स नई दिल्ली।

4. शर्मा, कुमार योगेन्द्र, शर्मा मधुलिका शिक्षा के समाजशास्त्रीय आधार (2012) कनिष्का पब्लिशर्स, नई दिल्ली।

5. कुमार संजीव, (2008) विशिष्ट शिक्षण नई दिल्ली पब्लिशर्स

6. आल इण्डिया कन्फेडरेशन फार दि ब्लाइण्ड (2004), शिक्षक प्रशिक्षण लेखमाला

7. सिंह, अरूण कुमार , शिक्षा मनोविज्ञान (2010) नई दिल्ली

8. सिंह, कुमार अरूण एवं सिंह कुमार आशीष आधुनिक सामान्य मनोविज्ञान (2011) मोतीलाल बनारसी दास,न्यू बग्लोरोड, जवाहर नगर, दिल्ली

9. ए. के. सिंह, शिक्षा मनोविज्ञान, (2005), पटना भारती, भवन, पब्लिशर्स एवं डिस्ट्रीब्यूटर्स

10. www.socialscienedictionorg.com